सम्मेलन पत्रिका

भाग ४९ — (१९६२-६३)

अङ्क — १ — १२

Reg. No. A-629.

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ३ } आश्विन संवत १९७२ { अङ्क १

विषय-सूची

[वा० मू० १)] [एक प्र० =)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्रसम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि-तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जायँ उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३ } आश्विन संवत् १९७२ { अङ्क १

विदेश में हिन्दी का प्रचार

डरबन, नेटाल, दक्षिण अफ्रिका,
२१, सितम्बर १९१५।

श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टण्डन—मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

प्रियवर महाशय,

आप का मिति श्रावण शुक्ल १२ सं० १९७२ का संख्या ५/९७१ श्रीयुत महाबीर प्रसाद त्रिपाठी का हस्ताक्षर युक्त कृपा पत्र आया। उत्तर में निवेदन यह है कि मैं अहर्निश हिन्दी भाषा के प्रचार में तत्पर हूं। मैं ने हिन्दी प्रचार के लिये जितनी संस्थायें स्थापित की हैं उनका नाम नीचे देता हूं।

(१) हिन्दी आश्रम—क्लेरस्टेट नेटाल
(२) हिन्दी विद्यालय—क्लेरस्टेट नेटाल।
(३) हिन्दी पुस्तकालय—क्लेरस्टेट नेटाल।
(४) हिन्दी यंत्रालय—क्लेरस्टेट नेटाल।
(५) हिन्दी प्रचारिणी सभा क्लेरस्टेट नेटाल।
(६) ट्रांसवाल हिन्दी प्रचारिणी सभा—जर्मिस्टन।
(७) हिन्दी नाइट स्कूल—जर्मिस्टन।
(८) हिन्दी फुटबाल क्लब—जर्मिस्टन।
(९) हिन्दी बाल सभा—ज़र्मिस्टन।

(१०) हिन्दी प्रचारिणी सभा-डेनहाऊसर ।
(११) हिन्दी पाठशाला-डेनहाऊसर ।
(१२) हिन्दी पाठशाला-प्रिटोरिया ।

मैंने जिस जिस स्थान पर जाकर हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये व्याख्यान दिये उसका नाम नीचे देता हूं ।

ट्रांसवाल

प्रिटोरिया, जोहांसवर्ग, जर्मिस्टन, न्यूक्लियर, रुडीपोर्ट, क्रुगर्स ड्रोप, बाक्सबर्ग, वेनानी, और सोफ़ायाटोन ।

नेटाल प्रान्त

चार्लिस्टन, न्यूकासल, फरेली, यूट्रकस, बरेली, बैलंगी डेनहाऊसर, केम्बरीन, हार्टिङ्गस्प्रुट, गलंकों जंकसन, बर्नसाइड गलंकों कोलरी, नेविगेशन, न्यूशॉप, संजोंजिस, न्यूमाइन, वाल्स एन्ड, वाचबैंक, पीनीक्स, वेरुलम, टुगेला, सीडनम, क्लेरस्टेट और दरबन ।

इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट "नवजीवन" में प्रकाशनार्थ भेजी गयी है आशा है छपने पर आप को सब हकीकत ज्ञात हो जायगी । हिन्दी टाइप मंगा लिया गया है और मशीन खरीदने का प्रयत्न किया जा रहा है । प्रेस का सब सामान हो जाने पर शीघ्र ही "हिन्दी" पत्र निकलने लगेगा । इस कार्य में हमें हिन्द के साहित्य प्रेमियों से कुछ सहायता नहीं मिली यह बड़े शोक की बात है। दक्षिण अफ्रिका के हिन्दी भाइयों के प्रतिनिधि श्रीयुत लाल बहादुर सिंह जी स्वदेश को जा रहे हैं वे ट्रांसवाल हिन्दी प्रचारिणी सभा के प्रतिनिधि की हैसियत से हिन्दी साहित्य सम्मेलन में शामिल होंगे आशा है कि वे हिन्दी माता की दुर्दशा का वर्णन करेंगे।

कृपया सम्मेलन-पत्रिका तथा अन्य सम्मेलन सम्बन्धी सूचनायें भेजते रहें ताकि यहां की हिन्दी सभाओं का साहित्य सम्मेलन से दृढ़ सम्बन्ध स्थापित हो जावे । हमारा विचार है कि दक्षिण अफ्रिका में भी प्रति वर्ष "हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन" किया जावे। यदि परमात्मा ने कुशल पूर्वक रक्खा तो इस विचार को शीघ्र ही कार्य्य रूप में परिणत करूंगा ।

हिन्दी का एक तुच्छ सेवक
भवानी दयाल

"हिन्दी"

जिनको न निज हिन्दी तथा निज हिन्द का अभिमान है।
उन कुल कुपूतों के लिये इस विश्व में नहिं मान है॥
जिस को न राष्ट्रिय, हिन्द, हिन्दीप्रेम पारावार है॥
सच जानिये उस नर अधम का जन्म ही बेकार है॥
जिसको न अपने राष्ट्र भाषा, देश का कुछ ज्ञान है॥
वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है॥

यह बड़े आनन्द की बात है कि दक्षिण अफ्रिका के हिन्दी भाइयों ने दुःखिनी मातृभाषा हिन्दी की दुर्दशा पर ध्यान दिया है। माता के करुण विलाप पर उनको तर्स आया और माता के दुःख दूर करने के लिये कई पुरुषार्थी हिन्दी भाई कमर कस कर तैयार हो गये हैं इस देश में अंग्रेज़ों के असङ्ख्य, काफिरों के अनेक तथा अन्य जातियों के अगणित पत्र निकलते हैं। हमारी गुजराती भाषा में तीन और तामिल में दो पत्र निकलते हैं पर बड़े शोक की बात है कि इस देश में अधिकस्थ संख्या में हिन्दी भाइयों के होते हुये भी हिन्दी में एकभी पत्र नहीं निकलताहै। वास्तवमें यह बड़े लज्जा की बात है। इस कमी को दूर करने के लिये ट्रांसवाल "हिन्दी-प्रचारिणी सभा "ने यह निश्चित किया है कि दरबन के निकट हिन्दी प्रेस स्थापित कर "हिन्दी" नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाय इस महान कार्य्य में धन की कितनी बडी जरुरत है से। सहज में अनुमान किया जा सक्ता है। इस कार्य्य के लिये धन इकट्ठा किया जा रहा है आशा है कि सब हिन्दी भाई इस आवश्यक काम की ओर ध्यान देंगे। इस महान कार्य में समस्त हिन्दी भाइयों से प्रार्थना है कि आप लोग यथा शक्ति धन की सहायता देकर यश के भागी बनें। यदि आपके शरीर में राम और कृष्ण के समान अवतारिक महापुरुषों का खून कुछ भी मौजूद है। यदि आपको अपने देव और अपनी मातृ भाषा का कुछ भी अभिमान है तो अपनी गहरी नींद को त्यागो। हिन्दी माता के उद्धार के लिये कमर कस कर तय्यार हो जावो और अपने माथे का कलंक दूर करने के लिये "हिन्दी" पत्र की तन मन धन से सहायता करो। यदि आप इस काम में आलस करेंगे तो जमाना आपको क्या कहेगा। आलसी

या पुरूषार्थी किस नाम से आपको पुकारेगा ,इस का विचार आप खुद करें। यह सुन कर हिन्दी भाइयों को प्रसन्नता होगी कि श्रीमान् हिज हाइनेस महाराजा रामेश्वरसिंह बहादुर के० सी०आई० ई० दरभङ्गा नरेश ने "हिन्दी" पत्र का संरक्षक होना स्वीकार कर अपनी उदारता का अनुपम परिचय दिया है। इस संरक्षकता के लिये श्रीमान् के हम लोग सदैव ऋणी रहेंगे। आशा है कि हमारे अन्य राजे महाराजे भी श्रीमान का अनुकरण करेंगे।

जोहांसवर्ग के श्री सी के. थम्बी नायडू, श्री डी० मोरगन, श्री राम दयाल सिंह आदि, प्रिटोरिया के राम लाल मूल्लू बाबू लाल महाराज आदि, बेनोनी के लक्ष्मणदास आदि, बोक्सवर्ग के खंडू भाई देशाई आदि, रुडीपोर्ट के भगवान देशाई कृष्ण जी आदि, कुरगर्स ड्रोप के जुगभाई देशाई कम्पनी आदि, और जर्मिस्टन के समस्त हिन्दी भाइयों के परिश्रम से आखा ट्रांसवाल में अच्छा उघराणा हुवा न्युकासल के बाबू लखराजसिंह डाक्टर के डी जोशी जी० बी० सी०, बाबू खड़गधारी सिंह आदि, डेन हाऊसर के बाबू धनेश्वर राय, बाबू राय सिंह आदि, यूठर्क स के श्रीकुन्दन लाल महाराज, न्यूकासल कोलरी के अवज महाराज वैलंगी के जंग बहादुर महाराज, सरयू महाराज, बाबू दीना सिंह आदि, चार्लिस्टन के खुजई राम, बी० बिहारी आदि सज्जनों के प्रयत्न से नेटाल के उक्त स्थानों पर उघराणा हो चुका है आशा है कि इसी प्रकार से समस्त हिन्दी भाई इस महान कार्य में सहायता देकर अपनी उदारता और दान शीलता का परिचय देंगे।

निवेदक

द: लाल बहादुर सिंह सभापति

द: भवानी दयाल मंत्री

कमेटी

C. K. Thambi Naidoo द: सी०के० थम्बी नायडू

द: सुरेन्द्रनाथ

G.Bandhoo द: जी० बन्धु

द: मखन सिंह

ट्रांसवाल हिन्दी प्रचारिणी सभा

परीक्षा समिति का सातवां अधिवेशन

परीक्षा समिति का सातवां साधारण अधिवेशन आश्विन कृ० ६ सं० १९७२ बुधवार ता० २९ सितंबर सन् १९१५ ई० को ५ बजे सन्ध्या समय सम्मेलन कार्य्यालय में हुआ।

निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे

(१) श्रीयुत पं० रामजी लाल शर्म्मा

(२) " बा० ब्रजराज बहादुर (संयोजक)

(३) " बा० पुरुषोत्तम दास टण्डन

२. बाबू राम दास गौड़ के पंचम अधिवेशन के निम्न लिखित प्रस्ताव पर विचार हुआ।

"जिन परीक्षार्थियों ने इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए शुल्क दिया था किन्तु परीक्षा में नहीं बैठ सके उनको उसी शुल्क के बदले में सन् १९७३ की परीक्षाओं में किस रीति से बैठने का अधिकार देना चाहिये"

बहुत विचार होने पर सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि कई कारणों से केवल मध्यमा परीक्षा के ही उन परीक्षार्थियों को आगामी वर्ष की परीक्षा में अर्द्ध शुल्क देकर बैठने की आज्ञा दी जाय जो शुल्क देकर किसी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।

२. मध्यमा का परीक्षा फल उपस्थित किया गया और उस पर विचार हुआ। सर्व सम्मति से परीक्षा फल निश्चित हुआ। मध्यमा परीक्षा में सब मिला कर १० परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। प्रथम श्रेणी में ६ और द्वितीय श्रेणी में ४।

निश्चय हुआ कि मध्यमा परीक्षा का फल भी हिन्दी के दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेज दिया जाय।

समालोचना

महात्मा सूरदास की साहित्य लहरी का समय

(श्रीयुत पं० जनार्दन झा लिखित)

श्री सूरदासजी का चरित बर्णन करते हुए हिन्दी-नवरत्न के लेखक पण्डित श्रीगणेशविहारी मिश्र, पण्डित श्यामविहारी मिश्र एम. ए. तथा पं० शुकदेवविहारी मिश्र बी. ए. महाशयों ने मई १६१० ई० की सरस्वती में लिखा है "साहित्य लहरी को सूरदास ने १६०७ वि० में संकलित किया था।" इसके प्रमाण में उन्होंने सूरदास का एक पद उद्धृत करके नीचे उसकी टीका भी लिखी है। वह यों है :—

मुनि पुनि रसन के रस लेख।
दसन गौरीनन्द को लिखि सुवल (सुदल) संवत पेख।
नन्दनन्दन मास छै तें हीन त्रितिया वार।
नन्दनन्दन जनम तें हैं वाण सुख आगार।
तृतिय ऋक्ष सुकर्म योग विचारि सूर नवीन।
नन्द नन्दन दासहित साहित्य लहरी कीन।

(टीका) मुनि=७ रसन=० (जिसमें कोई रस नहीं है, अर्थात् जो कुछ भी नहीं है याने शून्य है) रस=६ दसनगौरीनन्द=१= १६०७ नन्दनन्दन मास=वैशाख (मधु) छै तें हीन त्रितिया=अक्षै (अक्षय) तृतीया, तृतिय ऋक्ष=कृत्तिका नक्षत्र, सुकर्म योग (देखो सरदार कृत सौर दृष्टकूट की टीका, पृष्ठ ७१)

जान पड़ता है, मिश्र महोदयों ने सरदार कवि की टीका ज्यों की त्यों उठाकर यहां रख दी है। अपनी ओर से उस छन्द पर कुछ विचार नहीं किया। यदि विचार करते तो उस ललित सरल भाव सङ्कलित छन्द का अर्थ सहसा यों न लिख डालते। आप लोगों ने रसना का अर्थ लिखा है "शून्य" रसना शब्द की व्युत्पत्ति की है, जिसमें कोई रस नहीं है अर्थात् जो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार शब्द को तोड़ मरोड़ कर आप लोगों ने जो अर्थ निकाला है, वह मेरी समझ में समीचीन नहीं जँचता। मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार

रसन शब्द शून्य का बोधक न होकर एक का बोधक है। रसन या रसना का अर्थ है जीभ। ज्योतिष में रसना शब्द सर्वत्र एक का ही पर्यायवाचक है। श्री सूरदासजी का भी अभिप्राय रसन से यहां एक ही का जान पड़ता है। यदि उनका यह अभिप्राय न होता तो वे "रसन के रस लेख" ऐसा न लिखते। सर शब्द ६ और ४ दोनों का बोधक हो सकता है। इस लिए सूरदासजी ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि "रसन के रस" अर्थात् जिह्वा का रस। रसन के साथ रस शब्द देने का उनका यही तात्पर्य ठीक जान पड़ता है। इस अर्थ से साहित्य लहरी बनने का समय १६०७ विक्रमाब्द न होकर १६१७ वि० होता है। मिश्र महोदयों ने साहित्य लहरी बनने का मास, तिथि, नक्षत्र और योग तक लिखकर दिन लिखना क्यों छोड़ दिया? अर्थ लिखते समय उक्त छन्द के चतुर्थ चरण को शायद आप तीनों महाशय एकदम भूल गये।........त्रितिया वार। नन्दनन्दन जनम तें है वाण सुख आगार।" श्री सूरदासजी ने तिथि लिखने के अनन्तर दिन लिखा है। नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र का जन्म दिन बुधवार है। उससे वाण अर्थात् पांचवां दिन रविवार उक्त पद से साहित्य लहरी के निर्माण का दिन निकलता है।

यदि यह अर्थ ठीक है तो साहित्य लहरी बनने का जो विक्रमाब्द मिश्र महोदयों ने लिखा है वह ठीक नहीं। साथ ही इसके, उन लोगों ने साहित्य लहरी के निर्माण समय के आधार पर जो श्री सूरदासजी के जन्म मरण का संवत् निर्धारित किया है, उसमें भी दस वर्ष का अन्तर पड़ जायगा। इस लिए मिश्र महोदयों से मेरी विनीत प्रार्थना है कि यदि आप तीनों भाई ऐतिहासिक विषयों के विशेष अन्वेषी और हिन्दी-साहित्य के उत्कट अनुरागी हैं तो आप को चाहिये कि इतिहास सम्बन्धी कोई विषय क्यों न हो भली भांति सोच विचार कर लिखें। क्योंकि आप जैसे संस्कृत, हिन्दी और अंगरेज़ी के दुर्धर्ष पण्डितों की लेखनी से निकला हुआ कोई विषय सहसा अप्रामाणिक नहीं गिना जा सकता।

अन्त में मेरी प्रार्थना यह है कि मिश्र महोदय जैसे विद्वान् हैं वैसे ही समृद्धिशाली भी हैं। वे चाहें तो किसी अच्छे ज्योतिषी से संवत् १६०७ और सं० १६१७ वि० का पञ्चाङ्ग बनवा कर जाँच सकते

हैं कि दोनों संवत्सरों में किस सम्वत् के वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को रविवार कृत्तिका नक्षत्र और सुकर्म योग पड़ता है। इससे अर्थ निर्विवाद हो जायगा और मिश्र महोदयों के निर्दिष्ट साहित्य लहरी के समय का भी संशोधन हो जायगा।

ताप—विज्ञान-परिषद् ग्रन्थमाला संख्या २, मूल्य ।)—लेखक पं० प्रेम वल्लभ जोशी बी० एस० सी०। प्रकाशक विज्ञान-परिषद् प्रयाग। हिन्दी भाषा में विज्ञान विषय की पुस्तकों का प्रायः अभाव ही है। यही कारण है कि सर्वसाधारण में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार बिलकुल नहीं हुआ है। कोई भी साहित्य आजकल आदर की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता जब तक उसमें वैज्ञानिक, औद्योगिक और व्यापार सम्बन्धी विषयों पर सर्वसाधारण लोगों को लाभ कारक पुस्तकें उपस्थित न हों। सर्वसाधारण में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए विज्ञान के कुछ आचार्य्यों ने प्रयाग में विज्ञान परिषद् नामक संस्था का निर्माण किया है और इस उद्देश्य का पूर्त्ति के लिए यह परिषद् विज्ञान विषय की पुस्तकों का निर्माण करता रहता है। ताप विज्ञान परिषद् ग्रन्थमाला की दूसरी संख्या है और विज्ञानप्रवेशिका की तरह अत्यन्त सरल और सुन्दर भाषा में लिखी गयी है। विषय गम्भीर होने पर भी पुस्तक ऐसे सरल और मनोहर ढंग से लिखी गयी है कि विषय को ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होती। प्रयोगों को समझाने के लिए स्थान स्थान पर चित्र भी दिये गये हैं। इन चित्रों के बनवाने में परिषद् को अच्छा व्यय करना पड़ा होगा और इस पर ध्यान दे कर इस पुस्तक का मूल्य सस्ता प्रतीत होता है। बालक और बालिकाओं को पढ़ाने के लिए पुस्तक बड़े काम की है हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा में यह पुस्तक नियत हुई है। इस पुस्तक में लिखे प्रयोग बहुत थोड़े खर्च में और आसानी से किये जा सकते हैं। यह पुस्तक आदर के योग्य है। हम आशा करते हैं कि हिन्दी प्रेमी इस पुस्तक से लाभ उठावेंगे।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन सम्बन्धी सं० १९७२ की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र

(प्रथमा परीक्षा)

साहित्य १

[परीक्षक—पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी, बी. ए.एम. ए. एस्. बी. एफ़.बी. एस्. एस]

समय ३ घंटे, पूर्णांक १००

१० प्रश्नों में किसी ८ के लिए पूरे नम्बर दिये जायँगे

१. सवैया, सुन्दरी छन्द, सेारठा, मन्दाक्रांता, शिखरिणी और वसंततिलका के लक्षण लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। स्वरचित उदाहरणों पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

२. अलंकार, उपमा, रूपक और व्याजस्तुति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए।

३. निम्न लिखित पदों के अर्थ लिखिए और यह भी बतलाइये कि इनमें कौन से छन्द और अलंकार हैं:—

(क) बद्दल न होहि दल दच्छिण घमंड माहिँ, घटा जू न होहिँ दल सिवाजू हँकारी के। दामिनी दमक नाहिँ खुले खग्ग बीरन के, बीर सिर छाप लख तीजा असवारी के।

(ख) अपने बल सेा लावहीं, यद्यपि मार शिकार।
तदपि सुखी नहिं होत हैं, राजा सिंह कुमार॥

(ग) सेाहत जनु युग जलज सनाला।
शशिहिं सभीत देत जयमाला॥

(घ) उवै भानु पच्छिम प्रतच्छ दिन चन्द्र प्रकासै।
उलटि गंग बरु रहै कामरति प्रीति विनासै।
तजै गौरि अरधंग अचल-ध्रुव आसन चल्लै।
अचल पौन बरु होय मेरु मंदर गिरि हल्लै।
सुरतरु सुखाइ लोमस मरै भीर संक सब परिहरौ।
मुख बचन, बीर हम्मीर को बोलि न यह बहुरो टरौ।

४.　पिंगल में कितने गणागण दग्धाक्षर बतलाये गये हैं ? उन का वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी राय में उनके नियमों का पालन कविता के लिए कहाँ तक आवश्यक है।

५.　निम्न लिखित पदों में यदि कोई दूषण हो तो लिखिए।

(क) या विधि दीन दुखीन उबारन कौ अभिमानी।

(ख) नृपनन्द काम समान चातक नीति जर जर जर भयो।

(ग) तहँबाग डोलहिं कुमुद बासित गंधवंती बात सेा।

६.　गोस्वामी तुलसीदास, चन्द्रशेखर कवि, भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और अंगरेज़ी कवि गोल्डस्मिथ के संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखिए।

७.　मुद्राराक्षस की संक्षिप्त कथा लिखते हुए चाणक्य और अमात्य राक्षस के चरित्र की तुलना कीजिए।

८.　राम चरित मानस से, भरत और लक्ष्मण, कौशल्या और सुमित्रा, जनक और दशरथ के चरित्र की तुलना कीजिए।

९.　निम्न लिखित पदों का अर्थ लिखिए और यह भी बतलाइये कि ये किसके और कहाँ के वचन हैं।

कानन कठिन भयंकर भारी। घोर घाम हिम वारि बयारी।
कंदर खोह नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे।
भोग रोग सम भूषण भारू। यम यातना सरिस संसारू।
कोक शोक प्रद पकज द्रोही। औगुन बहुत चन्द्रमा तोही।
नहिं असत्य सम पातक पुञ्जा। गिरि सम होहिं कि कोटिक गुञ्जा।
जाकर जापर सत्य सनेहू। सेा तेहि मिलत न कुछ संदेहू।

पति देवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तुव रेख।
महिमा अमित न कहि सकहिं, सहस शारदा शेष॥

कहहु करहु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागहि राउर माया।

१०.　भूषण कवि और महाराज शिवाजी के बिषय में जो कुछ जानते हों लिखिये। शिवा बावनी का सर्वोत्तम पद जो याद हो लिखिये।

साहित्य २

[परीक्षक—पं० शुकदेव विहारी मिश्र, बी ए.]

समय तीन घंटे

१. ईकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। चार ऐसे ईकारान्त शब्द लिखिये जो स्त्रीलिंग न हों। ८

२. कृत और कृदन्त शब्दों के लक्षण लिखिये और कृदन्त शब्दों के चार उदाहरण दीजिये। ८

३. निम्न वाक्योंका सरल हिन्दी में अनुवाद कीजिये :— १२

(अ) जिसे छुवो, वही अंगारेसा गरम बोध होता है। मानो त्वगिन्द्रिय शीत स्पर्श से निराश हो जलमें शैत्यगुणका निर्देश करने वाले कणाद मुनि की बुद्धि का भ्रम मान बैठी हो। १४

(आ) उस शुभ्र ज्योत्स्नापूर्ण विभावरी में सुधाधर अंशुमाली से प्राप्त किरणों द्वारा अभ्रं लिह उच्च शाखोगण की शाखिकाओं को भी धवलित कर रहा था।

४. ग्रन्थ चुम्बक और पंडित में क्या भेद है? ग्रन्थ चुम्बक किसे कहते हैं और ऐसे लोगोंमें कौनसे दोष प्रायः पाये जाते हैं? १२

५. तोपों से गोले और शत्रु शरीरों से प्राण साथ ही निकलेंगे, वरन् तोपों का नाम सुनकर ही शत्रुगण युद्धस्थल में हहर हहरकर मर जावेंगे। तोपोंकी गरज तो युद्धस्थलमें पीछे सुन पड़ेगी और शत्रुगण हमारे प्रतापानल से सन्दग्ध होकर पहिले ही मर जावेंगे।

उपर्युक्त वाक्यों में कौन कौन अलंकार हैं सो समझाकर लिखिये। उन अलंकारों के लक्षण भी कहिये।

६ बनारस में यह जो बनारस गज़ट है। १४
इबारत सबिस्की अजब ऊट पट है।
मोहर्रिर विचारा तो है बासलीक़ा।
वले क्या करै वह कि तहरीर भट है।

इस पत्र का ठीक नाम क्या था ? कविने उपर्युक्त पद्य में भट शब्द क्यों लिखा ? यह पत्र किसकी सहायता से कब निकला और इसका सम्पादक कौन था ? इसकी भाषा कैसी थी ?

७. कवि बचन सुधा नाम्नी पत्रिका के विषय में कुछ मुख्य २ बातें लिखिये। १४

साहित्य ३

समय ३ घंटे, पूर्णांक १००

[परीक्षक—अध्यापक श्यामसुन्दर दास, बी. ए., एफ. बी. एस. एस.]

निम्न लिखित विषयों में से किसी एक विषय पर एक निबन्ध लिखिए जो उत्तर पुस्तक की कम से कम १०० और अधिक से अधिक २०० पंक्तियों में हो :—

१. किसी पुष्पवाटिका की संध्या समय की शोभा का वर्णन।

२. तुलसीदासकी रामायणका भारतवासियोंके सामाजिक जीवन पर प्रभाव।

३. जो सबको प्रसन्न करना चाहता है वह किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकता।

गणित

[परीक्षक—अध्यापक ज्योति प्रसाद वेजल, एम. ए.]

समय ३ घंटे, पूर्णांक १००

१. एक मनुष्यने ४६ मन २५ सेर चना एक रुपये में १४$\frac{१}{४}$ सेरकी दरसे मंडीमें ख़रीदे। गोदाममें लानेके लिए उसको २=)॥। तुलाई, २।=)॥ चुंगी और १।) मज़दूरी देनी पड़ी बतलाइये कि उसको चना किस भाव गोदाममें पड़ा। १

२. उसी चनेको वह ६ महीने के बाद बेचता है, कुल क़ीमत पर उसको १०॥) फ़ी सैकड़ा सूद देना पड़ा और फ़ी सेर एक छटांक

घुनसे कमी हुई। बतलाइये कि अगर वह १३ सेरकी दरसे चना बेचे तो उसको फ़ी सैकड़ा क्या लाभ या घाटा होगा। १२

३. दो मनुष्योंने एक महाजनसे बीस बीस रुपये उधार लिये, एकने साल भरके बाद महाजन को २२ रुपये चुकाए और दूसरे ने दो रुपये महीनेके हिसाबसे बाईस रुपये अदा किये। बतलाइये कि महाजनको किसने अधिक दिया। सूदकी दर दस रुपया सैकड़ा सालाना है। १६

४. बतलाइये कि

$$\frac{\cdot१ \times \cdot१}{२५ \times \cdot२५} \times \frac{३\cdot२५ \times ३\cdot२५}{\cdot४ \times \cdot६३} + \frac{१\cdot२५ \times २}{६\cdot५ \times \cdot७} \text{ का } \frac{५२६ \times \cdot३१५६''}{२७\,४५ \div \cdot६२५} \text{ रुपया}$$

तीन रुपये चार आने का कौन सा भाग है। १६

५. सरल रूपमें लाइये

$$\frac{\frac{३}{७} - \frac{२}{९}}{\frac{३}{७} + \frac{२}{९}} \text{ का } २\frac{११}{२६} \div \frac{४}{१३ - ३\frac{८}{९}} + ३\frac{११}{१६} - \frac{३}{३ - १\frac{१०}{१३}}$$

१०

६. व्यापारिक रीतिसे ४९ मन ३९ सेर १५ छटाँक ४ तोले गेहूंकी क़ीमत रुपये पीछे १० सेर $४\frac{१}{२}$ छटाँक की दरसे निकालिए। १०

७. एक मनुष्यने एक दीवार ८० फुट लम्बी दस फुट ऊंची और एक फुट दो इञ्च चौड़ी बनवाई। दो राज आठ आने रोज़पर और दो मज़दूर चार आने रोज़पर लगाये। ५० फुट रोज़ दीवार तैयार होती है। कितने रोज़में दीवार तय्यार हो जावेगी? इस मकानमें ९ इंच लम्बी $४\frac{१}{२}$ इंच चौड़ी और ३ इंच मोटी ईंट लगायी गयी और $\frac{१}{४}$ इंच गारा हर ईंट के जोड़ने में लगाया गया, बतलाइये कि कितनी ईंटें इसमें लगीं और अगर सात रुपये हज़ार ईंटकी क़ीमत है तो कुल ईंटों की क्या क़ीमत होगी? अगर हज़ार पीछे सवा रुपये ढुलाई दी जाय, और दो आने गिनवाई लगे तो सारी दीवारकी क्या लागत होगी? २४

इतिहास

[परीक्षक—पं० हरिमंगल मिश्र, एम. ए. एस. सी.]

समय ३ घंटे, पूर्णाङ्क १००

१. आर्य जातिके धर्म और आचार व्यवहारके विषयमें जो कुछ जानते हों लिखिये। ८
२. रामायण और महाभारतसे विद्यार्थियोंको क्या शिक्षा मिलती है? १०
३. भगवद्गीता कौनसा ग्रन्थ है? उसकी शिक्षाका निचोड़ लिखिये। ८
४. वर्द्धमान महावीरके क्या सिद्धान्त थे? उसने कौनसा नया मत चलाया? १०
५. फ़ाहियान कौन था? भारतवर्षके राज्यप्रबन्धका जो कुछ वर्णन उसने लिखा हो संक्षेपसे लिखिये। १०
६. राजपूत जाति भारतवर्षमें कहाँसे आयी? उसके अभ्युत्थान-का संक्षिप्त वर्णन लिखिये। १२
७. मुहम्मद तुग़लक़के राज्यकालका संक्षिप्त वर्णन लिखिये। १०
८. क्या शाहजहां सचमुच एक नेक बादशाह होगया है? इस विषयमें अपनी सम्मति युक्ति पूर्वक लिखिये। ९
९. मार्कुइस वेलेज़लीकी कार्यवाहियोंका संक्षेपमें वर्णन कीजिये। ११
१०. निम्न लिखित पुरुषोंका संक्षिप्त वर्णन लिखिये:—हर्षवर्द्धन, बख़्तियारख़िलजी, अबुलफ़ज़ल, शिवाजी, राघोबा और लार्ड लेक। १२

भूगोल

[परीक्षक—पं० कृष्णशङ्कर तिवारी, बी. ए.]

समय ३ घंटे, पूर्णांक १००

१. भूगोल किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? प्रत्येक भागके सीखनेसे क्या प्रयोजन है? ८

२. पृथ्वी कैसे बनती है और गरम पानीके सोतोंके पाये जानेका क्या कारण है ? १०

३. ओस क्या है और किस तरह बनती है ? जब आकाशमें बादल होते हैं तब ओस क्यों नहीं गिरती ? १२

४. वायुको भौतिक पदार्थ कैसे समझ सकते हैं और पृथ्वीको वह किस प्रकार घेरे हुए है ? १०

५. एक मनुष्य प्रयागसे पूरबकी तरफ़ रवाना होकर पृथ्वीकी परिक्रमा कर फिर प्रयाग आना चाहता है। लिखिये कि उसके मार्गमें स्थल और जलके कौनसे प्रसिद्ध भाग क्रमसे पड़ेंगे ? १६

६. (क) पृथ्वीके किसी टुकड़ेका नक़्शा किस प्रकार बनाया जाता है और पहाड़ किस भांति दिखाये जाते हैं ? १२

(ख) संयुक्त प्रान्तका एक नक़्शा खींचिये और उसमें उसके प्रसिद्ध नगर और नदियोंके स्थान दिखलाइये ? १२

७. भूमण्डलके विभिन्न महाद्वीपोंकी कोई मुख्य नदियाँ और उनके बहनेकी राह बतलाइये ? १०

८. द्वीप, अन्तरीप, डेल्टा, खाड़ी, और डमरुमध्य इनकी परिभाषा और प्रत्येक के दो २ उदाहरण लिखिये ? १०

प्रारंभिक विज्ञान और स्वास्थ्य-रक्षा

[परीक्षक—अध्यापक गोमती प्रसाद अग्निहोत्री, बी. एस सी]

समय ३ घंटे, पूर्णाङ्क १००

१. नमक और गंधकको संग पीसकर एक बुकनी बनायी गयी अब इन दोनोंको अलग अलग करनेकी कोई युक्ति बतलाइए। १२

२. 'रवा' किसे कहते हैं ? फिटकरीके अच्छे बड़े बड़े रवे बनाने की रीति क्या है ? १०

३. (१) तांबा और (२) पानी—इन पदार्थोंकी जाँच करनेसे उनके विषयमें आपको कौन कौन सी बातें मालूम हुईं ?

४. (क) १० तोले चाँदीका घनफल यदि ११ घन सेंटीमीटर हो, तो ५ तोले सोनेका घनफल कितना होगा ? ८

{ आपेक्षिक घनत्व : चाँदीका = १०.६
सोनेका = १६ }

(ख) एक शीशेके टुकड़ेका वज़न तारपीनके तेलमें यदि ४ माशे हो, तो उसका मालूमी वज़न क्या होगा ? १२

{ आपेक्षिक घनत्व : शीशेका = २.५
तारपीनके तेलका = .५ }

५. मनुष्यको अपने जीवन तथा स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए क्या क्या आवश्यक है ? ८

६. पचन क्रियाका संक्षिप्त विवरण लिखिए। २०

७. हमारे घरोंकी हवा किन किन कारणोंसे बिगड़ा करती है और उसे शुद्ध बनाए रखनेके क्या क्या उपाय हैं ? १०

८. 'निद्रा' पर एक छोटासा लेख लिखिये। १२

(मध्यमा परीक्षा)

साहित्य १

[परीक्षक—पं० श्याम विहारी मिश्र, एम. ए. एम. आर. ए. एस]
समय ३ घंटे पूर्णांक १००

१. निम्न लिखित छन्दोंका अर्थ और आशय लिखियेः—

(क) ब्रह्म के आनन ते निकसे ते अत्यन्त पुनीत तिहू पुर मानी।
राम युधिष्ठिर के बरने बलमीकिहु व्यास के अंग सोहानी॥
भूषण यों कलि के कबिराजन राजन के गुन पाय नसानी।
पुन्य चरित्र सिवा सरजै बर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी॥ ४

(ख) सीता संग सोहत सुलच्छन सहाय जाके भूपर भरत नाम भाई नीति चारु है॥
भूषण भनत कुल सूर कुल भूषन हैं दासरथी सब जाके भुज भुव भारु है॥
अरि लंक तोर जोर जाके संग बानर हैं सिंधुर हैं बाँधे जाके दल को न पारु है।

सेगहिकै भेंटै जो नराकस मरद जानै सरजा सिवा जी रामही को अवतारु है ॥

(ग) मोलल्लहि जस नोलल्लरि बहलोलिलय धरि ।

(घ) कैसो ज्यों धरि सीरे सुभाय को चाय महाँ चित मैं धरि चोखे ।
संग सरोज सखानि लये दये भेष बनाय नछत्रन ओखे ॥
गोकुल जानि कमोदिनी सी हमको ब्रज चन्द बिना परिपोखे ।
पानिप प्रान पिपई सो लेत सखी यह सूर सुधाधर धोखे । ४

(च) ऊंचे अवास बिलास करै अँसुवान को सागर कै चहुं फेरयो
ताहू ते दूरि लौं अंग की ज्वाल कराल रहै निसि बासर घेरयो ॥
दास लहै वह क्यों अवकास उसास रहै नभ ओर अभेरयो ।
है कुसलात इती इहि बीच जु मीचु न आवन पावत नेरयो ॥ ४

(छ) बरर्य वस्तु बर्णि कै अवरर्य का अनादरै सु तीसरो प्रतीप कबि दूलह गनायो है ।
विष भरे कैबर नसैबर गरब ऐसे तेरे तुल्य बचन प्रपंचिन को गायो है ॥ ३

२. प्रश्न १ (क) के तीसरे चरणमें भूषण जी किस बातपर कटाक्ष करते हैं ? इसकी विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए. ५

३. भूषणमें जातीयताका भाव कैसा था ? उदाहरणोंके साथ अपने मतका समर्थन कीजिए । ६

४. प्रश्न १ में दिये हुये छन्द (क), (ख), (घ) और (च) में कौन कौन प्रधान अलंकार हैं ? उन्हें व्याख्या सहित समझाइये । १२

५. (क) प्रश्न १ में दिये हुए छन्दोंके नाम लिखिये और उनके रूप बतलाइए । ८

(ख) मुख्य गण कितने होते हैं ? उनके नाम, लक्षण, रूप, देवता, फल और उदाहरण सूक्ष्म रूपमें लिखिए । १२

(ग) खंड मेरु किसे कहते हैं ? उसके बनाने की रीति लिखिए । २

(घ) "बसु बसु भंता डिल्ला जानहु ।" इसका क्या आशय है ? इसे भली प्रकार समझाइये और उदाहरण दीजिए । ३

६. (क) निम्न लिखित छन्दका तात्पर्य मात्र लिखिये और उसकी नायिका बतलाइये ।

एकै चले रस गोरस लै अरु एकै चले मग फूल बिछावत । ३

त्यों पद्माकर गावत गीत सु एकै चले उर आनंद छावत ॥
यों नँद नन्द निहारिवे को नँदगाँव के लोग चले सब धावत ।
आवत कान्ह बने बन ते बर प्रान परे से परोसिनि आवत ॥

(ख) पद्माकरकी कविताके मुख्य गुण और दोष क्या हैं। उनकी गणना किस कोटिमें है? भूषण और पद्माकर में क्या अन्तर है? ७

(ग) संचारी भाव किसे कहते हैं? उनमेंसे ५ के नाम लिखिये, और एकका उदाहरण दीजिए। ३

७. नीचे दिये हुए पद्योंकी टीका कीजिए—

(क) कहलाने एकत फिरत अहि मयूर मृग बाघ ।
जगत तपोबन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ ॥
दीठि बरत बाँधी अटनु चढ़ि धावत न डरात ।
इत ते उत मन दुहुन के नट लौं आवत जात ॥ ५

(ख) पायो नाम चारु चिन्तामणि उर करते न खसैहौँ ।
श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिं कसैहौँ ॥
परबस जानि हँस्यो इन इन्द्रिन्ह निज बश ह्वै न हँसैहौँ ।
मन मधुकर प्रन करि तुलसी रघुपति पद कमल बसैहौँ ॥ ५

(ग) हे वीर! देखो तो तुम्हें यों देखकर रोते हुए।
हैं हँस रहे सब शत्रुजन मन में मुदित होते हुए ॥
क्या इस महा अपमान का कुछ भी न तुम को ध्यान है?
क्या ज्ञानियों को भी बिपद में त्याग देता ज्ञान है? २

८. निम्न लिखित अवतरणों से जायसी के विषय में क्या क्या बातें विदित होती हैं :-

चार मीत जो महमद ठाऊँ । जेहिं क दीन्ह जग निरमल नाऊँ ॥
शेर शाह दिल्ली सुलतानू । चारहु खंड तपा जस भानू ।
जायस नगर धर्म अस्थानू । तहाँ जाय कवि कीन्ह बखानू ॥
जग सूझा एकै नयनाहा । उवा सूकु जस नखतन माहा ॥ ४

साहित्य २

[परीक्षक—पं० शुकदेव विहारी मिश्र बी. ए.]
समय ३ घंटे पूर्णांक १००

१ हिन्दी भाषामें संस्कृत व्याकरणकी दृढ़ता स्थापित होनेसे हिन्दी की स्वतन्त्रताके विषयमें क्या दूषण आरोपित होते हैं और उससे और क्या क्या दोष हैं? ८

२ आदिम, माध्यमिक, अलंकृत और वर्त्तमान हिन्दीमें मोटे मोटे क्या अन्तर हैं? उत्तर प्रायः ३० पंक्तियोंमें हो। १२

३ वैष्णवता और मानुष जीवन होड़के प्राबल्यसे हिन्दीको क्या क्या हानि लाभ हुए? उत्तर प्रायः २० पंक्तियोंमें हो। १२

४ निम्न लिखित पंक्तियोंमें कमसे कम तीन अर्थालंकार बतलाइये, और अपने बताये हुए अलंकारोंके रूप सूक्ष्मतया उनमें दिखला दीजिये। १२

जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं। तिनहिं नाग सुर नगर सिहाहीं॥
केहि सुकृती केहि घरी बसाये। धन्य पुन्यमय परम सुहाये॥
जहं जहं राम चरन चलि जाहीं। तहं समान अमरावति नाहीं॥

५ समालोचनासे क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर चिपलूणकर महाशयके मतानुसार प्रायः २० पंक्तियोंमें दीजिये। १२

६ हिन्दी अंकों वाले वर्त्तमान रूपोंके बननेके कारणोंमें त्वरा लेखन एवं बिना लेखनी उठाये लिखनेकी इच्छा भी प्रधान है। इसके दो उदाहरण अंकोंके भूत और वर्त्तमान रूपोंसे दीजिये। ८

७ यदि सौन्दर्य्योपासकको उपन्यास मानें तो गद्य काव्य मीमांसा में लिखे हुए नव विभागोंमें वह किसमें पड़ता है? उत्तरके कारण प्रायः १० पंक्तियोंमें लिखिये। १२

८ इस ग्रंथके उपन्यास माननेसे इसमें एवं इसके नायकमें मोटे मोटे गुण दोष क्या हैं? १२

९ वर्त्तमान कालमें नाटक कैसे होने चाहिये? ८

१० निम्न वाक्योंके शुद्ध रूप लिखिये— ८

(अ) उसने रामको गालीदी और कहने लगा कि मैं तुझे कुछ भी नहीं समझता ।
(अ) उसकी मृत्यु परसों हो गयी ।
(इ) उसने मुझे एक किताब लादिया ।
(ई) मैं क्या तेरे आधीन हूं ?

साहित्य ३

(परीक्षक—अध्यापक श्यामसुन्दर दास बी. ए., एफ़. बी. एस, एस.)
समय ३ घंटे, पूर्णांक १००

निम्न लिखित विषयों मेंसे किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये जो उत्तर-पुस्तककी कमसे कम १०० और अधिक से अधिक २०० पंक्तियोंमें हो --

१. मनुष्य ईश्वरकी सृष्टिका मुकुट है ।
२. प्राचीन कालके राज-दर्बारोंमें कवियोंकी उपयोगिता और आवश्यकता ।
३. किसी प्राचीन नगरका वर्णन जहाँ पुराने खंडहर बहुत हों । उस स्थानके संबन्धमें लेखकके विचार ।

साहित्य ४

[परीक्षक—पं० रघुवर प्रसाद द्विवेदी, बी. ए., एफ़. बी. एस. एस.]

समय तीन घण्टे, पूर्णाङ्क १००
सब प्रश्नोंमें समान अंक हैं

१. हिन्दी साहित्यका काल विभाग किस प्रकार किया गया है और प्रत्येक विभाग किस सम्वत् तक माना गया है लिखिए। यह भी बतलाइए कि किस विभागमें न्यूनाधिक कितनी कविता मिलती है । प्रत्येक विभागकी कविताके क्या क्या लक्षण हैं और भाषाका क्या रूप है ?
२. श्रेणि-विभाग और उसका प्रयोजन क्या है खोल कर लिखिए ।
३. (क) हिन्दी भाषापर एक लेख लिखिए जिसमें उसके प्रचार, उत्पत्ति, विकासादि विषयोंका समावेश हो ।

(ख) गद्य और पद्यकी हिन्दीमें क्या अन्तर रहा है और अब उसके दूर करनेके लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है?

(ग) किन २ प्रधान कवियोंने किस प्रकारकी हिन्दीका उपयोग किया है?

४. अष्ट–छाप वाले कवि-गण कौन २ हैं? उनके विषयमें जो कुछ जानते हों, लिखिये।

५. (क) महाकवि विहारीलालजी कब हुए?

(ख) इनके मुख्य काव्य-ग्रन्थमें क्या २ विशेषताएँ हैं?

(ग) उसकी भाषा किस प्रकार की है?

(घ) हिन्दीके अन्य महाकवियोंके नाम बतलाइये और उनके मध्य इनका स्थान-निरूपण कीजिये।

६ (क) वर्त्तमान नागरी-लिपि वा नागराक्षरोंकी उत्पत्ति कब से और किस प्रकार हुई।

(ख) निम्न लिखित अक्षरोंके रूपान्तर कैसे २ होते गये लिखिए--

ण, थ, ब

इतिहास १

(परीक्षक—श्री जनार्दन भट्ट, एम॰ ए॰)

समय ३ घंटे, पूर्णांक १००

[केवल १० प्रश्न करना चाहिये। प्रत्येक प्रश्नके लिये १० अंक]

१. प्राचीन समयमें योरुप और एशिया के बीच में कौन कौन व्यापारिक मार्ग थे और वे किस तरह से बन्द हो गये।

२. प्राचीन समय में पूरब के व्यापार की बागडोर मुसलमानों के हाथ कैसे पहुंची और उसका क्या परिणाम संसार के इतिहास में हुआ?

३. "हंस संघ" का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

४. "जिसके अधिकार में समुद्र है उसी के अधिकार में व्यापार रहेगा, इसी तरह जिसके हाथमें संसार का व्यापार है उसी

के अधिकार में संसार की संपत्ति रहेगी तथा स्वयं संसार उसके आधीन रहेगा।"

इस कथन को ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा पुष्ट कीजिये।

५. हिन्दुस्तान में पोर्तगीज़ अधिकारकी स्थापना कैसे हुई और उसका अन्त किन कारणों से हुआ ? इसका उत्तर संक्षेप में परन्तु सब आवश्यक बातोंके साथ दीजिये।

६. ऋग्वेद के समय में आर्यों के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिये।

७. चन्द्रगुप्त मौर्यके समय में भारतवर्षकी सभ्यता का संक्षिप्त हाल लिखिये।

८. जिस समय बुद्ध भगवान्ने अपने धर्म का उपदेश करना प्रारम्भ किया उस समय भारतवर्ष की क्या अवस्था थी ?

९. फ़ाहियानकृत भारतवर्ष का वृत्तान्त संक्षेप में लिखिये ?

१० गुप्तकालमें "हिन्दू धर्म और संस्कृत साहित्य के पुनरुद्धार" विषय में आप क्या जानते हैं ?

११ राजपूतों और जाटोंकी उत्पत्ति के बारे में पश्चिमीय इतिहासों का क्या मत है ?

११ (१) सिकन्दर (२) सेल्यूकस (३) मार्कोपोलो (४) वास्को डि गामा (५) आलबुकर्क (६) समुद्रगुप्त (७) कनिष्क (८) पुराण (९) ह्वेनत्सांग (१०) एलबेरुनी

इनपर छोटे छोटे नोट लिखिए।

इतिहास २

[परीक्षक – अध्यापक रामदास गौड़, एम. ए.]
समय ३ घंटे

प्रश्नों के अंक बराबर हैं। किसी ७ प्रश्न के पूरे उत्तर देनेसे १०० अंक मिल जायँगे। ७से अधिक लिखने वालोंके अंक कट जायँगे।

१. 'इतिहास' किसे कहते हैं ? इसके अध्ययन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं ? संक्षेपमें लिखिये।

२. रोमके विस्तृत साम्राज्य के अधःपतन के क्या कारण हुए ? रोम साम्राज्यसे वर्त्तमान किसी साम्राज्यकी तुलना हो सके तो कीजिए ।

३. माध्यमिक कालके धर्म्मयुद्ध तथा साम्प्रदायिक संघर्षों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बतलाइये कि युरोपकी सभ्यतापर इनका क्या प्रभाव पड़ा ।

४. जागृतिकाल और माध्यमिककालमें क्या अन्तर समझना चाहिए । वह कौन कौनसे राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्त्तन हुये जिनसे जागृतिकालने युरोपमें युगान्तर उपस्थित कर दिया ?

५. फ्रांसकी राज्यक्रान्ति और नेपोलियनके चरित्रसे जर्म्मन-अभ्युदय और वर्त्तमान क़ैसर के चरित्र की तुलना कीजिये ।

६. यूनान, मिस्र और बेल्जियमकी स्वतंत्रता प्राप्ति का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । कौन सी घटनाएं इसमें साधक हुईं ?

७. विस्मार्ककी कूटनीतिकी विस्तृत समालोचना कीजिए ।

८. उपनिवेशोंका इतिहास देते हुए यह दिखलाइये कि विविध पैतृक राज्योंका व्यवहार और नीति अपने २ उपनिवेशोंके प्रति कैसी है ।

९. 'युरोपमें साम्प्रदायिक विरोध तथा अन्ध परम्परा" इस विषय पर एक छोटा सा लेख लिखिये जो १०० पंक्तियोंसे अधिक न हो ।

१०. अर्थशास्त्र, समष्टिवाद और विकास सिद्धान्तका युरोपीय आचार विचार पर कैसा प्रभाव पड़ा ?

११. वाणिज्य व्यापार तथा शिल्पकलाकी युरोपीय जन साधारण में किन उपायों से उन्नति हुई तथा इस उन्नतिमें शासकवर्ग किस प्रकार सहायक हुए ?

गणित

[परीक्षक—श्री कमलाकर द्विवेदी एम. ए.]

समय ३ घंटे, पूर्णांक १००

सब प्रश्नों का उत्तर किये विना भी पूर्णाङ्क प्राप्त हो सकते हैं

---

१. (अ) समानान्तर रेखाओंकी क्या परिभाषा है और अनन्त

दूरी पर ये रेखाएं मिलती हैं अथवा नहीं ?

(ब) किसी निर्दिष्ट विन्दुसे दो दिये हुए समानान्तर सरल रेखाओं तक ऐसी दो सरल रेखाएं खींचिए कि वे आपसमें तुल्य हों और उनके बीचका कोण समकोण हो। ३

२. एक ऐसी सरल रेखा खींचिए जिसमें किसी विन्दुसे यदि दो स्पर्श रेखाएं दो दिये हुए वृत्तांपर खींची जायं तो तुल्य हों। ७

इस सरल रेखा का नाम विशेष क्या है ? २

३. किसी त्रिकोणकी तीनों भुजाओंपर समत्रिबाहु त्रिभुज बनाये जायं तो सिद्ध कीजिये कि इन समत्रिबाहु त्रिभुजोंके बहिर्गत वृत्तोंके केन्द्रोंको मिला देनेसे एक समत्रिबाहु त्रिभुज बन जायगा। १०

४. $क^{२^{न+१}} - ख^{२^{न+१}}$ को $क^{२^{न}} + ख^{२^{न}}$ से भाग दीजिए

बतलाइए कब

$य^३ + प\,य^२ + क\,य + र$, में, $य^२ + अ\,य + ब$, का भाग पूरा लग जायगा। ४

५. (अ) $४\,य^४ + ३२\,य^२ + ९६ + \frac{६४}{य^४} - \frac{१२८}{य^२}$ का वर्गमूल निकालिये

(ब) सिद्ध कीजिए कि $य^४ + प\,य^३ + क\,य^२ + र\,य + स$ वर्ग तब होगा जब कि $\left(क - \frac{प^२}{४}\right)^२ = ४\,स$ और $र^२ = प^२\,स$। ४

(स) $\sqrt{१७५ - \sqrt{१४७}}$ का वर्गमूल क्या है ?

६. (अ) यदि $\underline{क}$ और $\underline{ख}$ अतुल्य हों तो

$\underline{क}^२ + \underline{ख}^२ > २\,\underline{कख}$

(ब) यदि $क + ख + ग = ०$ ४

तो $क^३ + ख^३ + ग^३ = ३\,क\,ख\,ग$

७. एक दो स्थानकी संख्या ऐसी बतलाइये जो स्थानांकके योग ५ का वर्ग हो और यदि उस संख्याके स्थानांकको बदल दें तो विपरीत संख्या स्थानांकके योगकी दूनी हो । १०

८. (अ) कोण मापनेकी रीति कितने प्रकारकी होती है ? २

यदि य किसी कोणका चक्रीय माप हो तो $\frac{ज्याय}{य} = १$ जब कोण बहुत न्यून कर दिया जाय । ३

(ब) सिद्ध कीजिये कि वे सब कोण जिनकी ज्या, य के ज्या के तुल्य है $\{ म\wedge + (-१)^{म}य \}$ में अन्तर्गत है जिसमें म कोई अभिन्न पूर्णाङ्क है ।

(स) घात प्रमापक (लघुरिक्थ) क्रियासे क्या लाभ होता है ?

यदि $\overline{घा}$ ज्या २१° ३′ = ९ं ५५ ५ ३१ ५२

$\overline{घा}$ ज्या २१° २′ = ९ं ५५ ४ ९८ ६८

तो $\overline{घा}$ ज्या २१° २′ २५″ क्या है ? ४

९. (अ) निम्न लिखित समीकरणमें से य और फ को निकाल कर एक दूसरा समीकरण बनाइए

ज्याय = म को ज्याफ − न ज्याफ

को ज्या = म ज्याफ − न को ज्याफ ३

(ब) सिद्ध कीजिए :—

स्प ५ य − स्प ३ य − स्प २ व = स्प ५ य स्प ३ य स्प २ य और

$स्प^{-१}\frac{३}{५}$ − को $स्प^{-१}\frac{७}{३}$ = को $स्प^{-१}\frac{१३}{१२}$ ३

१० (अ) किसी त्रिकोणके तीनों भुज ज्ञात हैं तो कोणका मान कैसे निकाला जायगा ? २

(ब) किसी वृत्तार्द्धका व्यास जिसकी लम्बाई २र है किसी बिन्दुपर दो भागमें किया जाता है इनको व्यास मानकर दो वृत्तार्द्ध खींचे जाते हैं इनके व्यासार्द्ध $र_१$ और $र_२$ हैं यदि एक ऐसा वृत्त खींचा जावे कि तीनों वृत्तार्द्धोंको स्पर्श करे तो इस का व्यास $= २\frac{र\,र१\,र२}{र^{२} - र_{१}र_{२}}$

संस्कृतसे हिन्दी में अनुवाद

[परीक्षक—पं० चन्द्रमौलि शुक्ल, एम. ए. एल्. टी.]
समय ३ घन्टे

निम्न लिखित गद्य पद्य मय संस्कृत का अनुवाद सरल हिन्दी में लिखो —

(क) ६० अंक

ततः द्वारपालः प्राह, 'देव, श्री शैलात् आगतः कश्चित् विद्वान् ब्रह्मचर्य्यनिष्ठः द्वारिवर्त्तते' इति। राजा 'प्रवेशय' इति आह। ततः आगत्य ब्रह्मचारी 'चिरंजीव' इति वदति। राजा तं पृच्छति 'ब्रह्मन्, बाल्ये एव किं नाम व्रतं ते ? अन्वहं उपवासेन कृशः असि। कस्यचित् ब्राह्मणस्य कन्यां तुभ्यं दापयिष्यामि, त्वं चेत् गृहस्थधर्म्मं अँगी करिष्यसि' इति। 'ब्रह्मचारी प्राह, 'देव, त्वं ईश्वरः, त्वया किं असाध्यम्; परन्तु शान्तिः एव मम गृहिणी, अतः विवाहं न करिष्यामि'। इति श्रुत्वा राजा उत्थाय पादयोः पपात आह च, 'ब्रह्मन्,मया किं कर्त्तव्यम्' इति। स आह, 'देव, अहं काशीं गन्तुमिच्छामि। ततः त्वत्सदने ये पंडितवराः तान् सर्व्वान् अपि काशीं प्रति प्रेषय' राजा तथा एव चकार। ततः सर्व्वे पंडितवराः तदाज्ञया प्रस्थिताः। कालीदासः एकः न गच्छतिस्म। तदा राजा कालिदासं प्राह, 'सुकवे, त्वं कुतः न गतः असि' इति। ततः कालिदासः राजानं प्राह, देव, सर्व्वज्ञः असि।

ते यान्ति तीर्थेषु बुधा ये शंभोर्दूर वर्तिनः।
यस्य गौरीश्वरश्चित्ते तीर्थ भोज परं हि सः॥

एतत् श्रुत्वा राजा भोजः अतीव संतुष्टः॥

(ख) ४० अंक

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्।
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति॥
किं करिष्यन्ति वक्तारो यत्र श्रोता न वर्त्तते।
नग्नक्षपणके देश रजकः किं करिष्यति॥
धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः।
पंच यत्र न विद्यन्ते वासं तत्र न कारयेत्॥

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि ।
मंगलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ ॥
भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ ।
याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥

ज्यौतिष्

[परीक्षक—ज्यौतिर्विद् पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी]
समय तीन घन्टे, पूर्णाङ्क १००

स्वच्छ और सुवाच्य लेखनके लिये १० अङ्क

१. खगोल विद्या किसे कहते हैं और उसमें प्रधान विषय कौन हैं ? ५

२. (अ) आकर्षणशक्ति और सामान्यगुरुत्व केन्द्र का सम्बन्ध क्या है ? ५
(इ) एक पिण्डपर दो शक्तियों का प्रभाव कैसा पड़ता है ?

३. (अ) ग्रहोंकी कक्षायें अण्डाकार क्यों होती हैं ?
(इ) ग्रह और उपग्रह की परिभाषा लिखिये ?
(उ) क्या कोई उपग्रह वक्री भी है (पूर्वसे पश्चिमको जाता है) ? यदि है तो वह किस ग्रहका उपग्रह है ।

४. (अ) चन्द्रग्रहण के समान सूर्यग्रहण, पृथ्वी के सभी भागों में समान रूप से क्यों नहीं दिखलाई देता ?
(इ) उपच्छाया और प्रच्छाया में क्या अन्तर है ?
(उ) ज्वारभाटे के कारण और उनके प्रकार लिखिये । ८

५. (अ) इस समय १ सौर वर्ष कितने दिन, घण्टे और मिनट का होता है ?
(इ) प्रतिवर्ष सौर वर्षमें वृद्धि होती है कि ह्रास और उस ह्रास या वृद्धि का मान क्या है ?

६. सूर्यसिद्धान्त में प्रधान प्रधान विषय कौन हैं ? और त्रिप्रश्न किन तीन प्रश्नों को कहते हैं ?

७. सूर्यसिद्धान्त की रचना उसके अनुसार कब हुई, उसको किसने बनाया और फिर उसका प्रचार किसके द्वारा हुआ ? ५

८. कल्पादि और सृष्ट्यादि में क्या अन्तर है। एक कल्प कितने दिव्य वर्षों का होता है ?

९. सूर्यसिद्धान्तानुसार अयन की वार्षिक गति क्या है ? और उसका संस्कार कहाँ कहाँ होता है ?

१०. मध्य और स्पष्ट ग्रह में क्या अन्तर है ? और मेष के आदि में पात और मन्दोच्च के बिना मध्यमग्रह और शीघ्रोच्च एक समान अन्तिमवार कब हुये थे ?

११. विषुवच्छाया, वलन और तिमिनारेखा किसे कहते हैं और मध्यलग्न को दशम लग्न क्यों कहते हैं ?

१२. (अ) सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी के व्यासों का पृथक् २ मान क्या है ?

(इ) सूर्यसिद्धान्त में व्यास से जो भूपरिधि का मान निकाला गया है उसमें क्या स्थूलता है ?

(उ) सूर्यसिद्धान्तानुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है अथवा सूर्य पृथ्वी के ?

१३. स्वयम्वह-यन्त्र के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हों लिखिये ? ७

अंग्रेज़ीसे अनुवाद

[परीक्षक—मोहनलाल मिश्र]

समय ३ घन्टे, पूर्णाङ्क १००

स्पष्ट और सुन्दर अक्षरों के १० अङ्क मिलेंगे

निम्नलिखित का सरल हिन्दी अनुवाद करो :—

No slavery is greater and more harmful than that of mind and no sin is greater than that of attempting to keep human beings in a state of perpetual bondage. It is bad enough to enslave people but to create circumstances and perpetuate them, which prevent them from breaking their chains and becoming free, is intolerably so ——infamous beyond measure and galling to the very soul of man.

No man or a number of men have a right to do so, and, if there be any, they deserve the severest condemnation at the hands of all who have a conscience and do not want to lose it, It is my firm conviction, gentlemen, that injustice and oppression of fellowmen attempt to stifle legitimate human ambition, desire to keep people down to profit by their misfortune, is as sure to react on those who are the authors and agents thereof, as night follows day, that nothing can save them from a similar fate sooner or later except perhaps a timely consciousness of the gravity of their sin and a vigorous attempt to atone for it by undoing the mischief wrought thereby.

The laws of nature are inexorable and under those laws no expiation short of the same fate is ordinarily adequate for those whose sin consists in deliberate and persistent degradation of men and women and in deliberate and persistent misuse of powers and faculties which have been given them for the betterment of self and for the service of others and not for keeping people down and reducing them by brute force or by religious and social duplicity to the level of beasts.

Those who brutalise themselves in this way do a great wrong to their own nature, which has to be put right by making them go throuh the same ordeal at some stage or other of the life of their souls; unless it be that they awake in time and with their own hands set to undo the mischief wrought by them under the intoxicating influence of power and under a mistaken presumption of their right to do so.

धर्मशास्त्र

[परीक्षक—पं० श्रीकृष्ण जोशी]

समय तीन घन्टे, पूर्णाङ्क १००

[इन १२ प्रश्नोंमें से पहिले ४ प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखने चाहिये। शेष ८ में ५ के उत्तर देन चाहिये, चाह कोइ ५ हों। इस प्रकार १२मेंसे ६ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न में बराबर अङ्क है]

१. मनुस्मृति के प्रत्येक अध्याय के मुख्य विषयों को संक्षेप से लिखिए।

२. अच्छी सन्तति उत्पन्न होनेकी दृष्टि से जो विवाह के नियम रक्खे गये हैं उनको लिखिए।

३. मनुके अनुसार विवाहों के भेद और प्रत्येक के लक्षण लिखिए और लिखिए कि कौन कौन विवाह किस किस वर्ण के लिए शास्त्रोक्त हैं।

४. उत्तम कुलों को अधम करने वाले और नाश करने वाले काम कौन कौन लिखे हैं?

५. 'अपांक्तेय' और 'पंक्तिपावन' शब्दों के अर्थ लिखिए और अपंक्तियों के १० उदाहरण और 'पंक्तिपावनों के' ५ उदाहरण लिखिए। जो नाम लोक प्रसिद्ध न हों उनके शास्त्रोक्त लक्षण लिखिए।

६. मांस भक्षण के विषय में मनुस्मृति के विधि निषेध के मुख्य बचनों का सार लिखिए।

७ (क) ब्राह्मणादि वर्णों के साक्षियों से प्रश्न पूछने की और उनको शपथ देने की क्या विधि लिखी हैं?

(ख) किन किन ब्राह्मणों को शूद्र के समान वर्तना लिखा है?

८. (क) पुत्रों के कै भेद लिखे हैं?

(ख) उनमें जो दायाद और बान्धव माने हैं उनके नाम अर्थ सहित लिखिए।

(ग) ऐसे पुत्र पिता के धनके अनधिकारी किन कारणों से हो जाते हैं?

९. ब्रह्महत्या, सुरापान और सुवर्णकी चोरी इन तीन महापातकों में एक एक के समान जो पातक कहे हैं उनके नाम लिखिए।

१०. "कर्तव्याकर्तव्यशास्त्र" नामक पुस्तक के ऊपर अपनी समालोचना लिखिए अर्थात् उसके गुण दोषों की परीक्षा कीजिए।

११. किसी कार्यके सदसद्विवेकमें मुख्य हेतु उस ग्रन्थ में कौन माना गया है और उस हेतु के समर्थन में क्या उदाहरण दिये गये हैं? उनके अतिरिक्त एक उदाहरण अपनी कल्पना से दीजिये।

१२. (क) 'परिणामदृष्टि' इस पदका अर्थ "कर्तव्याकर्तव्यशास्त्र" पुस्तकमें क्या लिखा है?

(ख) उस अर्थ का वाचक कोई उपयुक्त शब्द अपनी रुचि से लिखिए।

(ग) 'परिणामदृष्टि विषयक निर्णय' और "सदसदाचार विषयक निर्णय" में जो भेद पुस्तक में दिखाये हैं उनको संक्षेप से लिखिए।

दर्शन

[परीक्षक—अध्यापक दीवान चन्द एम. ए.]

समय ३ घंटे, पूर्णांक १००

१. "कर्म्मयोग गीताका सार है और इसका सम्बन्ध मनुष्यके समस्त जीवनसे है।" १२
इस वाक्यकी व्याख्या कीजिए।

२. (१) जीवात्माके अमर होनेमें क्या प्रमाण हैं ?
(२) आचारादर्शके बिषयमें कृष्ण और काण्टकी शिक्षाकी तुलना कीजिए।

३. सृष्टिके निमित्त-कारणके विषयमें श्वेताश्वतर उपनिषदमें क्या शिक्षा दी गयी है। १२

४. श्वेताश्वतर उपनिषदमें ज्ञान और कर्म्मका मेल कैसे किया गया है ? १२

५. वाक्यके भेद लिखिए। वाक्योंके विरोध और अविरोधके नियम क्या हैं ? १२

६. लक्षण क्या है ? अच्छे लक्षणके नियम लिखिए। १२

७. प्लेटोके तर्कका सार क्या है ? तर्कके विषयमें प्लेटो और अरस्तुमें मुख्य भेद क्या हैं ? १४

८. वाह्य वस्तुओंके सम्बन्धमें बर्कलेका सिद्धान्त क्या है ? परमात्माकी हस्ती वह कैसे सिद्ध करता है ? १४

विज्ञान

[परीक्षक—अध्यापक विनायक गणेश साठे, एम. ए.]

समय तीन घण्टे, पूर्णाङ्क १००

१ जानदार और बेजान चीज़ोंमें क्या अन्तर है ? इसी प्रकार वनस्पतियों और प्राणियोंमें क्या क्या भेद और कहाँ कहाँ समानताएं हैं ? १०

२. जड़ों (roots) के सामान्य लक्षण दिखाकर उनके भेद और उप भेद आदिका वर्णन कीजिए । जड़ोंकी उपयोगिता दिखलाइये ।

३. रीढ़दार जानवरोंके जो मुख्य विभाग हैं उनको उदाहरणों सहित बतलाइये और इनमेंसे किसी विभागके किसी परिचित प्राणीका उदाहरण लेकर सविस्तर वर्णन कीजिये । जहाँ तक हो सके इन विभागों में ज्ञान तन्तु जालका (nervous-system) अथवा अन्न नालिकाकी (alimentary canal) जैसी जैसी उन्नति होती गयी है उसका संक्षेपमें वर्णन कीजिए । १५

४ आपेक्षिक घनता, वायुका दबाव, विशिष्ट ताप, विलीन ताप और शतांशिक तापमानपर संक्षेपमें नोट लिखिए । १२

५. वायु-पम्पका समग्र रीतिसे चित्र सहित वर्णन कीजिए और उसके उपयोग बतलाइये । ११

६. बैटरी (battery) किसे कहते हैं ? किसी एक बैटरीका चित्र सहित वर्णन कीजिए । ११

७. ब्रामा-प्रेसका चित्र देकर वर्णन कीजिए । ११

८. मुख्य मुख्य अम्ल और क्षारोंके नाम लिखिए और हरिण गैस बनानेकी विधि वर्णन कीजिए । ६

९. रेलका इञ्जिन, मोटर गाड़ी, बिजली उत्पन्न करनेका यन्त्र, एक्स किरण अथवा, टेलिफ़ोन इनमेंसे किसी एकका वर्णन कीजिए जिससे इनके मुख्य तत्वों सम्बन्धी आपका ज्ञान प्रकट हो जाय । ११

अर्थशास्त्र

[परीक्षक—अध्यापक बालकृष्ण एम. ए.]

समय ३ घंटे पूर्णाङ्क १००

[निम्न लिखित १३ प्रश्नोंमें किसी सात प्रश्नोंके पूरे २ उत्तर देनेसे १०० अंक मिल सकेंगे। प्रश्नों में बराबर अंक हैं।]

१. अर्थशास्त्रमें सम्पत्ति, परिश्रम, लगान तथा राष्ट्रीय समष्टिवादसे क्या अभिप्राय है?

२. क्रमागत ह्रास नियम और भौमिक लगानकी उत्पत्ति के सिद्धान्तकी व्याख्या कीजिए।

ब्याज और व्यवसायपतियों के लाभोंका निश्चय करनेवाले सिद्धान्तोंकी व्याख्या कीजिए?

३. सिद्ध कीजिए कि श्रमी लोग व्यवसायपतियों (कारख़ाने वालों) की अपेक्षा बलहीन हैं। इस निर्बलताको हटानेके लिए समाज और राष्ट्रकी ओर से कौन कौन साधन प्रयुक्त किये जाते हैं?

४. बीमेके हानि लाभोंका वर्णन कीजिए।

या

मानवजातिमें पूंजी संचयके भिन्न भिन्न उद्देश्यों तथा शक्तियोंका वर्णन कीजिए।

५. भारत और इग्लैण्डकी तुलना करते हुए बतलाइए कि देशोंकी उत्पत्तिको घटाने बढ़ाने वाले कौन साधन हैं?

६. देशोंके अन्तर-राष्ट्रीय व्यापारके खुलनेपर क्या २ हानि लाभ होते हैं?

७. (क) अर्थशास्त्रको राष्ट्रीय अर्थशास्त्रनाम देनेमें क्या गुण दोष हैं?
(ख) अर्थशास्त्रका शुद्ध लक्षण लिखिए।

८. आजकलके व्यवसायिक जगतकी झंझट एक गर्मकोटकी बनावट से सिद्ध कीजिए।

या

"मानवजातिको अर्थशास्त्रकी आवश्यकता है" इस पर ४० पंक्तियोंका एक निबन्ध लिखिए।

९. (क) उत्पत्तिके कितने आवश्यक साधन हैं और क्यों?
(ख) नहरोंके हानि लाभ क्या हैं?

(ग) भूमिकी उत्पादक शक्ति किन साधनोंसे बढ़ाई जा सकती है ?

या

"भारतीय कृषिकी अपूर्णता" पर ४० पंक्तियोंका एक निबन्ध लिखिए ।

१०. (क) भारतमें पशु पालनकी विधियोंमें किन किन बातोंकी आवश्यकता है ?

(ख) भूमिकी हत्याके सिद्धान्तपर प्रकाश डालिए ।

११. सहकारी बैंकोंके हानि लाभ लिखिए ।

१२. (क) मनुष्यकी आर्थिक उन्नति करनेके लिए किन किन बातों की आवश्यकता है ?

या

भारतकी अन्य देशोंके साथ भिन्न भिन्न प्रकारकी विद्याओंमें तुलना कीजिए ।

(ख) श्रम विभागकी हानियाँ प्रकट कीजिये ।

या

बड़ी मात्राकी उत्पत्तिकी हानियां बतलाइए ।

१३. भारतमें शिल्पकी दशापर एक निबन्ध लिखिए ।

हिन्दी-संसार

विदेश

दक्षिणीय अफ्रीका में हमारे भारतवासी भाइयों ने हिन्दी प्रचार का काम उठाया है और वहां भी एक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन करने का विचार हो रहा है यह अत्यन्त हर्ष की बात है । भारत-वासियों को उनकी सब प्रकार से सहायता करनी चाहिये ।

राघवगढ़ में हिन्दी का सम्मान

हिन्दी-समाचार (५-१०-१५) में यह समाचार पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ है कि "श्रीमान् राघवगढ़ (कोटरा) नरेश ने रियासत के सब अहलकारों को आज्ञा दे दी है कि आगामी जनवरी से सब दफ़्तरों की लिखापढ़ी हिन्दी (देव नागरी) में की जावेगी जो मनुष्य हिन्दी न जानता होवे वह नियत समय तक उसे सीख

लेवे। श्रीमान् हिन्दी के बड़े प्रेमी हैं आपने हर एक कसबे में हिन्दी स्कूल खोल दिये हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे अन्यान्य राजे महाराजे भी अपनी मातृभाषा हिन्दी को सम्मानित करने में शीघ्र ही अग्रसर होंगे।

शाखा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (बांदा)

आनन्द की बात है कि बांदा के उत्साही महानुभावों के प्रशंसनीय उद्योग से वहां 'शाखा हिन्दी-सम्मेलन' स्थापित हुआ है और उसके सञ्चालकों में वहां के सभी श्रेणी के लोग हैं। बड़े से बड़े राजकर्मचारी, वकील, व्यापारी, साधारण मनुष्य और पंडितजन भी सम्मिलित हैं। शाखा सम्मेलन ने अपने यहां 'मातृ भाषा पुस्तकालय' नाम का एक पुस्तकालय भी खोला है। सम्मेलन की प्रथम बैठक में बाँदा के ज़िलाधिपति श्रीमान् मि० पन्नालाल जी साहब बहादुर का नाम पढ़कर हमें अधिक आनन्द हुआ है आशा है कि सम्मेलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगा।

हिन्दी पुस्तकों का मिलना

इस समय हिन्दी में अनेक ग्रन्थमालायें निकल रही हैं। दिनों दिन हिन्दी पुस्तकों का प्रचार बढ़ रहा है किन्तु खेद की बात है कि हमें आज तक एक भी बुकडिपो ऐसा नहीं मिला कि जिसमें हिन्दी की सारी पुस्तकें मिल सकें। मर्य्यादा के सञ्चालकों ने 'मर्यादा पुस्तक भाण्डार' नाम से एक पुस्तकालय अभी हाल में खोला है हम आशा करते हैं कि वह अथवा अन्य बुकडिपो के सञ्चालकगण एक बुकडिपो खोलेंगे कि जिसमें हिन्दी की समस्त पुस्तकें मिल सकें। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

न्यायालय में हिन्दी

हमें नागरी-प्रचारिणी सभा बदायूं के मन्त्री पं० बाबूराम शर्म्मा जी के पत्र से विदित हुआ है कि बिसौली ज़िला बदायूं के मुंसिफ श्रीमान् बाबू मदनमोहनजी सेठ एम० ए० एल. एल. बी. महोदय हिन्दी-प्रचार की ओर बड़ा उद्योग कर रहे हैं। साक्षियों के इजहार आप प्रायः हिन्दी ही में लिखते हैं और १८ अप्रैल सन् १९०० ई० की गवर्नमेण्ट की आज्ञानुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से

उर्दू के साथ साथ हिन्दी के फार्मों की कोष्ट पूर्ति कराने की ओर भी अधिक ध्यान देते हैं। अवश्य ही यह बड़े आनन्द का विषय है और इस समुचित कर्तव्य पालन के लिये हम उक्त महोदय को हृदय से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे अन्यान्य न्यायाधीश भी अपनी उदार गवर्नमेण्ट की आज्ञा के अनुसार स्वयं चलते हुये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी चलाने की ओर ध्यान देंगे।

मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समिति (इन्दौर)

हर्ष का विषय है कि 'मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समिति' नाम की एक सभा इन्दौर में १२ नवम्बर सन् १९१४ ई० को स्थापित हो गयी है। सभा के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं और समिति के पदाधिकारी एवं सभ्यों की नामावली के देखने से ज्ञात होता है कि समिति को सभी बड़े बड़े लोग अपना रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अभी थोड़े ही दिनों की यह समिति बड़े बड़े कार्य कर रही है। पुस्तकालय और वाचनालय तो प्रथम ही से खोले जा चुके हैं किन्तु अभी गत ६ जुलाई सन् १९१५ ई० को इसने एक सार्वजनिक सभा करके अपना स्वतंत्रभवन बनवाने के लिए सहायता की अपील की थी और लगभग ४००० रु० का वचन मिल चुका है और शीघ्र ही इससे भी अधिक मिलने की आशा है। समिति की ओर से डेप्यूटेशन निम्नलिखित महाराजों की सेवा में जा चुका है और उन लोगों ने समिति की सहायता करने का वचन भी दिया है।

श्रीमान् राजा साहब–पन्ना, चरखारी, दतिया, सैलाना, झाबुआ, राघोगढ़, खानड़ू और बखतगढ़।

इनमें से श्रीमान् राजासाहब सैलाना बखतगढ़, राघवगढ़ और खानड़ू ने अपनी उदारता से आर्थिक सहायता भी दी है। प्रबन्धकारिणी सभा के सभ्यों के अतिरिक्त समिति के साधारण सभ्यों की संख्या भी इस समय १४० है। समिति के सभापति श्रीमान् रायसाहब डाक्टर सरयू प्रसाद जी असिस्टेण्ट सर्जन केम्प इन्दौर हैं। इसी समिति के उद्योग से महाराज दतिया ने अपने राज्य में हिन्दी का प्रचार करने की अभी हाल ही में आज्ञा दी है। हम समिति के सञ्चालकों को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि समिति

अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अधिक सफल होगी। अवश्य ही हमारी अन्य हिन्दी संस्थाओं को इस समिति से इस बात की शिक्षा लेनी चाहिये कि आज हमें हिन्दी प्रचार के लिए न केवल साहित्य-सेवियों ही की सहानुभूति अपेक्षित है प्रत्युत उन बड़े लोगों की भी सहानुभूति आवश्यक है जिनके हाथों में बड़े बड़े अधिकार और अधिकार के दिलानेवाली विद्या एवं विभव है।

सम्पादकीय विचार

दक्षिण अफ्रिका

बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे द० अफ्रिका के प्रवासी भाई अपनी मातृ-भाषा के लिये उद्योग कर रहे हैं। जो पत्र प्रधान मंत्री जी के पास दक्षिण अफ्रिका से आये हैं वे इसी अङ्क में दिये गये हैं। पत्र को पढ़कर हम यह कहेंगे कि सुख की नींद सोते हुए हम भारत-वासी उन प्रवासी भाइयों की अपेक्षा अपनी मातृ एवं राष्ट्र-भाषा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस देश में अपने भाइयों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है वहां तो सभायें, स्कूल और पुस्तका-लय खुल रहे हैं साप्ताहिक 'हिन्दी' पत्र निकालने का प्रबन्ध हो रहा है और जिस भारत में विदेशियों को भी झखमार के हमारी हिन्दी भाषा सीखनी पड़ती है वहां हमारे ही भाई बन्धु अपना कारबार विदेशी लिपि और भाषाओं में करें यह कितनी बड़ी लज्जा की बात है। अस्तु। अभी समय है हमें सचेत हो जाना चाहिये और भारत जननी के सच्चे सपूत दक्षिण अफ्रिका के प्रवासी भाइयों की अपील पर ध्यान देना चाहिये। हमें चाहिये कि हम उनकी सहायता उदारतासे करें एक नहीं वहां पर अनेक समाचार पत्र हिन्दी में छपें तभी कल्याण है। द० अफ्रिका की सरकार की जैसी नीति है उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिये यह परम आवश्यक है कि वहां पर हिन्दी के समाचार पत्रों का जन्म हो और हिन्दी का प्रचार हो हम आशा करते हैं कि जिस उदा-रता से हमारे बन्धुजन अब तक अपने प्रवासी भाइयों की सहा-यता करते आये हैं उससे भी अधिक उदारता इस हिन्दी प्रचार के कार्य में दिखलाएंगे क्योंकि मातृ भूमि की लाज रखकर अब हमारे

प्रवासी भाइयों ने मातृ भाषा की सेवा करने का सङ्कल्प किया है। इसमें हम लोगों को अवश्य ही सहायता देनी चाहिये।

सम्मेलन

सम्मेलन का समय निकट है आगामी सम्मेलन में सफलता लाभ हो इसके लिये लोग दत्तचित्त हो रहे हैं आशा है कि लाहौर में हमारे आर्य समाज की प्रधानता के कारण हिन्दी साहित्य सम्मेलन को अधिक सहायता मिलेगी। यह भी सुना गया है कि कुछ लोग सम्मेलन के नाम को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं किन्तु इस विवाद में पड़ना हम उचित नहीं समझते और हमारे आर्य बन्धु भी अपने सद्विचारों से इस विषय में न पड़ें तभी कल्याण है। हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है आपस का कलह ऐसी अवस्था में उचित न होगा। सम्मेलन एक रजिस्टर्ड संस्था है उसका नाम बदलना-निष्कारण-सहल कार्य नहीं है इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है।

परीक्षा समिति

परीक्षा समिति ने एक प्रकार से अपना इस वर्ष का कार्य पूरा कर दिया है। अवश्य ही समिति के संयोजक बाबू व्रजराज बहादुर जी ने समिति को जिस उत्तमता से चलाया है उसके लिये सम्मेलन उनका कृतज्ञ है किन्तु अब तक हमें यथार्थ रूप से यह विदित नहीं हुआ है कि २०६ परीक्षार्थियों ने शुल्क दिया और परीक्षा में बैठे केवल ६३ इस बहुत बड़ी कमी का वास्तविक कारण क्या है समिति को इस ओर ध्यान देना चाहिये। यद्यपि इस वर्ष के प्रश्न पत्र इसी अङ्क में दिये गये हैं और उनपर व्यवस्थापकों एवं परीक्षकों की सम्मतियां भी दी जाने को थीं तथापि समय पर उनके न पहुंचने से सम्मतियों को अगली संख्या में देना निश्चय हुआ है।

दिया तले अंधेरा

प्रयाग की म्युनिसिपेलटी का निजका प्रेस भी है किन्तु प्रेस में अङ्गरेजी और उर्दू के अतिरिक्त हिन्दी के पवित्र टाइप नहीं है अब तक सारी कारंवाई उर्दू और अङ्गरेजी ही में होती थी सुना

गया है कि स्कूलों के सम्बन्ध में कुछ हिन्दी कागज़ों के छपाने की आवश्यकता पड़ी थी तो अन्य प्रेस से छपाने का प्रबन्ध किया गया है। समझ में नहीं आता कि हमारी यह प्रजा शासित संस्था—म्युनिसिपेलटी हिन्दी से क्यों विरक्त है? हम आशा करते हैं कि ज़िस म्युनिसिपेल्टी में श्रीमान् माननीय मालवीय जी जैसे महा-पुरुष विद्यमान हैं वह अब अधिक दिनों तक देव नागरी अक्षरों से विरक्त न रहेगी और अपने प्रेस में उसे स्थान दे कर अपने सारे देशी भाषा के कागजों को हिन्दी और उर्दू दोनों में छापेगी।

पटियाला में गुरुमुखी

दैनिक भारतमित्र में एक नोट छपा है कि "कहते हैं कि पटियाले के महाराज ने आज्ञा दी है कि, राज्य के सब विभागों में गुरुमुखी भाषा में लिखा पढ़ी की जाय। अब तक उर्दू अदालती भाषा थी? इस टिप्पणी से यह स्पष्ट ही होता है कि लिपि कौन होगी। यदि हमारे प्रान्त की सी अरबी और फारसी की दादी अदालती उर्दू भाषा रही हो तो उसकी अपेक्षा गुरुमुखी का प्रचार उत्तम ही है किन्तु हमारे सुयोग्य पटियाला नरेश यदि अन्य देशी नरेशों के समान हिन्दी भाषा को स्थान दिये होते तो अधिक उत्तम होता अब भी हम अपने विचारशील महाराज से प्रार्थना करना उचित समझते हैं कि वे अपने प्रजाजन और देश के हित के लिये हिन्दी भाषा को स्थान देने के लिये विचार करने की कृपा करें और कम से कम नागरी लिपि को तो अवश्य ही स्थान दें क्योंकि गुरुमुखी अक्षरों की एक देशीयता और भाषा की कठि-नता ये दोनों मिलकर महाराज की प्रजा को भारत की अन्य जनता से बिलकुल भिन्न कर देगी जो कदाचित् लाभप्रद नहीं होगा।

पण्डितों की उदारता

हिन्दी समाचार (५-१०-१५) में सम्मेलन से उदासीनता शीर्षक एक टिप्पणी निकली है। "भारतजीवन" काशी के आधार पर वह लिखता है कि 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में पण्डितों की उपेक्षा की जाती है। इससे वे भी इससे विमुख रहते हैं' आगे चलकर

उक्त पत्र ने सम्मति दी है कि 'आगामी लाहौर के सम्मेलन में इस विषय का भी निर्णय होना चाहिये कि क्या सचमुच पण्डित लोग साहित्य-सम्मेलन से उदासीन हैं। और हैं तो उनकी उदासीनता का कारण क्या है'। हमारे विचार में अब तक उदासीनता के लक्षण प्रकट रूप से दिखाई नहीं दिये हैं और अनेक महामहोपाध्याय सम्मेलन में प्रारम्भ ही से हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि सहयोगी को इस विषय में विशेष बातें विदित हुई हों तो स्पष्ट लिखना चाहिये। यह विषय लाहौर के विचारने का नहीं है इसे मन्त्रिमण्डल तै कर सकता है।

पुस्तकों की प्राप्ति स्वीकृति

[पूर्व प्रकाशित से आगे]

	पुस्तक का नाम	लेखक	नामपुस्तक दाता	मूल्य
३८५	भवानी वाक्य	पं० तनसुख राम	पं० तनसुख राम	।)
३८६	संक्रान्ति प्रकाश	पं० मीठा लाल व्यास	पं० मीठालाल व्यास	१)
३८७	वैद्य गाइड का नमूना	श्रीयुत पूनमचंद तनसुख	श्रीयुत पूनमचंद तनसुख	विना मूल्य
३८८	पुष्करणे ब्राह्मणों की प्राचीनता	व्यास मीठा लाल	व्यास मीठालाल	"
३८९	भावी फल	पं० तनसुख व्यास	पं० तनसुख व्यास	=)
३९०	बुद्धि बढ़ाने का उपाय	श्रीयुत पूनमचंद तनसुख	श्रीयुत पूनमचंद तनसुख	=)
३९१	वेश्या चरित्र दर्पण	पं० देवीदत्त द्विवेदी	पं० देवीदत्त द्विवेदी	-)
३९२	लालू कालू	पं० देवी प्रसाद तिवारी	पं० देवी प्रसाद तिवारी	=)
३९३	भाषा सार संग्रह ४थों भाग	ना० प्र० सभा काशी	ना० प्र० सभा काशी	
३९४	फ्रांस का इतिहास	पं० सोमेश्वर दत्त सुकुल	इन्डियन प्रेस प्रयाग	।≡)
३९५	षोड़शी	पं० जनार्दन झा	"	१)
३९६	माधवी कंकण	"	"	।।।)
३९७	आर्य ललना	पं० मन्नन द्विवेदी	"	।)
३९८	भूगोल तीनों भाग	एस० ए० हिल	"	
३९९	हिन्दी शिक्षावली चारों भाग	लाला सीताराम	"	
४००	विचित्र वधू रहस्य	पं० जनार्दन झा	"	।।।)
४०१	कादम्बरी	गदाधर सिंह	"	।।)
४०२	बाला बोधनी पांचों भाग	पं० रामजी लाल शर्मा	"	
४०३	प्रकृति	श्रीयुतद्वारिकानाथ मैत्र	"	१)

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इसलिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इस में प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र, पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री सम्मेलन कार्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापनछपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३।	२)
साधारण पेज पर	४)	२।।)	१।।)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये।

क्रोड़पत्र बटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समचार भी होने चाहिये।

पं० ओंकारनाथवाजपेयी के प्रवन्ध से ओङ्कार प्रेस प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से श्रीनरेन्द्रनारायणसिंह द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-629.

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ३ } कार्तिक, अगहन संवत् १९७२ { अङ्क २, ३

विषय-सूची

वा० मू० १)] [=)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेद

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार, ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्रसम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि-तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उ[illegible] करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दीभाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोग[illegible] पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जायँ उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

षष्ठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति
बाबू श्यामसुन्दर दास

Onkar Press Allahabad,

सम्मेलन पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३ } कार्त्तिक, अगहन संवत् १९७२ { अङ्क २,३

राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति ।

[लेखक श्रीमान् पं० धर्मनारायणद्विवेदी]

नाना विध-शक्तिमयी साजनयति कालतत्वमेवादौ ।
भावि भवद्भूतमयं कलयतिजगदेषकालोऽतः ॥ १ ॥

इस बात के बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हमारे धार्मिक और व्यावहारिक सभी प्रकार के कार्यों में काल-ज्ञान-मिति और संवत् के जानने की कितनी अधिक आवश्यकता पड़ती है। अङ्गरेज़ी तारीख़, महीना और सन् के प्रचार से इस समय हमारे व्यावहारिक कार्यों में देशी मिति और संवत् का प्रचार घट रहा है। अवश्य ही यदि इस ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता तो व्यावहारिक कार्यों से देशी मिति और संवत् का डेरा कूचही समझना चाहिये। राष्ट्रीय तिथियों को भी अङ्गरेज़ी तारीखों के आधार पर मनाते हुए भाइयों को समझाने के लिये हिन्दी कर्मयोगी के सम्पादक ने लिखा था कि "हमलोगों के लिये अपने जातीय व्यवहारों में अपने यहां के संवत् और तिथि को छोड़कर ईस्वी तिथि का प्रयोग करना हमारी जातीय अधोगति का एक बड़ा चिन्ह है"। देशी मिति और संवत् का प्रचार रुकते देखकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी चुप नहीं रहा, उसने अपने चतुर्थ अधिवेशन (भागलपुर) में इस के लिये स्वतन्त्र प्रस्ताव ही पास किया था कि "इस सम्मेलन का मत

है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रेमियों को सब प्रकार की लिखा पढ़ी में देशी मिति और संवत् का व्यवहार करना चाहिये"। प्रस्ताव को स्वयं सभापति महोदय ने उपस्थित किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। सारांश यह कि इस विषय में हमारे देश के प्रायः सभी लोग सहमत हैं कि हमें अपने व्यवहारों में देशी संवत् एवं मिति का व्यवहार करना उचित है। किन्तु इस विषय में मत भेद है कि अनेक देशी संवत् और मितियों में से किस का व्यवहार करना उचित है? क्योंकि धर्म एवं प्रान्त भेद से संवत् और मितियों में भिन्नता पायी जाती है। इस विषय में हमें यही मार्ग उत्तम प्रतीत होता है कि जिस प्रकार धार्मिक और प्रान्तिक भाषाओं के होते हुये भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा हम मानते हैं और राष्ट्रीय कार्यों में उसका उ.योग करने के लिये समस्त भारत में प्रचार करना चाहते हैं। उसी प्रकार धार्मिक और प्रान्तिक संवतों और मितियों की विभिन्नता होते हुये भी हमें एक कोई देशी संवत् एवं मिति को समस्तभारत में व्यवहार करने के लिये राष्ट्रपद देना चाहिये। क्योंकि राष्ट्रीय सङ्गठन में जिस प्रकार राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है उसी प्रकार राष्ट्र संवत् एवं मिति की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

राष्ट्रीय संवत्

सबसे प्रथम हमें राष्ट्रीय संवत् के लिये विचार करना चाहिये। इस समय जितने देशी संवत्, शक और सन् व्यवहार किये जाते हैं उन में सबसे श्रेष्ठ और सर्वव्यापी संवत् कौन है जिस को राष्ट्रीय संवत् का पद दिया जा सकता है इस पर विचार करना आवश्यक है। यद्यपि जैनियों का वीर संवत्, शैवों का शङ्कराब्द, श्रीवैष्णवों का रामानुजाब्द, सिखों का नानकाब्द, महाराष्ट्रों का राजशक, बङ्गाल प्रान्त का बङ्गाब्द एवं विलायती सन्, नैपाल का नेवारकाल, मलेवार प्रान्त का कोल्लमकाल और संयुक्त प्रान्त की कचहरियों और जमींदारों के व्यवहार में आनेवाला फ़सली सन् अपने समुदाय एवं प्रान्त में व्यवहृत होते हैं तथापि सभी समुदाय और सभी प्रान्त में यदि देखा जाय तो कुछ न कुछ विक्रम संवत् और शालिवाहनीय शक का प्रचार अवश्य ही पाया जाता है। क्योंकि हमारे देश की प्राचीन राष्ट्र और धर्म की सम्मिलित भाषा, संस्कृत के ग्रन्थों में

विशेषकर ज्योतिष सम्बन्धी उन ग्रन्थों में जिन के आधार पर तिथिपत्र बनाये जाते हैं जिन तिथिपत्रों के द्वारा हमें मितियों का ज्ञान होता है, उन सिद्धान्त, तन्त्र एवं करणग्रन्थों और सारणियों में सहस्राधिक वर्षों से विक्रम संवत् एवं शालिवाहनीय शक का ही प्रयोग हुआ है। जितने तिथिपत्र भारतवर्ष में बनते हैं उन सब में ये दोनों विक्रम संवत् और शालिवाहनीय शक अवश्य ही रहते हैं। सारांश यह कि भारतवर्ष में यदि कोई राष्ट्रीय संवत् हो सकता है तो इन्हीं दोनों में से एक होगा क्योंकि किसी प्रान्त में इन दोनों के परिचय कराने की आवश्यकता न होगी ये सभी प्रान्त में स्वयं परिचित हैं।

अनार्य और आर्य संवत्

यद्यपि ज्योतिष ग्रन्थों में शालिवाहनीय शक का ही अधिक प्रचार है तथापि इस विषय में लोगों का मत भेद है कि यह शक आर्यराजा का चलाया है कि अनार्य शक जाति के राजा का, अतएव इस विषय में हम अधिक वाद विवाद न करके यदि विक्रम संवत् को ही राष्ट्रीय संवत् मानें तो अधिक उत्तम होगा। क्योंकि विक्रम संवत् के सम्बन्ध में और चाहे जिस प्रकार की कल्पनायें की जायँ किन्तु इसके आर्य संवत् होने में किसी को सन्देह नहीं होसकता। इसका प्रचार भी इतना अधिक है कि केवल 'संवत्, लिखने ही से लोग विक्रम संवत् ही समझ लेते हैं। अतएव राष्ट्रीय संवत् का पद विक्रम संवत् को ही देना उचित प्रतीत होता है। जहांतक हम को ज्ञात है एक मिति और एक संवत् के प्रचारकों में अधिकांश-लोगों का मत भी यही है। यद्यपि पृथ्वीराज रासो में श्रीमान् चन्दकवि ने जिस अनन्द संवत् का प्रयोग किया है उस पर विचार करते हुये बाबू श्यामसुन्दर दासजी ने लिखा है* "अबतक मेवार में यह बात प्रसिद्ध है कि पूर्वकाल में दो विक्रम संवत् थे करनल टाड भी हारावती के वर्णन में इस बात का उल्लेख करते हैं" आगे चलकर आप लिखते हैं कि "यह भी सिद्ध कर दिया गया है कि बारहवीं शताब्दी में मेवार में दो संवतों का प्रचार था—एक सनन्द

* देखो द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) के कार्यविवरण द्वितीय भाग का पृष्ठ १४३।

और दूसरा अनन्द विक्रम संवत् और दोनों में ९०—९१ वर्ष का अन्तर था" ऐसी दशा में लोग कह सकते हैं कि विक्रम संवत् के दो भेद हैं अतः ऐसे भ्रामक संवत् को राष्ट्रीय पद देना उचित नहीं है। तथापि विक्रम संवत् जो आज कल भारतवर्ष के समस्त तिथि-पत्रों में लिखाजाता है वह एक ही है और उस का मान इस समय १९७२ है। यदि मेवार प्रान्त में यह बात प्रसिद्ध है कि पूर्वकाल में दो विक्रम संवत् थे तो इस समय में प्रचलित विक्रम संवत् में भ्रम की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय विक्रम संवत् एक ही है और पूर्वकाल में भी जो दो भेद बतलाये जाते हैं वह प्रान्तिक भेद ही कहा जासकता है अन्य प्रान्तों में इसकी चर्चा भी नहीं है। विक्रम संवत् के विरूद्ध दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि इसका प्रारम्भ एक तो चैत्र शुक्ल १ से होता है और दूसरा कार्त्तिक शुक्ल १ से किन्तु आज कल जिस विक्रम संवत का उल्लेख तिथि-पत्रों में रहता है वह चैत्रादि ही संवत होता है। गुजरात आदि प्रान्त विशेष में यदि कोई वर्षारम्भ कार्तिक शुक्ल १ से मानता है तो उसका दोष विक्रम संवत् पर नहीं दिया जासकता। अतएव यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि राष्ट्रीय संवत् का पद विक्रम संवत् को ही देना चाहिये।

राष्ट्रीय मास और तिथि

मासों और तिथियों के सम्बन्ध में अधिक मत भेद है। यद्यपि ज्योतिष सिद्धान्तों तथा स्मृतियों में नव प्रकार के काल मान का वर्णन है तथापि हमारे देश में इस समय दोही प्रकार के मास और तिथियों का प्रचार है। एक तो सौर दूसरा चान्द्र। दिनों के लिये अवश्य ही सावन गणना मानी गयी है।

सौरगणना और उसकी मिति

सौर मास उन्हें कहते हैं जो सूर्य के मेषादि संक्रान्ति के दिन से प्रारम्भ होते हैं और इस समय में सौर मासों का दिनादि सावन इस प्रकार है—

मेष	३० । ५२ । ३३	तुला	२९ । ५९ । ३
वृष	३१ । १६ । ५०	वृश्चिक	२९ । ३६ । १४
मिथुन	३१ । २७ । १५	धन	२९ । २६ । ४६
कर्क	३१ । २१ । १	मकर	२९ । ३२ । ३२
सिंह	३० । ५९ । ३४	कुम्भ	२९ । ५२ । २७
कन्या	३० । २९ । २८	मीन	३० । २१ । ४०

ऊपर लिखे विवरण से आपको विदित हो जायगा कि बारहों सौर मासों का मान समान नहीं है और लगभग २९॥ से ३१॥ दिनों तक के मास होते हैं। स्पष्ट रीति से यह भी देखा जाता है कि सूर्य के दिन (अंश) कभी क्षय हो जाते हैं और कभी उनकी वृद्धि भी हो जाती है। अर्थात् कभी तो एक ही अंश दो दिनों तक सूर्योदय काल में रहता है और कभी कोई अंश किसी दिन भी सूर्योदय काल में नहीं रहता। अतएव जिस प्रकार हमारी तिथियों में वृद्धि और क्षय हुआ करता है उसी प्रकार सूर्य के अंशों में भी क्षय और वृद्धि होती है।

चैत्र संवत् १९७२ की सम्मेलन पत्रिका में श्रीयुत बा० अयोध्या प्रसाद वर्मा जी का " सौर मास और सौर संवत् के प्रचलन की आवश्यकता " शीर्षक एक लेख छपा है। लेख में सौर मास की आवश्यकता दिखलाते हुए आपने लिखा है कि "सौर मास और वत्सर सूर्य की चाल पर निर्धारित किये गये हैं अर्थात् सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने पर्य्यन्त जो समय का व्यवधान होता है वे ही सौर मास हैं और सौर मासों की प्रत्येक अहोरात्रि ही उनकी मितियां अथवा तारीखें हैं इस हेतु अङ्गरेजी तारीखों के सदृश सौर मासों की मितियाँ भी हैं औरइनकी किसी मिति का लोप या द्विगुण नहीं होता " किन्तु समझ में नहीं आता कि वर्मा जी ने सौर मासों को सौर दिनों में न बाँट कर सावन दिनों (अहो रात्रि) में कैसे बाँटा है। सौर मासों के दिन भी सौर ही होंगे और तभी उनके दिन भी पूरे हो सकेंगे अन्यथा ऊपर के विवरण में आप देखेंगे कि कोई भी सौर मास पूरे सावन दिनों का नहीं होता है। ऐसी दशा में तो सौरमास में बड़ी गड़बड़ी होने का भय है। वर्मा जी ने यह भी लिखा है कि " सौर मासों का प्रचार वङ्गदेश,

आसाम, उड़ीसा तथा पञ्जाब में होते दिखायी देता है। बङ्गाल और आसाम में सौरमासों के नाम वैशाख, ज्येष्ठादि के क्रम से ही हैं परन्तु उड़ीसा में सौरमासों के नाम १२ राशियों के नाम से हैं अर्थात् वैशाख ज्येष्ठादि के स्थान पर मेष, वृष, मिथुन इत्यादि नाम हैं। पञ्जाब की रीति इन तीनों से न्यारी है, वहाँ राशि और नक्षत्र इन दोनों के युग्मनामों से सौरमासों के नाम रक्खे गये हैं। अर्थात् -वैशाख ज्येष्ठादि के स्थान पर मेष वैशाख, वृष ज्येष्ठ, आदि नाम प्रचलित हैं"। आगे चलके आपने पञ्जाब ही की न्यारी रीति का समर्थन किया है और उसी के प्रचार की आवश्यकता बतलायी है। बङ्गाल आदि प्रान्तों में जो सौरमास प्रचलित हैं उनका मान वस्तुतः सौर नहीं है। सौरमासों के आधारपर मनगढ़न्त दिनों की गणनाही उसे हम कह सकते हैं। क्योंकि न उनके दिन मध्य सौर मान के होते हैं न स्पष्ट सौर मान के। ऐसी मनमानी गणना को हम राष्ट्रीयमिति नहीं कह सकते। यदि उनके पास तिथिपत्र (पञ्चाङ्ग) न हो और उन को अपना दिन भूलजाय तो कभी वे नहीं मालूम कर सकते क्योंकि उन का दिन गणित सिद्ध नहीं है—मनमाना है। जिसप्रकार वेदाङ्गज्योतिष नाम के वैदिकों के चुटकुलों से तिथियाँ अशुद्धतर बनायी जा सकती हैं उसी प्रकारसे बङ्गला तारीखों को भी हम सौरमान का अशुद्धतर रूप कह सकते हैं। अतएव यह निश्चय होता है कि सौर मितियाँ राष्ट्रीयमिति के लिये उपयुक्त नहीं हैं और न इनका उपयोग ही हमारे लिये सरल और आवश्यक है।

चान्द्र गणना की मिति

दूसरा मत है चान्द्र। चान्द्र मान उसे कहते हैं जिसकी गणना चन्द्रमा के आधारपर हो। चान्द्रमासों की तिथियाँ भी चान्द्रही होती हैं। हमारे वेदों से लेकर आज कल के ग्रामीण जनों तक में इसका अविच्छिन्न प्रचार है। प्रान्त विशेष में नहीं सारे भारत में इसका अनिवार्य प्रचार देखा जाता है। किसी हिन्दू आर्य का इसके विना काम नहीं चल सकता। चान्द्रमिति की आवश्यकता हमारे केवल व्यावहारिक कामों में ही नहीं पड़ती प्रत्युत धार्मिक कार्यों में भी इसकी प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। क्या देवकार्य और क्या पितृकार्य्य हमें सभी कामों में चान्द्रतिथियों की आवश्यकता अनिवार्य्य है। हमारे

समस्तव्रतोत्सव और जन्म एवं मरण तिथियां चान्द्रमितियों के ही अनुसार होती हैं ऐसी दशामें यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र मिति के लिये चान्द्रमिति ही उपयुक्त मिति है। किन्तु चान्द्रमिति के विरुद्ध कुछ बातें हैं उनका उल्लेख करना भी आवश्यक है।

प्रथम कठिनाई

चान्द्रमास दो प्रकार का होता है एक तो शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे प्रारम्भ हो कर कृष्णपक्षकी अमावास्या को पूरा होता है और दूसरा कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर शुक्ल पक्षकी पूर्णिमा को। दोनो प्रकार के मासों में तिथियों में कोई भेद नहीं पड़ता है केवल मास द्वैविध्य है। इन दोनों प्रकार के मासों का प्रचार आधुनिक नहीं अनादिकाल अथवा यों कहें कि जब से चान्द्रमास का प्रचार हुआ तभी से चला आता है।

अमान्त चान्द्रमास की प्रधानता

ज्योतिष सिद्धान्तों के अनुसार सृष्टि की आदि तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इसीसे हमारे पचाङ्ग भी इसी शुक्लादि चान्द्रमास के अनुसार बनते हैं। तिथियों के अङ्क दोनों पक्षों में एकादि क्रमसे देकर भी अमावास्या के लिये ३० का अङ्क, मास समाप्ति सूचक देते हैं। इतना ही नहीं जिस गणित से तिथियां बनायी जाती हैं उसके अनुसार ३० तिथियां शुक्लादि ही होती हैं। कृष्ण पक्ष की १ तिथि के लिये उसमें १६ का अङ्क आता है किन्तु देश में पक्ष क्रम से तिथियों का प्रचार होने के कारण कृष्णपक्ष की तिथि संख्या में १५ का भाग देकर केवल एक आदिही संख्या रखते हैं सारांश यह कि ज्योतिष के मत से अमान्तचान्द्रमास जो शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है यही मुख्य है। इसी अमान्तचान्द्रमान से मलमास भी पड़ता है और यह युक्तियुक्त भी है कि अमावस्या को चन्द्रमा और सूर्य एक स्थान पर आजाते हैं और ज्यों ज्यों चन्द्रमा अपनी शीघ्रगति से आगे चलता जाता है त्यों त्यों चान्द्रमास की गणना होती है जिस समय पुनः दोनों एक स्थान पर आ जाते हैं उस समय मास पूरा हो जाता है। ३६० अंशों का गोल माना गया है चाहे वह खगोल, भूगोल हो और चाहे भूगोल

अतएव जिस समय में सूर्य चन्द्रमा एकराशि अंश आदि समान स्थान पर होते हैं उसी समय चान्द्रमास की तीसवीं तिथि पूरी होती है और ज्यों ज्यों चन्द्रमा बढ़ता जाता है त्यों त्यों प्रति १२ अंश के अन्तर पर तिथियों में की एकादि संख्या बढ़ती जाती है। यह तो हुई ज्योतिष की बात अब हम वैदिक साहित्य से भी विचार करते हैं तो इसी शुक्लादि मास की प्रधानता पायीजाती है। शत पथ और तैत्तरीय ब्राम्हणमें कथा है कि जिस समय वृत्रासुर को मारकर सब देवताओं सहित इन्द्रबैठे हैं उस समय अमावास्या तिथि थी और देवताओंने उसी समय यहकहा है कि वसु- इन्द्र के सहित हमलोग इस समय वास करते हैं इसी से आज की तिथि को अमावास्या कहना चाहिये। अमरकोषके काण्ड १ कालर्गके ८वें श्लोक में अमावास्या और अमावस्या दोनों रूप लिखे हैं। इतनाही नही रामाश्रमीटीकामें शब्दार्णव का प्रमाणदे कर अमामास्या और अमामस्या रूपभी दिखलाया गया है। पाणिनिजीने भी इस की साधनिका में लिखा है":अमावस्यदन्यतरस्याम्., (अ० ३ पा० १ सू० १२२)अर्थात् अमा उपपद हो तो वस धातु से रायत् प्रत्ययान्तअमावस्या यह विकल्प करके नियातित है; दूसरा रूप अमावास्या होगा। साधनिका और रूप चाहे जो हो किन्तु अमावास्या का मुख्य अर्थ यही है कि उस दिन सूर्य और चन्द्रमा साथ साथ रहते हैं जैसा कि सृष्टि के प्रारम्भ में थे और इसीसे वह मास की अन्तिमतिथि मानी जाती है

पौर्णिमान्त चान्द्र मासकीप्रधानता

किन्तु इतना होते हुएभी कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ हो कर पूर्णिमा को समाप्त होने वाला मास भी कम प्रसिद्ध और प्रचलित नहीं है। दक्षिणभारत में अमान्त मान का प्रचार अवश्यही है किन्तु उत्तर भारत में उसका प्रचार एकदम नहींके समान है। पौर्णिमा, पूर्णिमा, पौर्णमासी आदि जो इस के नाम हैं इसका अर्थ ही यह है कि जिस तिथि को मास पूराहो।

पौर्णमासी महाराज सोमस्यदयिता तिथिः।
पूर्णोमासोभवेद्यस्मात्पौर्णमासीततः स्मृता ॥

(भविष्योत्तर पुराण)

अर्थात्–हे महाराज पौर्णमासी चन्द्रमा की दयिता तिथि है क्योंकि इस का पौर्णमासी नाम इसलिये पड़ा है कि इसी दिन मास पूरा होता है। अमरकोष में लिखा है "पक्षान्तौ पञ्चदश्यौ द्वे पौर्णमासी तु पूर्णिमा" (का०१ कालवर्ग श्लो०७) और इसकी टीका में रामाश्रम जी ने लिखा है कि "पूर्णो मासोऽस्यां बहुव्रीहौ कृते स्वार्थेऽण्" अर्थात् पूर्ण हुआ है मास इस तिथि को इस प्रकार बहुव्रीहि समास करके स्वार्थ मे अण् प्रत्यय करने से पौर्णमासी यह शब्द सिद्ध होता है। विशेष लिखना व्यर्थ है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन ये जो महीनों के १२ नाम हैं ये पौर्णमासी के ही आधार पर बने हैं। इनकी साधनिका यही है कि जिस मास की पूर्णिमा तिथि (अन्तिम तिथि) चित्रा विशाखा आदि नक्षत्रों से युक्त हो उसी मास का नाम चैत्र वैशाख आदि होता है। इसी के लिये पाणिनि के सूत्र हैं–

सास्मिन्पौर्णमासी (अ० ४ पा० २ सू० २१)
आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक् (अ० ४ पा० २ सू० २२)
विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः (२३)

अर्थात्—प्रथमा समर्थ पौर्णमासी विशेषवाची शब्द से सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रत्यय होने से पौष, माघ आदि मास सिद्ध होते हैं। आग्रहायणी (अगहनी) पूर्णिमा से ठक् प्रत्यय होने से आग्रहायणिक (अगहन) मास बनता है। फाल्गुनी, श्रावणी, कार्तिकी और चैत्री पूर्णिमाओं से ठक् प्रत्यय विकल्प से होने पर फाल्गुन=फाल्गुनिक, श्रावणिक=श्रावण, कार्तिकिक=कार्तिक और चैत्रिक=चैत्र इन चार महीनों के दो दो रूप होते हैं। सारांश यह कि पूर्णिमा के नाम नक्षत्रों के आधार पर होते हैं ;और महीनों के के नाम अपनी अपनी पूर्णिमा (जिस दिन मास पूरा होता है) तिथि के नाम से होते हैं। इसी लिये पौर्णिमान्त चान्द्र मास को लेना नाक्षत्र चान्द्रमास भी कहते हैं। अब विचार करने की बात है कि जिस पौर्णिमान्तमान के आधार पर महीनों के नाम रक्खे गये हैं उनको गौण मान कर अमान्तचान्द्रमान को हम मुख्य कैसे कह सकते हैं? अवश्य ही हमारे उत्तर भारत में अधिकता से

इसी पौर्णिमान्त मास के प्रचार होने का मुख्य कारण इसकी मुख्यता ही है।

यद्यपि ज्योतिष सिद्धान्तों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्षारम्भ होता है और उसी दिन का स्वामी वर्ष का स्वामी माना जाता है तथापि पौर्णिमान्त चान्द्रमास के अनुसार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से वर्षारम्भ के प्रमाण भी बहुत मिलते हैं। यह लोक में प्रसिद्ध है कि होलिका दहन के साथ ही लोग कहते हैं कि संवत् जल गया और दूसरे ही दिन से अपना नवीन संवत् मनाने लगते हैं और उसी दिन को बसन्तादि–बसन्त ऋतु का आदि दिन कहते हैं। यह बात केवल लोक प्रसिद्ध ही नहीं है प्रत्युत वैदिक प्रमाण भी है जैसाकि तैत्तरीय श्रुति में लिखा है—

एषा वै प्रथमा रात्रिः संवत्सरस्य। यदुत्तरे फल्गुनी। मुखत-एवं संवत्सरस्याग्निमाधाय। वसीयान्भवति॥ (तै० ब्रा० १। १ २। ८। एषाह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्या फाल्गुनी पूर्णमासी॥ (शतपथ ब्रा०) मुखं वा एतत्संवत्सरस्यफाल्गुनी पौर्णमासी॥ (गोपथ ब्रा० ६। १९) या वैषा फाल्गुनी पौर्णमासी संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिः॥ (साङ्ख्यायन ब्रा०)

ऊपर के मन्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दूसरे दिन वर्षारम्भ होता है वह वर्षारम्भ दिन के पूर्व की रात्रि है।

सारांश यह कि वैदिक काल में भी फाल्गुनी पूर्णिमा (होलिका) को वर्षारम्भ का मुख्य पूर्व दिन मानते थे। इतना ही नहीं हमारी स्मृतियों में आश्विन कृष्ण पक्ष में पार्वण श्राद्ध, भाद्र कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी, कार्तिक कृष्णामावास्या को दीपावली और माघ कृष्ण चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का विधान है ये सब इसी पौर्णिमान्त चान्द्रमास के अनुसार ठीक ठीक हो सकते हैं नहीं तो श्रावण में जन्माष्टमी, भाद्रमें पार्वण श्राद्ध (महालय) आश्विन में दीपावली और पौष में गणेश चतुर्थी का विधान होना चाहिये था*। अतएव यह तो निश्चय है कि हमारे प्रान्त में जो पौर्णिमान्त

*किसी किसी ग्रन्थ में अमान्त मान के अनुसार वैसे भी प्रमाण मिलते हैं किन्तु अधिकता से नहीं।

चान्द्रमास चैत्र, वैशाख आदि नाम से प्रसिद्ध है यह मुख्य चान्द्र-मास, लौकिक कार्यों में और अमान्त चान्द्रमास दर्शादियज्ञ और ज्योतिष गणना में माननीय हैं। दोनों मुख्य हैं दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। तिथियाँ दोनों की एक ही हैं ऐसी दशा में किसका राष्ट्रीयमास का पद दिया जाय यह बात विशेष ध्यान देने की है। मेरे विचार में तो यही आता है कि जिस प्रकार विवाहादि कार्यों में हम सौरमास को मानते हैं उसी प्रकार चान्द्रायण व्रतआदि धार्मिक कृत्यों के लिये चाहे भले ही शुक्लादि अमान्त चान्द्रमास मान लें किन्तु व्यावहारिक मितियों के लिए हमें पञ्चाङ्गों की जो सैकड़ों वर्ष से रीति चली आ रही है वही मान्य है। सारांश यह कि व्यावहारिक कार्यों के लिए कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ और पौर्णिमा को समाप्त होने वाला मास ही चान्द्रमास ठीक है और इसी को हमें राष्ट्रमास और इसी की तिथियों को हमें राष्ट्र-तिथि का पद देना उत्तम प्रतीत होता है।

दूसरी बात, क्षय और वृद्धि की आपत्ति और उनका निराकरण

चान्द्रमास और तिथियों के प्रचार से लोग इसलिए घबड़ाते हैं कि इसमें कभी कभी मलमास होने के कारण १३ मास का वर्ष हो जाता है और तिथियाँ तो प्रायः प्रति मास में घटती ही बढ़ती रहती हैं। बस इसी आपत्ति ने आजकल के लोगों को भ्रम में डाल दिया है समझ में नहीं आता कि इसमें मिती लिखने में क्या आपत्ति है? सहस्रों वर्ष से देश के व्यापारियों के यहां इसी क्रम से मितियाँ लिखी जाती हैं अब तक उनको इससे क्या हानि हुई? कहां भ्रम पड़ा? मेरे एक मित्र ने कहा था कि यदि तिथि की वृद्धि हो गयी तो मिती में दोनों दिन एक ही तिथि लिखनी पड़ेगी इससे यह कैसे ज्ञात हो सकता है कि कौन प्रथम दिन की है और कौन दूसरे दिन की? इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रश्न ठीक है इसके लिए लिखने का क्रम हम नीचे चक्र द्वारा दिखलाते हैं इसी प्रकार का हिन्दी तिथि पत्र कार्यालय में रक्खा जाय तो कोई भ्रम नहीं पड़ सकता है।

विक्रम संवत् १९७२ पौष (१०)						
वार	कृष्ण पक्ष (१)			शुक्ल पक्ष (२)		
रवि	०	५	१२	०	५	$\frac{१२}{१}$
सोम	०	६	१३	०	६	$\frac{१२}{२}$
मङ्गल	०	७	१४	०	७	१३
बुध	१	८	३०	०	८	१४
गुरु	२	९	०	१ (२)	९	१५
शुक्र	३	१०	०	३	१०	०
शनि	४	११	०	४	११	०

पौष मास का उदाहरण इसलिये दिया गया है; कि इस मास के शुक्ल पक्षों में द्वितीया का क्षय और द्वादशी की वृद्धि हुई है-दोनों उदाहरण इसमें मिल जाते हैं। यदि हमें पौष शुक्ल प्रतिपदा को मिति लिखना हो तो लिखना चाहिये-'सं० १९७२ पौष शु० १(२) वृ०' इससे ज्ञात हो जायगा कि द्वितीया का क्षय हुआ हैं और इसी प्रतिपदा के दिन द्वितीया भी बीत जायगी। पौष शुक्ल द्वादशी दो हैं उनमें प्रथम दिन की मिती लिखना चाहिये-'सं० १९७२ पौष शुक्ल० $\frac{१२}{१}$ र०' और दूसरे दिन की मिति लिखना चाहिये-'सं० १९७२ पौष शुक्ल$\frac{१२}{२}$सो० इस प्रकार लिखने से दोनों दिन हमें भ्रान्ति रहित रहेंगे। बटा एक वाले प्रथम दिन से हमको ज्ञात हो जायगा कि अभी इसी मिती का कुछ भाग आगामी दिन के लिए बाकी है और बटा के दिन से हमको यह ज्ञात होगा कि इसके प्रथम दिन में भी यही मिती थी। सारांश यह कि १ के साथ में (२) कोष्ठ में दो को देखकर हमें क्षय तिथि का ज्ञान होगा और बटा

एक और दो से वृद्धि का। इस प्रकार मलमास का भी क्रम होना चाहिये। तथापि पंचाङ्गों में शुद्ध और अधिक शब्द मास के नाम के साथ लगा दिया जाता है और बही खाता आदि व्यापारियों के यहां पहला और दूसरा शब्द मास के नाम के साथ में जोड़ा जाता है तथापि मेरे विचार से व्यापारियों का क्रम ही ठीक है क्योंकि इसे हम $\frac{\text{वैशाख}}{१}$ और $\frac{\text{वैशाख}}{२}$ लिख सकते हैं और पहला दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मलमास अमान्त चन्द्र मास के क्रम से होता है अतएव यदि वैशाख में मलमास हुआ है तो एक पक्ष वैशाख का शुद्ध लिखा जायगा और पुनः दो पक्ष बीच के अधिक के नाम से लिखे जांयगे तथा अन्त का पक्ष पुनः शुद्ध वैशाख के नाम से लिखा जायगा किन्तु व्यवहार में केवल मिती लिखने में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अतः प्रथम और द्वितीय शब्द या बटा अंक लगा देना उत्तम प्रतीत होता है।

तीसरी बात, सबसे बड़ी आपत्ति और उसका निराकरण

मलमास और क्षय एवं वृद्धि तिथियों के लिखने का क्रम ठीक हो गया किन्तु चान्द्र मास में सबसे बड़ी आपत्ति 'क्षय मास' के होने पर आपड़ेगी। क्षय मास उसे कहते हैं जो मास क्षय होजाता है यानी उस वर्ष में वह मास ही नहीं होता किन्तु साथ ही उस वर्ष मलमास भी होता है इसलिये देखने में एक मास का लोप हो जाता है किन्तु वस्तुतः वर्ष में १२ मास से कम मास नहीं होते। यह क्षय मास प्रायः १४१ वर्ष पर होता है और कभी कभी १९ वर्ष पर भी पड़ जाता है। वि० संवत् १८७९ में मार्गशीर्ष का क्षय हुआ था और अब आगे संवत् २०२० में मार्गशीर्ष का, सं० २०३९ में पौष का संवत् २०८० में मार्गशीर्ष का और सं० २१०४ में मार्गशीर्ष का क्षय होगा। कार्तिक, अगहन और पौष इन्हीं तीन मासों का क्षय हुआ करता है अन्य मासों का नहीं। अब विचारने की बात है कि क्षय के समय में मिति कैसे लिखनी चाहिये। क्योंकि यह क्षय मास भी उसी अमान्त चन्द्र मास के अनसार होता है अर्थात्

जिस वर्ष मार्गशीर्ष का क्षय होता है उस वर्ष में पंचांगों में कृष्णादि चान्द्र मास के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण के आगे पौष शुक्ल ही पंचांगों में लिखा जायगा और मार्गशीर्ष शुक्ल एवं पौष कृष्ण का लोप रहेगा। यद्यपि ऐसा समय प्रायः १९ अथवा १४१ वर्ष पर आता है तथापि राष्ट्रीय मिति के लिये हमें अधिक दिन में उपस्थित होने वाली कठिनाई पर विचार करना भी आवश्यक है। मेरे विचार में क्षय मास के पड़ने पर भी कोई कठिनता नहीं पड़ सकती। उस समय में जैसा पंचांगों में मार्गशीर्ष कृष्ण के आगे पौष शुक्ल रहता है वैसा ही हमें मितियों में भी लिखना चाहिये किन्तु क्षयत्वबोध कराने के लिए भले ही हम 'मार्गशीर्ष कृष्ण (शुक्ल)' और 'पौष (कृष्ण) शुक्ल' अपनी मितियों में लिख सकते हैं। क्योंकि धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जब क्षय मास पड़े तब इन एक एक पक्ष की तिथियों से हमें दोनों पक्ष की तिथियों का काम लेना चाहिये। तिथि के पूर्वार्द्ध से पूर्व पक्ष का और उत्तरार्ध से दूसरे पक्ष का। बस यही इस कठिनाई के निराकरण करने के लिये सरल मार्ग है। और ऐसा करने से राष्ट्र मिति के लिये हमारी यही चान्द्र गणना मुख्य प्रतीत होती है।

चान्द्रगणना के त्यागने से हानि

चान्द्रमास और तिथियों को राष्ट्रीय मिति का पद देना आवश्यक है इसके सम्बन्ध में हमने ऊपर लिखा है। अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि यदि राष्ट्रीय मिति में हम चान्द्र मिति को न रक्खें तो क्या हानि होने का भय है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय मिति का क्रम सदा स्मरण रखना पड़ता है क्योंकि उसे हमें नित्य ही पत्रव्यवहार में तथा समाचार पत्र और अपने अन्य व्यावहारिक काग़ज़ पत्रों में लिखने और पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। यह भी स्वाभाविक बात है कि जिन मितियों की हमें नित्य के कामों में आवश्यकता नहीं पड़ती उनका स्मरण भी नहीं रहता। चान्द्रमिति का व्यवहार यदि हम त्याग दें तो उसका स्मरण हमें क्यों रहने लगा और उस दशा में आजकल के कुछ आधुनिक विचार के विद्वानों के समान हमें तिथियों के जानने में कठिनाई प्रतीत होने लगेगी और एक प्रकार से उसका लोप ही हो जायगा। चान्द्रमिति के लोप

हो जाने पर हम नित्य प्रातः और सन्ध्या कालमें सन्ध्या करते समय सङ्कल्प क्या पढ़ेंगे सो मनमें नहीं आता क्योंकि सङ्कल्प का सनातन काल से रूप यह चला आता है।

संक्षिप्त सङ्कल्प

"ओ३म् अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवश्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतकलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारत खण्डे ऽर्यावर्तैकदेशान्तरगते ऽमुकनगरे ऽमुकनामसम्वत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ यथानक्षत्रयोग वार लग्न मुहूर्त्त करणान्वितायाम् अमुक राशिगते सूर्य्ये अमुकायने श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फलप्राप्तिकामोऽहम् इत्यादि।"

ऊपर के सङ्कल्प में आप यह देखेंगे कि चान्द्रमिति सौरमिति की अपेक्षा कितनी अधिक आवश्यक है। सौर मान में केवल मास सङ्कल्प में आता है सो भी पीछे जाकर और चान्द्रमास पक्ष और तिथि की ही उसमें मुख्यता है। यद्यपि कुछ हमारे विद्वान् भाई कल्प और मन्वन्तर आदि को पढ़ कर हंस पड़ेंगे और उन्हें सङ्कल्प की ये बातें पोपलीला ही प्रतीत होंगी तथापि हम उनके लिये भी यही कहेंगे कि चाहे आप विक्रमसंवत् को भी कल्पित ही मानलें जैसा कि बहुतों ने मान रक्खा है किन्तु इस कल्पित सृष्टि में काम भी तो हमें कल्पित वस्तुओं से ही चलाना है। हां यदि आप परिक्रमा करना चाहेंतो इस विषय में बरनार्डसाहब आदिक विदेशियों के विचार देखें जिसमें उन लोगों ने हमारी कल्पादि गणना को सोपपत्तिक माना है इतना ही नहीं तिथियों के ही आधार पर हमारे यहां जन्म और मरण तिथियां, व्रतोत्सव आदि सभी कुछ मनाया जाता है। अस्तु इस समय हम केवल चान्द्रमिति के ऊपर विचार कर रहे हैं अतएव यह सिद्ध है कि जिस मिति की हमें नित्य ही स्नान, सन्ध्या आदिक धार्मिक कृत्यों के सङ्कल्प में, अपने त्योहारों, व्रतोत्सवों के लिये और देवता एवं पितृकार्यों में अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है उसको हम छोड़ नहीं सकते और उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी मिति को हमें राष्ट्रीयपद नहीं दे सकते यद्यपि मुसलमानों में भी अमान्त चान्द्र का अशुद्धमान माना जाता है तथापि जिस प्रकार हमारे हिन्दू आर्यों में शुद्ध चान्द्रमिति का

प्रचार है वैसा न किसी अन्य जाति में है और न उससे उत्तम कोई दूसरी मिति हो सकती है अतएव चान्द्र मिति के त्यागने से हमारा काम ही नहीं चल सकता। हिन्दूआर्य से हमारा उन भाइयों से प्रयोजन है कि जिनके यहां सन्ध्योपासन, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, जातीय और धार्मिक तिथियों पर व्रतोत्सव, गर्भाधानादि संस्कार, चान्द्रायण आदिव्रत और दर्शपौर्णमास आदि यज्ञों का विधान है, देव और पितरों की जन्म और मरण की तिथियां किसी भी रूप में मनायी जाती हैं और इन में से किसी भी अङ्ग का मान है क्योंकि उन महानुभावों को कदाचित् हमारी मितियों की आवश्यकता न हो कि जिनका ऊपर लिखी बातों से प्रयोजन ही नहीं है सारांश यह कि चान्द्रमिति के त्यागने से बड़ी हानि है अतएव राष्ट्र मिति में इसका त्यागना ठीक नहीं इसी को राष्ट्रीयपद हमें देना चाहिये और सारे देश में इसी का अनिवार्य रूप से प्रचार करना चाहिये।

चान्द्रमिति की विलक्षणता

जिस प्रकार हमारी नागरी वर्ण माला वैज्ञानिक गुण अगरी है और सारे संसार की लिपियों में सर्वश्रेष्ठ है इसी प्रकार हमारी चान्द्रमिति भी वैज्ञानिक गुणसम्पन्न संसार की सभी मितियों में श्रेष्ठ है। यदि हम अपनी मिति को भूलजांय तो हम उसी दिन सन्ध्या समय चन्द्रमा के उदय होने और न होने से शुक्ल और कृष्ण पक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा ही गणित का परिश्रम करने से चन्द्रमा के अस्त अथवा उदय का समय जानकर तिथि भी जान सकते हैं इतना ही नहीं चन्द्रमा के समीप वर्ती तारा (नक्षत्र) को पहचान कर अपना महीना भी हम सहज ही से जान सकते हैं। क्या हमारे अंग्रेज़ बहादुर अपनी तारीखों को दिन या रात में इस प्रकार के किसी सरल प्रमाण से जान सकते हैं अथवा अपने महीनों की पहचान कर सकते हैं, सौरमास के प्रचारकों के लिये भी यही प्रश्न हो सकता है और वे भी अपना मास और दिन जानने में असमर्थ ही हैं क्योंकि निरयण गणना का तो प्रचार है और वह प्रत्यक्ष देखी जा नहीं सकती यदि सायन गणना का भी प्रचार करे तौभी प्रति दिन अपने दिन का जानना चान्द्र के समान

सरल और सुबोध नहीं है। चान्द्र गणना में इस समय दो भेद माने जाते हैं एक तो हमारी शुद्धगणना और दूसरी मुसलमान भाइयों की मनमानी अशुद्ध गणना। मुसलमानों की अशुद्ध चान्द्र-गणना ठीक बङ्गाल की अशुद्ध सौर गणना के समान ही है। आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कार्तिक शुक्ल १ सोमवार (सं० १६७२) को चन्द्रदर्शन हुआ है परन्तु मौलाना साहबों को कदाचित् चन्द्रमा के दर्शन नहीं हुये! उनकी पहिली तारीख कार्तिक शुक्ल २ मङ्गल को न होकर ३ बुधवार को हुई! इस अन्धविश्वास की भला गणित सिद्ध मितियों से समानता कैसे हो सकती है। अतएव यह सिद्ध है कि हमारी शुद्ध और विज्ञानगुण-सम्पन्न कृष्णादि चान्द्रगणना सर्व-श्रेष्ठ और राष्ट्रीयमिति के लिये उपयुक्त है। इसके समान उत्तम मिति किसी देश में कोई दूसरी मिति प्रचलित और मान्य नहीं है।

लिखने का क्रम

ऊपर के विवेचन से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि राष्ट्रीय संवत् विक्रमीयसंवत्, राष्ट्रीयमास कृष्णादि चान्द्रमास और राष्ट्रीय दिन चान्द्र तिथियों को कहना उचित है। अब हम यहाँ पर उनके लिखने का क्रम दिखलाते हैं। सात वारों के ज्ञान से हमारी मितियों का निर्भ्रान्त ज्ञान होता है अतएव सूर्यादिवारों का मिति के साथ लिखना आवश्यक है। मिति लिखने का क्रम इस प्रकार होना चाहिये।

यथाक्रम मास, पक्ष, तिथि, वार और संवत् लिखने की रीति प्राचीन काल से चली आती है। कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि इस सनातन से प्रचलित क्रम में परिवर्तन किया जाय। अवश्य ही मासों के नाम का पूर्व वर्ण लिखकर भी 'नामैकदेशेन नाम मात्र-स्यग्रहणम्' इस परिभाषा के अनुसार मास का ज्ञान कराया जाता है, किन्तु आषाढ़ और आश्विन, मार्गशीर्ष और माघ इन चार मासों में दो दो मासों के पूर्ववर्ण समान हैं अतएव केवल पूर्व-वर्ण लिखने से भ्रम होना सम्भव है। मेरे विचार में यह आता है कि भ्रामक नामही न रखे जाँय। आश्विन को कुमार भी कहते हैं और अधिकतर यही नाम प्रसिद्ध हैं। आजकल शिक्षित समाज भले ही आश्विन लिखता है किन्तु जनता में कुमार शब्द अधिक

प्रचलित है। अश्विनी कुमार नाम के पूर्वार्ध से आश्विन और उत्तरार्ध से कौमार शब्द बना है क्योंकि नामैकदेश वाली परिभाषा के अनुसार जिस प्रकार बलराम जी को केवल बल और राम के नाम से भी स्मरण किया जाता है। उसी प्रकार अश्विनीकुमार को केवल अश्विनी और केवल कुमार भी कहते हैं। आषाढ़ के साथ में आश्विन लिखने में भ्रम होना सम्भव है अतएव आश्विन के स्थान में कौमार या कुमार शब्द का पूर्ववर्ण कौ अथवा कु रखना निर्भ्रान्त होगा। इसी प्रकार मार्गशीर्ष का सर्वसाधारण में अगहन के नाम से व्यवहार होता है और इसका शुद्ध रूप आग्र-हायण है। यदि मार्गशीर्ष के स्थान पर अगहन रखलें और उसका पूर्ववर्ण 'अ' लिखें तो दूसरा भ्रम भी दूर हो जाय। सारांश यह कि मासों के लिये क्रम से ये वर्ण लिखे जाँय—

'चै, वै, ज्ये, आ, श्रा, भा, कु, का, अ, पौ, मा, और फा'

पक्ष के लिये कृ एवं शु। तिथियों के लिये एकादि संङ्ख्या और वारों के लिये क्रम से 'र, सो, मं, बु, बृ, शु, और श। विक्रमीय संवत् के लिये सं० के पश्चात् उसकी सङ्ख्या लिख देना ही ठीक है।

इस प्रकार लिखने से निर्भ्रान्त मिति लिखी और पढ़ी जा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप कुछ मितियों का उदाहरण हम यहाँ दिखलाते हैं।

चै शु १ मं सं० १९७२। आ कृ १ सो सं १९७२

कु शु १ श सं ११७२। अ शु ५ श सं १९७२

मा कृ ३० बृ सं १९७२। चै कृ ३० र सं १९७२

ऊपर के क्रम से लिखने में लाघव और शुबोध मिति का ज्ञान होता है अतएव हम आशा करते हैं कि हिन्दी-साहित्यसम्मेलन एवं राष्ट्रमिति के प्रचारक इस ओर ध्यान देकर मेरे विचार की आलोचना करके एक राष्ट्रमिति निश्चय करेंगे। शुभम्

———

उत्तरपुस्तकों पर परीक्षकों की सम्मतियाँ

(श्रीयुत पं० शुकदेवविहारी मिश्र बी-ए-)

मैं प्रथमा और मध्यमा दोनों परीक्षाओं में दूसरे प्रश्नपत्रों का परीक्षक था। उत्तरों को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक देखा। यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि बहुत से परीक्षार्थियों में से केवल तृतीयांश के करीब परीक्षा में बैठे। फिर भी जो लोग बैठे उनके उत्तर अच्छे थे। मेरे परचों में बहुत से लोग उत्तीर्ण हुये। एक बात कथनीय है कि बहुत से क्या प्रायः सभी लोग नियत पुस्तकों को कोर्स की किताबों के समान न पढ़ कर केवल सरसरी निगाह से देखजाते हैं। इस लिये समालोचना के प्रश्नों का तो अच्छा उत्तर देते हैं किन्तु अर्थ नहीं बतला पाते। फिर ये साहित्य की परीक्षायें हैं किन्तु तबभी साहित्य के अङ्गों का कोई पत्र नहीं है। इससे बहुतेरे ऐसे लोग उत्तीर्णता के अङ्क पा जाते हैं जो काव्याङ्ग नितान्त नहीं जानते, क्योंकि उन्हें अन्य प्रश्नों में काफी नम्बर मिल जाते हैं। यह बात अनुचित है

प्रथमा के इतिहास की उत्तर पुस्तकों पर सम्मति

(श्रीयुत पं० हरिमङ्गल मिश्र एम. ए. एस. सी.)

इतिहास के उत्तर पत्रों को देखकर चित्त को सन्तोष हुआ क्योंकि प्रति सैकड़ा ७५ के लग भग विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये हैं। विद्यार्थियों ने हिन्दी भाषा के साहित्य के अध्ययन में जितना श्रम उठाया है उतना इतिहास में भी उठाया होता तो कदाचित् कोई अनुत्तीर्ण ही न होता। इतिहास की पाठ्यपुस्तक बहुत सङ्क्षिप्त और सरल थी परन्तु उसे भी अधिकांश विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक नहीं देखा, ऐसा अनुमान प्रश्न के उत्तरों की जाँच से हठात् उत्पन्न होता है सम्भव है कि विद्यार्थियों को रामायण, महाभारत भगवद्गीता आदि सम्पूर्ण ग्रन्थों के अध्ययन का अवसर मिला हो परन्तु पाठ्यपुस्तक में उनके सम्बन्ध में दो तीन पङ्क्तियों में क्या लिखा है इसके देखने का श्रम उठाना बहुतों को स्वीकृत न था। इतिहास के प्रश्नों का उत्तर जहाँ तक सङ्क्षिप्त लिखा जावे और संस्कृत ग्रन्थों के श्लोक न लिखे जावें तहाँ तक अच्छा।

आर्यों और राजपूत जातियों के विषय में युरोपियनों के कल्पित सिद्धान्तों को प्रायः विद्यार्थियों ने एक प्रामाणिक बात मानली है। वार्ड वेले स्ली की उदार राजनीति का तात्पर्य्य अधिकांश विद्यार्थियों ने नहीं समझा है सङ्क्षिप्त वर्णन पूछे जाने पर भी प्रायः सभी विद्यार्थियों ने शिवा जी का चरित विस्तारपूर्वक लिखा है जो अनावश्यक था।

प्रथमा के भूगोल की उत्तरपुस्तकों पर सम्मति

(श्रीयुत पं० कृष्णशङ्कर तिवारी बी. ए.)

(१) उत्तर पुस्तकें ७४ प्राप्त हुईं।

(२) उक्त ७४ परीक्षार्थियों में से ६९ उत्तीर्ण हुये हैं और अवशिष्ट ५ अर्थात् सङ्ख्या ५७, ९८, ११०, १११ और १५६ अनुत्तीर्ण हैं।

(३) अधिकतर परीक्षार्थियों के उत्तर स्पष्ट और पूर्ण हैं कतिपय मानचित्र भी बहुत ही सुन्दर हैं। लेखनशैली और लिपि भी कतिपय परीक्षार्थियों की सराहनीय है।

(४) विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि जो बालिकायें इस बार परीक्षा में बैठी हैं उनमें से कई एक का भौगोलिक ज्ञान बहुत अच्छा प्रतीत होता है तथा उनके उत्तर की भाषा भी बहुत अच्छी है।

प्रथमा के आरम्भिक विज्ञान और स्वास्थ्यरक्षा की उत्तर पुस्तकों पर सम्मति

(श्रीयुत पं० गोमतीप्रसाद अग्निहोत्री बी० एस० सी०)

प्रश्नपत्र को देखते हुये मुझे आशा थी कि परीक्षा का फल विशेष सन्तोषप्रद होगा, किन्तु निराश होना पड़ा। फल साधारण ही हुआ है।

चौथे और छठवें प्रश्न में बीस बीस अङ्क थे। पाठ्य ग्रन्थों का समुचित अध्ययन करने वालों को इन प्रश्नों के पूरे पूरे अङ्क प्राप्त कर सकना कठिन न था। तथापि परीक्षार्थियों में से बहुत थोड़ों ने इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न किया है।

स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी नियमों को भली भाँति समझने के लिये शरीरविज्ञान के मूल तत्वों से अभिज्ञता; लाभकारी और आवश्यक है। परीक्षार्थियों को चाहिये कि पाठ्यग्रन्थों को भली भाँति समझने की चेष्टा करें और बन सके तो शरीर विज्ञान विषयक कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ पढ़ें।

कुछ परीक्षार्थियों ने अपने उत्तरों में कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार किया है। कभी तो इन शब्दों की लिपि नागरी रही है और कभी अंग्रेजी। (जैसे—"घोल यादि जाल्म कर सकता" Doctor Dwight का कथन है" इत्यादि) चाहे जिस कारण से उन्होंने ऐसा किया हो, अंग्रेजी शब्दों का इस प्रकार प्रयोग करना अनावश्यक और अनुचित है।

मध्यमा के साहित्य की प्रथम उत्तर पुस्तकों पर सम्मति

(श्रीयुत पं०—श्यामविहारी मिश्र एम. ए, एम्. आर. ए. एस)

कुल मिला कर मेरे पास केवल १५ उत्तर कॉपियाँ आयीं। इनमें से ७ परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये और ८ अनुत्तीर्ण। एक परीक्षार्थी ने १०० में ६८ अङ्क पाये और दूसरे ने ६७ इनसे बढ़कर अङ्क किसी ने नहीं पाये। एक महाशय जी ने केवल १५ अङ्क पाये? जान पड़ता है कि बहुतों ने बिना नियत ग्रन्थ पढ़ेही परीक्षा दे दी? बहुत अच्छी तैयारी प्रायः किसी की भी न थी। बहुतों ने प्रश्नों को भली भाँति समझे बिना ही उत्तर लिखे। प्रश्नों पर ध्यान देना आवश्यक था।

दुर्भाग्यवश प्रश्नपत्र के छपने में विशेष सावधानी नहीं हुई और कई अशुद्धियाँ रह गयीं। आगे से मेरी समझ में अन्तिम प्रूफ परीक्षक के पास देखने को जाना चाहिये।

मध्यमा के साहित्य सं० ४ की उत्तर पुस्तक पर सम्मति

(श्रीयुत ०परघुवर प्रसाद द्विवेदी बी. ए. एफ. बी. एस. एस.)

(१) प्रश्न न तो इतने सरल ही थे और न कठिन, पर ठीक अर्द्ध सङ्ख्या के परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हो सके। आशा है कि अन्य ३ पत्रों के अङ्क मिला करकई उत्तीर्ण हो जायँगे। मुझे निम्नलखित लिपि वा रचना-दोष प्रायः सभी उत्तर पुस्तकों में मिले

केवल पं० नर्मदाप्रसाद मिश्र के उत्तर इन दोषों से रहित थे।

(क) मैं, नहीं आदि शब्दों में अनुस्वार का अभाव।

(ख) विराम आदि चिह्नों के उपयोग में विशेष अनभिज्ञता, विशेषतः उन परीक्षार्थियों की जो संस्कृत के विद्यार्थी वा अध्यापक हैं।

(ग) समालोचनात्मक विषयों में गुण दोष निरूपण का प्रायः अभाव था।

(घ) परीक्षक से अनुचित प्रार्थना।

(च) लिङ्ग आदि व्याकरण सम्बन्धी नियमों का उल्लङ्घन।

(छ) लिपि और सौष्ठव का प्रायः अभाव, केवल दो तीन परीक्षार्थियों की लिपि साधारण अच्छी कही जा सकती है।

(२) अशुद्धियों के दृष्टान्त—

(क) वे ५० वा ६० वर्ष के अवस्था में अपनी प्रसिद्ध ग्रन्थ इत्यादि।

(ख) ये बड़े भारी भक्त थे और अपने नामक के विषय में बड़ी ही अनूठी कविता रचे हैं।

(ग) श्रंगाररस-व्रज भाषा-बतलाया-सब थोड़ी है-कृष्चन्द्र-इत्यादि।

केवल दो परीक्षार्थियों के लेख से मुझे विशेष सन्तोष हुआ।

मध्यमा के गणित की उत्तर पुस्तकों पर सम्मति

(श्रीयुत पं० कमलाकर द्विवेदी एम. ए.)

खेद के साथ कहना पड़ता है कि ....किसी परीक्षार्थी को गणित में साधारण योग्यता भी नहीं है। त्रिकोणमिति के प्रश्न को किसी परीक्षार्थी ने छूआ तक नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि गणित में अब बहुत अश्रद्धा हो गयी है परन्तु गणित की उत्तम योग्यता बिना विज्ञानशास्त्र का कोई पूर्ण पण्डित नहीं हो सकता यदि सम्मेलन विज्ञानशास्त्र की उन्नति चाहता है तो गणित पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

मध्यमा के संस्कृत से अनुवाद की उत्तर पुस्तक पर सम्मति।

(श्रीयुत पं० चन्द्रमौलि शुक्ल एम. ए. एल. टी.)

साधारणतया काम सन्तोषप्रद है। प्रश्नपत्र जान बूझ कर सरल बनाया गया था। ३३ विद्यार्थियों की पुस्तकों की आशा थी १४ हीं मिली।

ADDRESSED TO PROF BRIJ RAJ JI.

MEERUT COLLEGE.
6-9-1915.

DEAR SIR,

I sent you the result sheet during the last week. It must have reached you till now.

Regarding the quality of answers I have to say that the method of working has been very careless. Decimals are not at all known to the examinees. They are fond of long and elaborate numerical figures.

The method of 'Practice' is quite unfamiliar to them. Either the questions set were stiff or the standard of their qualification is low. To improve their knowledge of Arthemetic the examinees should be given to understand that so much is expected from them. In order to secure good percentage of passes the quality of the questions should also be brought down.

Yours Faithfully,

J. P. Bejol.

अंगरेज़ी पत्र का अनुवाद

मेरठ कालिज
६—९—१९१४

श्रीमान् जी

गत सप्ताहमें मैंने आपकी सेवा में परीक्षा फल भेज दिया जो अब तक आपको मिलगया होगा।

उत्तरों के ढंग के विषय में मुझे यही कहना है कि परीक्षार्थियों के उत्तर लिखने का ढँग अच्छा नहीं था। परीक्षार्थी दशमलव से नितान्त ही अनभिज्ञ हैं उन्हें लम्बी और बड़ी संख्यायें अच्छी लगती हैं। वे "व्यवहार" गणित के ढंग को तो बिलकुल ही नहीं जानते। या तो प्रश्न ही कठिन पूछेगये थे या उनके लियाक़त का परिमाण ही कम था। अङ्क गणित में लियाकत बढ़ाने के लिये उनसे जितनी आशा की जाती है वह बतला देना चाहिये। परीक्षार्थियों की अधिक संख्या में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिये प्रश्न सरल देना चाहिये।

भवदीय
जे० पी० बेजोल

परिक्षा के विषय में व्यवस्थापकों की सम्मतियाँ

(श्रीयुत पं० विश्वनाथ शर्मा द्राविड़ एम० ए० अलीगढ़)

प्रथमा परिक्षा पत्र

१ साहित्य—इसमें प्रत्येक प्रश्न के अङ्क नहीं दिये गये। ८ व प्रश्न में अत्यधिक चरित्रों की तुलना करायी गयी है। ऐसे प्रश्न के अङ्क ज्ञात न होने से परीक्षार्थियों को बड़ी असुविधा रहती है।

२ साहित्य—प्रश्न छठें और सातवें में केवल समाचार पत्रों के इतिहास के लिये १४+१४ अङ्क रखना कुछ अनुचित सा प्रतीत होता है।

गणित—का प्रश्नपत्र परीक्षार्थियों को कठिन पड़ेगा, अन्तिम एक ही प्रश्न के लिये २४ अङ्क रखना ठीक नहीं क्योंकि एक ही अङ्क के अशुद्ध होने से दूसरे अधिक अङ्क का कम होना अनुत्तीर्ण होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रश्न १, २, ६ ऐसे हैं जो अधिक कठिन न होते हुये भी परीक्षार्थी का अधिक समय लेकर उसके मस्तिष्क को चकरा देंगे और इनमें कुछ बुद्धि की विशेष परीक्षा न होगी अर्थात्–इन प्रश्नों के निकालने में प्रयोग-सम्बन्धी योग्यता अधिक चाहिये सिद्धान्त सम्बन्धी नहीं।

मध्यमा

१ साहित्य—खड़ी बोली के छन्दों को कुछ अधिक स्थान मिलने की आवश्यकता है। इससे परीक्षार्थियों को सरलता होगी और वर्तमान हिन्दी की पुस्तकों के पढ़ने का चाव उनमें उत्पन्न होगा।

२ साहित्य—के प्रश्न ६ में जो उदाहरण चाहे गये हैं। वे योग्यता से बढ़े हुये हैं।

अङ्गरेज़ी से अनुवाद—यह पत्र उन परीक्षार्थियों के लिये कठिन पड़ेगा जिन्होंने विशेष रूप से अङ्गरेज़ी नहीं पढ़ी अर्थात् दूसरी भाषा के विचार से पत्र कुछ कठिन है।

बहुत से पत्रों में अङ्क नहीं दिये गये इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

(श्रीयुत हनुमत सिंह, कृष्णाखत्री स्कूल आगरा)

इस बार के प्रथमा व मध्यमा के प्रश्नपत्र, दो तीन प्रश्नपत्रों के सिवाय, ठीक थे।

मेरी राय में इन परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिये कि हिन्दी-साहित्य की विशेष उन्नति हो अतएव इन परीक्षाओं का मुख्य विषय हिन्दी-साहित्य हो। अन्य विषय गौण समझे जावें और इनके प्रश्नपत्र भी सुगम होने चाहियें।

इस वर्ष प्रथमा परीक्षा के हिन्दी-साहित्य का प्रथम प्रश्नपत्र बड़ी योग्यता का था परन्तु बड़ा अधिक था। जैसे प्रश्न इस पत्र में पूछे गये हैं वैसे मध्यमा के पहिले साहित्य पत्र में भी होने चाहियें थे। मध्यमा की परीक्षा के प्रश्न-पत्र विशेषतः ऐसे होने चाहियें

जिनसे परीक्षार्थी की हिन्दी-साहित्य की योग्यता तथा लेखन-शक्ति का भी अनुमान हो सके।

प्रथमा के अङ्क–गणित का प्रश्न-पत्र बड़ा बेढङ्गा था। तीन २ चार २ प्रश्नों के करने में ही आगरा केन्द्र के परीक्षार्थियों का बहुत सा समय व्यतीत होगया। क्योंकि इनमें बहुत सी सङ्ख्याओं के लम्बे२ गुणा भाग करने पड़े। थोड़े से सवालों के कर सकने के कारण इस दिन परीक्षार्थी बड़े निराश होगये। आगरा केन्द्र में जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी उनमें कई एक प्रथम श्रेणी में वर्नेक्यूलर मिडिल परीक्षा पास किये हुये और एक बी० ए० पास अध्यापक थे। जब इनको भी अङ्क गणित के प्रश्न-पत्र में पास होने की आशा न हो तो आप समझ सकते हैं कि अङ्कगणित का प्रश्न-पत्र कैसा वाहियात था। ऐसे प्रश्नपत्रों से परीक्षार्थियों का उत्साह बड़ा मन्द होता है। अभी तो इन परीक्षाओं का प्रचार अधिक हो ऐसा उद्योग हम लोगों को करना चाहिये। मध्यमा परीक्षा का गणित का प्रश्न-इस वर्ष की अपेक्षा आगामी वर्ष कुछ सुगम दिया जाय तो अच्छा है।

मध्यमा का अङ्गरेज़ी से हिन्दी का अनुवाद पत्र कुछ सरल होता तो अच्छा था संस्कृत से हिन्दी का अनुवाद पत्र बहुत ठीक था। अङ्गरेज़ी का भाव समझने पर भी अच्छी हिन्दी-भाषा में अनुवाद करना मेरी राय में कठिन काम था।

एक समिति ३ उच्च-शिक्षा प्राप्त सभासदों की ऐसा भी होनी चाहिये जो सब प्रश्न-पत्रों को छपने से पहले देखकर आवश्यकतानुसार ठीक कर सका करें।*

परीक्षा—प्रबन्ध के विषय में मुझे कोई विशेष बात लिखनी नहीं है। अभी तक कम परीक्षार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित हुये हैं अतएव उनके निरीक्षण के लिये एक दो परीक्षक बुलाने से काम चल जाता है। अधिक परीक्षार्थी होने पर १२-१३ दिन तक कई सुयोग्य निरीक्षकों के मिलने में कठिनाई हुआ करेगी।

---

* देखो परीक्षा समिति का उपनियम ११ (सं०)

(मन्त्री आरानागरी प्रचारिणी सभा)

प्रश्नपत्र देखने में आवश्यक से थोड़ा बहुत क्लिष्ट मालूम पड़ता था क्योंकि हिन्दी की ओर अभी सर्वसाधारण की रुचि झुकाने की आवश्यकता है। हम लोगों को दो ही साल की परीक्षा से यह अनुभव हुआ है कि परीक्षा में चुनी हुई पुस्तकों की सङ्ख्या अधिक और उन पुस्तकों के मिलने का पूरा प्रबन्ध न रहने के कारण परीक्षा में विशेषतः परिक्षार्थी नहीं सम्मिलित होते हैं। देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि इस परीक्षा में अधिकतर विद्यार्थी ही सम्मिलित होने की चेष्टा करते हैं। पुस्तकें तथा प्रश्नपत्र ऐसे होने चाहिये जिससे इनकी पढ़ाई में कोई बाधा न पड़े।

परीक्षा प्रबन्ध में जहाँ जहाँ केन्द्रस्थान हैं वहाँ पहले ही से इस की सूचना (सब बातों की) इस तरह से दे देनी चाहिये कि जिसमें सर्वसाधाराण को भी पूरे तरह से अवगत हो जाय।

विशेष ध्यान देने योग्य यह बात है कि इतने अधिक दिन तक परीक्षा का समय न रख कर किसी तातील के दिनों में थोड़े ही दिनों में दो दो या अधिक से अधिक तीन तीन पत्रों को दे कर समाप्त करना चाहिये।

(श्रीयुत पं० केदारनाथ शर्मा-ऋषिकुल हरिद्वार)

(१) मेरी सम्मति में प्रश्नपत्रों में कोई त्रुटि नहीं थी।
(२) परीक्षा प्रबन्ध भी यथेष्ट था।

(श्रीयुत पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी बी. ए. एफ. बी. एस. एस)

प्रथमा-परीक्षा

इस वर्ष की प्रथमा परीक्षा गत वर्ष की परीक्षा से अधिक सरल थी जो बहुत अच्छा है। इस वर्ष के परचे कुल मिलाकर अच्छे हैं, यद्यपि एक दो परचे ठीक नहीं थे। सब परचों में गणित का परचा बहुतही ख़राब था। उसके सवाल यद्यपि सरल थे, तथापि उनमें इतना अधिक गुणा-भाग करना था कि परीक्षार्थियों का जी उकताता था और इस प्रकार उनकी बुद्धि की परीक्षा न होकर उनके धैर्य की परीक्षा होती थी। मुझे भली भाँति मालूम है कई परीक्षार्थियों

ने एक सवाल उनमें किया पर उसका उत्तर ठीक न जँचने से उसे अधूड़ा छोड़ कर दूसरा सवाल किया गया। उसकी भी वही दशा हुई। इसी प्रकार सब सवाल किये गये, परन्तु एक भी नहीं बना अन्त में एक २ सवाल फिर किया गया, परन्तु एक भी सवाल न बन सकने की निराशा के कारण मन नहीं जमा और कुछ नहीं हो सका।

भूगोलके दो तीन प्रश्न भी ठीक नहीं थे। ७वें प्रश्न में "विभिन्न" शब्द ने कई लड़कों को बहुत चक्कर में डाला। ५वां प्रश्न भी सन्देह से खाली नहीं है शेष प्रश्न-पत्र अच्छे थे।

कई परचों में प्रूफ संशोधन की कुछ भूलें रह गयीं थीं, जैसे थ्वी (पृथ्वी) सलर (सरल) इत्यादि।

परीक्षा होने की तारीख़ में भी गड़बड़ थी। समाचार-पत्र में जो सूचना छपी थी उसमें कुछ दूसरी ही तारीख़ थी, परन्तु परीक्षा किसी और ही तारीख को आरम्भ हुई।

मध्यमा परीक्षा

कुल मिलाकर इसके परचे अच्छे और प्रशंसनीय थे। साहित्य और इतिहास के परचे तो बहुत ही योग्यतापूर्वक निकाले गये थे, परन्तु साहित्य के चौथे परचे में सब प्रश्नों के लिये समान अङ्क देना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भिन्न २ प्रश्न भिन्न २ योग्यता के थे। इतिहास के कुछ प्रश्नों में नक़शा खिंचवाना था।

अनुवाद के परचों में संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद का परचा जितना ही अच्छा और सरल था, अङ्गरेज़ी से हिन्दी अनुवाद वाला परचा उतना ही बुरा और कठिन था। यद्यपि नियम के अनुसार ये परचे एन्ट्रेंस क्लास की योग्यता के होने चाहिये थे, परन्तु अङ्गरेज़ी से हिन्दी अनुवाद का परचा कदाचित् एफ० ए० के लिये भी कठिन है। संस्कृत से हिन्दी अनुवाद को ज़रा और कठिन होना था।

अर्थशास्त्र में " पशु-पालन की विधियों " का जो प्रश्न है वह बिलकुल बाहर का है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सम्पत्तिशास्त्र से विशेष सम्बन्ध भी नहीं रखता है।

ज्योतिष का परचा लम्बा पर बहुत ही अच्छा था।

विज्ञान का परचा बहुत सरल था।

कुल मिलाकर, सब परचे अच्छे थे। यह देखा गया कि स्कूल मास्टरों और प्रोफेसरों के परचे बहुत ही योग्यता पूर्ण थे।

विवरण-पत्रिका में जो कोर्स छपा था उसमें कई विषयों का कोर्स भ्रमपूर्ण था गणित के विषय में छपा था कि "व्याज त्रैराशिक पर्यन्त"; पर इससे यह नहीं मालूम हो सका कि क्या २ जानना चाहिये। यदि किसी गणित की पुस्तक का उल्लेख हो जाता तो ठीक था। मध्यमा परीक्षा के अनुवाद के विषय में यह नहीं छापा गया कि अनुवाद किस योग्यता का होगा।

(पं० पुरुषोत्तम शास्त्री—ब्यावर)

(१)-(क) प्रथमा के साहित्य के द्वितीय पत्र में तथा विज्ञान के पत्र में पूर्णाङ्क पूरे नहीं थे। अतः यातो नम्बर सङ्ख्या नहीं लिखनी चाहिये यदि लिखे तो सावधानी से दृष्टि गोचर कर लेना चाहिये।

(ख) प्रश्नपत्रों में परीक्षकों के नाम लिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती न लिखने से कई लाभ हैं।

(२)-(ग) पाठ्यपुस्तकों की सूची शीघ्र ही प्रकाशित होनी चाहिये अन्यथा छात्रों को परीक्षास्थान में उपस्थित होने से वञ्चित रहना पड़ता है इसीसे कई केन्द्रों में सब छात्र उपस्थित नहीं हो सके।

(ख) पाठ्यग्रन्थ सब एक जगह ही मिलने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि छात्रों को उनके ढूढ़ने में कष्ट नहीं उठाना पड़े।

(ग) परीक्षकों का पता ३ मास तक एक ही-निश्चित रूप से होना चाहिये। निश्चित रूप से जो पता हो वही छपना चाहिये। ऐसा नहीं करने से पत्रव्यवहार इत्यादि में कष्ट होता है।

(घ) प्रतिदिन दो प्रश्नपत्र होने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती।

(श्रीयुत बाबू रामेश्वरसहाय सिंह एस्. टी. गवर्नमेण्ट स्कूल—हरदोई)

(प्रथमा परीक्षा)

(१) साहित्य का पहला प्रश्नपत्र इतना लम्बा था कि नियत समय में उसका उत्तर भलीभाँति नहीं दिया जा सकता था। इसका उपाय यह है; परीक्षक महाशय को चाहिये कि पत्र बनाने के पश्चात् स्वयम् उस पत्र का उत्तर बैठकर लिखें और जितने समय में स्वयं सब प्रश्नों का उत्तर लिख सकें उससे एक घण्टा अधिक समय परीक्षार्थियों को दें। इस प्रकार समयविभाग होना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक संशोधक समिति भी नियत होनी चाहिये। जिसको प्रश्नपत्रों की काट छाँट का अधिकार होना चाहिये *

(२) गणित के प्रश्नपत्र के उत्तर देने के लिये बहुत क्रिया (गुणा भाग) करना आवश्यक था जिससे परिक्षार्थियों को यह हानि पहुंची कि नियम जानने पर भी प्रश्नों का उत्तर न दे सके। प्रश्न जीवन सम्बन्धी और व्यावहारिक थे, कुछ काल्पनिक भी होने चाहिये थे। जिससे बुद्धि की जाँच भी हो जाती। व्यावहारिक प्रश्नों में अनुमानतः भूल निकालने के लिये आज्ञा होनी चाहिये थी।

(३) परीक्षा प्रबन्ध में कोई त्रुटि नहीं थी। व्यवस्थापकों को नियम कम से कम दो सप्ताह पहले भेज देने चाहिये।.........

(बाबू लक्ष्मीनारायण जी आनरेरी मैजिस्ट्रेट—मुट्ठीगञ्ज प्रयाग)

प्रथमा

(१) साहित्य के प्रथमपत्र के लिये समय कम था, पत्रका ढङ्ग ठीक था।

(२) साहित्य के द्वितीय पत्र प्रश्न २ में अनुवाद के लिए कुछ अधिक और सरल वाक्य होने चाहिये थे।

(३) इतिहास—विवरण पत्र में लिखा है कि पं० हरिमङ्गल मिश्र का इतिहास पढ़ना चाहिये, उसमें यह नहीं लिखा था कि दोनों भाग पढ़ना चाहिये इससे अनेक परीक्षार्थियों को भ्रम और

* परीक्षासमिति के उपनियम ११ के अनुसार परीक्षा समिति को पूरा अधिकार है कि वह प्रश्नपत्रों को कठिन वा सरल करले (सम्पादक)

असुविधा हुई है। कुछ परीक्षार्थिनियों ने भ्रम से केवल एक ही भाग पढ़ा है।

(४) भूगोलपत्र में भारत के भूगोलसम्बन्धी अधिक बातें पूछनी चाहियें थीं। खींचने के लिये हिन्दुस्तान का नक़शा देना चाहिये था क्योंकि प्रान्तों का नक़शा खींचना बहुत कठिन है। उन परीक्षार्थियों को जिन्हों ने किसी पाठशाला में नक़शा खींचना नहीं सीखा इसमें बड़ी दिक्कत पड़ती है।

(५) गणित के पत्र में विशेष शिकायत थी, परीक्षक महाशय ने प्रश्नों को कठिन करने के लिये अङ्कगणित के प्रश्न में कुछ सङ्ख्यायें बदल दीं थीं अतएव गुणा बहुत अधिक करना पड़ता था तीन घण्टे में सब प्रश्नों को कोई नहीं कर सकता था। सातवें प्रश्न में कइ उत्तर माँगे गये हैं, इससे परीक्षार्थी घबड़ा जाता है। प्रथम और द्वितीय प्रश्न वास्तव में एक ही हैं, यदि प्रथम अशुद्ध हुआ तो द्वितीय भी अशुद्ध होगा इससे परीक्षार्थी अपनी इच्छानुसार प्रश्नों को नहीं चुन सकते। प्रश्नों में क्रिया अधिक करनी पड़ती थी अतएव इस पत्र से परीक्षार्थी के धैर्य की परीक्षा होती है न कि बुद्धि की।

(६) परीक्षा का प्रबन्ध उचित था।

———o———

समालोचना

नारीचरितमाला

(श्रीयुत पं० धर्मनारायण द्विवेदी लिखित)

पुस्तक के सङ्ग्रहकर्ता श्रीमान चतुर्वेदी पं० द्वारकाप्रसाद शर्मा हैं। आप की ग्रन्थमालायें प्रसिद्ध हैं। ग्रन्थों के सङ्ग्रह करने और उपयुक्त विषयों के चुनने में आप अद्वैत हैं। यह पुस्तक नवल-किशोर प्रेस लखनऊ में छपी है। डबल क्राउन सोलह पृष्ठ के आकार के १९६ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य ॥) अधिक नहीं है। कागज और छपाई भी लखनऊ कीसी न होकर प्रयाग की ग्रन्थमालाओं से कुछ मिलती जुलती है।

पुस्तक का विषय नामही से विदित हो जाता है। १५ पौराणिक काल की और १० ऐतिहासिक काल की स्त्रियों के चरित्र लिखे हैं।

अवश्यही इन २५ स्त्रियों में अधिकांश स्त्रियों के आदर्श चरित बड़े ही अच्छे ढंग से लिखे गये हैं और विशेष कर कन्याओं के पढ़ने योग्य हैं। यदि ऐसी पुस्तकें कन्या पाठशालाओं की पाठ्यपुस्तकों में रक्खी जाँय तो अधिक उत्तम हो। किन्तु पुस्तक में कुछ दोष भी हैं। वे दोष ऐसे नहीं हैं कि जो छोड़ दिये जासकें। अवश्यही ऐसी पुस्तकों में सङ्ग्रहकर्त्ताओं को अधिक ध्यान देना चाहिये जिस में कोई ऐसा चरित्र न निकल जाय जो किसी उपन्यास लेखक की मनगढन्त कल्पना हो और उसका किसी समुदाय विशेष पर अनुचित प्रभाव पड़े।

पहले तो हमारे समझ में यह नहीं आता कि आप पौराणिक काल किसे मानते हैं। लीलावती को पौराणिक काल में रखकर उसका समय नव सौ वर्ष लिखते हैं। क्या पौराणिक काल आपके मत से इससे भी पीछे का है! अस्तु। दूसरी बात यह है कि रचना और लीलावती ये दो ज्योतिष विद्यावती स्त्रियों के नाम दिये हैं। दोनों नाम और उनके चरित्र कल्पित हैं। हमें सन्देह है कि सङ्ग्रह-कर्ता महाशय ने रचना के नाम में भूल की है वस्तुतः इसका नाम है खना और ख के पूर्वार्धको आप र और परार्धको आपने च समझ कर खना को रचना बना डाला है। खना नाम का वङ्गभाषा में एक उपन्यास है। उसीके आधार पर पं० शिवनारायण मिश्र जी ने भारतकी विदुषी स्त्रियों की नामावली में मर्यादा भाग ५ सं० २ पृ० १०२ पर खना को भी रक्खा था। उस में भी औपन्यासिक मिथ्या कथाओं की भरमार है। किन्तु नारी चरितमाला में वही खना रचना हो कर आगयी है। इसके चरित्र भी मिथ्यापूर्ण कल्पित हैं इतना ही नहीं ज्योतिषी और संस्कृत के पण्डितों की मूर्खता द्योतक हैं। रचना अर्थात् खना को बराह की पुत्रबधू और मिहिर की स्त्री लिखा है। सङ्ग्रहकर्ता के मत से बराह के पुत्र का नाम मिहिर था और बराह और मिहिर ये दोनों पृथक् पृथक् व्यक्तियों के नाम थे। और वराह जी महाकवि कालिदास के समकालीन दो सहस्र वर्ष प्रथम के विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्न पण्डितों में से एक रत्न थे। ये सबकी सब बातें मिथ्या हैं। 'बराहमिहिर' यह पूरा नाम एक विद्वान का है और इनको केवल बराह और

केवल मिहिर भी कहते हैं किन्तु बराह के पुत्र का नाम पृथुयशा था और बराह मिहिर ने शक ४२७ में पञ्चसिद्धान्तिका की रचना की है अतः वे दो सहस्र वर्ष के प्राचीन विक्रमादित्य के राजपण्डित नहीं हो सकते । इसी चरित्र में विक्रमादित्य जैसे धार्मिक राजा पर यह दोष लगाया गया है कि वे अपनी राजसभा में बराह की पुत्र-वधू को बुलाना चाहा था और इसी कारण उसकी जिह्वा काट कर हिंसा की गयी । साथही फलित और गणित ज्योतिष सम्बन्धी प्रश्नों की जो चर्चा हैं वे सब मूर्ख-वृन्द की कहावतों से भरी हैं ।

दूसरी कथा है लीलावती की । यद्यपि अनेक लोगों का यह भी मत है कि लीलावती भास्कराचार्य की कन्या थी तथापि यह मत मिथ्या सिद्ध हो चुका है । खेद की बात है कि सङ्ग्रहकर्ता महाशय ने भी 'गतानुगतिक' न्याय से दूसरों की देखा देखी भूल की है और लिखा है कि लीलावती भास्कराचार्य की कन्या थी । भास्कराचार्य के पाटी-गणित की जो पुस्तक है उसका नाम लीलावती है और जिस प्रकार सिद्धान्तकौमुदी और मनोरमा को भट्टोजी दीक्षित अपनी कन्या तुल्य-सन्तान मानते थे उसी प्रकार यदि लीलावती को भास्कराचार्य की कन्या मानलें तो होसकता है किन्तु वास्तव में लीलावती भास्करा-चार्य की कन्या न थी । लीलावती पुस्तक में प्रश्नोत्तर-रूप से गणित का बर्णन है । यदि भास्कराचार्य की ओर से प्रश्न और उनकी कन्या की ओर से उत्तर मानें तो भी अनुचित प्रतीत होता है

(१) राशिंवेत्सिहि चञ्चलाक्षि विमलां वाले विलोमक्रियाम् (व्यस्तविधि)

(२) वाले बालकुरङ्गलोलनयने लीलावति प्रोच्यताम् (परि-कर्माष्टक)

(३) कान्ते केतकिमालतीपरिमलप्राप्तैककालक्रिया (इष्टकर्म)

(४) प्रतिरणतिरणन्तं ब्रूहि कान्ते लिसङ्ख्याम् (मूलगुणक)

ऊपर के श्लोकों में आप देखेंगे कि चञ्चलाक्षि, बालकुरङ्गलोलनयने, कान्ते आदि शब्दों से सम्बोधन किया गया है क्या यह सम्भव है कि अपनी विधवा कन्या को कोई ऐसा सम्बोधन करे ? कदापि नहीं । अनेक लोगों का मत है कि लीलावती भास्कराचार्य जी की स्त्री थी, जो हो इसमें सन्देह नहीं कि लीलावती भास्करा-

चार्य की कन्या का नाम न था और उसका जो चरित्र लिखा गया है वह काल्पनिक है।

खना (रचना) और लीलावती की काल्पनिक कथाओं से एक बड़ी हानि यह भी है कि फलित ज्योतिष की असङ्गत कथा के कारण उस पर अनुचित आक्षेप हो सकता है।

यद्यपि सङ्ग्रहकर्ता महाशय का इस में अधिक दोष नहीं है तथापि इतना अवश्य ही मानना पड़ेगा कि विचारपूर्वक सङ्ग्रह करने में असावधानी की गयी है। हम आशा करते हैं कि द्वितीय संस्करण में ये हानिकर और काल्पनिक चरित्र निकाल दिये जायँगे।

रत्न पुस्तकावली की पुस्तकें

इस समय हमारे सम्मुख रत्नपुस्तकावली की ५ पुस्तकें हैं। लोकोक्तिसङ्ग्रह, चिह्नविचार, समासविवरण और काव्यप्रवेश, वाक्यविश्लेषण और पदपरिचय तथा हिन्दीरचना और आदर्श-निबन्ध। पुस्तकों का क्रम से मूल्य भी ≡), -), =)॥, ‒)। और ।=) ठीक ही है। प्रथम पुस्तक का विषय नामही से विदित होजाता है। अवश्य ही बालकों के लिये यह अधिक उपयोगी है। द्वितीय पुस्तक में चिन्हों का वर्णन है किस स्थान पर कौन चिन्ह देना चाहिये अथवा किस चिन्ह से क्या समझना चाहिये इस विषय को इस छोटी सी पुस्तक में भली भाँति बतलाया गया है। यह पुस्तक हिन्दी लेखकों के बड़ेही काम की है। हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तकों की अत्यन्त आवश्यकता थी क्योंकि चिन्हों के न जानने के कारण ही अनेक हिन्दी के सुलेखकों को भी उनके व्यवहार में भ्रम हो जाता है। अवश्य ही हिन्दी को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने के लिये यह पुस्तक भी एक साधन है। तृतीय पुस्तक भी अपने नाम के अनुसार गुण वाली है। कम से कम हमारे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिये यह बहुतही उपयोगी है। इस पुस्तक में साधारणतः समास और काव्य के उपयोगी छन्द अलङ्कार आदि विषयों का सङ्क्षिप्त-वर्णन बहुतही लाभदायक है। थोड़े परिश्रम से अधिक लाभ इस पुस्तक के पढ़ने से होसकता है। चतुर्थ पुस्तक छोटी होनेपर भी बड़े काम की है सरलरीति से इसमें वाक्यविश्लेषण और पद परिचय का उपदेश है। पुस्तक के

पढ़ने से योग्यता बढ़ने के अतिरिक्त विद्यार्थियों को शब्दज्ञान का आनन्द आये विना नहीं रहेगा। अवश्यही यह पुस्तक हिन्दी मिडल के विद्यार्थियों के लिये अधिक उपयोगी है। पाँचवीं पुस्तक सचमुच आदर्श निवन्ध और हिन्दीरचना का आदर्श ही है। विद्यार्थियों को इससे, अधिक लाभ की सम्भावना है। यद्यपि निवन्ध की अनेक पुस्तकें छपी हैं तथापि इसके समान उत्तम, दूसरी पुस्तक हमने अब तक नहीं देखी।

रत्नपुस्तकावली की पुस्तकें उत्तम निकल रही हैं और ऐसी ऐसी छोटी पुस्तकों की हिन्दीसंसार में अत्यन्त आवश्यकता थी। पुस्तकावली के सञ्चालकों को हम इस प्रकार के समयोपयोगी कार्य करने के लिये धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि रत्न-पुस्तकावली अपनी सङ्ख्या में दिनों दिन वृद्धि करने के साथही साथ हिन्दीसंसार की प्रेमभाजन बनेगी।

रामचरित मानस की विनय की टीका

(श्रीयुत बा० रामदासगौड़ एम० ए० लिखित)

हिन्दीभाषा के प्रचार प्रसार और विस्तार में रामचरित मानस जितना सहायक हुआ कम काव्य ग्रन्थ हुये होंगे। हिन्दी-संसार में जैसा यह लोकप्रिय और व्यापक है संसार की अन्य भाषाओं में कदाचित् ही कोई ग्रन्थ तुलना योग्य हो। हिन्दी को इस ग्रन्थ से सच्चा गौरव प्राप्त है और हिन्दी-भाषाभाषी मात्र को इसका गर्व होना अयुक्त नहीं है। मुद्रक इसके अगणित संस्करण निकाल कर धन और धर्म्म दोनों का निर्विघ्न सञ्चय कर रहे हैं। भक्ति का आनन्द लूटने वाले इसके बचनामृत में ही छक रहते हैं, आवृत्ति पर आवृत्ति करते हैं पर जी नहीं ऊबता। इसकी प्रसाद-गुण-प्रचुर उत्कृष्ट किन्तु सरल कविता पाठक को जहाँ सहज ही मोह लेती है, वहाँ कवि के भावों की अलौकिक गम्भीरता काव्य कोविदों को कहीं आनन्दमग्न कर देती है और कहीं उनके मस्तिष्क को चक्कर में डाल देती है। यही बात है कि इस ग्रन्थ पर छोटी मोटी सङ्क्षिप्त विवृति सब तरह की अनेक टीकायें हुई हैं। चतुर टीकाकार एवं कथा बाँचने वाले एक एक पद के बीस बीस अर्थ लगा कर और अगणित भाव दरसा कर भी तृप्त नहीं होते।

अच्छी टीकाओं में रामचरणदास और वैजनाथ की टीकायें मानस-रसिक अब तक आदर की दृष्टि से देखते आये हैं। अरसिक पाठक जो मानस के गम्भीराशयों के अवगाहन को विचार नहीं रखते, कवि के सद्भावों और अर्थों तथा कविता के सहज माधुर्य्य एवम् ओज की उपेक्षा करने वाले भट्ट प्रभृति उल्थाकारों से ही सन्तुष्ट रह जाते हैं। इन दोनों श्रेणियों की टीकाओं के होते हुये भी अब तक ऐसी टीका का सर्वथा अभाव था जिसमें भक्तों के अतिरिक्त विद्यार्थियों तथा साहित्यिकों की जिज्ञासा-तृप्ति के लिए भी पर्य्याप्ति सामग्री होती। बड़े हर्ष की बात है कि इस अभाव की पूर्त्ति का प्रयत्न मध्यप्रदेशीय शिक्षाविभाग के अवसर प्राप्त पण्डित विनायक राव जी ने की है और आपकी अपूर्व टीका संयुक्त मानस सुन्दर काण्ड तक प्रकाशित भी हो चुका है।

टीकाकार ने प्रायः मूल के साथ साथ कठिन पदों के अन्वय और साधारण सुबोध भाषा में अर्थ समझाते हुये जहाँ कहीं आवश्यकता प्रतीत हुई भावार्थ तथा कबिता की और अलङ्कार की बारीकियों को भी समझाया है। अन्य टीकाकारों ने विविध कवियों की उक्तियाँ तथा अन्य सद्ग्रन्थों के प्रमाण भी साथ ही साथ दिये हैं पर यह शैली उन पाठकों के लिये सुविधाजनक नहीं है, जो केवल पदार्थ वा भावार्थ जानना चाहते हैं। विनायकी टीका में कविता के प्रेमी इन बातों को प्रत्येक पृष्ठ पर विस्तृत टिप्पणियों में पायेंगे जिनमें काव्य के अङ्गों के पर्याप्त विवरण भी दिये गये हैं। बालकाण्ड के आदि ही में 'श्रद्धा' 'विश्वास' आदि शब्दों की ऐसी उत्तम व्याख्या हुई है कि कवि के गम्भीर भावों को समझने में पाठक को कठिनाई नहीं होती। तुलसीदास के अन्य ग्रन्थों तथा केशव, सूर, पद्माकर, रसखान, नानक, कबीर, सुन्दर आदि पुराने और लछिराम शङ्कर ललित, ब्रजचन्द आदि नये कवियों के कवितामृत का भी आनन्द इन टिप्पणियों में मिलता है जिनकी प्रचुरता अन्य टीकाओं में नहीं पायी जाती। यथास्थान गीता, पुराण-रामायण—महाभारत तथा संस्कृत के काव्य ग्रन्थों की समानोक्तियाँ भी दी गयी हैं। टीका का सौष्ठव इतने ही में समाप्त नहीं होता प्रत्येक काण्ड के अन्त में उस काण्ड के सम्बन्धी छन्दों का वर्णन, सङ्क्षिप्त पिङ्गल,

काव्य के अङ्गों की व्याख्या, रसों का वर्णन, कला भाग में जिन व्याधियों की चर्चा है उन सब का अलग अलग इतिहास, प्रसिद्ध गूढ़ पदों की व्याख्या, तथा रामायण के अन्य संस्करणों में साधारणतः प्रचलित समस्त क्षेपक भी पुरौनी (उपसंहार) में दिये गए हैं। विद्यार्थियों के उपकार के लिये स्मरण रखने योग्य ऐसी चौपाइयाँ और दोहे भी अन्त में चुनकर दे दिये हैं जिन्हें लोग साधारण बात चीत में कहावत की नाईं कह बैठते हैं। बालकाण्ड में टीकाकार की व्याख्याओं में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हम मौलिक कह सकते हैं। जैसे ४५ पृष्ठ पर। "सम प्रकाश तम पाख दुहु" की टिप्पणी आज कल के पाश्चात्य शिक्षा पाये हुये विद्यार्थी के लिये विशेषतः रोचक है। पुरौनी में भी इस पद पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सारिणी बना कर ऐसा स्पष्ट कर दिया है कि विद्यार्थी को पूरा सन्तोष हो जाता है। "मास दिवस कर दिवस भा" वाले दोहा की भी व्याख्या किसी टीकाकार ने सन्तोषजनक नहीं की है। हम को आशा है कि अगले संस्करण में टीकाकार महोदय इसकी पूर्त्ति भी करेंगे।

टीका सम्बन्धी जो जो विशेषतायें बालकाण्ड में दिखाई गयी हैं, अन्य काण्डों में भी वह सब मौजूद हैं। किष्किन्धा काण्ड में "उदित अगस्ति पन्थ जल शोषा" के प्रसङ्ग में "अगस्ति" शब्द पर आपकी टिप्पणी मौलिक है। ऋतुवों के वर्णन में खोज खोज कर अच्छी अच्छी समानोक्तियाँ दी हैं। निदान, साहित्य की दृष्टि से पाठक की रोचकता की सामग्री में किसी बात की त्रुटि नहीं रक्खी है। परीक्षार्थियों के लिये तो यह टीका वस्तुतः एक अमूल्य लाभ है।

इस टीका में जिस प्रकार अनेक गुण हैं उसी प्रकार मूल के विषय में हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि मूल-भाग की पाठ शुद्धता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। हमारे मत में इण्डियन प्रेस द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस का पाठ अनुकरणीय है। हमें आशा है कि आरण्यकाण्ड की नाईं अन्य काण्डों की दूसरी आवृत्ति भी शीघ्र छपेगी। ऐसी अच्छी टीका हाथो हाथ बिक जानी चाहिये। मेरी प्रार्थना, योग्य टीकाकार जीसे है कि अगले संस्करण में पाठ सुधार दें तथा रामायण की जगह नाम भी रामचरित

मानस ही रक्खें जो ग्रन्थकार का रक्खा हुआ है। ऐसी उत्तम टीका भी टीकाकार महोदय जिन दामों में दे रहे हैं वह भी इतनी ढङ्ग की और टीकाओं की अपेक्षा बहुत कम ही हैं। हमको पूरी आशा है कि रामचरितमानस के पण्डित तथा उसके पढ़ने वाले अत्यन्त अनभिज्ञ दोनों ही इस परिश्रम का पूरा आदर करेंगे। और इस सङ्ग्रह करने योग्य ग्रन्थ को बिना मँगाये न रहेंगे। जिनके कोर्स में रामचरितमानस है उन्हें तो बिना इस टीका के रहना न चाहिये। मिलने का पता—पं० विनायकराव जी, पेंशनर, लार्डगञ्ज, जबलपुर (मध्यप्रदेश) है।

——:o:——

सम्मेलन की स्थायीसमिति के छठवें अधिवेशन का कार्य्य विवरण।

स्थायी समिति का छठाँ अधिवेशन सम्मेलन-कार्य्यालय में मिति कार्तिक कृष्ण २ सं० १९७२ ता० २४ अक्टूबर सन् १९१५ ई० को सन्ध्या के ५ बजे हुआ। निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे।

१ पण्डित श्रीकृष्ण जोशी
　　" श्रीधर पाठक
　　" द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी
　　" रामजीलाल शर्मा
　　" इन्द्रनारायण द्विवेदी
　　" लक्ष्मीनारायण नागर
　　" कृष्णराव नारायण लघाटे
बाबू भगवानदास हालना
　　" नवाबबहादुर
　　" पुरुषोत्तमदास टण्डन
　　" व्रजराजबहादुर

सभापति की अनुपस्थिति में (पं० श्रीधर पाठक जी देर कर आये थे। अतः उपसभापति पण्डित श्रीकृष्ण जोशी ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

१—आयव्यय उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

२—आयव्यय-निरीक्षक बाबू गौरीशङ्करप्रसाद ने आयव्यय लिखे जाने की रीति के विषय में अपना जो मत प्रकाश किया था उस पर बहुत विचार हुआ, बहुमत से निश्चय हुआ कि "यदि बहियों में कहीं भूल सुधारी जाय तो वहाँ पर सहायक मन्त्री अथवा किसी और मन्त्री का हस्ताक्षर हो जाया करे"।

शेष बातों के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निश्चित हुआ कि जिस प्रकार हिसाब लिखा जाता है उसी प्रकार रक्खा जाय।

३—षष्ठ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के निर्वाचन के विषय में विचार हुआ। पत्र द्वारा आयी हुई स्थायीसमिति के सभासदों और सम्बद्धसभाओं और स्वागत-कारिणी-सभा की सम्मतियों तथा उपस्थित सभासदों की सम्मतियों की गणना करके सभापति के पद के लिए पाँच नामों की सूची बनायी गयी।

४—पण्डित इन्द्रनारायण द्विवेदी ने अपना प्रस्ताव जिसकी उन्हों ने सूचना दी थी वापस लेलिया इस कारण उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता न रही।

५—सभापति को धन्यवाद दे कर बैठक समाप्त हुई।

सम्मेलन की स्थायीसमिति के सातवें अधिवेशन का कार्यविवरण

पञ्चम-सम्मेलन के १४ वें मन्तव्य के अधिकार से स्थायी-समिति का विशेष अधिवेशन मि० कार्त्तिक, शुक्ल ६ सं० १९७२ ता० १२ नवम्बर सन् १९१५ ई० को सन्ध्या समय ५॥ बजे सम्मेलन कार्य्यालय में हुआ। निम्न-लिखित सदस्य उपस्थित थे—

पं० श्रीधर पाठक
पं० श्रीकृष्ण जोशी
पं० कृष्णकान्त मालवीय
पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी
पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल
पं० चन्द्रशेखर शास्त्री

पं० रामजीलाल शर्मा
पं० लक्ष्मीनारायण नागर
पं० कृष्णरावनारायण लँघाटे
बा० ब्रजराजबहादुर
बा० नवाब बहादुर
बा० भगवानदास हालना

पं० श्रीधर पाठक ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

प्रथम इस बात पर दुःख प्रकट किया गया कि स्वागत-कारिणी समिति के सम्मुख ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं जिससे स्थायी समिति को यह विशेष अधिवेशन करने की आवश्यकता पड़ी। स्वागतकारिणी-समिति का वह पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उसने स्थायी-समिति से सम्मेलन का समय बदल देने की प्रार्थना की थी। ऐसे समय में जब कि सम्मेलन होने को केवल तीन चार दिन ही शेष रह गये थे और स्थान स्थान पर हिन्दी-प्रेमी सम्मेलन में जाने को तैयार थे सम्मेलन का समय बदलना कदाचित एक ऐसी बात थी जिसे साधारणतः सम्मेलन के प्रेमी पसन्द न करते पर स्वागतकारिणी समिति की कठिनाइयों को देखते हुये यही उचित प्रतीत होता है कि सम्मेलन का समय बदल दिया जावे। सर्व सम्मिति से यही निश्चय हुआ कि सम्मेलन पूर्व निश्चित तिथियों अर्थात् मि० का० शु० ६, १०, ११, ता० १५, १६, १७ नवम्बर को न होवे।

मोहर्रम के बाद बड़े दिन के सिवाय और कोई लम्बी छुट्टियों के न होने के कारण यही निश्चय हुआ कि सम्मेलन बड़े दिन की छुट्टियो में ही हो। बड़े दिन पर होनेवाली काङ्ग्रेस, सभा समितियां इत्यादि का विचार करने से ठीक तिथियाँ निश्चित करने में कुछ कठिनता हुई। इस दृढ़ आशा पर कि हिन्दी प्रेमी सौ काम छोड़ कर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में योग देंगे तथा सब प्रकार की सुविधा असुविधा का विचार करके यह निश्चय हुआ कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की तिथियाँ पौष कृष्ण ८, ९ और १० तदनुसार ता० २९, ३० और ३१ दिसम्बर रक्खी जावें (उपस्थित सभासदों में से केवल एक उदासीन और शेष सब इन्हीं तिथियों के पक्ष में थे)।

सभापति को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

सम्मेलन की स्थायीसमिति के आठवें अधिवेशन का कार्य्यविवरण

स्थायीसमिति का सातवां अधिवेशन जो सम्मेलन-कार्य्यालय में मि० मार्गशीर्ष शुक्ल ६ सं० १९७२ को होनेवाला था, विशेष सभासदों की अनुपस्थिति के कारण उस दिन न होकर दूसरे दिन अर्थात् मि० मार्गशीर्ष शुक्ल ७ सं० १९७२ ता० १३ दिसम्बर सन् १९१५ ई० को सन्ध्या समय ५ बजे सम्मेलन-कार्य्यालय में हुआ। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

पं० श्रीकृष्ण जोशी
पं० रामजीलाल शर्मा
पं० लक्ष्मीनारायण नागर
पं० चन्द्रशेखर शास्त्री
पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी
पं० कृष्णराव नारायण लँघाटे
पं० कृष्णकान्त मालवीय
पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल
रायबहादुर बा० लालबिहारीलाल, सतना
बा० नवाबबहादुर
बा० व्रजराजबहादुर
बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन

पं० श्रीकृष्ण जोशी जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

यो तो कार्य्यक्रम के अनुसार सब से प्रथम अन्यविषयों पर जो उस दिन के लिये निश्चित थे विचार होना था परन्तु सम्मेलन की निश्चिततिथियों अर्थात् ता० २९, ३०, ३१ दिसम्बर को बदल कर ता० ३१ दिसम्बर १९१५ व ता० १, २ जनवरी नियत करने का स्वागत-कारिणी समिति का प्रस्ताव उपस्थित होने के कारण यही विषय सब से अधिक आवश्यक जान पड़ा इसलिये सब से प्रथम इसी पर विचार हुआ। स्वागत कारिणी-समिति का निम्नलिखित पत्र और तार पढ़ा गया।

पत्र यह था ।

श्रीमन्तः—

अन्तरङ्ग सभा ता० २२—८—७२ में निश्चय हुआ कि ३१ दिसम्बर १९१५ ई० और ता० १, २ जनवरी १९१६ ई० के दिनों में सम्मेलन का उत्सव किया जावे इसकी सूचना स्थायी समिति को दी जावे ।

भवदीय

राजाराम महामन्त्री

तार जो ता० १३ को आया वह यह था ।

Only appropriate dates for successful meeting here 31 to second January hope standing committee will agree else meeting here not possible.

Raja ram.

अर्थात्—यहाँ सम्मेलन सफलतापूर्वक होने के लिये केवल ३१ दिसम्बर से दूसरी जनवरी तक येही तारीखें ठीक होसकती हैं हम आशा करते हैं कि स्थायी-समिति इसे स्वीकार करेगी अन्यथा यहाँ सम्मेलन होना सम्भव नहीं ।

राजाराम

इस पत्र और तार के पढ़े जातेही उपस्थित सदस्यों में एक प्रकार की सनसनी फैलगयी। एक बार स्वागत-कारिणीसमिति के अनुरोध करने पर स्थायीसमिति ने सम्मेलन का समय टाल दिया अब फिर वही प्रस्ताव। अब लोगों को सचमुच ही इस में सन्देह होने लगा कि सम्मेलन लाहौर में सफलता पूर्वक हो क्योंकि नयी तारीखें अर्थात् ३१ दिसम्बर व ता० १, २ जनवरी चाहे लाहौर वालों के लिये ठीक हों परन्तु बाहर वालों के लिये वे कदापि ठीक नहीं हो सकतीं क्योंकि लगभग सभी दफ्तर इत्यादि बड़े दिन की छुट्टीयों के पश्चात् ता० २ या अधिक से अधिक ३ जनवरी को खुलजाते हैं फिर स्थायी-समिति के लिए यह कितने अपमान की बात है कि बारम्बार वह समय बदले और फिर भी सम्मेलन को सफलता प्राप्त होने की आशा न हो । सर्वसम्मति से यही निश्चय हुआ कि समय नहीं बदला जा सकता ।

सम्मेलन के २१ वें नियम के अनुसार वार्षिक सम्मेलन का समय स्थायी-समितिद्वारा निश्चित होना चाहिये और लाहौर के सम्मेलन के लिये जो समय उस नियम के अनुसार निश्चित किया गया था उसको वहाँ की स्वागत-कारिणीसमिति के अनुरोध से छोड़ कर २६, ३०, ३१ दिसम्बर नियत किया गया। उस समिति की अन्तरङ्ग सभा ने बिना स्थायीसमिति से परामर्श किये उस समय को भी टाल कर ३१ दिसम्बर और १, २ जनवरी सन् १९१६ ई० निश्चित करके सूचना मात्र स्थायीसमिति को दी। आगे निर्दिष्ट किये हुये कारण से अन्तरङ्ग सभा के नियत किये हुये समय को स्थायीसमिति उपयुक्त नहीं समझती इस लिये श्रीयुतप्रोफ़ेसर व्रजराजबहादुर बी० एस० सी०, एल एल० बी० ने निम्निलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया—

"स्वागतकारिणी-समिति के सुभीते के लिये एक वार समय टाल कर ता०२६, ३०, ३१ दिसम्बर सम्मेलन की तिथियाँ निश्चित की गयीं। इन तिथियों के निश्चित करने के पूर्व स्वागतकारिणी समिति से भी पूछा गया था कि वह कौन सी तिथियाँ चाहती है इस पर उसने कहा कि वह कोई तिथि नहीं दे सकती इस पर उपर्युक्त तिथियाँ निश्चित कर ली गयीं। अब सम्मेलन की तिथियाँ स्थायी-समिति फिर फिर नहीं बदल सकती क्योंकि एक तो दुबारा समय बदलना सर्वथा अनुचित है फिर ता० ३१ दिसम्बर व १, २ जनवरी किसी के लिये अच्छी तारीखें नहीं हो सकतीं क्योंकि ता० २ जनवरी के पीछे कोई छुट्टी नहीं है जिससे बाहर से आये हुये सज्जन समय पर अपने घर पहुंच कर अपने कार्य्य में लग सकें अतः स्थायीसमिति के बिचार में स्वागतकारिणी समिति अब इन्हीं पूर्व निश्चित तिथियों अर्थात् ता० २६,३०,३१ दिसम्बर को सम्मेलन करे। उत्तर अधिक से अधिक ता० १६ तक आजाना चाहिये। यदि स्वागतकारिणी समिति पूर्व निश्चित तिथियों पर सम्मेलन करना स्वीकार न करे या ता० १६ तक उत्तर न दे तो स्थायीसमिति का मन्त्रिमण्डल तुरन्त इस बात को प्रकाशित करदे कि आगामीसम्मेलन लाहौर में नहीं होगा और एक उपसमिति तुरन्त पूर्व निश्चित तिथियों पर स्थायी समिति की ओर से प्रयाग में

सम्मेलन करने का प्रबन्ध करे। उपसमिति के संयोजक श्रीयुत पं० लक्ष्मी नारायण नागर बी०ए०, एल.एल०बी० वकील हाईकोर्ट और सदस्य संयोजक के अतिरिक्त निम्नलिखित सज्जन हों—

श्रीमान पं० श्रीकृष्ण जोशी
,, पं० कृष्णराव नारायण लँघाटे बी. ए. एल.एल.बी०
,, पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी
,, रायबहादुर बा० लालबिहारीलाल, सतना
,, बा० नवाबबहादुर
,, प्रोफ़ेसर ब्रजराजबहादुर बी.एस.,सी.एल.एल.बी.
,, बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन एम०ए०एल.एल० बी०

उपसमिति शीघ्र ही सभापति के पद के लिये किसी सज्जन को निश्चित करने का प्रबन्ध करे और सब ठीक करके नाम प्रकाशित करदे।

श्रीयुत पं० कृष्णरावनारायण लँघाटे बी० ए०, एलएल० बी०, महोदय ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

२—आयव्यय का लेखा उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ

३—नियमावली संशोधन पर विचार हुआ और सर्वसम्मति से कुछ नये नियम और जोड़े गये तथा कुछ परिवर्त्तन किया गया जो प्रकाशित किया जायगा।

सभापति को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

———o———

हिन्दी-संसार

प्रान्तीय सम्मेलन

हर्ष का विषय है कि आगरा प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन श्रीमान् पण्डित श्रीधर पाठकजी के सभापतित्व में १० और ११ आक्टोबर को सकुशल हो गया। प्रान्तीय सम्मेलनों के सम्बन्ध में विचारणीय विषय निम्न लिखित हैं—

(१) प्रान्तीय सम्मेलनों के कार्यालय स्थायी होंगे या अस्थायी?

(२) सम्मेलन के साथ प्रान्तीय सम्मेलनों का कैसा सम्बन्ध होगा? क्या वे प्रधान सम्मेलन की शाखा समझे जाँयगे।

हिन्दी में विज्ञान

बड़ोदा कलाभवन के प्रोफेसर श्रीमान् लक्ष्मीचन्द जी एम. ए. एस. सी. एल. सी. एस., एम्. एस्. टी. महाशय हिन्दी में विज्ञान की १००० पुस्तकों के निकालने का उद्योग कर रहे हैं। इतना ही नहीं आप हिन्दी विज्ञान विश्वविद्यालय भी खोलना चाहते हैं। अवश्य ही आपका उद्योग प्रशंसनीय है किन्तु यदि आप विज्ञान परिषद् प्रयाग के साथ अथवा हिन्दू-विश्वविद्यालय के साथ काम करते तो अधिक सफलता की आशा थी क्योंकि हमारे देश में हिन्दी में विज्ञान की पुस्तकों की जितनी बड़ी आवश्यकता है उससे कम आवश्यकता मिल के काम करने की नहीं है।

हिन्दीपुस्तकालय और हिन्दीसभा

भारतमित्र (मार्ग कृष्ण) में हमें यह पढ़कर आनन्द हुआ है कि रङ्गून में एक 'हिन्दीपुस्तकालय' खोला गया है। पुस्तकालय-समिति के सभापति हैं पण्डित रामगोविन्द पाण्डेय और मन्त्री हैं पं० भगवानदीन दुबे। पुस्तकालय रङ्गून नं० ११७ के गाण्डेट स्ट्रीट में हैं और इसके जन्मदाताओं में बाबू मथुरा सिंह कण्ट्राकृर अधिक धन्यवाद के पात्र हैं।

कलकत्ता समाचार (का० कृ० १ शनिवार) में यह समाचार पढ़कर हमें हर्ष हुआ है कि चित्रकूट में हिन्दी-प्रचारिणी सभा और चित्रकूटपुस्तकालय अभी हाल ही में खुला है। और उनके संरक्षक के पद को वहाँ के श्रीमान् युवराज चौबे गोविन्द प्रसाद जूदेव ने स्वीकार कर लिया है और ८३५) रु० का चन्दा भी हो गया है।

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि देहरादून में भी कार्तिक शु० २ सोमवार को एक नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित हो गयी है और उसके पाक्षिक अधिवेशन में (२०। ११। १५ को) एक हिन्दी पुस्तकालय भी खोल दिया गया है उसी दिन १५०) रु० नगदी और ६१ पुस्तकों की सहायता मिली है। इस समय पुस्तकालय के लिये स्थान लाला अनिरुद्ध कुमारजी ने दिया है। सभा के मन्त्री हैं श्रीयुत पं० अमरनाथ जी औदीच्य अवश्यही देहरादून जैसे शहर

में यह अत्यन्त आवश्यक कार्य था जिसके करने के लिये हम सभा के संस्थापकों को बधाई देते हैं।

सभा की रजिस्ट्री

सुना गया है कि तुलसीस्मारक सभा (राजापुर) की रजिष्ट्री हो गयी है। सभा के प्रधान हैं कर्वी (ज़िला बाँदा) के सब डिवि-जनल आफिसर मिस्टर पन्नालाल जी महोदय। सभा के हाँथ में एक हिन्दीपुस्तकालय भी है हम आशा करते हैं कि सभा राजापुर में हिन्दीपुस्तकालय की उन्नति करके तुलसीस्मारकत्व का परि-चय देगी। यह भी सुना गया है कि सभा की बैठक ता० ६ दिस-म्बर को होने वाली थी। कुछ दिन पहले इस विषय पर विवाद हो रहा था कि स्मारक के लिये पुस्तकालय आदि की स्थापना राजापुर में हो या कर्वी में। देखें सभा इस विषय में क्या निर्णय करती है।

——o——

दक्षिणअफ्रीका में हिन्दीसाहित्य-सम्मेलन

प्रधानमन्त्री हिन्दीसाहित्यसम्मेलन, प्रयाग।

प्रियवर महाशय जी। मैंने आपको एक पत्र में लिखा था कि श्रीयुत लालबहादुरसिंहजी यहाँ के प्रतिनिधि रूप से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में सम्मलित होंगे पर शोक के साथ कहना पड़ता है कि कई एक कारणवश उक्त महाशय नहीं जा सके। आशा है कि आप क्षमा करेंगे।

यहाँ पर धूमधाम के साथा हिन्दी भाषा का प्रचार किया जा रहा है। निम्न लिखित स्थानों पर हिन्दीप्रचारिणी सभायें आज तक स्थापित हो चुकी हैं। (१) ट्रांसवाल (२) डेनहाऊसर (३) हार्टिङ्गस्प्रुट (४) गलंको जंकशन (५) लेडी स्मिथ (६) क्लेरस्टेट (७) वर्न|साइड। निम्न लिखित स्थानों पर हिन्दी पाठ शालायें कायम की गयीं हैं। (१) जर्मिस्टन (२) प्रिटोरिया (३) न्यूकासल (४) डेनहाउसर (५) हार्टिङ्गस्प्रुट (६) गलंको जंक-शन (७) लेडी स्मिथ (८) वर्नसाइड (९) क्लेरस्टेट।

आप को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि ता० ३१ अक्टूबर को "दक्षिण आफ्रिकीय हिन्दीसाहित्यसम्मेलन" की मैंने स्थापना की जिसमें दक्षिणअफ्रिका की समस्त हिन्दीप्रचारिणी सभायें

और हिन्दी पाठशालाएं सम्मिलित की गयीं। यह सम्मेलन आपके सम्मेलन के आदर्श पर काम करेगा।

क्लेरस्टेट में हिन्दीआश्रम बन गया। हिन्दीविद्यालय और हिन्दी पुस्तकालय खुल गया। हिन्दीयन्त्रालयभवन तय्यार हो चुका। हिन्दी टाइप भी आ गया। मशीन हो जाने पर 'हिन्दी,, पत्र निकलने लगेगा। यदि "सम्मेलनपत्रिका" में प्रकाशित करने के लिये हिन्दीआश्रमसम्बन्धी चित्र चाहेंगे तो आपकी सेवा में भेजने का प्रबन्ध किया जायगा।

आपका उत्तराभिलाषी
भवानी दयाल
प्रिन्सपल हिन्दी आश्रम
और
प्रधान मन्त्री, दक्षिण अफ्रिकीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन।

——:o:——

सम्पादकीय विचार

सम्मेलन

सम्मेलन की स्थायीसमिति का एक अधिवेशन का० कृ० २ रविवार को हुआ था और उसमें जो कार्यावाही हुई थी उसका विवरण आप अन्यत्र पढेंगे। स्वागतकारिणी-समिति (लाहौर) के प्रार्थना पत्र आने पर स्थायी-समिति को पञ्चम सम्मेलन के १४ वें मन्तव्य के अनुसार कार्तिक शु० ६ शुक्रवार को अपना एक विशेष अधिवेशन करना पड़ा और उसका भी कार्य विवरण इसी अङ्क में आप अन्यत्र पढेंगे। इस अधिवेशन में षष्ठहिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का समय मुहर्रम की छुट्टियों के बदले बड़े दिन की छुट्टियों में पौष कृष्ण ८, ९ और १० को करना निश्चित हुआ है। यद्यपि इतना थोड़ा समय रह जाने पर समय का बदलना मेरे विचार में सम्मेलन की सफलता में बाधक हो तो आश्चर्य नहीं तथापि स्वागतकारिणी समिति की कठिनाइयों पर ध्यान देकर स्थायी समिति को समय बदलने के अतिरिक्त दूसरा सरल मार्ग ही न था। अस्तु समय के सम्बन्ध में मैं लिखचुका हूं कि सभापति के विचार से समय का

निर्वाचन अधिक उत्तम होगा यदि अबभी समय बदलने से सभा-पति का निर्वाचन यथोचित रूप से हो जाय और सम्मेलन का अधिवेशन अधिक नहीं तो अपने गत अधिवेशनों की सी सफलता भी प्राप्तकर सके तो कोई हानि नहीं। हम आशा करते हैं कि स्वागत कारिणी समिति अब इतना अवकाश पाजानेपर अपने सभी कार्यों को शीघ्रता से करने में अधिक उद्योग करेगी। और किसी को उसके ऊपर आलस्य आदि का आक्षेप करने का समय न मिलेगा।

परीक्षासमिति

परीक्षासमिति के वर्तमान वर्ष के प्रश्नपत्र गताङ्क में छप चुके हैं उन पर व्यवस्थापकों की सम्मतियाँ और उत्तर पुस्तकों पर परीक्षकों की सम्मतियाँ इस अङ्क में दी गयी हैं। परीक्षासमिति की नियमावली न पढ़ने के कारण किन्हीं व्यवस्थायकों को भ्रम हुआ है कि कदाचित् प्रश्नपत्रों के सरल एवं कठिन बनाने के लिये संशोधकसमिति की आवश्यकता है किन्तु यह कार्य परीक्षा-समिति ने स्वयम् अपने हाथों में रक्खा है और यथासम्भव इस ओर समिति का ध्यान भी है। अवश्यही किसी भी कार्यमें प्रारम्भिक त्रुटियाँ हुआ ही करती हैं किन्तु परीक्षा जैसे कठिन विषय के प्रबन्ध में परीक्षा समिति जैसा सुन्दर प्रबन्ध अल्प समय में करके सफलता प्राप्त की है वह आशाप्रद और प्रशंसनीय है इसके लिये हम भूत पूर्व संयोजक बाबू रामदासजी गौड़ एम०ए और वर्तमान संयोजक बाबू व्रजराज बहादुर जी बी०एस० सी० को जितना धन्यवाद दें थोड़ा है।

पदक

पञ्चमअधिवेशन के प्रतिज्ञातपदकों की सूची गत किसी अङ्क में दी जा चुकी है उन में से अनेक महाशयों के पत्र और पदक के लिये द्रव्य आगये हैं हम आशा करते हैं कि शीघ्रही अन्यान्य महाशय भी अपनी प्रतिज्ञानुसार पदक या द्रव्य भेजने की कृपा करेंगे जो अब तक किसी कारणवश न भेज सके होंगे।

उपसमितियाँ

यद्यपि एक दहाई के ऊपर समितियों की सङ्ख्या है और वे

अपना अपना कार्य करें तो हिन्दी की आशातीत उन्नति हो सकती है तथापि दो एक उपसमितियों के अतिरिक्त सभी के पट बन्द दिखाई देते हैं। जिस प्रकार हमारी गवर्नमेन्टें उपसमितियाँ बनाकर किसी महत्वपूर्ण आन्दोलन के शान्त करने में सिद्धहस्त हैं और उनके द्वारा हमें आजतक वास्तविक कार्य होते दिखाई नहीं दिया, उसी प्रकार सम्मेलन ने भी उपसमितियाँ बनाकर अनेक महत्वपूर्ण विषयों के लाभ से हाँथ धोया है अवश्यही किसी कार्य के करने के लिये उपसमितियों की आवश्यकता होती है परन्तु उपसमिति बना कर उसके द्वारा काम करने ही पर उसका बनाना उचित है अन्यथा हानिही का भय रहता है और दो चार उपसमितियों की अकर्मण्यता से उपसमिति के सङ्गठन से भी लोगों की श्रद्धा हट जाती है अतएव मेरी प्रार्थना है कि सम्मेलन और उपसमितियां के संयोजकगण इस ओर ध्यान दें तथा अपनी अपनी उपसमितियां को कार्य में लगा के सुयश के भागी बनें।

छोटे लाटों का हिन्दीभाषण

अभी हालही में पञ्जाब के छोटेलाट सर माइकेल ओडायर महोदय ने मुजफ्फ़रनगर के मेमोरियल हाल में साठ सरकारी कर्मचारियों और रईशों को एकत्र कर हिन्दी भाषा में वक्तृता दी है। और मार्गशीर्ष कृष्ण ९ बुधवार को ख़ुसरोबाग (प्रयाग) में आगरा प्रान्तीय जमीनदार-सभा में हमारे प्रान्त के छोटे लाट सरजेम्स मेष्टन महोदय ने भी अपना व्याख्यान हिन्दी में दिया है। इस सभ के ४६२ जमीनदार मेम्बर और राजाराघवेन्द्रप्रसाद नारायणसिंह बहादुर मन्त्री एवं बाबू जयविजयनारायणसिंह उपमन्त्री हैं। क्या हमारी प्रान्तिक कांग्रेस कमेटियाँ इन गवर्नमेण्ट के हिन्दी-भाषण से शिक्षा ग्रहण करेंगी और देखेंगी कि ज़मीनदारों और सर्वसाधारण के ऊपर किस भाषा की प्रभुता है। हमें दुःख है कि जमीनदार सभा फिर भी अपनी रिपोर्टें अङ्गरेज़ी और उर्दू में ही छपाना उचित समझती है। हम आशा करते हैं कि मन्त्री और उपमन्त्री महोदय छोटे लाट महोदय के भाषण से शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे से अपनी कार्यवाहियों में हिन्दी को भी स्थान देने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद के पात्र

श्रीयुत सेठ जगन्नाथ झुनझुनवाला रानीगञ्ज (बङ्गाल) समस्त हिन्दी-प्रेमी जनों के धन्यवाद के पात्र हैं। आपने भारतमित्र की सम्मति पर सहमत होकर प्रकट किया है कि जो हिन्दी प्रेमी सज्जन लाहौर के सम्मेलन में जाना चाहें और आर्थिक कठिनाई से उनके जाने में बाधा हो उनके लिये वे थर्ड क्लास का रेलभाड़ा जाने आने का देंगे और यदि वे स्वयं सम्मेलन में उपस्थित हो सकेंगे तो उन सज्जनों को जो उनकी सहायता से सम्मेलन में जाँयगे अपने डेरा में ठहरने के लिये स्थान और भोजनादि का भी यथोचित प्रबन्ध कर देंगे। अवश्यही ऐसेही ऐसे नररत्नों की उदारता पर हमारी हिन्दी की उन्नति की आशा निर्भर है।

प्रत्यालोचना

मिश्रबन्धुविनोद की आलोचना करते हुये श्रीयुतमयाशङ्कर जी बी०ए० महाशय ने मर्यादा (भाग १० सं० ३) में आलम कवि के सम्बन्ध में लिखा है कि "ऊपर के दिये हुये छन्दों से जो हमने 'माधवानल कामकन्दला' नामक ग्रन्थ से उद्धृत किये हैं, आलम का समय ९९१ हिजरी (सन्) अर्थात् संवत् १६३० तथा सन् १५७३ है, अवश्यही समालोचक महाशय समालोचना करते हुये भ्रम में पड़ गये हैं। क्योंकि आलम का समय यदि 'माधवानल कामकन्दला, के छन्दों के अनुसार ९९१ हिजरी सन् है तो विक्रम संवत् १६३० और ई० सन् १५७३ कभी नहीं हो सकता। विक्रम संवत् और ईशवीय सन् की गणना सौरमान से होती है और हिजरी सन् की चान्द्रमान से। लगभग ३३ वर्ष में दोनों मानों में १ वर्ष का अन्तर पड़ जाता है किन्तु समालोचक जी ने लिखते समय देखा कि हिजरी सन् १३३३ और विक्रम संवत् १९७२ है तथा दोनों का अन्तर ६३९ है अतएव "माधवानल कामकन्दला" वाले ९९१ हिजरी सन् में ६३९ जोड़ कर उस समय का विक्रम संवत् १६३० लिख डाला। मेरे विचार में लगभग ११ वर्ष की अशुद्धि समालोचक के विक्रम संवत् और ई० सन् में होगी।

सरस्वती और सम्मेलन

हिन्दी भाषा की मासिकपत्रिकाओं में साहित्य की दृष्टि से 'सरस्वती' का स्थान प्रथम है। हमें आश्चर्य है कि सरस्वती देवी अपने साहित्य-सम्मेलन की चर्चा करने की कृपा कभी नहीं करती। जब तक कारण ज्ञात न हो हम उसके माननीय सम्पादक महोदय से यही कहेंगे कि अपने करकमलों से कभी कभी सम्मेलन की भी सहायता करने की कृपा करें।

आयुर्वेद महामण्डल और हिन्दी

महामण्डलकी ओर से आयुर्वेद की परीक्षायें भी होती हैं। २२ आक्टोबर के श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार में हमें यह पढ़ कर आश्चर्य हुआ है कि आयुर्वेदविद्यापीठ की पाठ्यप्रणाली का नियम है कि "हिन्दी में उत्तर लिखने वालों को प्राकृतवैद्य नामक उपाधियाँ दीजाया करेंगी"। समझ में नहीं आता कि विद्यापीठ के सञ्चालकों ने अपने मण्डल के अधिकांश कार्यों को हिन्दी में ही होते हुये देख कर भी अपने यहाँ से उपाधि के विषय में हिन्दी का बहिष्कार करना क्यों उचित समझा है। हिन्दी के परीक्षार्थियों को प्राकृति की उपाधि देना उचित नहीं जब कि इस समय दोनों भाषायें पृथक् पृथक् और स्वतन्त्र हैं।

६००० हिन्दी पुस्तकों का दान

साप्ताहिक श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचार (२२-१०-१५) में यह पढ़ कर हमें हर्ष हुआ है कि श्रीवेङ्कटेश्वरप्रेस (बम्बई) के स्वामी श्रीयुत सेठ खेमराज जी ने युद्धस्थल में गये हुये योद्धाओं के लिये २०००) मूल्य की ६००० हिन्दी पुस्तकों का दानकिया है। अवश्यही सेठजी की उदारता से युद्धस्थल में भी हिन्दी-प्रेमी योद्धाओं को अपनी मातृभाषा की पुस्तकों से अतीव आनन्द प्राप्त होगा।

ब्राह्मणराय पत्रिका

लाहौर में भाटजाति के लोगों की एक ब्राह्मणरायसभा है। उसकी ओर से भाटजाति की उन्नति के लिये प्रशंसनीय उद्योग होरहे हैं। पत्रिका में अनेक लेख ऐसे भी नि ले हैं जिनमें महर्षि वाल्मीकि

से लेकर, चन्दवरदायी--सूरदास--केशवदास--पद्माकर आदि कविरत्नों तक को अपनी जाति में सिद्ध करने की चेष्टा की गई है, जो हो इससे हमसे प्रयोजन नहीं है कि उक्त कविरत्न गण किस जाति के थे किन्तु हमारा कथन केवल यही है कि प्राकृत के स्थान पर हिन्दी को स्थापन करने वाले कविरत्नों को जो सभा अपनी जाति के होने का अभिमान करती है वह इस हिन्दी के साम्राज्य के समय में अपनी पत्रिका उर्दू में निकालने से क्या लाभ समझती है, अवश्यही इस समय प्रायः सभी जातीयपत्र हिन्दी में ही निकल रहे हैं क्या भाटजाति सभा भी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेगी?।

शोचनीय घटना।

ता० १३ दिसम्बर सन् १९१५ ई० को स्वा० कारिणी सभा लाहौर के प्रधान मन्त्री पं० राजारामजी का तार और पत्र पढ़कर स्थायी-समिति ने अपना एक विशेष अधिवेशन मि० मार्ग शीर्ष शुक्ल ७ सं० १९७२ को किया और उसकी कार्यवाही से आपको प्रकट होगा कि स्थायी समिति को कालचक्र ने किस कठिन समस्या के हल करने में डाल दिया है। परिणाम यह हुआ कि ता० १६-१२-१५ तक लाहौर से जो तार अथवा पत्र आये उनसे यही निश्चय करना पड़ा कि सम्मेलन का अधिवेशन लाहौर में न हो कर प्रयाग ही में होगा। अवश्यही इस शोचनीय घटना से हिन्दीसंसार में बड़ी हलचल मच गयी परन्तु स्थायीसमिति की उपसमिति विशेष कर उसके संयोजक पं० लक्ष्मीनारायण नागर और बाबू नवाबबहादुर जी जिस योग्यता से काम कर रहे हैं उससे आशा की जाती है कि प्रयाग में षष्ठ हिन्दी साहित्यसम्मेलन इस स्वल्प दिनों की तैयारी में भी सफलता के साथ होगा।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इसलिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इस में प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र, पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री सम्मेलन कार्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

१ पृष्ठ, आधा पृष्ठ और चौथाई पृष्ठ के

कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहिये।

सम्मेलन-कार्य्यालय की नयी और अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें

नागरी अंक और अक्षर

इस ग्रन्थ में अङ्कों और अक्षरों की उत्पत्ति पर जो बड़े गवेषणा पूर्ण लेख प्रथम और द्वितीय सम्मेलन में पढ़ेगये थे, सङ्कलित हैं। हिन्दी में ऐसी दूसरी पुस्तक है ही नहीं। मूल्य ≡)

इतिहास

यह ग्रन्थ पं० विष्णुशास्त्री चिपलूणकर के प्रसिद्ध निबन्ध का अनुवाद है। मध्यमा के पाठ्य ग्रन्थों में होने के अतिरिक्त यह अत्यन्त रोचक भी है। इतिहास का वास्तविक महत्व इससे जाना जा सकता है। मूल्य ≡)

अन्य पुस्तकें

प्रथम वर्ष का विवरण	।)	हिन्दी का सन्देश	-)
द्वितीय वर्ष ,,	।)	इतिहास	≡)
तृतीय वर्ष ,,	।=)	नागरी अङ्क और अक्षर	≡)
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला	॥।)	सौ अजान और एक सुजान	।=)
द्वितीय ” ”	१)	पिङ्गल का फलक (प्रथमा के लिये)	-)
तृतीय ” ”	॥।)		
चतुर्थ ” ”	॥।)	गद्यकाव्यमीमांसा	।)
पञ्चम ” ”	॥)	ऊजड़ग्राम	।)
नीतिदर्शन ”	॥।)	विवरणपत्रिका १९७३ (तैयार है) डाकव्यय सहित	=)॥
लाजपतराय की जीवनी	१)		

मन्त्री—हिन्दी साहित्य-सम्मेलन कार्यालय।

प्रयाग

पं० ओङ्कारनाथ वाजपेयी के प्रबन्ध से ओंकार प्रेस प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से श्रीनारायणसिंह द्वारा प्रकाशित।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ३ } पौष माघ संवत् १९[illegible] { सं० ४,५

विषय-सूची

वा० मू० ।)]　　　　[मू० ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्रसम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि-तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समि-ति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दीभाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जायँ उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता कर और साहित्य प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३ } पौष संवत् १९७२ { अङ्क ४

षष्ठ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

जगन्नियन्ता जगदीश्वर को कोटिशः धन्यवाद है कि उसकी निर्हेतुक कृपा से षष्ठ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) का वार्षिक अधिवेशन निर्विघ्न समाप्त होगया। सम्मेलन का छठा वर्ष उसके इतिहास में सदैव स्मरण रहेगा। जिस प्रकार बालक के छठे और आठवें मास और वर्ष में प्रायः अरिष्ट योग होता है, उसी प्रकार हमारे छः वर्ष के बालक-सम्मेलन के भी इस वर्ष अरिष्ट योग था। इसमें कोई सन्देह नहीं, अवश्यम्भावी को कोई मिटा नहीं सकता। षष्ठहिन्दी-साहित्य-सम्मेलन लाहौर में होगा इस शुभ और आशाप्रद समाचार को सुनकर गतवर्ष से जिन हिन्दीप्रेमी और सेवी सज्जनों के अन्तःकरण में नयी नयी कल्पनायें उत्पन्न होरहीं थीं उनको यह सुन और देख कर अवश्यही आन्तरिक खेद हुए बिना न रहा होगा कि सम्मेलन का अधिवेशन लाहौर में न होकर प्रयाग में हुआ और वह भी १० दिनों की जल्दी में, और अपने नगर के अनेक हिन्दी प्रेमी महानुभावों की अनुपस्थिति में। इस विषयमें हम अधिक बात बढ़ाना अनुचित समझते हैं कि इस घटना से जो सम्मेलन की हानि हुई है उसमें दोष किस का है? क्योंकि लाहौर की स्वागतकारिणीसभा और भारत वर्षीय स्थायी-समिति दोनों की यह कभी इच्छा न थी कि सम्मेलन को ऐसी हानिकर चोट लगे।

स्वागत कारिणीसभा की स्थापना और उसको नियमानुकूल चलाने की इच्छा से ही स्थायी-समिति के प्रधान मन्त्री दो बार लाहौर में वहां के कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यालय से पत्र और तारों द्वारा उचित परामर्श दिये गए और अनेक लोगों की सम्मति न रहते हुए भी तत्कालीन स्वागत-कारिणी सभा के प्रधान मन्त्री के आग्रहपूर्ण सम्मति की ओर ध्यान देकर सम्मेलन के अधिवेशन के लिए स्थायीसमिति में मुहर्रम की छुट्टियों की तिथियाँ निश्चित की गयीं। इतनाही नहीं अत्यन्त अल्प समय रहने पर भी स्वागत-कारिणी सभा की कठिनाई पर ध्यान देकरही स्थायी समिति ने मुहर्रम की छुट्टियों के बदले बड़े दिन की छुट्टियों की २९, ३० और ३१ दिसम्बर की तारीखें अधिवेशन के लिए बढ़ा दीं। किन्तु भावी बड़ी प्रबल होती है, स्वागत कारिणी सभा को इन तारीखों पर भी सम्मेलन करने की सुविधा न हुई और उसने बिना स्थायी-समिति के परामर्श के हीअपनी अन्तरङ्ग-सभा में ३१ दिसम्बर और १ एवं २ जनवरी सम्मेलन के लिये निश्चय कर लिया। लिखा पढ़ी होने पर उसने जोकुछ लिखा उसका स्पष्टभाव यही था कि यदि हमारी निश्चित तिथियाँ न स्वीकृत होंगी तो लाहौर में सम्मेलन का होना सम्भव नहीं। अवश्यही स्वागत-कारिणी सभा ने यह नहीं सोचा होगा कि बार बार तिथियों के बदलने से ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा कि पुनः लाहौर में सचमुच सम्मेलन का होना असम्भव हो जायगा। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि लाहौर की वर्तमान स्थिति पर ध्यान देकर सम्मेलन की सफलता के लिएही स्वागत-कारिणी के अधिकारियों ने व्यक्ति-विशेष के सभापतित्व के कारण समय में ऐसा परिवर्तन करना निश्चय किया होगा। किन्तु नियम की ओर और देश के समस्त प्रान्तों के निवासियों की सुविधा की ओर कदाचित् स्वागत-कारिणी-सभा के सञ्चालकों का ध्यान ही नहीं गया था। यदि स्वागत-कारिणी-सभा का ध्यान इन बातों की ओर गयाहोता कि समस्त भारत के हिन्दी प्रेमियों को जनवरी की पहली और दूसरी तारीख़ों पर लाहौर जाना असम्भव है तो वह उन तारीखों के लिए कदाचित् ऐसा आग्रह न करती अस्तु। स्वागतकारिणी-सभा ने जो कुछ किया उसका

उद्देश्य बुरा न था और सम्मेलन की सफलता के ही लिये उस ने सब कुछ किया किन्तु उसने भूलकी तो केवल यही कि अपना एक निश्चय दृढ नहीं रक्खा और बार बार कायापलट करके समय को हाथ से निकाल दिया। स्वागतकारिणी-सभा के सङ्गठन में विलम्ब कर के जो भूल हुईथी उसका मार्जन अपने उत्साहपूर्ण उद्योग से लाहौर निवासियों ने कर लिया था परन्तु पूर्वापर का विचार न करके समय बदलने में जो भूल हुई उसका मार्जन नहीं होसका और उसके लिए लाहौर निवासियों को जितना दुःख होगा उससे कम किसी भी सच्चे हिन्दी सेवी दूरदर्शी विद्वान को नहीं होसकता क्योंकि षष्ठसाहित्य-सम्मेलन का लाहौर में न होना साधारण घटना नहीं है। इससे हिन्दी संसार में हलचल मचगयी है और कुछ समय के लिए लाहौर में हिन्दीसाहित्य-सम्मेलन का होना असम्भव सा होगया है। इस बात से यह दुःख और भी बढ़जाता है कि प्रयाग के इस षष्ठसाहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन में पञ्जाब विशेषकर लाहौर निवासियों ने सम्मिलित होने की कृपा न करके उसके प्रति उदासीनता प्रकट की है। यह तो हुई स्वागतकारिणी सभा की बात अब हम स्थायी-समिति की कठिनाइयों पर विचार करेंगे।

स्थायी-समिति किसी स्थान-विशेष की संस्था नहीं, समस्त हिन्दीसंसार की संस्था है। सम्मेलन के कार्यों का भार भी स्वागत-कारिणीसमिति से कहीं अधिक उसपर है। ऐसी दशा में उसे किसी स्थानविशेष की सुविधा की ओर ध्यान देकर समस्त देश की कठिनाई को बढ़ा देना कदाचित् कोई भी मनुष्य उचित न कहेगा। लखनऊ में अधिवेशन होने के पश्चात् नियमानुसार ३ मास के अभ्यन्तर लाहौर में स्वागतकारिणी-सभा का सङ्गठन हो जाना चाहिये था किन्तु ७ मास तक वहां पर स्वागत-कारिणी-सभा का सङ्गठन नहीं हुआ। इसी बीच में स्थायी-समिति के प्रधानमन्त्री बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन स्वयं लाहौर गये और उनको विश्वास दिलाया गया कि यहाँ शीघ्र ही स्वा० का० सभा बनायी जायगी। फिर भी कुछ समाचार न मिलने

पर कार्यालय से उन सज्जनों में से तीन के पास पत्र भेजे गये जिनकी ओर से निमन्त्रण मिला था। उनमें से २ महाशयों के कुछ उत्तर न मिले किन्तु तीसरे महाशय हमारे चतुर्थ सा० सम्मेलन के भू० पू० सभापति महात्मा मुंशीराम जी ने १६ आषाढ़ सं० १६७२ को लिखा कि "जिन्होंने मेरे साथ तार में हस्ताक्षर किये थे उनको लिखता हूं तो उत्तर ही नहीं देते। श्री मन्त्री जी तथा सम्मेलन के अन्य सभ्य जैसा उचित समझें करें। मैं विवश हूं" ऐसा कोरा उत्तर पाकर प्रधानमन्त्री जी ने मध्यप्रदेश के सज्जनों से तार द्वारा जबलपुर का स्थान सम्मेलन के लिये निश्चय कर लाहौर वालों को तार दिया कि यदि आप लोग सम्मेलन नहीं कर सकते तो स्पष्ट उत्तर दें, हम दूसरा स्थान स्थिर करें, तब लाहौर में स्वा० का० सभा बनायी गयी और पं०यज्ञदत्त जी का तार आया कि 'लाहौर में स्वा० का० सभा सङ्गठित हो गयी' और श्रीयुत रोशनलाल जी का पत्र भी आया कि 'लाहौर वालों की इच्छा अपने यहाँ सम्मेलन करने की है' ऐसी दशा में श्रावण शु० २ सं० १६७२ की अपनी बैठक में स्थायी-समिति ने लाहौर ही में सम्मेलन का होना निश्चय किया। स्वागत कारिणी सभा के आग्रह पर ही अधिकांश लोगों की इच्छा न रहते हुए भी सम्मेलन का समय मुहर्रम की छुट्टियों में ही रक्खा गया।

पञ्जाब निवासियों ने सभापति के ५ नामों की सूची के सम्बन्ध में जिन जिन महानुभावों के नाम चाहे थे सौभाग्य से नियमानुसार उनके नाम भी सूची में रक्खे जा सके। यद्यपि सूची बनने के प्रथमही सभापति के सम्बन्ध में पूछताछ होने का समाचार फैल रहा था तथापि उसका फल कुछ न हुआ और स्वा०का०सभा के अनुरोध से स्थायी समिति को विवश होकर विशेष नियम के अनुसार समय टालने के लिये का० शु० ६ सं० १६७२ को अपना विशेष अधिवेशन करना पड़ा। उस समय पूछने पर भी स्वा०का०सभा ने कोई तिथि अधिवेशन के लिए बताने की कृपा न की विवश होकर स्थायी-समिति को बड़े दिन की छुट्टियों में ता० २६, ३० और ३१ दिसम्बर निश्चित करनी पड़ीं। फिर भी लाहौर का मौनावलम्बन रहा।

जिस समय स्वा० का० सभा की अन्तरङ्ग बैठक में तिथियां बदली गयीं थी उसी समय स्थायी समिति के प्रधान मन्त्री जी लाहौर में स्वा० का० सभा के सभापति और प्रधान मन्त्री जी से मिले और समय न बढ़ाने का परामर्श दिया किन्तु कुछ फल नहीं हुआ। जब समय बिलकुल समीप आगया तब स्वा०का०सभा ने अपने अन्तरङ्ग अधिवेशन के निश्चयानुसार स्थायी समिति को तार दिया, जिसका आशय यह था कि "लाहौर में अधिवेशन ३१ दिसम्बर और १, २ जनवरी को हो सकता है यदि समय न टाला गया तो अधिवेशन का होना सम्भव नहीं"। स्थायी-समिति को समय नहीं कि अधिक शोच विचार करे और जी हुजूर कहने से समस्त देश के हिन्दी प्रेमियों की असुविधा बढ़जाती है ऐसी कठिन अवस्था में अपने ता० १३ दिसम्बर मि० मार्गशीर्ष शुक्ल ७ सोमवार सं० १९७२ के अधिवेशन में उसने लाहौर जाने की लालसा में ही यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि "यदि स्वा०का०सभा १६ तारीख के भीतर उत्तर न दे तो प्रयाग में अधिवेशन किया जाय"। फिर भी लाहौर की स्वा० का० सभा ने अपना निश्चय नहीं पलटा प्रत्युत सम्मेलन का अधिवेशन एक प्रकार से बन्द कर दिया।

ऊपर की बातों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हमें विवश होकर कहना पड़ता है कि स्थायी समिति जैसी दायित्वपूर्ण संस्था को जैसी कठिनाई उपस्थित हुई और उसका जैसा उसने प्रतीकार किया उस से उत्तम कोई बात हो नहीं सकती थी। १ और २ जनवरी किसी प्रकार पञ्जाब के अतिरिक्त अन्य प्रान्तीय लोगों के लिए उपयुक्त तारीखें न थीं। सद्धर्मप्रचारक की बात हम मानने के लिए तैयार नहीं कि लोग "तीन चार दिनों की छुट्टी ले लें" क्योंकि बड़े दिन की छुट्टियों में मिला कर यदि कोई छुट्टी लेता तो उसकी छुट्टी में बड़े दिनों की छुट्टी के १० दिन भी शामिल हो जाते कदाचित् ऐसा कोई न करता भावी बड़ी प्रबल है उस का ही सारा दोष है। यदि भावी का दोष न होता तो क्या स्वा० का० सभा के सुयोग्य सञ्चालकगण और जगद्विख्यात निमन्त्रणदातागण प्रारम्भ ही से सम्मेलन के नियमों

की अवहेलना करते करते थकते ही नहीं। अथवा स्थायी-समिति लाहौर जाने की उत्कण्ठा रहते हुए भी अपने नियमों और समस्त देश के निवासियों की सुविधा के विचार से ही प्रयाग में सम्मेलन करने के लिए विवश हो जाती। अस्तु जो होना था सो हो गया अब हम आशा करते हैं कि अपने अपने मनोमालिन्य को दूरकर समस्त हिन्दी प्रेमी विशेषतः लाहौर निवासी सज्जन और स्थायी समिति के सभ्य गण सम्मेलन को सहायता करने के लिए कटिबद्ध होंगे।

स्वागत

षष्ठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति श्रीमान् बाबू श्याम सुन्दर दास जी लखनऊ से पौ० कृ० ८ बुधवार को प्रातः काल ही प्रयाग में आ गये थे किन्तु जुलूस निकलने वाला था अतएव स्टेशन के पास की धर्मशाला में कुछ समय के लिए आप ठहराये गये। आपके स्वागत के लिए प्रथम ही से नगर तथा बाहर के आये हुए अनेक गण्य मान्य प्रतिनिधि तथा स्थायीसमिति के उपसभापति श्रीमान् पं० श्रीकृष्ण जोशी और प्रधान मन्त्री बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन आदि सज्जन उपस्थित थे। धर्मशाले में स्वयं सेवकों का समूह और उनकी कार्य कुशलता एवंतत्परता देख कर आनन्द होता था। स्टेशन की धर्मशाला से लगभग ९ बजे जुलूस निकला जुलूस में आगे आगे स्वयं सेवकों की सुदीर्घ पङ्क्ति चलती थी और उनके पीछे अनेक गण्यमान्य सज्जन गाड़ियों पर और पैदल चलते थे। लोगों में बड़ा उत्साह था और मार्ग में खूब ही हिन्दी मातृ-भाषा एवं सभापति प्रभृति हिन्दी के प्रेमियों की जयजयकार होती जाती थी। चौक, घण्टाघर, भारती भवन होता हुआ जुलूस मुंशी रामप्रसाद के बाग में पहुंचा। मार्ग में स्थान स्थान पर सभापति महोदय पर पुष्पों की वर्षा और स्वागत होता था। देशी-कारबार कम्पनी में भी आपका स्वागत किया गया। बाग के फाटक पर आपकी पूजा और आरती की गयी। पश्चात् सभापति महोदय अपने निवास स्थान (जो उसी बाग के बँगले में था) को पधारे और जुलूस का कार्य समाप्त हुआ।

प्रथम दिन

लगभग १ बजे सम्मेलन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। समय से पहले ही सम्मेलन का मण्डप, जो एक विशाल शामियाने से बना था खचाखच भर गया। दर्शकों की सङ्ख्या लगभग ३००० के थी और प्रतिनिधियों की दो सौ से कुछ अधिक। उपस्थित सज्जनों में कुछ के नाम ये हैं :—पं० श्रीधर पाठक (पञ्चम सम्मेलन के सभापति), पं० श्रीकृष्ण जोशी—उपसभापति, पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी—कलकत्ता, बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन—प्रधान मन्त्री, बाबू रामदास गौड़-भू. पू. संयोजक परीक्षासमिति, बाबू ब्रजराजबहादुर—वर्तमान संयोजक, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, पं० जीवानन्द जी काव्यतीर्थ, पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय, प्रोफेसर लक्ष्मीचन्द एम्० ए०, बा० राधामोहन गोकुल जी, पं० नन्दकुमारदेव शर्मा, गिरिधारीलाल जी भारद्वाज सिन्ध, पं० पद्मसिंहशर्मा, पं० बदरीनाथ वैद्य, पं० शिवकुमार शास्त्री गोरखपुर, डाक्टर पुरुषोत्तम दास कक्कड़-लखनऊ, बाबू बालमुकुन्द वर्मा—काशी, पं० रामनारायण चतुर्वेदी, ठा० शिवकुमार सिंह इत्यादि।

सभा मण्डप में सभापति के आते ही करतलध्वनि हुई और उपस्थित प्रतिनिधियों और दर्शकों ने 'मातृभाषा की जय' 'सभापति की जय' से सभा मण्डप को गुंजा दिया। दो बालकों के मङ्गलाचरण करने के अनन्तर काव्यतीर्थ पं० जीवानन्द जी ने अपने मधुर-स्वर से 'वन्दे मातृभूमि सुखकारी' गीत गाया। तदन्तर पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने अपनी कविता—'हिन्दी की जय'—सुनायी।

हिन्दी की जय

(ले० पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कलकत्ता)

भक्तिसहित निज इष्ट देव कौ करि आराधन।
उठहु उठहु प्रियवन्धु करहु हिन्दी हितसाधन॥
हम हिन्दी के पुत्र हमारी हिन्दी माता।

हिन्दू हिन्दी हिन्द नाम कौ निरखहु नाता ॥
हिन्दू हिन्दी त्यागि बनत जो उरदू दासा ॥
सो निज हाथन करत आप हैं अपनो नासा ॥
कुल मरजादा लखहु और निज रूप निहारहु ।
झटिकों झमिके उठहु वेग हिम्मत मत हारहु ॥
धन बल गौरव मान सुजस सब भये तिरोहित ।
आरज कुल की गरिमा केवल अजहुं प्रकाशित ॥
आर्यवंश सन्तान अजहुं हम लोग कहावत ।
आर्य वंशकौ रक्त अजहुं नस नस में धावत ॥
वही वेद उपनिषद वही सब ग्रन्थ पुरातन ।
अजहुं वही षड़दर्शन जापै मोहित सब जन ॥
वही विन्ध्य गिरिराज वही हिम सैल सुहावन ।
वही गङ्ग औ जमुन वही सरजू जल पावन ॥
पृथ्वी बनी पवित्र वही नभ मण्डल तारे ।
फिर हम सब क्यों रहैं मौन ह्वै मनकों मारे ॥
करि करि नव उत्साह उठहु सब हिन्दी भाषी ।
हिन्दीकों अपनाय मिटावहु दुख की रासी ॥
बहुत दिनन लों भूले भटके अब जिन भूलौ ।
करि त्रिशङ्कुकी नकल बीच में मत अब झूलौ ॥
खड़ी पड़ी औ अड़ी गड़ी बोलिन कौ रगरौ ।
करौ न कबहूं भूल जानि यह झूठौ झगरौ ॥
हिन्दू आरज नामन कौ झगरौ मत ठानौ ।
जगन्नाथ को कही भला इतनी तो मानौ ॥
नाम माँहि कछु नाहिं काम करिके दिखराओ ।
हिन्दीकौ परचार यहाँ पै तुरत कराओ ॥
भये उपस्थित आज यहाँ पै जो सब भाई ।
करें प्रतिज्ञा अटल यही निज भुजा उठाई ॥
हिन्दी में हम लिखें पढें हिन्दी ही बोलें ।
नगर नगर में हिन्दी के विद्यालय खोलें ॥
हिन्दी के हितचिन्तन में नित ही चित देहें ।
भूलि कबहुं नहि उरदू कौ हम नामहुं लेहें ॥

हिन्दी की अब तन मन धनसों सेवा करिहैं।
विघ्न विपद् औ बाधासों हम नेक न डरिहैं॥
यह पन पूरो करे सदा माधव मङ्गलमय।
हमहु कहैं हिन्दी जय हिन्दी जय हिन्दी जय॥

अनन्तर पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ने अपनी कविता पढ़ी और बाबू गङ्गाधर (नम्र) कवि ने अपनी स्वागत की कविता सुनायी। इसके पश्चात् स्थायी-समिति के उपसभापति श्रीमान् पं० श्रीकृष्ण जोशी ने अपनी आरम्भिक वक्तृता में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। अनन्तर बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन ने श्रीमान् बा० श्यामसुन्दर दासजी को सभापति का आसन ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव किया साथ ही यह भी बतलाया कि षष्ठ हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, लाहौर में क्यों नहीं हो सका। पं० लक्ष्मीनारायण जी नागर ने अनुमोदन और राय बहादुर बा० लालबिहारी-सतना एवं पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी-कलकत्ता ने प्रस्ताव का समर्थन किया। पश्चात् सभापति के आसन पर आसीन होकर श्रीमान् सभापति महोदय ने अपनी चित्ताकर्षक वक्तृता प्रारम्भ की और लगभग १॥ घण्टे में समाप्त की। इसके पश्चात् प्रधान मन्त्री जी ने बाहर से आये हुए सहानुभूति सूचक तार और पत्रों का सारांश सुनाया जिनमें पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पं० लज्जाराम शर्मा, पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा और पं० कृष्णाकान्त मालवीय आदि महानभावों के तार भी थे। प्र० मन्त्रीजी ने महाराज नाभा की ओर से यह शुभ सम्वाद भी सुनाया कि 'हिन्दी के साथ उनकी पूर्ण सहानुभूति है और वे हृदय से सम्मेलन की सफलता चाहते हैं'। प्रतिनिधियों को ७ बजे के लिए विषय-निर्धारिणी-समिति की सूचना देकर शेष कार्यवाही दूसरे दिन के लिए स्थगित की गयी।

दूसरा दिन

आज ठीक १२ बजे कार्यारम्भ हुआ। उपस्थित सज्जनों में पं० बाबूराव विष्णुपराड़कर, महाराजसाहब वारा, तृतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सभापति पं० बदरीनारायण चौधरी (प्रेमघन) सेठ जगन्नाथ झुनझुनूवाला-रानीगञ्ज आदि सज्जन भी थे। प्रारम्भ

में सभापति द्वारा निम्नलिखित ८ प्रस्ताव उपस्थित किये गये और उपस्थित प्रतिनिधियों ने सादर स्वीकार किये:—

(१)

यूरोपीय राज्यों में इस समय जो भयंकर युद्ध होरहा है, उसमें ब्रिटिश सरकार से इस सम्मेलन को पूरी सहानुभूति है और परमात्मा से उसकी विनीत प्रार्थना है कि हमारे प्रजाप्रिय राजराजेश्वर का पक्ष शीघ्र ही विजयी हो।

(२)

यह सम्मेलन राय देवीप्रसाद जी (पूर्ण), पं० तुलसीरामजी स्वामी, बा० शिवचन्द्र जी भरतिया, स्वामी ब्लाकटानन्दजी, तथा डा० सतीशचन्द्र बनर्जी की असामयिक मृत्यु पर अपना आन्तरिक दुःख प्रकट करता है और उनकी हिन्दी सेवा का स्मरण करता हुआ उनके सम्बन्धियों से अपनी समवेदना प्रकट करता है।

(३)

इस सम्मेलन को इस बात का अत्यन्त दुःख है कि भारत गवर्नमेंट ने नागरी से परिचित बहुसङ्ख्यक भारतीय प्रजा की सुविधा की ओर ध्यान न देकर नोटों पर से नागरी अक्षरों को उठा दिया है और अनेक बार प्रार्थना करने पर भी इस संबन्ध में सम्मेलन के निवेदन को स्वीकार नहीं किया है। इस सम्मेलन ने सिक्कों पर नागरी अक्षर रखने के लिए भी कई बार भारतीय गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया है पर अभी तक कोई फल नहीं हुआ। अतः यह सम्मेलन भारत गवर्नमेंट से पुनः सानुरोध प्रार्थना करता है कि नोटों और सिक्कों पर शीघ्र नागरी अक्षरों को स्थान दे।

(४)

यह सम्मेलन प्रयाग विश्वविद्यालय को धन्यवाद देता है कि उसने देशी भाषाओं को शिक्षा में उपयुक्त स्थान देने का विचार प्रकट किया है। इस सम्मेलन की सम्मति में प्रयाग और पञ्जाब दोनों विश्वविद्यालयों को शीघ्र ही देशी भाषाओं की पढ़ाई को भी अन्य विषयों की भाँति पाठ्यक्रम में उपयुक्त स्थान देना चाहिये।

(५)

यह सम्मेलन संयुक्त प्रान्त के शिक्षाविभाग को आठवीं कक्षा तक हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद देता है और प्रार्थना करता है कि पाठ्यक्रम में ऐसी पुस्तकें रक्खी जायँ जिनकी हिन्दी पुष्ट और शुद्ध हो और जिनमें हिन्दी के पारिभाषिक शब्दोंका पूरा पूरा व्यवहार रहे। यह सम्मेलन भारतीय तथा समस्त प्रान्तीय सरकारों से भी प्रार्थना करता है कि ऐसी आज्ञा निकाले कि समस्त स्कूलों में कम से कम आठवीं कक्षा तक सब विषयों की पढ़ाई देशी भाषा में हुआ करे।

(६)

इस सम्मेलन को इसलामिया स्कूलों और मकतबों के खोलने के सम्बन्ध में युक्तप्रान्त की गवर्नमेंट से विरोध नहीं है किन्तु दुःख है कि गवर्नमेंट ने हिन्दी की शिक्षा के लिए ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं किया है जैसा उसने इसलामिया स्कूल खोल कर उर्दू की शिक्षा के लिए किया है। अतः यह सम्मेलन गवर्नमेंट से निवेदन करता है कि हिन्दी की पढ़ाई के लिए भी हिन्दी बोलनेवालों की सङ्ख्या के अनुसार वैसी ही सुविधायें करदे, जैसी उसने उर्दू के लिए की हैं।

(७)

यह सम्मेलन हिन्दू-विश्वविद्यालय के सञ्चालकों से आग्रह पूर्वक अनुरोध करता है कि उसका नाम और काम सार्थक करने के लिए उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रक्खी जाय।

(८)

यह सम्मेलन गुजरातीसाहित्य-सम्मेलन तथा महाराष्ट्रीय-साहित्य-सम्मेलन को हृदय से प्रेमपूर्वक धन्यवाद देता है कि उन्होंने हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना स्वीकार करके अपने शिक्षालयों में उसे दूसरी भाषा की भाँति पढ़ाने का मन्तव्य स्थिर किया है। यह सम्मेलन आशा करता है कि ऐसा प्रेमसम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठ होता जायगा।

इसके पश्चात् बाबू ब्रजराज बहादुर (परीक्षा-समिति के संयोजक) ने गत वर्ष की परीक्षा-समिति का विवरण पढ़ा जो इसी अङ्क

में प्रकाशित किया गया है। परीक्षोत्तीर्ण परीक्षार्थी और परीक्षार्थिनियों को प्रमाण एवं उपाधि पत्र और पदक एवं पारितोषिक दिये गये। पदक और पारितोषिक प्राप्त परीक्षार्थी और परीक्षार्थिनियों की सूची भी इसी अङ्क में अन्यत्र आप पढ़ेंगे। उसी समय भू० पूर्व संयोजक बाबू रामदास गौड़ एम्. ए. ने पदकों की चर्चा करते हुए हिन्दी-प्रदीप के प्रदीपक स्वर्गवासी पं० बालकृष्ण भट्ट के स्थायी स्मारक पदक के लिये अपील की और साथ ही मुंशी देवीप्रसाद पूर्ण के स्मारक के लिए भी कहा। उसी समय दोनों फ़ण्डों में क्रम से ५००) के ऊपर और १७०) रु० के वचन मिले। पं० बालकृष्ण स्मारक में अकेले बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन ने २००) दिये। सेठ जगन्नाथ झुनझुनूवाला ने दो वर्षों तक पं० बालकृष्ण स्मारक पदक इसलिए देने की प्रतिज्ञा की कि जिसमें स्मारक फण्ड पूरा होने के पहिले ख़र्च उस में से न किया जाय।

इस के पश्चात् परीक्षार्थी और परीक्षार्थिनियों के लिए पारितोषिक और पदकों की प्रतिज्ञावर्षा होने लगी और ५० के ऊपर प्रतिज्ञायें हुईं। अवश्यही यह बड़े आनन्द का विषय है कि इसमें से १५ पारितोषिक या पदक केवल परीक्षार्थिनी देवियों के लिए हैं। यदि इसी प्रकार का उत्साह रहा तो शीघ्रही हमारी हिन्दी युनिवर्सिटी–परीक्षा समिति बहुत शीघ्र आशातीत उन्नति करेगी। प्रतिज्ञाताओं की नामावली और पदक या पारितोषिक का विवरण भी इसी अङ्क में प्रकाशित किया गया है हम आशा करते हैं कि हमारे हिन्दी प्रेमी सज्जन ऐसा उद्योग करेंगे कि कठिन से कठिन शर्त वाले पदक भी गत वर्ष के समान खाली न जाने पावें और लोग परीक्षासमिति के पारितोषिकों से विद्या और प्रतिष्ठा के लाभ उठावें।

पश्चात् श्रीयुत स्वा० सत्यदेव परिव्राजक ने पत्रसम्पादन कला पर एक विचारपूर्ण किन्तु आत्मीयभावपूर्ण तीक्ष्ण-शब्दों में व्याख्यान दिया। जिसके कारण सम्पादक समुदाय में एक प्रकार से सनाका सा पड़ गया। पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने अनुप्रास का अन्वेषण, शीर्षक विनोद पूर्ण लेख पढ़ा और पं० सुखराम चौबे ने शिशुसाहित्य पर लेख पढ़ा। पश्चात् प्रस्तावों की बारी आयी

जिसमें निम्नलिखित दो प्रस्ताव उपस्थित और स्वीकृत हुये।

(९)

प्रयाग के विश्वविद्यालय में हिन्दी साहित्य का यथोचित समावेश करने के लिए इस सम्मेलन की सम्मति में उक्त विश्वविद्यालय को एक स्वतन्त्र हिन्दी का वर्ग स्थापित करना चाहिये जिसमें हिन्दी के विद्वान् ही सदस्य हों।

प्रस्तावक—बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन, एम०ए०, एल० एल०बी
(प्रयाग)

अनुमोदक—पं० मुरलीधर मिश्र, बी०ए०एल-एल० बी०,
(खेरी, लखीमपुर)

(१०)

यह सम्मेलन उन सनातनधर्म्म, जैन, सिक्ख आर्य-समाज, ब्रह्मसमाज, देवसमाज, आदि सभी धर्म और सुधारक सभाओं से तथा कायस्थ, खत्री, भार्गव, आदि जातीय सभाओंसे जो हिन्दी का व्यवहार नहीं करतीं, सानुरोध प्रार्थना करता है कि:--

(१) वे अपनी सारी कारवाई हिन्दीभाषा और देवनागरी अक्षरों में करें।

(२) अपने स्थानों पर और विशेष कर तीर्थ और मेलों के स्थानों पर हिन्दी वाचनालय और पुस्तकालय खोलें।

(३) अपने आश्रित पाठशालाओं और विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रक्खें और हिन्दी साहित्यकी अभिज्ञता बढ़ाने का प्रयत्न करें।

प्रस्तावक--पं० नन्दकुमारदेव शर्म्मा (कलकत्ता)
अनुमोदक--बा० पुत्तनलाल जी विद्यार्थी (लखनऊ)
समर्थक—पं० रामाधार वाजपेयी (प्रयाग)

इस के पश्चात् विषय निर्धारिणी-समिति की सूचना देकर अधिवेशन का कार्य स्थगित किया गया।

तृतीय दिन

आज ११॥ बजे से कार्य आरम्भ हुआ। आज भी खूब भीड़ थी और अनेक नवीन प्रतिनिधि आगये थे जिनमें पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी, पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, पं० राजनारायण मिश्र डिप्टी-

इन्स्पेक्टर, श्रीयुत रघुवरदयाल जी डिप्टीकलेक्टर और महाराज साहब अमेठी के चारों राजकुमार इत्यादि। प्रथम दारागंज स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने मङ्गलगान किया उसके पश्चात् दो छोटे छोटे बालकों ने सस्वर मङ्गल गानकिया। इसके पश्चात् प्रस्तावों की बारी आयी। और निम्न-लिखित प्रस्ताव उपस्थित और स्वीकृत हुए।

(११)

यह सम्मेलन गुरुकुल कांगड़ी, ज्वालापुर महाविद्यालय, ऋषि-कुल हरिद्वार, गुरुकुल तथा प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन, आदि हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देनेवाली समस्त संस्थाओं से प्रार्थना करता है कि अपने पाठ्यक्रम में उच्च कोटि के हिन्दी-साहित्य को भी स्थान दें तथा हिन्दी की उपयुक्त शिक्षा का प्रबन्ध करें।
प्रस्तावक—पं० पद्मसिंह जी शर्मा (ज्वालापुर) अनुमोदक—पं० जगन्नाथप्रसाद जी चतुर्वेदी (कलकत्ता)

(१२)

[क] चुंगी, टैक्स आदि की रसीदें तथा अन्यान्य नोटिसें जो कि सर्वसाधारण को म्यूनिसिपलिटी आदि से दी जाती हैं अंगरेज़ी तथा उर्दू में हुआ करती हैं जिससे हिन्दी जाननेवालों को बड़ा कष्ट होता है। अतएव यह सम्मेलन म्यूनिसिपलिटी आदि संस्थाओं से प्रार्थना करता है कि वे अपने नोटिस आदि हिन्दी में प्रकाशित किया करें।

[ख] नहर की सिँचाई के पट्टे व पर्चे गाँव के लोगों को उर्दू में दिये जाते हैं। उर्दू के न जाननेवाले ग्रामीण किसानों को उनके पढ़ाने के लिए दूसरे ग्रामों में जाना पड़ता है और प्रायः धोखे में आजाने के कारण हानि भी उठानी पड़ती है। अतएव यह सम्मेलन नहर के अधिकारियों से प्रार्थना करता है कि वे हिन्दी में भी पर्चे व पट्टे दिलाने का प्रबन्ध कर दें।

प्रस्तावक—डा० पुरुषोत्तमदास कक्कड़ (लखनऊ)।
अनुमोदक—पं० राजनारायण शुक्ल।
समर्थक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी।

(१३)

स्थायी-समिति सम्मेलन की नियमावली पर पूरा विचार कर आगामी वार्षिक सम्मेलन के कम से कम दो मास पूर्व संशोधन का मसौदा विचारार्थ प्रकाशित करदे तथा सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में विचार और स्वीकार करने के लिए वह उपस्थित रहे।

(सभापति द्वारा)

(१४)

यह सम्मेलन प्रार्थना करता है कि स्थायी समिति का प्रत्येक सदस्य आर्थिक सहायतार्थ इस वर्ष समिति को १२) दे।

(सभापति द्वारा)

(१५)

यह सम्मेलन महाराज साहब इन्दौर अलवर, दतिया, कोठी तथा राघवगढ़-नरेश को अपने २ राज्यों में देवनागरी लिपि के प्रचार और हिन्दी भाषा की उन्नति में सहायता देने के लिए तथा महाराज नाभा को उनके हिन्दीप्रेम और सहानुभूति के लिए धन्यवाद देता है और दूसरे महाराजाओं से प्रार्थना करता है कि वे भी अपने अपने राज्यों में हिन्दी का प्रचार करें।

प्रस्तावक—रायबहादुर बा० लालबिहारीलाल, (सतना)।
अनुमोदक—पं० ब्रजनारायण शर्मा, (अलवर)।

(१६)

यह सम्मेलन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रार्थना करता है कि अपनी परीक्षा के नियमों में वह ऐसा परिवर्तन कर दे जिसमें विद्यार्थी विज्ञान के साथ साथ संस्कृत भी पढ़सकें।

प्रस्तावक--पं० श्रीकृष्ण जोशी।
अनुमोदक--पं० महेशराम।

(१७)

यह सम्मेलन इस बात को परम आवश्यक समझता है कि भारतवर्ष में ऐसे विद्यालय अधिकाधिक सङ्ख्या में स्थापित हों जिन में सब प्रकार की शिक्षा हिन्दी द्वारा हो और जो सम्मेलन की परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थी तैयार करें, जिसमें आगे चलकर यह सम्मेलन उन्हें विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित कर सके।

प्रस्तावक—बाबू लक्ष्मीचन्द एम० ए० ।

अनु०—लाला बलदेवसिंह (देहरादून) ।

समर्थक—श्रीयुत राधामोहन गोकुलजी (कलकत्ता) ।

१८वें प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन का वार्षिक विवरण और आय-व्यय का लेखा स्वीकृत हुआ । वार्षिक विवरण आप अन्यत्र पढ़ेंगे । और पैसा फण्ड की अपील पं० श्रीकृष्णजोशी और पं० जीवानन्द जी ने की । लगभग ५००) का चन्दा हुआ ।

(१९)

आगामी सम्मेलन जबलपुर में किया जाय ।

निमन्त्रयिता—मान० रायबहादुर पं० विष्णुदत्त शुक्ल बी०ए० ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत होने पर पं० माखनलाल चतुर्वेदी ने मध्यप्रदेश की ओर से धन्यवाद दिया ।

२०वें प्रस्ताव द्वारा परीक्षा-समिति के नियमों में यह संशोधन किया गया कि "स्थायी-समिति ही परीक्षा-समिति के लिए ११ सदस्य चुन दिया करे । इनमें ७ स्थायी-समिति के सदस्य हों और शेष ४ चाहे सदस्य हों अथवा कोई बाहरी सज्जन हों" । यह प्रस्ताव सभापति द्वारा उपस्थित और अधिकांश सम्मति से स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् स्थायी समिति का सङ्गठन हुआ और निम्न-लिखित पदाधिकारी एवं सभ्य निर्वाचित हुये ।

षष्ठ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति के पदाधिकारी और सभासद ।

पदाधिकारी

सभापति बा० श्यामसुन्दर दास बी० ए०, कालीचरण हाईस्कूल लखनऊ

उपसभापति—पं० श्रीकृष्ण जोशी

" —माननीय पं० विष्णुदत्त शुक्ल बी० ए० रायबहादुर

प्रधान मन्त्री—बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन एम० ए० एल एल०बी०

मन्त्री—पं० लक्ष्मीनारायण नागर बी० ए० एल एल०बी०

बा० नवाब बहादुर बी० ए० एल०एल०बी०

आयव्यय-परीक्षक. रायबहादुर बा० लालविहारीलाल बी० ए० ।

पूर्व सम्मेलनों के सभापति ५

माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय ।

"　गोविन्दनारायण मिश्र, गोमठ-काशी

"　बद्रीनारायण चौधरी, मिरजापुर

"　मुन्शीरामजी, गुरुकुलकाँगड़ी

"　श्रीधर पाठक, लूकरगञ्ज-प्रयाग

सभासद ६५

संयुक्तप्रान्त २१

प्रयाग ८

बा० रामदास गौड़ एम० ए०

पं० इन्द्रनारायणद्विवेदी, बुद्धिपुरी

पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल आयुर्वेद पञ्चानन, दारागंज

पं० कृष्णाकान्त मालवीय सम्पादक अभ्युदय

पं० रामजीलालशर्मा सम्पादक विद्यार्थी

पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी, दारागंज

पं० चन्द्रशेखर शास्त्री　　"

प्रो० व्रजराजबहादुर बी० एस० सी० एल० एल० बी० कायस्थ पाठशाला

ठा० शिवकुमारसिंह सुपरिण्टेण्डेण्ट म्युनिसिपल स्कूल

गोरखपुर

पं० राजमणि त्रिपाठी

कानपुर

पं० महेशदत्त शुक्ल बी० ए० एल० एल० बी०

फ़ैजाबाद

बा० नरेन्द्रदेव एम० ए०

मिरजापुर

पं० बदरीनाथशर्मा वैद्य, चौमुहानी

बनारस

बा० गौरीशङ्करप्रसाद बी० ए० एल० एल० बी० बूलानाला

आगरा

बा० श्रीप्रकाश एम० ए० बैरिस्टर एटला

पं० केदारनाथ भट्ट

लखनऊ

बा० पुत्तनलाल विद्यार्थी-विशारद, बानवाली गली

डा० पुरुषोत्तमदास कक्कड़

बुलन्दशहर

पं० श्यामबिहारी मिश्र एम० ए० डिप्टीकलेक्टर

खीरी

पं० मुरलीधरमिश्र बी० एल० एल० बी०

ज्वालापुर

पं० पद्मसिंह सम्पादक "भारतोदय"

बङ्गाल ८

पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, भारतमित्र कार्य्यालय कलकत्ता

पं० बाबूरावविष्णुपराड़कर "

बा० राधामोहन गोकुलजी, १५६ डी मछुआबाज़ार स्ट्रीट कलकत्ता

बा० राजेन्द्रप्रसाद एम० ए० बी० एल०, भवानीपुर कलकत्ता

पं० नन्दकुमारदेव शर्मा, ४२ शिवठाकुर लेन कलकत्ता

पं० अमृतलाल चक्रवर्ती, कलकत्ता समाचार कार्यालय कलकत्ता

बा० घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता

सेठ जगन्नाथप्रसाद झुन्झुनवाला, रानीगंज

विहार १०

बा० मुरलीधर सराफ बी० ए० एल० एल० बी०, भागलपुर

साहित्याचार्य्य पं० रामावतारशर्मा एम० ए० प्रोफेसर, पटना कालेज बाँकीपुर

पं० गिरीन्द्रमोहन मिश्र दरभङ्गा

पं० सकलनारायण पाण्डेय, आरा

बा० ब्रजनन्दनसहाय वकील, आरा

बा० सूर्यप्रसाद

बा० रामरणविजयसिंह खड्गविलास:प्रेस, बाँकीपुर

बा० जगन्नाथप्रसाद एम०ए०एल०एल०बी०वकील, मुज-फ्फरपुर

प्रो० बदरीनाथ वर्म्मा

बा० नरेन्द्रनारायणसिंह खड्गविलास प्रेस बाँकीपुर

मध्यप्रदेश ८

पं० माखनलाल चतुर्वेदी सहकारी सम्पादक प्रभा, खण्डवा

बा० जगन्नाथप्रसाद भानु, विलासपुर

पं० रविशङ्कर शुक्ल बी० ए०, रायपुर

पं० प्यारेलाल मिश्र वैरिस्टर एटला, छिन्दवाड़ा

पं० रघुवरप्रसादद्विवेदी बी०ए० हेडमास्टर हितकारिणी-हाई-स्कूल जबलपुर

पं० गोविन्दलाल पुरोहित, जबलपुर

राय बहादुर पाण्डेय हनुमानप्रसाद आनरेरी मजिस्ट्रेट जबलपुर

बा० माणिकचन्द्र जैन बी० ए०एल० एल० बी० वकील, खण्डवा

मध्यभारत ७

रायसाहब पं० सरयूप्रसाद, इन्दौर

चौबे गोविन्दप्रसाद, रियासत पालदेव

लाल सूर्य्यबलीसिंह जू देव, दरबार रीवाँ

पं० गणपतिजानकीराम दुबे हिन्दी-साहित्य-सभा, लश्कर ग्वालियर

रायबहादुर गौरीशङ्कर हीराचन्द्र ओझा, अजमेर

अधिकारी जगन्नाथदास विशारद, विरक्त मन्दिर भरतपुर

सेठ दामोदरदास राठी, ब्यावर

बम्बई ४

पं० भास्कर रामचन्द्र भालेराव सम्पादक हिन्दीचित्रमयजगत पूना

प्रो० चिन्तामणिगङ्गाधर भानु

पं० गिरधारीलाल भारद्वाज, हेड मास्टर मित्रमण्डली संस्कृत-विद्या स्कूल संवखर सिन्धि

पं० नन्दनाथ केदारनाथ दीक्षित, नायब विद्याधिकारी बड़ोदा

मद्रास २

श्रीमान् स्वामी अनन्ताचार्य्य जी काञ्जीवरम्

पं० मुरलीधर चतुर्वेदी

पञ्जाब ५

श्रीयुत सत्यदेव जी परिव्राजक

पं० जगन्नाथ पुच्छरत, अमृतसर

प्रो० गोवर्द्धन जी बी० ए०, दिल्ली

लाला हंसराज, लाहौर

दीवान मङ्गलसेन लाहौर

इसके पश्चात् स्थायीसमिति की ओर से प्रतिनिधियों को प्रीति भोज दिया गया। और रात्रि में प्रो० बाबू रामदास गौड़ ने 'विज्ञानद्वारा मानवीशक्ति की वृद्धि' पर मेजिक लालटेन के साथ एक उपयोगी व्याख्यान दिया। अन्त में रायबहादुर लालबिहारी लाल तथा पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने सभापति को सम्मेलन में उपस्थित हिन्दी प्रेमियों की ओर से धन्यवाद दिया। और सभापति महोदय ने उसका उचित शब्दों में उत्तर दिया। और सम्मेलन का अधिवेशन समाप्त हुआ।

———o———

श्रीमान् बा० श्यामसुन्दर दास बी० ए०

(षष्ठहिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के सभापति)

षष्ठहिन्दीसुसाहित्यसम्मेलनसभापतेः। श्रीश्यामसुन्दरस्यास्तु मुदे श्रीश्यामसुन्दरः॥

यद्यपि हिन्दी संसार में श्रीमान् बाबूश्यामसुन्दरदास जी का परिचय कराना मेरी बुद्धि में उनका अपमान करना है। तथापि बड़ों के गुणानुवाद उनके परिचय कराने के लिये नहीं अपनी जिह्वा और लेखनी को सफल और कृतार्थ करने के लिये होते हैं इस विचार से षष्ठहिन्दीसाहित्यसम्मेलन के सभापति उक्त बाबू साहब के सम्बन्ध में मैं कुछ लिखने का साहस करता हूं।

बाबू श्यामसुन्दरदास जी खत्री वंशीय बा० देवीदास खन्ना

जो लाहौर के प्रसिद्ध टकसाली घराने के थे-के पुत्र हैं। इनके मातामह (नाना) अमृतसर के एक प्रसिद्ध रईश थे। बाबू साहब के पूर्व पुरुष यद्यपि लक्ष्मी देवी के उपासक समृद्धिशाली थे तथापि इनके सुयोग्य पिता जी ने इनको पूर्ण सदाचारी तथा विद्यावान बनाने में कोई बात उठा नहीं रखी। बाबू साहब का जन्म पवित्र देवनगरी—काशी में सन् १८७५ ई० के जुलाई मास में हुआ था। जिस देवनगरी के ही नाम पर हमारी मातृभाषा की वर्ण माला का नाम देवनागरी पड़ा था और जिस नगरी में बाबा विष्णुदत्त, भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द पं० अम्बिकादत्त व्यास और जगद्विख्यात म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी जैसे हिन्दी प्रेमी और हिन्दी के संस्कारकर्त्ता विद्वानों ने अवतार लिया था अवश्य ही उस प्रातः स्मरणीय पवित्र नगरी में ही हमारे षष्ठसाहित्यसम्मेलन के सभापति जैसे मातृभाषा प्रेमी विद्वान् का उत्पन्न होना कोई नवीन बात नहीं है।

बाल्यकाल और शिक्षा

बाबू साहब अपने कुटुम्ब भर में एक मात्र बालक थे अतएव इनपर कुटुम्बियों का कितना प्रेम रहा होगा इसका अनुभवी पाठक स्वयम् अनुमान कर सकते हैं। परन्तु ईश्वर की कृपा से बड़े आदमियों के दुलारे बालकों के समान उक्त बाबू साहब में दोषों की छाया नहीं पड़ी और विद्या विनय सम्पन्न बनने की ओर ही उनका चित्त आकर्षित होता गया। सन् १८९० ई० में अंग्रेजी मिडिल, सन् १८९२ ई० में एण्ट्रेन्स, सन् १८९४ में इण्टरमीजियट और सन् १८९७ ई० में बी० ए० की परीक्षा में बाबू साहब सफल हुये। बीमार हो जाने के कारण सन् १८९६ ई० में बी० ए० की परीक्षा में आप सफल नहीं हो सके। सन् १८९४-१८९६ ई० तक आप कानून के लेक्चर सुनते रहे परन्तु एल० एल० बी० की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुये। इतना ही नहीं लखनऊ के ट्रेनिङ्ग कालेज में जाकर शिक्षा देने का ढङ्ग भी आपने अध्ययन किया और अब भी पुरातत्व, दर्शन, विज्ञान एवं भाषातत्व इत्यादि में अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। मिडिल पास करने के समय से ही आपका हिन्दी की ओर अधिक झुकाव और प्रेम रहा वह प्रेम

दिनों दिन बढ़ता ही गया और आज हम उसी प्रेम के फल से अपने सम्मेलन के सभापति के आसन पर आपको देख रहे हैं।

कार्य क्षेत्र में उतरना

सन् १८९३ ई० के मार्च मास में कालाकाँकर राज्य के स्वामी स्वर्गवासी राजा रामपालसिंह के 'हिन्दीहिन्दुस्तान' पत्र में 'लेखनी' महाशय का एक पत्र निकला था। उसे पढ़कर 'काशी' के कुछ उत्साही नवयुवकों ने 'नागरी-प्रचारिणी'-सभा स्थापित की अवश्य ही किसी संस्था के चलाने के लिये योग्यनायक की आवश्यकता होती है और नायक के व्यक्तित्वही पर संस्थाओं की स्थिति निर्भर रहती है। काशीनागरी-प्रचारिणी-सभा ने अपनी दूरदर्शिता और सौभाग्य से १६ जुलाई सन् १८९३ ई० से अपना नायक उक्त बाबू साहब को बनाया और तब से आज तक आप उक्त सभा के प्राणस्वरूप समझे जाते हैं। आप ही ने अपनी कार्यकुशलता और दूरदर्शिता से स्वर्गवासी बा० राधा कृष्ण दास बाबू कार्तिकप्रसाद, पं० लक्ष्मीशङ्कर मिश्र, म० म० सुधाकर द्विवेदी और देश के गौरव स्वरूप माननीय पं० मदनमोहन मालवीय जी जैसे महानुभावों को सभा में सम्मिलित करके यथोचित सहायता और मन्त्रणा से सभा का यह आशानुरूप स्वरूप बनाया है। सब से पहले आप सभा के मन्त्री के पद पर थे किन्तु २ अक्टूबर सन् १९०१ ई० के अधिवेशन में आप सभा के उपसभापति चुने गये और अद्यावधि इसी पदपर आप विराजमान हैं। नाम मात्र के लिये मन्त्री और उपसभापति के पद पर आप चाहे मान लिये जाँय किन्तु वास्तव में आप सभा के सर्वस्व कहे जाँय तो अत्युक्ति नहीं हैं। नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, ग्रन्थमाला और लेखमाला के जन्मदाता और उनके सञ्चालकों में आप का ही नाम प्रथम लिया जा सकता है।

सरस्वती (प्रयाग) का सम्पादन करने के लिये आरम्भ (सन् १९००) में जो सम्पादक-समिति सङ्गठित हुई थी उसके पांच सदस्यों में से आप भी एक थे और पश्चात् दो वर्षों तक एक मात्र आप ही उसके सम्पादक रहें।

पृथ्वीराजरासो, हिन्दी-वैज्ञानिक कोष, रामचरित-मानस,

हिन्दीशब्द-सागर इत्यादि ग्रन्थों के प्रकट होने के आपही मुख्य कारण हैं। चन्द्रावती, इन्द्रावती, हम्मीररासो, छत्रप्रकाश, शकुन्तला वनिताविनोद आदि ग्रन्थ-रत्नों के आपही सम्पादक हैं। प्राचीन लेखमणिमाला, हिन्दी कोविद रत्नमाला इत्यादि ग्रन्थों के आपही लेखक हैं। हस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों की खोज का कार्य भी आपही के मस्तिष्क के विचारों का फल है, आपने इस काम को सन् १६०० से १६०८ ई० तक स्वयं किया और अनेक गुप्तग्रन्थरत्न ढूढ़ निकाले। नागरीप्रचारिणीसभा (काशी) का भवन और पुस्तकालय भी आपही के परिश्रम से इस अवस्था को पहुंच गये हैं। इस समय पुस्तकालय में ६००० से अधिक पुस्तकों की सङ्ख्या कही जाती है। इसी से हम कहते हैं कि नागरीप्रचारिणी-सभा के आप उपसभापति नहीं सर्वस्व हैं।

मनोरञ्जनग्रन्थ-माला को नागरी-प्रचारिणी सभा, आपही के सम्पादकत्व में निकाल रही है। इस माला में 'इतिहास, जीवनचरित्र, काव्य, नाटक, उपन्यास, नीति. विविध विज्ञान आदि से सम्बन्ध रखने वाले एक सौ ग्रन्थ रहेंगे। इस माला के अभी तक आठ ग्रन्थ निकल चुके हैं अवश्य ही माला के सम्पादन से आपकी सम्पादकत्व शक्ति का अपूर्व परिचय मिलता है।

इन कार्यों के अतिरिक्त हिन्दीलिपिलेखन-प्रणाली, हिन्दी-व्याकरण आदि कार्यों में भी आपने बहुत योग दिया है। हमारे प्रान्तों में नागरी-प्रचार कराने के लिये जो सन् १८९७-९८ ई० में आन्दोलन नागरी-प्रचारिणी सभा ने श्रीमान् माननीय पं० मदनमोहन मालवीयजी को आगे करके उठाया था उसमें भी बाबूसाहब ने बहुत कुछ परिश्रम किया था। आप सन् १८९९ ई० से १९०९ ई० तक हिन्दू कालेज में मास्टरी एवं प्रोफेसरी का कार्य करके कुछ दिनों के लिये काशमीर दरबार की सेवा में भी रहे। आपके काशमीर चले जाने के कारण नागरीप्रचारिणी-सभा-काशी में उदासी सी छा गयी थी अतएव आपके मित्रों ने अनुरोध किया और आप पुनः काशमीर से वापस चले आये सन् १९१३ ई० से आप लखनऊ में कालीचरण हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं। आप की कार्यकुशलता देखकर इनप्रान्तों के लाटसाहब ने अप्रैल सन् १९१४ ई० में उक्त स्कूल को देखकर कहा था कि "स्कूलकमेटी का बड़ा सौभाग्य है जो उसे बनारस-निवासी

बाबू श्यामसुन्दरदास हेडमास्टर मिल गये हैं। आपकी कीर्ति केवल संयुक्तप्रान्तही में नहीं वरन बाहर भी फैल रही है"। आपकी हिन्दीसेवा और हिन्दीभाषा की भिज्ञता पर मुग्ध हो कर सन् १९१४ ई० के आर्यभाषा सम्मेलन में गुरुकुलकाङ्गड़ी के सञ्चालकों ने सभापति के आसनपर आपही को बिठलाया था।

जिस हिन्दी साहित्यसम्मेलन के आज आप सभापति चुनेगये हैं। उस सम्मेलन के जन्मदाताओं में आप भी एक प्रधान पुरुष हैं। हमारा विश्वास है कि आपके सभापतित्वमें इसवर्ष सम्मेलन अवश्यही अपने कार्यक्षेत्र की वृद्धि करके विशेष सफलता प्राप्त करेगा।

सन्तति

आप जैसे विद्वान हैं वैसेही भाग्यवान भी हैं। इस समय आप के चार पुत्र हैं जिन में ज्येष्ठ पुत्र की अवस्था लगभग २० वर्ष के है और सभी पढ़ रहे हैं। ईश्वर करें हमारे बाबू श्यामसुन्दरदास जी के ये चारों पुत्र आगे चलके श्यामसुन्दर की चारों भुजाओं के समान उनके हिन्दीसाहित्य सेवारूपी महा कार्य को उठाकर पैतृक सुकीर्ति की वृद्धि करते रहें। शुभम्

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का वार्षिकविवरण

(स- मन्त्री पं० रामकृष्ण सारस्वत द्वारा पढ़ागया)

यह बात अब पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है कि देश तथा जाति के उत्थान के लिए,देश में सर्व साधारण केसुभीते के लिए एक सुलभ भाषा की परम अवश्यकता है। अनेक वर्षों से यह प्रश्न भारतवर्ष में उठा है। वास्तव में वर्तमान भारतवर्ष की जागृति के साथ इस भाव की अधिक जागृति हुई है। जातीयता के भावों के साथ साथ भाषा के भाव का उदय होना देश की जागृति का पूरा प्रभाण है। अस्तु, एक भाषा की आवश्यकता मालूम पड़ते ही इस प्रश्न पर बहस आरम्भ हुई। कि कौनसी भाषा देश की भाषा होने का दावा रख सकती है। अपने अपने घर की अपने २ प्रान्त की भाषा सभी को प्रिय है। किसी ने पञ्जाबी किसी ने मद्रासी किसी ने बङ्गाली और किसी ने मरहठी को इस दिव्यसिंहासन पर सुशोभित होने के योग्य समझा, पर प्रत्येक अनुभवशील भाषा के तत्त्व को समझनेवाले के हृदय में इनमें से किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में भावी

विप्लव की आशङ्का प्रतीत हुई। अन्त में अब अनेक दृढ़ प्रमाणों से यह सिद्ध होगया है कि एक हिन्दीभाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। मराठी तथा गुजराती साहित्य सम्मेलनों ने भी अपने अधिवेशनों में हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने के अधिकार को सहर्ष स्वीकार किया है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अभी ६ वर्ष का बालक है परन्तु अपने जन्म से ही अपने अनेक कार्य्यों में उसने जो सफलता प्राप्त की है वह सच्चे देशहितैषियों की सहानुभूति का पूरा परिचय देता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का उद्देश्य भारतवर्ष भर में हिन्दीभाषा तथा नागरी लिपि का प्रचार करना और हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिए उपाय करना है। अपने इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने समय समय पर जिन मार्गों का अवलम्बन किया है वे सब आप को गत वर्षों के विवरणों तथा समय समय पर सम्मेलन-पत्रिका से विदित होते रहे हैं। यही नहीं इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता हुई वे सम्मेलन के महाधिवेशनों में उपस्थित प्रस्तावों द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। उद्देश्यों की सिद्धि के लिए यथासमय गवर्नमेंट से प्रार्थना की गयीं हिन्दी के लेखक तथा उपदेशक नियत किये गये पुस्तकें लिखवायी गयी नागरीप्रचारिणीसभाओं के खिलने में सहायता दी गयी पारितोषक तथा पुरस्कार दिये गये और हिन्दी-परीक्षाओं की सृष्टि की गयी। अवश्य ही इन सब कामों को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपने असङ्ख्य प्रेमियों, अवैतनिक कार्य्यकर्त्ताओं सुयोग्य सभासदों के ही भरोसे पर करता रहा है और सदैव करता रहेगा। हिन्दी प्रेमी सज्जनों ने इसे जिस प्रकार अपनाया है सर्व साधारण ने इसे जिस प्रकार की सहायता दी है, उससे सम्मेलन की सफलता अवयश्म्भावी प्रतीत होती है यही कारण है कि हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के प्रस्ताव, प्रस्ताव ही नहीं रह जाते वरन उनके अनुसार वास्तविक कार्य्य भी होता है। सम्मेलन के अधिवेशनों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार कार्य्य करते रहना ही सम्मेलन की स्थायीसतिति का मुख्य कर्त्तव्य है और वास्तव में ऐसी ही सभा से देश को कुछ लाभ हो सकता है जिसमें स्वीकृत हुए प्रस्ताव केवल लिखे हुए ही न रह जावें वरन उन पर वास्तविक

कार्य्य भी होता है। देश की और बहुत सी सभाओं और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन में यही अन्तर है। यही कारण है कि हिन्दी साहित्य-सम्मेलन आज इतना सर्वप्रिय हो रहा है। बड़े बड़े सार्वज़निक अधिवेशनों द्वारा सर्व साधारण की सहानुभूति अपनी ओर आकृष्ट करना और उनकी सम्मति से वर्ष भर कार्य्य करना सम्मेलन का मुख्य कर्त्तव्य रहा है, गत वर्ष के पूर्व तक सम्मेलन का जो कार्य्य हुआ है वह वार्षिक विवरणों द्वारा आपके सम्मुख पिछले अधिवेशनों में उपस्थित किया जा चुका है अब मैं आप लोगों के सम्मुख गतवर्ष का कार्य्य विवरण उपस्थित करता हूं

नागरी-प्रचार

हिन्दी-साहित्यसम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर में हिन्दी भाषा और नागरी-अक्षरों का प्रचार करना है। यह एक मानी हुई बात है कि जब तक अदालतों में पूर्ण रूप से हिन्दी का प्रचार नहीं हो जाता तब तक सर्व साधारण में हिन्दी का अच्छा प्रचार होना असम्भव है और यह स्वाभाविक है कि जो भाषा अदालती भाषा होगी उसे ही लोग अधिकता से सीखेंगे। बहुतसी भाषाओं के सीखने का बोझ उठाना सर्व साधारण के लिऐ सम्भव नहीं। अदालतों में सर्व साधारण का काम सदैव बनाही रहता है बस वे उसी भाषा के सीखने का प्रयत्न करेंगे जो अदालतों की प्रचलित भाषा होगी अतएव सर्व साधारण में हिन्दी का प्रचार करने के लिए अदालतों में हिन्दी का प्रचार करना आवश्यक समझकर हिन्दी-साहित्यसम्मेलन ने संयुक्तप्रान्त की अदालतों में नागरी प्रचार कराने की व्यवस्था आदि से ही की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य्य हिन्दीप्रेमा वकीलों द्वारा जितना आच्छा हो सकता है उतना और किसी के द्वारा नहीं। हर्ष की बात है कि कुछ हिन्दी प्रेमी वकील अपने कर्त्तव्य को समझने लगे हैं पर अब भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हों ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया और उन्हीं वकीलों से मेरा नम्र निवेदन है कि अब बहुत होचुका उन्हें अब अपनी मातृ भाषा की ओर ध्यान देना चाहिये यदि सम्पूर्ण हिन्दू वकील इस ओर ध्यान देनें लगें तो हमें पूर्ण आशा है कि अदालतों में शीघ्र ही हिन्दी का पर्ण प्रचार हो जाय। अदालतों में हिन्दी का

प्रचार होते ही सर्व साधारण आप ही आप हिन्दी सीख जाँयगे और उत्तमता से हिन्दी में काम करने लगेंगे। सम्मेलन की ओर से कई स्थानों में लेखक नियत हैं वे भी सदैव हिन्दी में काग़ज पत्र दाखिल करने का प्रयत्न करते हैं। इन की रिपोर्ट जो प्रतिमास सम्मेलन-कार्य्यालय में आती हैं उन से विदित होता है कि दिन पर दिन हिन्दी का काम आदलतों में बढ़ रहा है यह हर्ष की बात है। अस्तु इस वर्ष के लेखकों की कार्य्य-वाही से मालूम होता है कि सितम्बर तक कानपुर से ५४३८, अक्टूबर तक बाँदा से ३५७२ और प्रयाग से १९१४, सितम्बर तक बुलन्दशहर से १९०५ और हाथरस से १३३५ जून तक गोरखपुर से ७२३ और मिर्जापुर से ३१५ अदालतों में हिन्दी के कागज पत्र दाखिल हुये हैं। अवश्य ही यह सङ्ख्या संयुक्त प्रान्त की जन-सङ्ख्या और अदालती काम की अधिकता को देखते हुये विशेष सन्तोषप्रद नहीं है पर हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सङ्ख्या भी उन कुल कागजों की सङ्ख्या नहीं है जो संयुक्त प्रान्त से आदलतों में हिन्दी में दाखिल होते हैं। यह सङ्ख्या केवल उन कागजों की है जो सम्मेलन का जानकारी में अदालतों में दाखिल होते हैं। इससे बहुत बड़ी सङ्ख्या कागजों की ऐसी है जिसके विषय में हमें अधिक ज्ञान नहीं है। कुछ भी हो हमें यह देखकर और जानकर हर्ष होता है कि अदालतों में नागरी के प्रचार का काम दिन पर दिन बढ़ रहा है और हमारे अनेक लेखक और वकील इस सम्बन्ध में प्रशंसनीय उद्योग कर रहे हैं। साधारण लेखकों के उत्साह का पता भी इस बात से चलता है कि कानपुर और बाँदा में लेखकों का कार्य्य अवैतनिक रूप से हो रहा है।

नागरी का प्रचार प्रान्त में विशेष रूप से हो इसके लिये गत वर्ष सम्मेलन की ओर से एक उपसमिति बनायी गयी थी। समिति के संयोजक बा० भगवानदास हालना की रिपोर्ट भी आगयी है किन्तु उपसमिति द्वारा कोई उल्लेखयोग्य कार्य्य नहीं हुआ है। संयोजक जी की इस सम्मति से हम पूर्णतया सहमत हैं कि इस कार्य में वकीलों की सहायता अधिक अपेक्षित है।

परीक्षा-समिति

संयोजक बा० ब्रजराजबहादुर बी० एस०सी०एल०एल०बी०की अध्यक्षता में परीक्षा-समिति का कार्य्य इस वर्ष बड़ी उत्तमता से सफलता के साथ हुआ है। सम्मेलन की परीक्षा दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रही है इस के लिये परीक्षासमिति के कार्य्यकर्त्ताओं की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। परीक्षा-सम्बन्धी इस वर्ष क्या क्या कार्य्य हुआ यह आपको संयोजक जी की रिपोर्ट से कल विदित होगया है*।

सम्मेलन-पुस्तकालय

सज्जनों आप लोगों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि द्वितीय व तृतीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा यह स्वीकृत हुआ था कि हिन्दीलेखक तथा पुस्तक प्रकाशक अपनी अपनी पुस्तकों की एक एकप्रति तथा हिन्दीपत्रों के अध्यक्ष अपने पत्र बिना मूल्य हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कार्य्यालय में भेजने की कृपा करें। यह मन्तव्य इसलिए स्वीकृत किया गया था कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का एक निज का पुस्तकालय ऐसा हो जिसमें हिन्दी की सम्पूर्ण पुस्तकें देखने को मिल सकें। हिन्दी-साहित्य के इतिहास का पता लगाने के लिए इससे बढ़कर और कौन उपाय हो सकता है कि इतिहास की पूरी सामग्री एक स्थान पर सदैव उपस्थित रहे। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए ऐसे इतिहास की सामग्री तैयार रखना जितना आवश्यक है आप सब सज्जन भली भाँति जानते हैं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,साहित्य-सम्बन्धी सब प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहे इसके लिये यह आवश्यक है कि हिन्दी-साहित्यसम्मेलन का पुस्तकालय सर्वाङ्गसुन्दर हो हिन्दी की सम्पूर्ण पुस्तकें उसमें मौजूद रहें। हिन्दी के सम्पूर्ण पत्र उनके जन्म से लेकर वर्तमान समय तक मौजूद हों। सम्मेलन-कार्यालय में बहुधा पत्र आते हैं कि अमुक विषय की हिन्दीभाषा में कितनी और कौन कौन पुस्तकें हैं और वे कहाँ कहाँ मिलती हैं? अमुक पुस्तक किस की लिखी हुई है? अमुक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई है? जब तक सम्मेलन कार्यालय में हिन्दी की सम्पूर्ण

*जो इसी अङ्क में अन्यत्र आप पढ़ेंगे (सं०)

पुस्तकें मौजूद न हों तब तक कहाँ से इन सब बातों की सूचना पूंछने वालों को दी जा सकती है। यदि किसी विषय की कोई पुस्तक सम्मेलन-कार्यालय में नहीं आयी है तो लाचार होकर जिज्ञासुओं के पत्र का यही उत्तर देना पड़ता है कि वह पुस्तक हमारे कार्यालय में नहीं है इसलिए हम आपकी सेवा करने में असमर्थ है।

हिन्दी के सभी पुस्तक प्रकाशकों, लेखकों तथा पत्रों के स्वामिय से निवेदन है कि वे सम्पूर्ण हिन्दी-संसार के लाभ के लिये अपनी अपनी पुस्तकों तथा अपने अपने पत्रों की एक एक प्रति सम्मेलन कार्यालय में अवश्य भेजें।

इस वर्ष कुल २१७ पुस्तकें हिन्दी-साहित्यसम्मेलन कार्यालय में आयीं। इस वर्ष जो नये पत्र सम्मेलमन कार्यालय में आये हैं। उनके नाम ये हैं :—तरङ्गिणी, शारदा विनोद, व्यापारी, सारस्वत और हिन्दी-केसरी। समाचार पत्रों में भी कई ऐसे पत्र हैं जो सम्मेलन कार्यालय में नहीं आते। आशा है कि अब पत्रों के स्वामी तथा पुस्तक प्रकाशकगण इस ओर ध्यान देंगे।

साहित्यिक-विवरण

सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि साहित्यिक विवरण ऐसा बनाया जाय जिसमें हिन्दीसंसार की सम्पूर्ण आवश्यक सूचनायें हों, जिसमें हिन्दी के लेखक, प्रकाशक, समाचारपत्र, हिन्दी सभायें इत्यादि का यथोचित वर्णन हो। इस विषय में कार्य हो रहा है और आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है, पुस्तकों की सूची बहुत कुछ बन गयी है किन्तु इस कार्य को पूर्ण सफलता के साथ सम्पादन करने के लिये यह आवश्यक है कि हिन्दी के सम्पूर्ण पुस्तक-प्रकाशक, सम्पादक और सभायें हमारी सहायता करें साहित्यिक-विवरण सम्बन्धी सूचनायें कार्यालय में भेजें।

सम्मेलन-पत्रिका

यह वर्ष सम्मेलनपत्रिका के लिये कुछ अच्छा नहीं रहा। निश्चित सम्पादक का कुछ समय तक अभाव तथा प्रेस सम्बन्धी गड़ बड़ इसका कारण रहा। सम्पादक के अदल बदल में पत्रिका

समय पर नहीं निकाली जा सकी किन्तु इसका भार पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी ने अपने ऊपर ले लिया अतएव अब इसके समय पर निकालने का पूरा प्रबन्ध हो गया है और आशा है कि प्रेस की गड़बड़ी भी दूर हो जायगी। सम्मेलन पत्रिका अथवा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति न हो कर सम्पूर्न हिन्दी-संसार की सम्पत्ति है। सम्मेलन-पत्रिका आपकी है यदि उसमें त्रुटियाँ रह जाँय कि जिनके कारण घाटा सह कर सम्मेलन उसका सञ्चालन करे तो इसमें न केवल सम्मेलन-कार्य्यालय का ही वरन सम्पूर्ण हिन्दी संसार का दोष है क्योंकि इससे यह विदित होता है कि हिन्दी के हितैषी सम्मेलन पत्रिका पर अपनी दृष्टि नहीं रखते। प्रत्येक हिन्दी-भाषा भाषी सज्जन का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की मुख पत्रिका की पूर्णरीति से सहायता करें।

सम्बन्ध-सभायें

इस वर्ष ४ सभायें हिन्दी-साहित्यसम्मेलन से सम्बद्ध हुईं और अब सब मिला कर २४ सभायें सम्मेलन से सम्बद्ध हैं। अवश्य ही बहुत से स्थानों पर अभी नागरी-प्रचारिणी-सभायें स्थापित नहीं हैं। हिन्दी-प्रेमियों को चाहिये कि प्रत्येक नगर व ग्राम में एक एक नागरीप्रचारिणीसभा स्थापित करें और जो नागरी प्रचारिणी सभायें अथवा हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाली सभायें अब तक सम्मेलन से सम्बद्ध नहीं है, उनका कर्तव्य है कि वे शीघ्र ही हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लें क्योंकि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भारतवर्ष भर का हिन्दी सम्मेलन है और उसको हिन्दी के विषय में कार्य्य करनेवाली सम्पूर्ण सभाओं का केन्द्र होना चाहिये।

हिन्दी की अवस्था

कौन ऐसा हिन्दी का सच्चा सेवक होगा जो हिन्दी की उन्नति को देखकर हर्ष से गदगद न हो उठे। हर्ष की बात है कि दिनों दिन देश में हिन्दी के प्रेमी बढ़ते जा रहे हैं। नयी नयी पत्रिकाओं से नये नये समाचार पत्रों से हिन्दीसाहित्य का भण्डार भरा जा रहा है। अवश्य ही यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है इस

वर्ष हिन्दी में तरङ्गिणी, शारदाविनोद माधुरीमयङ्क, व्यापारी, सारस्वत, हिन्दीकेशरी और सत्यवादी ये पत्रिकायें नयी निकलीं-इनके अतिरिक्त प्रह्लाद, हिन्दीसमाचार, हरिश्चन्द्रकला, सत्य-युग इत्यादि पत्र नये निकले, शोक की बात है कि प्रह्लाद अब बन्द हो गया है। हिन्दी के प्रसिद्ध पत्र अभ्युदय से इस वर्ष गवर्नमेंट ने जमानत माँगी थी और सम्भव था कि उस पत्र के फिर दर्शन न होते पर हमें हर्ष है कि हमारी गवर्नमेंट ने फिर उसे पूर्ववत् निकलते रहने की आज्ञा दे दी और अब वह पुनः हिन्दी साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण होकर अपने कर्तव्य में लग गया है।

इस वर्ष हिन्दी का मान देशी राज्यों में गतवर्ष की अपेक्षा अधिक रहा। हर्ष की बात है कि हमारे देशी नरेश हिन्दी के प्रति अपने कर्तव्य को समझते जाते हैं। मैहर, राघवगढ़ और कोठी राज्यों में हिन्दी का प्रचार हुआ। अलवर नरेश ने हिन्दी के सम्बन्ध में गत वर्ष जो आज्ञा दी थी कि उनके कर्मचारी शीघ्र ही हिन्दी में लिखना पढ़ना सीख लें उसे इस वर्ष श्रीमान् ने कार्य्य रूप में परिणत कर अपनी उदारता का परिचय दिया है। अब अलवर राज्य का सम्पूर्ण काम काज हिन्दी ही में होता है। दतिया राज्य के वर्तमान महाराज ने भी अपने राज्य के सम्पूर्ण कागजातों को हिन्दी में रखने की आज्ञा दे दी है। अपने कर्तव्य-पालन के लिये इन राजा महाराजाओं को जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है। हिन्दी के प्रचार के विषय में सबसे उल्लेख योग्य बात जो इस वर्ष हुई वह गुजराती और महाराष्ट्रीय साहित्यसम्मेलनों द्वारा स्वीकृत हिन्दी के लिए उदारता पूर्ण प्रस्ताव हैं। उक्त सम्मेलनों ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा होना स्वीकार कर लिया है। हमें आशा है कि अन्यान्य प्रान्त भी जिनमें हिन्दी का पूर्ण प्रचार है वा नहीं है हिन्दी के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करने में तथा इस देश-सेवा के महत्कार्य को पूर्ण करने में अधिक विलम्ब न करेंगे।

विदेश में हिन्दी

अवश्यही यह बड़े हर्ष का समाचार है कि हमारे कर्मवीर द० अफ्रीका निवासी भारतवासी भाइयोंने अपनी मातृभूमि के महत्व को दिखलाकर अब अपनी मातृ भाषा हिन्दी की सेवा की ओर

दत्तचित्त हुये हैं और वहाँ पर अनेक हिन्दी सभायें पुस्तकालयऔर वाचनालय आदि खोलकर ही सन्तुष्ट नहीं हुये प्रत्युत हिन्दी साहित्य सम्मेलन की भी स्थापना किये हैं इसके लिये हम उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करेंगे।

अन्त में मैं उन सब महानुभावों को जिन्होंने इस वर्ष किसी भी प्रकार से हिन्दी के प्रचार में सहायता दी है सम्मेलन की ओर से धन्यवाद देकर आप के सन्मुख गत वर्ष का आयव्यय उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार है।

मि० मार्ग शीर्ष शु ० ६ सं० १६७१ ता० २६ नम्बर सन १६१४ से सि० मार्ग कृ० ८ सं० १६०२ ता० ३० नम्बर सन् १६१५ तक का

आयव्यय का चिट्ठा

आय		व्यय	
४७६०।-)१॥	पिछली बचत	६७२॥-)	कार्यालय खर्च
१७१६-)।	पैसा फंगड	५२०॥≡)।	लेखकों का वेतन
२०)	सम्बद्ध-सभा	४६।=)॥	कागजछपाई
१८-)	वकालतनामा	१०३≡)	स्टाम्प तार
६५॥-)॥	बिक्रीरिपोर्ट	३३≡)।	स्टेशनरी
१८१॥=)॥।	ब्याज	८४॥≡)	सौ अजान एक सुजान
१५।)॥	राधामोहन जी	३५१।-)	पत्रिका
१२)	रामप्रकाश	॥≡)।	पुस्तकालय
४५।=)	हिन्दीका सन्देश	७॥≡)॥	पिङ्गल
१३३)॥।	परीक्षासमिति	३४॥)॥	सामान
८२)	पदक	७६≡)	नागरी अङ्क और अक्षर
२३०)	सन्दिग्ध खाता	७१।=)॥	इतिहास
७३०६।≡)१॥		२॥≡)	रामदयालु
		१०॥-)	सत्यदेव जी
		५०)	पारितोषिक
		१०॥≡)।	फुटकर
		२३८२॥≡)।	व्यय
			बचत में
		४७५६।)॥	फिक्स डिपाजिट में
		१६।≡)॥।	सेविङ्ग बेङ्क में
		११-)॥१॥	चलता खाता में
		१३६॥=)	नगदी हाथ में
		७३०६।≡)१॥	

परीक्षा समिति के संयोजक की रिपोर्ट

सेवा में सभापति षष्ठ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग

पूज्यवर! आज मैं परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा समिति का द्वितीय-वार्षिक विवरण आप की सेवा में उपस्थित करता हूं। इस से आपको प्रतीत होगा कि संवत १९७२ में परीक्षा-समिति ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन संबन्धी परीक्षाओं के प्रचार तथा प्रबन्ध के लिए क्या काम किया और हिन्दी-साहित्य को इन परीक्षाओं से क्या लाभ पहुंचा। पूज्यवर! गत वर्ष पहला वार्षिक विवरण उपस्थित करते हुए पञ्चम हिन्दी साहित्य सम्मेलन में परीक्षा-समिति के संयोजक श्री रामदास गौड़ एम०ए० ने जिस मधुर वाणी और ललित भाषा में परीक्षा समिति के काम की आलोचना की थी वह, मुझे शोक है कि आज आप को न मिल सकेगी। अस्वस्थ होने के कारण श्रीरामदास गौड़ एम०ए० को प्रयाग छोड़ना पड़ा और वह परीक्षा समिति के काम को जो उनको अत्यन्त प्रिय है, न कर सके, तथापि उन्होंने अपने उत्साह से मुझे भी उत्साहित कर और अपने हिन्दी भाषा के असीम प्रेम के कुछ अंश का सञ्चार मेरे हृदय में कर के मुझे परीक्षा समिति के संयोजक का काम करने की आज्ञा दी। इस बात को अनुभव करता हुआ भी कि मुझ में यह काम करने की यथोचित योग्यता नहीं है तथापि गुरुजनों की आज्ञा पालन करना अपना धर्म समझ कर, सदस्यों की सहायता का भरोसा करके मैं ने संयोजक पद को स्वीकार किया है। पूज्यवर, जो उन्नति परीक्षा समिति के सञ्चालन में और जो उत्तमता परीक्षा समिति के काम में इस वर्ष होने की आशा गत वर्ष के संयोजक ने अपनी रिपोर्ट में पञ्चम हिन्दी साहित्य-सम्मेलन में बंधाई थी उक्त महानुभाव के अस्वस्थ होने के कारण फली भूत नहीं हो सकी। तथापि परीक्षा समिति ने जो कुछ काम इस वर्ष में किया है प्रशंसा के योग्य है।

परीक्षा-समिति की बैठकें

इस वर्ष परीक्षा-समिति की कुल सात बैठकें हुईं जिनमें से प्रत्येक में परीक्षा समिति का काम हुआ। इस वर्ष परीक्षाओं का

सब प्रबन्ध करने के अतिरिक्त विशेष काम परीक्षा-समिति ने जो किया वह यह था :—

परीक्षा-समिति ने उत्तमा-परीक्षा सम्बन्धी उपनियमों का निर्माण किया तथा सं० १९७३ और ७४ की उत्तमा परीक्षाओं के लिए पाठ्य विषय तथा पुस्तकें नियत कीं। सं० १९७३ की प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षाओं के पाठ्य विषय और ग्रन्थ नियत किये।

पुस्तकों का चुनाव

गत वर्ष के विवरण में संयोजक ने यह कहा था कि तीसरे नियम के अनुसार विषयों का विभाग करके प्रत्येक वर्ग के सदस्य नियुक्त कर लिये जाते और प्रत्येक विषय की पाठ्य पुस्तकों का चुनाव उन वर्गों को सौंपा जाता तो समिति को बड़ी सुगमता होती, किन्तु इस सुगम रीति से लाभ उठाने को समय चाहिये था"। इसी के अनुसार इस वर्ष के आरम्भ में ही परीक्षा-समिति ने एक विस्तृत सूची प्रत्येक विषय के वर्गियों की बनाई और हर एक विषय के वर्ग में उस विषय को जाननेवाले विद्वान हिन्दी प्रेमियों को वर्गी चुना। आशा थी कि परीक्षा-समिति को पाठ्य विषय नियत करने तथा पाठ्य पुस्तक निर्वाचन में सहायता मिलेगी। बहुत से निर्वाचित वर्गियों ने वर्गी होना स्वीकार किया पर बहुतों ने परीक्षा-समिति की प्रार्थना की स्वीकृति की कोई सूचना नहीं दी। परीक्षासमिति ने सं० १९७३ की विवरण पत्रिका बनाने के लिए वर्गियों के पास पत्र भेजे और वर्गियों से प्रार्थना की कि प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा परीक्षाओं के लिए परीक्षा विवरण बना कर भेज दें। वर्गियों की संख्या १५० से ऊपर है परन्तु समिति के पत्रों का उत्तर केवल ४ महानुभावों ने दिया। इनसे परीक्षासमिति को परीक्षा विवरण बनाने में बड़ी सहायता मिली-विशेष कर उत्तमा परीक्षा के पुरातत्व, और इतिहास विषयों का विवरण बनाने में। पूज्यवर, इससे आप को ज्ञात होगा कि गत वर्ष के संयोजक वर्गियों से सहायता की जो आशा करते थे वह सर्वथा निर्मूल रही और परीक्षा-समिति को अपने ही सदस्यों के अनुभव के ऊपर निर्भर होकर यह गहन काम करना पड़ा। विवरण-पत्रिका के देखने से आपको अवश्य कुछ त्रुटियाँ दीख पड़ेंगी परन्तु इस का

उत्तरदायित्व वर्गियों की उदासीनता अथवा परीक्षा-समिति के सदस्यों की प्रत्येक विषय से अनभिज्ञता ही है। मुझे पूर्ण आशा है कि हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी परीक्षाओं से हिन्दीभाषा की जो सेवा हो सकती है उसको समझ कर भारतवर्ष के सब हिन्दी प्रेमी परीक्षासमिति को विषय तथा पाठ्य पुस्तकें नियत करने में सहायता करेंगे और १९७४ की विवरण-पत्रिका सर्वथा दोषरहित बनेगी। उत्तमा परीक्षा के लिए पुस्तकें नियत करते समय परीक्षा-समिति को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि हिन्दीभाषा में उत्तमा की कक्षा की पुस्तकों का सर्वथा अभाव है। इस लिए परीक्षासमिति ने परीक्षार्थियों को किसी भी भाषा की पुस्तकें पढ़ कर विषय तय्यार करने की स्वाधीनता दे दी है, परन्तु उत्तर-पुस्तकें परीक्षार्थियों को हिन्दी-भाषा में ही लिखनी पड़ेंगी। परीक्षासमिति को मध्यमा परीक्षा के लिए भी अच्छी पुस्तकें मिलने में बड़ी कठिनाई हुई इस लिए परीक्षा-समिति ने यह मन्तव्य निश्चित किया कि पुस्तक लेखक उत्पन्न कर दे। इस मन्तव्य की पूर्ति में उत्तमा-परीक्षा का यह नियम बड़ा उपयोगी होगा कि "रत्न" उपाधि पाने की इच्छा रखनेवाले को उत्तमा परीक्षा में बैठने से पहले अपने निर्वाचित विषय में २०० पृष्ठ का एक निबन्ध हिन्दीभाषा में लिख कर परीक्षा समिति के संयोजक के पास भेजना होगा इस निबन्ध के योग्य समझे जाने पर ही परीक्षासमिति परीक्षार्थियों को रत्न-परीक्षा में बैठने का अधिकार देगी। यही निबन्ध परीक्षासमिति पुस्तकाकार छपवा लेगी और धीरे २ प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षाओं के लिए सुन्दर पुस्तकें तय्यार हो जायँगी।

गत वर्ष की परीक्षाएँ

सं० १९७२ में पहले पहल मध्यमा-परीक्षा ली गयी उसमें ४७ परीक्षार्थियों ने आवेदनपत्र भेजे जिनमें से १५ परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और १० परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। ६ प्रथम श्रेणी में और ४ द्वितीय श्रेणी में। इस वर्ष, प्रथमा परीक्षा के लिए १६६ परीक्षार्थियों ने आवेदनपत्र तथा शुल्क भेजे ७७ परीक्षा में बैठे और ५५ उत्तीर्ण हुये। ११ प्रथम

श्रेणी में २० द्वितीय और २४ तृतीय श्रेणी में। ८ कन्याओं ने प्रथमा परीक्षा के लिए आवेदनपत्र भेजे, ५ परीक्षा में बैठीं और ४ उत्तीर्ण हुईं। आवेदनपत्रों की सङ्ख्या से प्रतीत होता है कि साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं के लिए हिन्दी-प्रेमियों में आदर हो चला है उन्नति आशाजनक है। आवेदनपत्रों की इतनी अधिक सङ्ख्या होने पर भी मध्यमा में ४७ में से केवल १५ ने परीक्षा दी और प्रथमा में १६६ में से केवल ७७ परीक्षा में बैठे। इसके दो कारण जान पड़ते हैं। प्रथम, अभी तक सम्मेलन परीक्षाओं का यथोचित प्रचार न होने के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षाओं की सूचना तथा विवरण-पत्रिका देर से मिली। हिन्दी के प्रेम के कारण परीक्षार्थियों ने शुल्क तो भेज दिया पर परीक्षा के लिए तय्यार न हो सके। दूसरा, और मेरी राय में विशेषकारण यह प्रतीत होता है कि परीक्षार्थियों को नियत पुस्तकें मिलने में बड़ी कठिनाई पड़ी इसका कारण यह है कि हिन्दी भाषा के पुस्तकविक्रेता तथा प्रकाशक कम हैं। गत वर्ष के संयोजक ने इस कठिनाई का अनुभव करते हुए अपने विवरण में कहा था कि, हमारे देश के पुस्तक विक्रेता अंगरेजी विश्वविद्यालयों की पुस्तकें मँगवा कर रखते हैं, पर हिन्दी-प्रेमी पुस्तकविक्रेता अभी ऐसे नहीं हैं कि हमारी परीक्षाओं के लिए भी वैसे ही प्रबन्ध करें। परीक्षा-समिति ने हिन्दीभाषा के समाचारपत्रों में विवरण पत्रिका बनाने के पहले यह सूचना निकाली थी कि पुस्तक लेखक तथा विक्रेता जो पुस्तक सम्मेलन परीक्षाओं में नियत करवाना चाहें उसकी एक प्रति परीक्षा-समिति के पास भेजदें परन्तु परीक्षा समिति को ४, ५ पुस्तकें ही प्राप्त हुईं। मुझे पूर्ण आशा है कि आगामी वर्षों में पुस्तक लेखक तथा प्रकाशक ऐसी उपेक्षा न करेंगे। परीक्षा-समिति ने यह निश्चय किया है कि प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षाओं की नियत पुस्तकें सम्मेलन कार्यालय में विक्री के लिए रक्खें। उत्साही पुस्तक विक्रेताओं के अभाव के कारण ऐसा करना पड़ा। अब यह कठिनाई परीक्षार्थियों को न होगी।

परीक्षा में कन्याएँ

यह बात बड़ीही संतोषजनक है कि इस वर्ष की प्रथमा परीक्षा में कन्याओं ने भी परीक्षा दी। अभी तक विवरण-पत्रिका में कन्याओं

के लिए स्त्री जाति के उपकारक विषय नियत नहीं किये हैं क्योंकि परीक्षासमिति को ऐसी आशा न थी कि इतनी जल्दी ऐसी सफलता होगी। आगामी वर्ष में विवरण-पत्रिका बनाते समय परीक्षासमिति कन्याओं के लिए विशेष सुविधा उपस्थित करेगी।

परीक्षक तथा व्यवस्थापक

पूज्यवर! परीक्षासमिति को अपना काम सफलतापूर्वक समाप्त करने में व्यवस्थापकों तथा परीक्षकों से जो सहायता मिली है उसके लिए परीक्षासमिति उनकी कृतज्ञ है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि कतिपय हिन्दी प्रेमी सज्जन परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाओं का उचित प्रबन्ध न करते और यदि परीक्षक अवैतनिक होने पर भी उत्तमता से अपने काम को न करते तो परीक्षासमिति इन परीक्षाओं को कभी भी पूरा न कर सकती। पूज्यवर, लखनऊ केन्द्र में आप व्यवस्थापक थे और प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षाओं में परीक्षक भी थे। आप को पूरा अनुभव है कि इन कामों के करने में कितना समय व्यवस्थापकों तथा परीक्षकों को लगाना पड़ता है। परीक्षासमिति को ही नहीं वरंच सब हिन्दी प्रेमियों को व्यवस्थापक तथा परीक्षक महानुभावों को धन्यवाद देना चाहिए। इस साहित्य-सम्मेलन में दूर दूर से आये हुए प्रतिनिधियों तथा अन्य उपस्थित हिन्दी भाषा प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में मुख्य मुख्य स्थानों पर यदि हो सके तो हर ज़िले में हमारी परीक्षाओं का केन्द्र बनाने का प्रयत्न करें, जिससे हमारी परीक्षाओं में बैठनेवाले परीक्षार्थियों को सुविधा हो जावे और बिना बहुत व्यय किये परीक्षा में बैठ सकें। पूज्यवर, मुझे आशा है कि उपस्थित महानुभाव अवश्य सम्मेलन परीक्षाओं के प्रचार तथा प्रबन्ध में दत्तचित्त होंगे और आगामी वर्ष कितने ही और परीक्षा केन्द्र बन जायँगे।

उत्तर-पुस्तकें

पूज्यवर! इस वर्ष परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों पर परीक्षकों ने जो आलोचना की है उससे यह आशा बँधती है कि हमारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थी शीघ्र ही हिन्दी-साहित्य की सेवा करने के योग्य हो जावेंगे। हमारे इस वर्ष के विशारदों की उत्तर-पुस्तक बहुत ही उत्तम कोटि की थीं। हमको विश्वास होता है कि हमारे

विशारद अपनी योग्यता के कारण सर्व साधारण में हमारी परीक्षाओं के लिए आदर उत्पन्न कर देंगे।

पदक

इस वर्ष के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में जो पदक तथा पुरस्कार के अधिकारी हुए हैं उनकी सूची आप की सेवा में उपस्थित की जायगी इससे आप को ज्ञात होगा कि पञ्चम साहित्य-सम्मेलन में जिन महानुभावों ने पदक तथा पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा की थी उनमें से किन किन ने अपनी प्रतिज्ञा पालन करने की कृपा की है। जिन महानुभावों ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार पदक तथा पुरस्कार परीक्षासमिति के पास भेज दिये हैं उनको परीक्षासमिति की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। जिन महानुभावों ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार पदक नहीं भेजे हैं उनको भी मैं धन्यवाद इस लिए देता हूं कि उनकी प्रतिज्ञा के कारण ही बहुत से परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने के लिए उत्साहित तथा उत्तेजित हुए हैं।

धन्यवाद

सं० १९७३ की परीक्षाओं की विवरणपत्रिका का प्रचार करने के लिए हिन्दी पत्र-सञ्चालकों से प्रार्थना की गयी थी कि वे अपने पत्रों में विनामूल्य विवरणपत्रिका का विज्ञापन छाप दें। मुझे यह कहने में बड़ा हर्ष होताहै कि बहुत से समाचारपत्रों ने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है और ऐसे पत्र बहुत कम हैं जिन्होंने हमारी प्रार्थना पर ध्यान न दिया हो। मैं समझता हूं कि इससे शीघ्र ही हमारी परीक्षाओं का हाल सर्व साधारण को मालूम हो जायगा। मातृ भाषा की सेवा से जो सन्तोष पत्र सञ्चालकों के हृदय में उत्पन्न हुआ होगा वही इनके लिए यथोचित पुरस्कार है।

पूज्यवर! आप की सेवा में मुझे अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप और इस सम्मेलन के प्रतिनिधि मुझे उन त्रुटियों के लिए क्षमा करें जो मेरे इस विवरण में हों क्योंकि मैं ने पहले ही निवेदन कर दिया है कि मैं हिन्दी भाषा का ज्ञाता नहीं। भाषा सम्बन्धी भूलें मुझसे बहुत सी हुई होंगी, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अन्त में परीक्षा-समिति की ओर से मैं उन सब महानुभावों को धन्यवाद देता हूं जिन्हों ने परीक्षा समिति को सहायता दी है।

अन्तिम निवेदन

हिन्दी-प्रेमियों से मेरा यह निवेदन है कि अब हिन्दी भाषा के बल का अनुभव करें और हिन्दी भाषा को दीन हीन समझना छोड़ दें। क्या वह भाषा हीन कही जा सकती है जिसका साहित्य कमसेकम १२०० वर्ष का पुराना हो, क्या वह भाषा हीन है जिसमें सूर और तुलसी जैसे कवि अपनी कविता कर गये हों और क्या वह भाषा हीन है जिसके १० करोड़ बोलनेवाले हों? नहीं! हिन्दी भाषा हीन इसी लिए समझी जाती है कि हम लोग हिन्दी भाषा के साहित्य तथा साहित्य के इतिहास से अनभिज्ञ हैं। हिन्दी प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि सर्व साधारण में हमारी परीक्षाओं का प्रचार कर के हिन्दी साहित्य के अच्छे ज्ञाता उत्पन्न करने का प्रयत्न करें।

पूज्यवर! हमारे विशारद और प्रथमा परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तथा उत्तीर्ण कन्याएँ आज उपाधिपत्र तथा प्रमाण पत्र आप के करकमलों से पावेंगे। हिन्दी भाषा के लिए वह दिन बड़े सौभाग्य का होगा जब आप के आशीर्वाद से दृढ़ मनोरथ हो कर वे आप का अनुकरण करेंगे।

पूज्यवर, आप इनको आशीर्वाद दीजिये कि वह भी आपके जैसे मातृभाषा-प्रेमी तथा सेवक हों।

ब्रजराज

सम्मेलन द्वारा सङ्गठित परीक्षाओं का महत्व

[लेखक-एक अज्ञात हिन्दी हितैषी]

हमारे प्रजाप्रिय राज राजेश्वर ने श्री मुख से आज्ञा की थी—

"यह मेरी इच्छा है कि देश भर में पाठशालाओं और विद्यालयों का ताना बाना सा फैल जाय जिन में से राजभक्त, पुरुषार्थी और उपयोगी नागरिक निकलें जो शिल्प, कृषि एवं जीवन के सभी व्यापारों में अपनी बात रख सकें। और मेरी मनोकामना यह भी है कि विद्या के प्रचार से और ऊंची श्रेणी का विचार और ऊंचे परिमाण का सुखी जीवन आदि जो जो विद्या के अनुगामी रूप हैं सब के प्रसार से मेरे भारतीय प्रजाओं के घर घर प्रकाशमय हो जायँ और उन्हें अपने परिश्रम का मधुर स्वाद मिलने लगे। मेरी मनोकामना शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण होगी और भारतवर्ष में विद्या प्रचार का उद्देश्य सदैव मेरे जी से लगा रहेगा।"

राजराजेश्वर की यह मनोकामना कैसे पूर्ण होगी ? क्या अंग्रेजी के माध्यम से भारत में घर २ विद्या का प्रकाश फैल जायगा ? क्या कृषकों को अपने परिश्रम का स्वाद अंग्रेजी के माध्यम से मिलने लगेगा ? क्या भारतीय किसान और मजदूर ऊंचे ऊंचे विचार कभी अंग्रेजी में करेगा ? जिस देश में उसे अंग्रेजी बोलने वाले ही चारों ओर मिलते हैं, अफ्रिका, फिज़ी, डमरेरा, ट्रिनीडाड आदि उपनिवेशों में, जहां उसे अपनी देशी भाषा की गन्ध तक नहीं मिलती, क्या वहाँ वह अंग्रेजी में सोचने लग जाता है ? क्या कोई भी मनुष्य, विदेशी भाषा में कितना ही बड़ा पण्डित क्यों नहो, अपने नित्य के विचार मातृ भाषा को छोड़ अन्य किसी भाषा में करने लग जाता है ? ऐसा करना एकदम अस्वाभाविक है। जिस भाषा को मनुष्य अपनी माता के स्तन से पान कर रहा है, जिस भाषा ने उसके अत्यन्त आरम्भिक विचारों को अपनी काट छांट अपने तौर तरीके' अपने रङ्ग ढङ्ग, अपने फैशन का रूप दिया है और अपनी पोशाक पहनायी है' उसे छोड़, बेजोड़, बेमेल, बेनाप वाली नयी भाषा में स्वच्छन्दता पूर्वक चञ्चल मानसिक कल्पनाओं का सञ्चालन करना बड़ा कठिन साधन है।

राजराजेश्वर की मनोकामना पूर्ण होने का एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि देशी भाषाओं में ही सब तरह की शिक्षा दी जाय। अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाकर मनुष्य की सारी मानसिक शक्तियाँ विकसित हो जायँगी और जो समय एक विदेशी भाषा रूपी कठिन आवरण के भीतर से उच्च विचार और उच्च ज्ञान को खोल निकालने में व्यर्थ नष्ट होता था' वह सहज ही नये विचार और नये आविष्कार में लगकर देश के गौरव और महत्व का कारण होगा।"

वर्तमान लेखक ने गत वर्ष के सम्मेलन के अवसर पर अपने माध्यम विषयक लेख में यह भली भाँति दरसाया था कि हमारे राज राजेश्वर की मनोकामना पूर्ण होने का एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो। उपर्युक्त अवतरण से यह बात स्पष्ट है। देश के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब कि पाश्चात्य सभ्यताभिमानी नन्हें २

देश जिनकी जनसङ्ख्या हिन्दी बोलने वालों की अपेक्षा अत्यन्त थोड़ी है, जिन की सभ्यता भारतवर्ष की अपेक्षा अभी कल की ही कही जा सकती है, उनके यहाँ दो दो चार चार ही नहीं प्रत्युत इक्कीस इक्कीस में विश्वविद्यालयों अपना ही देशीभाषा में शिक्षा दी जाती है और उसी दशा में साढ़े तेरह करोड़ मुखों से बोली जाने वाली संसार की प्राचीन सभ्यता का गौरव रखने वाली हमारी राष्ट्रभाषा में ऊंची से ऊंची शिक्षा देनेवाला एक भी विश्वविद्यालय न हो, यह कैसे शोक की बात है। मनुष्य को अन्य समस्त प्राणियों से उत्तम बनाने वाली और सारी सभ्यता और स्वाधीनता की माता शिक्षा देवी की अवहेलना कर के उसे अपने समुचित राष्ट्रीय अलङ्कारों से वञ्चित कर के उसके किसी अङ्ग को शोभा न देनेवाले पाश्चात्य वस्त्रभूषणों को पहना कर उसकी पूजा के बदले, जान कर अथवा बेजाने ही, हमारे देश के राजपुरुषों और राष्ट्र के सूत्रधारों ने जो अत्याचार किया है उस के दुःखद परिणाम से हमारी यथेष्ट उन्नति में जितनी बाधा पड़ी है, मातृभाषा-प्रेमियों के समक्ष प्रत्यक्ष है। संसार में भारतवर्ष जैसे प्राचीनतम और विशिष्ट गौरव रखता है उसी प्रकार यह विचित्रता और अनोखापनभी इसी अभागे देश में है कि उसके बालकों को मातृभाषा छोड़ सात समुद्र तेरह नदी पार की विदेशी भाषा में शिक्षा दी जाती है। शिक्षा में राष्ट्रभाषा का उचित स्थान पाना ऐसे महत्व का प्रश्न है कि इस विषय में जितना आन्दोलन किया जाय थोड़ा है। सम्मेलन का हिन्दी-भाषाप्रचार-विषयक उद्योग यदि शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा को बना देने में तत्परता पूर्वक रहे तो कुछ दिनों में सरकार, कचहरी, दरबार, जमीन्दारी और व्यापार संस्था, समाज और बाज़ार सर्वत्र राष्ट्रभाषा का प्रचार देखने की आशा करना निर्मूल न होगा। सम्मेलन ने इसे अपना उद्दिष्टविषय बना रक्खा है और यह थोड़े हर्ष की बात नहीं है कि उसने भरसक अपने इष्टसाधन के उपाय भी किये हैं। इन्हीं उपायों में सब से मुख्य सम्मेलन संस्थापित परीक्षायें हैं जिन पर हमें विचार करना है।

पाठकों को विदित है कि भागलपुर वाले चतुर्थ सम्मेलन ने एक समिति बनाकर उसे परीक्षाओं के नियम बनाने का कार्य्य

सौंपा था। उस समिति ने केवल साहित्यकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ नियम बनाये किन्तु जब वह नियमावली स्थायीसमिति में विचारार्थ उपस्थित की गयी, सर्वसम्मति से यह नीति निश्चित हुई कि साहित्य शब्द अपने व्यापक अर्थ में लिया जाय और सम्मेलन से परीक्षाओं में जो लोग उत्तीर्ण हों वे एकदेशी विद्वान न हो कर सभी ज्ञातव्य विषयों को कुछ न कुछ जानें। आधुनिक शिक्षा की सर्वमत प्रणाली भी यही है कि शिक्षित मनुष्य एक विद्या में पारङ्गत होते हुए संसार की सभी विद्याओंसे थोड़े बहुत अभिज्ञ हो जायँ। इसी दृष्टि से परीक्षाओं में काव्य और भाषाभिज्ञता को प्रधानता देते हुए इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, धर्म्मशास्त्र, ज्योतिष आदि सभी विषयों का समावेश किया गया और परीक्षाओं का क्रम ऐसा रक्खा गया कि परीक्षार्थी अपनी इच्छा के अनुकूल वैकल्पिक विषयों को चुनकर विशेष कठिनाई भी न प्रतीत करे और साथ ही साथ योग्यता भी उसकी ऐसी हो कि सम्मेलन से पायी हुई उपाधि सचमुच सार्थक हो। इस नीतिका विस्तार करके उपनियमों का बनाना तथा परीक्षाओं का उपयुक्त रीतिपर सम्पादन भी एक प्रतिवर्ष निर्वाचित होनेवाली समितिको सौंपा गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि परीक्षा-समिति ने परिस्थितिपर पूरा विचार करके अबतक बड़ी योग्यता से इन परीक्षाओं को चलाया है और उसकी नयी विवरणपत्रिका से स्पष्ट होता है कि उत्तमा-परीक्षाके विषय में भी उस का कार्य्य क्रम ऊंचे आदर्श से उत्तेजित है।

साहित्य-सम्मेलन सरस्वतीभक्त होने के कारण लक्ष्मी का कृपापात्र नहीं है। यदि इस को देश के धनिकों की यथेष्ट सहायता मिलती तो जिस ऊंचे आदर्श को लेकर उसने परीक्षा लेने का अनुसन्धान किया है उसी उच्च आदर्शपर शिक्षा देने का भी प्रबन्ध करता। इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि हिन्दी का माध्यम लेकर सब विषयोंमें शिक्षा देनेवाली संस्थाएं तो गुरुकुल कांगड़ी ज्वालापुर महाविद्यालय और ऋषिकुल के रूपमें विद्यमान ही हैं परन्तु साथ ही यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह और इनके सिवा काशी आदि की और भी संस्कृत शिक्षा देनेवाली संस्थाएं हिन्दी

द्वारा शिक्षा तो देती हैं पर हिन्दी का नाम ही नाम है। हिन्दी साहित्य का स्थान वहाँ संस्कृत ने उसी प्रकार ले रक्खा है जिस प्रकार अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रजी ने। यह संस्थाएं हिन्दी को माध्यम होने का गौरव भले ही देती हों पर उसे फिर भी इन्हों ने वस्तुतः पदच्युत कर रक्खा है। यही बात है, कि हम सम्मेलन की दृष्टि से इन संस्थाओं को हिन्दी साहित्योपकारिणी संस्था नहीं मानते। इन संस्थाओं के स्नातक भी हिन्दी के काव्यों से उसी प्रकार अनभिज्ञ रक्खे जाते हैं जिस प्रकार अंग्रेजी के ग्रेजुएट। हम शिकायत करते हैं कि प्रयाग के विश्वविद्यालय में राष्ट्रभाषा को उच्च परीक्षाओं में स्थान नहीं मिलता परन्तु हमारे विश्वविद्यालय वा महाविद्यालय नामधारी स्वतंत्र संस्थाओं में ही बिचारी हिन्दी की क्या दशा है? जिन संस्थाओं में हिन्दी के ही सपूतों का शासन है उनमें हिन्दी काव्य साहित्य विषयक एक भी परचा होता है? हमें कहते खेद होता है, कि हिन्दी की परीक्षाओं के सम्बन्ध में इन संस्थाओं का नाम लेना भी हमारे चित्तमें लज्जा, निराशा, और दुःख उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकता।

उपयुक्त विद्यालय के अभाव में सम्मेलन ने परीक्षा लेने की रीति का अवलम्बन कर राष्ट्र भाषा के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अत्युत्तम उपाय निकाला। भारतवर्ष में प्रयाग, बम्बई, कलकत्ता, मदरास, पंजाब आदि के जितने विश्वविद्यालय अबतक हैं सभी आईन के विषय को छोड़ कर प्रायः परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं।

इनकी रचना लंडन के विश्वविद्यालय के आदर्श पर हुई है। इगलैंड के आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज आदि तथा जर्म्मनी फ्रांस, अमेरिका प्रभृति देशों के विश्वविद्यालय प्रायः सभी शिक्षा देते हैं। भारतवर्ष में शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयों के अभाव पर ही हिन्दू विश्वविद्यालय, पटना तथा ढाका आदि के विश्वविद्यालय के निर्म्माण का आन्दोलन हो रहा है। साथही कलकत्ता, प्रयाग आदि के विश्वविद्यालय भी अनेक काल तक परीक्षक संस्था हो कर अब शिक्षक संस्था बनने पर प्रवृत्त हुए हैं।

इन घटनाओं पर विचार करके हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा समिति के इस तीसरे वर्ष में उसकी उन्नति देख कर, उसके आदर्श को अपने सामने रख, क्या हम यह आशा नहीं कर सकते कि यह संस्था बहुत शीघ्र ही हिन्दी का परीक्षक विश्वविद्यालय बनजाने के मार्ग पर आरूढ़ है और क्या यह भी कोई असंभव कल्पना है कि अन्य परीक्षक संस्थाओं की नाई यह भी धीरे धीरे शिक्षक संस्था में परिणत होजाय ?

यह सच है कि इस के आधीन कोई पाठशाला वा विद्यालय अभी नहीं है और न कोई संस्था-विशेष इस की परीक्षाओं को ही लक्ष्य करके परीक्षार्थी तय्यार करती है। परीक्षा का प्रचार होने पर अन्तिम बात शीघ्र संभव भी है। परन्तु इसके काम में किसी संस्थाकी अधीनता का अभाव कोई रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि शिक्षा तथा उस में सफलता की लालसा स्वाभाविक है और मातृभाषा से अनुराग भी अप्राकृतिक नहीं है। किसी एक सभ्य भाषा पर इतना अधिकार हो जाना कि उसमें अपने विचारों और अपनी मनोगत कल्पनाओं का प्रतिरूप सहज ही खींच सकें, पढ़े लिखे मनुष्यों में ऐसी उत्कट इच्छा का होना भी स्वभावानुकूल ही है। सो यह भी स्पष्ट है कि ऐसा अधिकार मातृभाषा छोड़ और किसी भाषा पर होना स्वाभाविक नियमों का अपवाद ही है । साथ ही, अनेक मातृभाषासेवी अपनी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, परीक्षा के बहाने हिन्दी काव्य साहित्यके अनुशीलन में इस लिए प्रवृत्त होंगे कि परीक्षा और स्पर्द्धा मन को उत्तेजना देती है। इन परिस्थितियों को समझकर अन्य परीक्षक-संस्थाओं की सुविधा के अभाव में भी परीक्षासमिति को अवश्य ही सफलता होगी, ऐसी आशा हमें अनुचित नहीं जंचती।

हिन्दी को माध्यम बना कर जो संस्थाएं शिक्षा दे रही हैं, उनसे फिर भी हम आशा कर सकते हैं कि अपनी वर्तमान नीति में थोडी सी वृद्धि कर के हिन्दी साहित्यको भी शीघ्र स्थान दें और इस लाञ्छना को जल्दी दूर कर दें कि हिन्दीप्रेमी स्वयं अपनी संस्थाओं में हिन्दी का आदर नहीं करते ।

जबसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हुआ, स्कूल वा

कालिज का प्रमाणपत्र नौकरीके लिए एक मात्र पासपोर्ट सा हो गया। गवर्नमेंट ने पास वालों को ही आदर का पात्र बनाकर ऐसा बड़ा दृढ़ प्रमाण भारतीयों के सामने रख दिया कि शिक्षा का वह आदर्श-कि शिक्षा स्वयं आत्मोद्धार और आत्मोन्नति का द्वार है हमारे देश निवासी छोटे बड़े सभी एक दम भूल गये। विश्वविद्यालय की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य अब जीविका ही समझी जाती है। ऐसी दशा में, इस प्रकार आदर्शच्युत लोग यदि यह प्रश्न करें कि तुम्हारी परीक्षाओं से क्या लाभ है, तो आश्चर्य्य ही क्या है? लोगों का यही विचार है कि परीक्षा की उपयोगिता जीविका ही में है। इसीलिए यह वांछनीय है कि समस्त हिन्दी हितैषी श्रीमान् लोग अपने यहां जहां कहीं जीविका का सहारा हो हमारे यहां के परीक्षोत्तीर्णों का ही आदर करें, उन्हें ही यथासंभव जगह दें जिससे उन्हें अपनी मातृभाषा में सुयोग्य बनने की उत्तेजना हो। शिक्षालयों, न्यायालयों, तथा साधारण कार्य्यालयों में जहां कहीं राष्ट्रभाषा का आदर है वहां ही हमारे परीक्षोत्तीर्णों का भी आदर होना आवश्यक है। इस ओर थोड़ी सी प्रवृत्ति अभी दृष्टि गोचर हो रही है और आशा है कि दिनों दिन यह प्रवृत्ति बढ़ेगी। उचित यह है कि जहां कहीं हिन्दी के योग्य जगह ख़ाली हो सम्मेलन के परीक्षोत्तीर्णों को उसी प्रकार पहला अवसर दिया जाय जिस प्रकार सरकारी दफ़्तरों में युनिवर्सिटी वालों को मिलता है। देश का यह सम्मान बड़ी उत्तम रीति से हिन्दी साहित्य के अनुशीलन का उत्तेजक होगा।

यह शिकायत नयी नहीं है कि हिन्दी नार्मल पास भी हिन्दी की विशेष अभिज्ञता नहीं रखते। पिगट कमिटी ने भी इसे स्वीकार ही किया था। बल्कि इस बात को स्वीकार करते हुए हमारी सरकार ने यह भी प्रकट किया था कि यदि विशेष परीक्षाओं के द्वारा यह त्रुटि दूर हो तो उस विषय के प्रस्तावों पर सरकार विचार भी करेगी और संभवतः यह अभी विचाराधीन ही है। ऐसी दशा में हमारी परीक्षाओं की अत्यन्त आवश्यकता घटना पटपर दृढ़ता से अंकित समझी जानी चाहिए और जबतक और किसी उपाय से हिन्दी में अधिक योग्यता रखने वाले शिक्षक

नहीं मिलते तब तक हमारी परीक्षाएं ही साहित्य की योग्यता की कसौटी समझी जानी चाहिए ।

इन परीक्षाओं से परीक्षार्थियों का जो कुछ लाभ होगा उसके अतिरिक्त उत्तम साहित्य के निर्म्माण में भी यह संस्था एक महत्व का कारण होगी। हिन्दी में उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों के अभाव की शिकायत तो चिरकाल से की जा रही है । विश्वविद्यालय में हिन्दी का उचित आदर न होना भी इसी कारण बतलाया जाता है इसी शिकायत की ओट से अब तक उच्च परीक्षाओं में हिन्दी नहीं रक्खी गयी है। परन्तु एक अंश तक यह भी सच है कि जो सामग्री तय्यार है उससे भी काम नहीं लिया गया है। परीक्षा समिति ने पहले अपनी प्रस्तुत सामग्री को टटोला है। जहां तक काव्य का सम्बन्ध है हिन्दी की सामग्री पूर्ण बिलकुल पूर्ण है। मध्यमा और उत्तमा दोनों कक्षाओं के लिए पुस्तकें मौजूद हैं। किसी को यह कहने का अधिकार नहीं कि यदि युनिवर्सिटी में बी० ए० एम० ए० में हिन्दी काव्य साहित्य रक्खें तो उपयुक्त ग्रंथ नहीं मिलते। यह शिकायत झूठ और सर्वथा झूठ होगी। सम्मेलन की मध्यमा और उत्तमा की कठिनाई का तो कहना क्या, प्रथमा ही के ग्रन्थों को लोग कठिन कहते हैं। काव्य के सिवा और विषयों में ग्रन्थों की, और अच्छे ग्रन्थों की बहुत बड़ी कमी है । इस कमी को साधारण लोग इतने अधिक परिमाण में नहीं समझ सकते जितनी परीक्षा समिति के उन सदस्यों को प्रतीत होती है जो पाठ्य ग्रन्थ चुनने बैठते हैं। परीक्षा समिति के काम में यह कठिनाई आड़े आरही है और सम्मेलन को बहुत शीघ्र उपयुक्त ग्रन्थों के निर्म्माण और प्रकाशन का बन्दोबस्त करना होगा। किन किन विषयों पर ग्रन्थ बनने चाहिए उनका निर्देश सम्मेलन के ही लेखों में होचुका है, परन्तु नामावली को छोड़ उन लेखों में यह आवश्यकता उतनी दृढ़ता से और उतने विस्तार से नहीं दिखायी गयी थी जितनी कि परीक्षा समिति की नयी विवरण पत्रिका ढँढोरा पीट पीट कर रही है। विवरण पत्रिका में गणित और विज्ञान की विषय सूची जो मध्यमा परीक्षा के लिए दी गयी है अथवा इतिहास, अर्थ शास्त्र, राजनीति आदि की सूची जो उत्तमा के लिए दी गयी है, ग्रंथों के अभाव से

ही अंग्रेजी में दी हुई है और परीक्षार्थियों को किसी भाषा से पढ़कर हिन्दी में उत्तर लिखने का अधिकार दिया गया है। अब तक सभी कहते आते थे कि जब ग्रंथों की आवश्कता होगी ग्रन्थ आप बनेंगे। उत्साही ग्रन्थकारो! लो परीक्षासमिति ने वह आवश्यकता भी पैदा कर ही दी। इतना ही नहीं, उसने ग्रन्थ लिखवाने का भी उपाय किया है, यद्यपि अभी वह ग्रन्थ उत्तमा की कोटि के होने सम्भव नहीं। उसने प्रतिज्ञा की है कि वे ही परीक्षार्थी उत्तमा में बैठ सकेंगे जो अपने निर्वाचित विषय पर एक २०० पृष्ठों का ग्रन्थ लिखकर देंगे और वह स्वीकृत हो जायगा। एक ओर से तो उत्कृष्ट योग्यता की वैसी परीक्षा है जैसी संसार के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ली जाती है। दूसरी ओर से हिन्दी माता के भांडार को भरना तथा एक नया लेखक बनाकर खड़ा कर देना है। कठिन होते हुए भी हम इस अत्यन्त उपयोगी नियम के लिए परीक्षा समिति की भूरि भूरि प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते।

व्यवहार क्षेत्र में साहित्य की त्रुटियों को भली भाँति दरसा कर, और भरसक उन त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करके, इस परीक्षक संस्था ने सम्मेलनोचित एक बड़े महत्व का काम किया है। साथ ही उसने ऐसे लोगों के मन में भी उस हिन्दी के प्रति गौरव उत्पन्न कराया जो उसे केवल व्यापारियों और कारबारियों की एकमात्र सम्पत्ति और तिरस्कार के योग्य समझते थे। अनेक पंडितंमन्य उसकी परीक्षा तथा पाठ्यक्रम और ग्रन्थों पर विचार करके लाचार हो उसके महत्व को मानने लगे। सच बात तो यों है कि न जाने कितने हिन्दी-हितैषी अब तक यह भी नहीं जानते कि जिसे हिन्दी कहते हैं उसमें कोई साहित्य भी है। उसमें पढ़ने योग्य बड़े बड़े ग्रन्थ भी हैं। उसके कवि संसार के नामी कवियों में गिने जाने योग्य हैं। उसके बोलने वालें साढ़े तेरह करोड़ और समझने वाले लगभग बाईस करोड़ के हैं। इन बातों को सहज ही प्रसिद्ध करने के लिए, इनकी सर्वसाधारण में अभिज्ञता उत्पन्न करने के लिए सम्मेलन की परीक्षाएं अमूल्य साधन हैं।

परन्तु परीक्षा-समिति जिस प्रकार देश की इस सेवा में चुपचाप लगी हुई है, उसी प्रकार उसे देश से भी अनेक आशाएं हैं।

परीक्षा-समिति का काम सच पूछिये तो एक परीक्षक विश्व-विद्यालय का काम है अगरेज़ी परीक्षक विश्वविद्यालयों को साहित्यिक सामग्री सुलभ है और उनके पास धन यथेष्ट है। हमारे इस परीक्षक विश्वविद्यालय के पास दो में से एक भी नहीं है। उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों के अनुभव का लाभ है, यह अपने ढंग की पहला और अनूठी संस्था है और अपने ही पैरों खड़ी हुई है। उनके काम करने वाले अवैतनिक और वैतनिक दोनों राजमान्य हैं और अनेक हैं, इसके काम करनेवाले सभी अवैतनिक हैं और थोड़ी संख्या में हैं, तथा विद्वान् होते हुए भी उन्हें राजाश्रय नहीं है। उनके परीक्षक प्रत्येक उत्तर पुस्तक की जँचवाई पाते हैं परन्तु इसके परीक्षक सभी अपने अमूल्य समय को इस बेपैसे वाले काम में लगाते हैं, उनकी आय फ़ीस से यथेष्ट है और फ़ीस भी बहुत है, हमारी आय व्यय के लिए पर्य्याप्त ही नहीं होती तिस पर भी फ़ीस अत्यन्त कम है। हम कहाँ तक गिनावें. हमारी कठिनाइयों की उनसे तुलना ही क्या? परन्तु परीक्षा समिति इन सारी कठिनाइयों को भुगतते हुए भी अपना काम चलाये जा रही है। इसके स्वार्थत्यागी कार्य्याधिकारी ऐसी दशा में देश से बड़ी दृढ़ आशा रखते हैं। धृतिपूर्वक उनके काम करते जाने में यह आशा बड़े बल का कारण हो रही है। हमारे देश के हिन्दी-हितैषी धन कुबेर इतने हृदय-शून्य नहीं हैं जो काम होते देख उसकी कठिनाइयों को समझ कर भी उसकी सहायता के लिए आगे पैर न बढ़ावें। कोई न कोई लक्ष्मी-वान इस हिन्दी-परीक्षक विश्वविद्यालय को यथेष्ट धन देकर अवश्य ही किसी दिन स्वतंत्र कर देगा। हिन्दी द्वारा काम करने-वाले विश्वविद्यालय का अभाव देश के माथे पर कलंक का टीका है। देखें भारत का कौन सपूत इस कालिमा को धोकर अपनी उज्ज्वल कीर्ति को अमर कर जाता है।

परीक्षा-समिति के साथ सम्मेलन जैसी बड़ी संस्था की आशा-लता लिपट रही है। इस संस्था ने जिस प्रकार अपना शुभ कार्य क्रम प्रारम्भ किया है उससे भविष्यत् का ढंग अच्छा दिखायी पड़ता है। और भाषाओं के सम्मेलन की सी दशा हमारे सम्मेलन की नहीं है। भारतवर्ष के व्यापार, बाज़ार और तीर्थ की तथा देश के

सबसे अधिक जनसमुदाय की एकमात्र भाषा के सम्मेलन का दायित्व बहुत भारी है। इस दायित्व को सोच कर परीक्षा-समिति का कार्य्य और भी अधिक महत्व का है। देश को तथा चिर-दुःखिना हिन्दी को इन परीक्षाओं से आशा है कि मातृभाषा को उसके सुपुत्रों के हृदय में, कारबार में, सभा दरबार में वह स्थान मिलेगा जो उसकी स्वाभाविक सम्पत्ति है। इन परीक्षाओं के योग्य उपाधिकारी हिन्दी को सदैव उचित सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने में लब्ध काम होंगे, क्योंकि वह न्यायतीर्थ, व्याकरणाचार्य्य प्रभृति अकेले विषयों के पारगामियों की नाईं एक देशीय न होंगे। उनकी विद्या का प्रकाश प्रत्येक द्वार, प्रत्येक गवाक्ष से निकल कर संसार में फैलेगा और मातृभाषा के मुरझाए से मुखारविन्द को उत्फुल्ल और समुज्ज्वल करेगा। हमारे इस कथन को कोई अदूरदर्शी स्वप्न भले ही समझ लें परन्तु हमको पूरा विश्वास है कि हमारा स्वप्न "होइहि सत्य गये दिन चारी"।

समालोचना

(श्रीयुत पं० धर्मनारायण द्विवेदी)

रामायण-रहस्य

पुस्तक के लेखक और प्रकाशक हिन्दीप्रेस के अध्यक्ष, हिन्दी संसार के सुपरिचित और अनेक ग्रन्थों के लेखक श्रीयुत पं० रामजीलाल शर्मा हैं। मूल्य ।=) और मिलने का पता हिन्दी प्रेस कर्नैलगंज प्रयाग है।

यह पुस्तक विद्यार्थी ग्रन्थ माला की प्रथम सङ्ख्या है। पुस्तक उत्तम है भाषा सरल और प्रभावोत्पादक है। यदि पुस्तक को हम रामायण काल के कुछ व्यक्तियों का सङ्क्षिप्त जीवन-चरित्र कहें तो अनुचित न होगा। ९६ पृष्ठों की छोटी पुस्तक में २१ रामायणीय महात्माओं का सङ्क्षिप्त वर्णन है। वर्णन शैली आलोचनात्मक होने के कारण बालकों के लिए शिक्षाप्रद है। यद्यपि और अधिक बढ़ा कर लिखने की आवश्यकता थी और कम से कम महर्षि विश्वामित्र और विदेहजनक का वर्णन अवश्य ही आना

चाहिये था तथापि छोटी पुस्तक में जितना लिखा गया है वह कम नहीं है। पुस्तक पढ़ने योग्य है और यदि कुछ अंश द्वितीय संस्करण में ठीक कर दिये जाँय तो पाठशालाओं में विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त हो सकती है।

मेरे समझ में यह नहीं आता कि रामायण-रहस्य में रामचरित-मानस के सम्बन्ध की बातें हैं या वाल्मीकीय रामायण की आलोचना ? यदि चरित्र का विषय है तो उसमें वाल्मीकीय रामायण की आलोचना करना प्रसङ्ग विरुद्ध प्रतीत होता है आप लिखते हैं कि "रामायण के देखने से ज्ञात होता है कि लङ्का-काण्ड तक ही उनकी रचना है। लङ्का काण्ड के अन्त में उन्होंने रामायण की समाप्ति की सूचना भी दे दी है और रामायण के पढ़ने का फल भी लिख दिया है। उत्तर काण्ड की रचना-शैलो भी पहले के काण्डों की शैली से नहीं मिलती। इससे भी सिद्ध है कि आदि कवि के हाथ की रचना लङ्काकाण्ड तक ही है"। मुझे स्मरण है कि कुछ दिन पहले एक लेख 'भास्कर' पत्र में श्रीयुत पं० घासीराम जी एम. ए. एल. एल. बी. का भी निकला था और उस लेख में भी वाल्मीकीय रामायण के छः काण्डों की बात कही गयी थी तथा उत्तर काण्ड एवं बीच बीच के अनेक सर्गों को क्षेपक बतलाया गया था। सम्भव है कि शर्म्माजी ने इस विषय में अधिक खोज की हो किन्तु यह बात प्रमाण सिद्ध है कि बालमीकीय रामायण का उत्तर काण्ड क्षेपक नहीं उसे परिशिष्ट भले ही हम कह सकते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि लेखक स्वयं यह लिखता है कि इसे अमुक ने बनाया और इसके पढ़ने का यह फल है। दूसरी बात यह भी है कि महर्षिप्रणीत ग्रन्थों को प्रायः उनके शिष्यों ने सङ्ग्रह किया है और जिस प्रकार सम्पादक और प्रकाशकगण अन्य रचित ग्रन्थों की भूमिका और परिशिष्ट एवं स्थान स्थान पर टिप्पणी लगा देते हैं उसी प्रकार आर्षग्रन्थों में उनके समकालीन शिष्यों ने यदि कुछ अंश मिला दिये हों तो असम्भव नहीं, फिर भी उत्तर काण्ड दूसरों का बनाया हुआ है इसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं है अतएव संस्कृत-साहित्य की शैली की ओर ध्यान न देकर उत्तरकाण्ड को क्षेपक

बतलाना अनुचित है। समझ में नहीं आता कि शर्मांजी ने उत्तर काण्ड को क्षेपक मान कर भी भगवान रामचन्द्र पर सीता परित्याग की कथा के आधार पर ही (जो उत्तर काण्ड ही में है) सब से बड़ा दोषारोपण करने का साहस किस आधार पर किया है। यह तो प्रत्यक्ष ही "वदतो व्याघात" दोष आ पड़ता है। अस्तु हम आशा करते हैं कि हमारे शर्मांजी महाशय अब दूसरे संस्करण में इस त्रुटि को दूर करके पुस्तक को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने की ओर ध्यान देंगे और कटु किन्तु स्पष्ट उक्ति के लिए मुझे क्षमा करेंगे।

देहरादून

पुस्तक के लेखक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन—लखनऊ के सभापति हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्रीमान् पं० श्रीधर पाठक और प्रकाशक श्री पं० गिरधरजी पाठक हैं। मिलने का पता श्रीपद्मकोट इलाहाबाद और मूल्य ।=) है।

पाठकजी की अन्य पुस्तकों के समान इसका भी मूल्य दरिद्र हिन्दी संसार के लिए अधिकाधिक है। पुस्तक में डबल क्राउन १६ पृष्ठों के आकार के २८ पृष्ठ हैं। इस छोटी पुस्तक में दो चित्र भी हैं एक स्वयं ग्रन्थकर्ता का और दूसरा रामदासी गुरुद्वारा देहरादून का। पुस्तक की रचना बरवा छन्द में और प्रकाशक के कथनानुसार भाषा में पूर्वीय प्रयोगों का आधिक्य है। विषय नाम ही से विदित है। पाठकजी ने इस पुस्तक में अपनी देहरादून यात्रा के अनभव की बातें लिखीं हैं। प्रान्तिक स्त्री-पुरुषों के भेष भाषा का वर्णन करते हुए पाठकजी ने संयुक्त-प्रान्त की हीनता दिखलाने में अत्युक्तालङ्कार से काम लिया है उसके सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि अपनी हीनता दिखलाना बड़े लोगों का स्वभाव होता है। कुछ लोगों का मत है कि देहाती भाषा में यह ग्रन्थ लिखा गया है किन्तु मेरे विचार में इसकी भाषा देहाती बनाने के लिए शब्दों का तोड़ मरोड़ अवश्य ही किया गया है किन्तु जिस प्रकार पुस्तक में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है उस प्रकार प्राकृतिक ग्रामीण शब्दों की अधिकता नहीं है। पुस्तक के परिशिष्ट में ७ पृष्ठों में उस में आये हुए शब्दों का कोष भी लगा दिया गया है।

पुस्तक की कविता उत्तम है इस बात के बतलाने के लिये आवश्यकता नहीं और हिन्दीप्रेमी जनों के पढ़ने योग्य है किन्तु साथ ही इसका मूल्य भी पाठकजी के कम करने योग्य है। ऐसे बड़े लोगों की पुस्तकों का देश में जितना ही अधिक प्रचार हो तना ही अच्छा और मूल्य की अधिकता से ग्रन्थों के प्रचार में न्यूनता होती है। मेरे विचार में आता है कि ग्रन्थकर्ता यदि सके छपाने और बेचने वाला भी होता है तो मूल्य जाता है। क्योंकि वह अपना व्यय नहीं प्रत्युत अपने ग्रन्थ का यह महत्त्व देखता है और यदि किसी अन्य प्रकाशक के हाथ में पुस्तक गयी तो वह अपने व्यय के अनुसार मूल्य उसका रखता है।

शिक्षा का आदर्श और लेखनकला।

इसके रचयिता सुप्रसिद्ध देशहितैषी स्वामी सत्यदेवजी परिव्राजक हैं और सत्यग्रन्थमाला आफिस प्रयाग से मिलती है। पुस्तक में डबल क्राउन १६ पृष्ठों के आकार के १०६ पृष्ठ हैं और मूल्य केवल ।-)। छपाई और कागज उत्तम है।

पुस्तक में "लेखनकला' को प्रथम पुष्प और शिक्षा के आदर्श को द्वितीय पुष्प बतलाया गया है। दोनों पुष्पों में विषय उत्तम हैं और विद्यार्थी तथा पण्डित और असाधारण जनसमाज के पढ़ने योग्य हैं। सत्यदेवजी की पुस्तकों में आत्मबल की शिक्षा का जिस प्रकार स्वाभाविक उपदेश रहता है उसकी इसमें भी कमी नहीं है। सारांश यह कि शिक्षा और साथही देशप्रेम का सङ्गम इस ग्रन्थ में हुआ है और समस्त हिन्दी प्रेमियों को इसकी एक एक प्रति अपने यहाँ रखनी चाहिये।

हिन्दी संसार

(लेखक-पं०रामकृष्ण सारस्वत)

साहित्य-सम्बर्द्धिनी-समिति

कलकत्ते की साहित्य-सम्बर्द्धिनी-समिति हिन्दी-ग्रन्थ-प्रकाशन का काम करती है। हिन्दी की कई उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित कर के

इसने अच्छा काम किया है हर्ष की बात है कि इस के मन्त्रित्व पद का भार स्वर्गीय बा० बालमुकुन्द गुप्त के सुयोग्य पुत्र बा०नवल-किशोर गुप्त को सौंपा गया है। आशा है सुयोग्य मन्त्री को पाकर समिति अब हिन्दी संसार को अधिक लाभ पहुंचाने में समर्थ होगी।

हिन्दी-पुस्तकालय

प्रयाग के नवयुवक विद्यार्थी हिन्दी के सम्बन्ध में अच्छा काम कर रहे हैं। गुजराती मोहल्ले का हरिभवन पुस्तकालय और मुट्ठी गञ्ज का प्रेमभवन-पुस्तकालय ये दोनों ही विद्यार्थियों के परिश्रम के फल हैं। दूसरे नगरों के शिक्षित समुदाय को भी प्रयाग के विद्यार्थियों का अनुकरण करके पुस्तकालयों द्वारा सर्वसाधारण में अच्छे साहित्य का प्रचार करना चाहिये।

हिन्दी उर्दू का मामला

बदायूं के प्रसिद्ध मुंसिफ श्रीयुत बा० मदनमोहन सेठ की हिन्दी सेवा का हाल हम पाठकों को सम्मेलन-पत्रिका के किसी पिछले अङ्क में बतला चुके हैं। सेठ महाशय हिन्दी की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं आप वादी और प्रतिवादियों व गवाहों के इज़हार हिन्दी में लिखते हैं किन्तु यह देख कर उर्दू के कुछ पक्षपातियों को बहुत बुरा लगा है यहां तक कि "एक दर्द मन्द मुसलमान ग्रेजुएट के क़लम से" "उर्दू की हैरतअंगेज़ मुखालफत" शीर्षक जो लेख बदायूं के उर्दू पत्र ज़ुल्करनैन में निकला है उससे मालूम होता है कि लेखक ने यह समझ लिया है कि उर्दू की अब खैर नहीं। हमारी समझ में नहीं आता कि बा० मदनमोहन सेठ के हिन्दी में काम करने से उर्दू को किस प्रकार हानि पहुंच सकती है पर ज़ुल्करनैन यही समझता है इस लिए हमभी उसके सुर में सुर मिला कर कहते हैं कि दुहाई सरकारकी! दुहाई भारत-वर्ष के उर्दू भक्तों की! "उर्दू कुल हिन्दुस्तान की ज़बान है और उसको यूरोपियन साहबान बजातौर पर हिन्दुस्तानी कहते हैं ऐसी ज़ुबान को नुक़सान पहुंचाना हिन्दुस्तानी क़ौमियत को नुकसान पहुंचाना है" ठीक है पर हमारे विचार में हिन्दी में

काम करने की अपेक्षा आपके ऐसे २ लेख ही आप की भाषा और "हिन्दुस्तानी क़ौमियत" को अधिक हानि पहुंचाने वाले हैं।

सम्मेलन के ध्यान देने योग्य बातें

दैनिक भारतमित्र ने अपने ता० १५ जनवरी के अंक में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन पर सम्मेलन के अधिकारियों का ध्यान दिलाना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

(१) सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में दो तरह के प्रस्ताव स्वीकृत हों एक तो प्रार्थना व अनुरोध विषयक और दूसरे अपने करने के सम्मेलन का अधिक ध्यान अपने करने के प्रस्तावों की ओर ही रहना चाहिये।

(२) नागरी प्रचार के साथ साथ लोगों में साहित्य प्रेम उत्पन्न करना चाहिये। इसके लिए हिन्दी की सुन्दर और सस्ती पुस्तकों का प्रचार आवश्यक है।

(३) सम्मेलन की परीक्षाओं में जो पुस्तकें रक्खी जाँय वे ऐसी हों जिनमें भूलें न हों और जो अच्छे समालोचकों की शान पर चढ़ी हुई हों।

(४) नये नये विषयों पर पुस्तकें लिखा कर हिन्दी का भण्डार भरा जावे।

(५) विज्ञान, बिशेष कर रसायन शास्त्र की पुस्तकों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय जिन्हें साधारण लोग समझते हों।

(६) गन्दी और दोषपूर्ण पुस्तकों का प्रचार घटाने के लिए हिन्दी पुस्तकों की समालोचना की जावे।

हिन्दी की सभायें।

(१) हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि इटावे में नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित हो गई है। स्थापित होते ही इसे १००० पुस्तकों, ५० सामयिक पत्रों और ५००) रुपये का दान प्राप्त हो गया है इससे इटावा निवासियों के हिन्दी प्रेम का अच्छा परिचय मिलता है। सभा के पदाधिकारियों में पं० बैजनाथ चतुर्वेदी सभापति, पं० श्याम विहारी लाल भटेले, पं० दरयाव सिंह ओझा और लाला मदन लाल वकील उपसभापति, पं० मनोहर दास एम.

ए. आय व्यय निरीक्षक, बा० सूर्य्यनारायण मन्त्री और पं० मन्नी लाल तिवारी सहायक मन्त्री के नाम हैं।

(२) प्रयाग के क्रिश्चियन कालेज में लगभग एक वर्ष से हिन्दी उपकारिणी सभा नामक एक सभा स्थापित है। क्रिश्चियन कालेज के नवयुवकों में मातृभाषा प्रेम बढ़ाना इस सभा का उद्देश्य है अभी हाल ही में इसका वार्षिकोत्सव श्रीमान् पं० श्रीकृष्ण जोशी के सभापतित्व में मनाया गया था। बा. मलखान सिंह, बा. गोपाल नारायण सेन सिंह बी. ए. स्वामी सत्यदेव, कालेज के प्रिंसपल जैनवियर साहब तथा पं० श्रीकृष्ण जोशी की वक्तृतायें हुईं। मंत्री की रिपोर्ट से विदित होता है कि यह सभा अच्छी उन्नति कर रही है। दिन पर दिन इसके सभासद् बढ़ रहे हैं और कालेज के अधिकारियों की इसके साथ सहानुभूति है। दूसरे विद्यालयों के विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि वे अपने अपने स्कूल कालेजों में हिन्दी सभायें स्थापित करके शिक्षित समुदाय में हिन्दी का प्रचार करें।

अलवर राज्य में हिन्दी।

श्रीमान् अलवर नरेश की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है, क्योंकि आप हिन्दी के परम भक्त हैं और उसकी उन्नति में अग्रसर हैं। अनुमान ८, ६ वर्ष हुए तब आप ने राज्य में नागरीलिपि को प्रचलित कर हिन्दी की परम हितैषिता का परिचय दिया था। उसी समय से वहाँ सब अदालती कार्यवाही नागराक्षरों में होती है प्रजा के उन लोगों ने जो हिन्दी से नितान्त अनभिज्ञ हैं और उर्दू के दास बने हुए हैं नागरी को उठा देने का बड़ा उद्योग किया था। सुना है कि गुप्त प्रार्थनापत्र भी महाराज की सेवा में भेजे गये थे, परन्तु इसका फल उलटा हुआ। महाराज ने पुनः आज्ञा दी कि दो वर्षों में सब कर्मचारियों को भली भाँति हिन्दी जान लेनी चाहिए। इससे अलवर राज्य भर में नागरी लिपि का प्रचार हो गया, परन्तु भाषा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ था। यह सुन कर समस्त हिन्दी प्रेमियों को परम हर्ष होगा कि गत १२ दिसम्बर को महाराज

अलवर नरेश ने अपने भाषण में कहा है कि "मातृभाषा का प्रचार करना हमारा परम कर्त्तव्य है। मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे राज कर्मचारी तथा प्रजावर्ग आज से ही हिन्दी का प्रचार करें और अदालतों में जो उर्दू के कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनका वहिष्कार कर पवित्र और शुद्ध हिन्दी-भाषा के शब्दों का व्यवहार किया जाय। अब वहाँ खूब हिन्दी का प्रचार हो रहा है। लोगों को हिन्दी जानने की बड़ी चिन्ता लग रही है। आशा है कि बहुत शीघ्र अलवर राज्य में हिन्दी का यथावत् प्रचार हो जायगा। अलवर नरेश की भाँति अन्य नरेशों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पं० ब्रजनारायण— अलवर

सम्पादकीय-विचार

सम्मेलन

सम्मेलन द्वारा इस समय देश में जो कार्य हो रहा है उसके बतलाने की आवश्यकता नहीं। परीक्षा समिति द्वारा हिन्दी संसार के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो रही है। शनैः शनैः हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की नीव तैयार हो रही है। हिन्दी सभाओं का सम्मेलन से जो सम्बन्ध बढ़ रहा है इससे देश की हिन्दी संस्थाओं में एकता का सूत्रपात हो गया है यद्यपि अभी तक ये देश की प्रान्तिक सरकारें—हिन्दी सभायें सम्बद्ध होकर सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथातथ्य उद्योग नहीं कर रही हैं तथापि इसमें त्रुटि केवल उन्हीं की नहीं है। सम्मेलन रूपी हिन्दी संसार की बड़ी सरकार को अपनी सम्बद्ध सभाओं—प्रान्तिक सरकारों से सम्मति करके अदालतों में, राज्यों में ताल्लुकेदार, ज़मीनदार, महाजन और सर्वसाधारण के कार्य्यों में हिन्दी के प्रचार का उपाय करना चाहिये। प्रत्येक सभा के विवरण मँगाने चाहिये और उनको उनके कार्य्यों के विषय में सम्मति और सहायता देनी चाहिये।

सम्मेलन की स्थायी-समिति को अपने उद्देश्य (च) की पूर्ति के लिए भी अब कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये। जिस प्रकार सम्मेलन के अधिवेशन के समय में परीक्षार्थियों के लिए पदक और

पारितोषिकों की वर्षा होती है उसी प्रकार अब 'हिन्दके ग्रन्थकारों, लेखकों, पत्रसम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों का उत्साहित करने के लिए भी पारितोषिक, प्रशंसापत्र, पदक और उपाधि आदि सत्कारों से संयुक्त करने का समय आ गया है अतएव इस कार्यके लिए एक उपसमिति बना कर योग्य पुरुषों की नामावली प्रस्तुत करके सप्तम हिन्दीसाहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन से कार्य आरम्भ कर देना चाहिये ।

पत्रिका ।

सम्मेलन पत्रिका इस समय पिछड़ी हुई है । लोगों के विचार हैं कि इसका कारण अवैतनिक कार्यकर्ताओं की असावधानी है किन्तु बात यह नहीं है । पिछड़ने का कारण प्रेस की गड़बड़ी है अब नियमबद्ध कार्य चलाने के लिए उसका प्रबन्ध हो गया है अतः आशा है कि पत्रिका समय पर निकला करेगी । इस वर्ष पत्रिका के २-३ और ४-५ अङ्क सम्मिलित निकाले गये हैं इसका कारण भी वही गड़बड़ी है क्योंकि पिछड़ी हुई पत्रिका को समय पर लाना है । यद्यपि हमको नियम २ के अनुसार पत्रिका के ग्राहकों को २८८ पृष्ठ एक वर्ष में देने चाहिये तथापि प्रथम वर्ष २९० पृ० और दूसरे वर्ष में हमने ३५२ पृ० दिये हैं । वर्तमान वर्ष का पांचवाँ अङ्क पूरा हो रहा है किन्तु १५० पृष्ठ पत्रिका में दिये जा चुके हैं सारांश यह है कि समय पर न निकलने का जो दोष था सो तो पूरा किया जा रहा है किन्तु दो दो संख्याओं की सम्मिलित सङ्ख्या के निकालने के कारण ग्राहकों को हम कम पृष्ठ नहीं दे रहे हैं उसके लिए हम अपने ग्राहक अनुग्राहकों से क्षमा के प्रार्थी हैं ।

षष्ठसम्मेलन में पदक या पारितोषिक प्राप्त परीक्षार्थियों की नामावली

सं०	नाम परीक्षार्थी	पदक या पारितोषिक	नाम दाता और पता	विवरण
१	लक्ष्मीधर शुक्ल	स्वर्ण पदक	बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन प्रयाग	प्रथमा में प्रथम आनेके कारण(सं० १९७१)
२	"	रजत पदक	पं० गोकुलचंद शर्मा-अलीगढ़	मध्यमा के साहित्य में प्रथम होनेके कारण
३	"	"	पं० जनार्दन भट्ट—प्रयाग	"
४	"	पुस्तकें	पं० बद्रीनाथ शर्मा वैद्य-मिर्जापुर	"
५	"	"	नीलकंठ द्वारकाप्रसाद-लखनऊ	"
६	शिवराम शर्म्मा	स्वर्ण पदक	पं० श्री नारायण मिश्र-लखनऊ	सं० १९७२ की प्रथमामें प्रथमआनेकेकारण
७	"	रजत पदक	पं० शिवदयाल द्विवेदी सीतापुर	हमीरपुर से प्रथमामें प्रथम आनेके कारण
८	श्यामदत्त मिश्र	"	बा० सरयूप्रसाद महाजन—गया	प्रथमा के साहित्य में प्रथम आनेके कारण
९	ठाकुरदास जैन	"	भारत जैन महामण्डल	प्रथमा के जैनी विद्यार्थियों में प्रथम होने के कारण
१०	भजोरीलाल गुप्त	"	ठा० युगलसिंह—बीकानेर	राजपूतानासे प्रथमामें प्रथम होनेकेकारण
११	श्रीमती कमलादेवी	"	हिन्दी साहित्य सभा लश्कर (ग्वालियर)	प्रथमाकी कन्याओं में प्रथम आनेके कारण

१२	श्रीमती विद्यावती	चांदी की कटोरी	श्रीमती भाग्यवती—कानपुर	प्रथमाकी कान्यकुब्ज बालिकाओं में प्रथम आने के कारण
१३	नर्मदाप्रसाद मिश्र	पुस्तकें	नागरी प्रचारिणी सभा—आरा	मध्यमा में प्रथम होने के कारण
१४	”	स्वर्ण पदक	पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कलकत्ता	”
१५	भागीरथ प्रसाद दीक्षित	रजत पदक	अ० जगन्नाथ प्रसाद वि०-भरतपुर	राजपूताने से मध्यमा में प्रथम होने के कारण
१६	श्रीमती यशोदादेवी	”	पं० ओंकारनाथ बाजपेयी-प्रयाग	प्रथमा की उत्तीर्ण देवी होने के कारण
१७	शिवराम शर्मा	”	हिन्दी-प्रवर्द्धिनी सभा शाहजहांपुर	प्रथमाके इतिहासमें प्रथम होने के कारण
१८	श्रीमती पार्वतीदेवी	पुस्तकें	पं० ओंकारनाथ बाजपेयी-प्रयाग	प्रथमा की उत्तीर्ण देवियों में लघु होने के कारण
१९	ठाकुरदास जैन	१०)की पुस्तकें	हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई	प्रथमा के निबन्ध में सर्वोत्तम आने के कारण
२०	हृदयराम	रजत पदक	क० ख० ग० प्रयाग	मध्यमा में सबसे कम नम्बर पाने के कारण
२१	शिवनन्दन लाल पाण्डेयभृ	५) नगद	सेठ वंशीधर-बुलन्दशहर	प्रथमा की द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होनेके कारण हिन्दी मिडिल पास विद्यार्थी

सं०	नाम परीक्षार्थी	पदक या पारितोषिक	नाम दाता और पता	विवरण
२२	शम्भुनाथ सेठ	रजत पदक	पं० रामसेवक पाण्डेय मन्त्री स० ध० सभा बहरायच	प्रथमा में तृतीय होने के कारण
२३		रजत पदक	जागेश्वर प्रसाद नन्दे	विहारी छात्रों में प्रथम उत्तीर्ण होने के कारण
२४	रङ्गनाथ द्विवेदी	१) नगद	पं० रामाधार बाजपेयी-कोटवा जिला प्रयाग	प्रथमा के ग्रामीण परीक्षार्थी होने के कारण
२५	रामसुन्दर त्रिपाठी	१) नगद	"	"
२६	श्यामसुन्दर त्रिपाठी	१) नगद	"	"
२७	मर्यादसिंह	१) नगद	"	"
२८	जगन्नाथ प्रसाद शर्मा	१) नगद	"	"
२९	श्रीमती कमलादेवी	कन्या मनोरञ्जन एक वर्ष पर्यन्त	पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी बुद्धि-पुरी प्रयाग	प्रथमा में उत्तीर्ण देवी होनेके कारण
३०	श्रीमती यशोदा देवी	"	"	"
३१	श्रीमती विद्यावतीदेवी	"	"	"
३२	श्रीमती पार्वती देवी	"	"	"

प्रतिज्ञात पदक और परितोषिक का विवरण ।

सं०	देने वाले का नाम और पता	दातव्य वस्तु	विवरण
१	श्रीमती यशोदादेवी—प्रयाग	रजतपदक	प्रथमा परीक्षा में प्रथम आने वाली विधवा स्त्री को
२	श्रीयुत् पं० बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन (भू०पू० सभापति) मिर्ज़ापुर	"	प्रथमा परीक्षा में उत्तीर्ण सरयूपारीण ब्राह्मण कन्या को
३	श्रीयुत् रामदयाल अग्रवाल-प्रयाग	२५) की पुस्तकें	प्रथमा में उत्तीर्ण अग्रवाल कन्या को
४	सेठ जगन्नाथ झुनझुन वाला—रानीगंज	६०) की सोने की चूड़ी	मध्यमा की उत्तीर्ण देवियों में प्रथम को
५	पुरुषोत्तम दास वर्म्मा प्रयाग	स्वर्ण की अंगूठी	प्रथमा में प्रथम आनेवाली देवी को । यदि खत्री जाति की होगी तो रत्नजटित अँगूठी दी जावेगी
६	मंत्री आर्य्यकन्या पाठशाला-प्रयाग	रजतपदक	प्रथमा के साहित्य में प्रथम आनेवाली देवी को ५ वर्ष तक देंगे
७	बा०लक्ष्मीनारायण रईस—प्रयाग	स्वर्ण पदक	मध्यमा में प्रथम आने वाली कन्या को
८	श्रीयुत् भालेराव सम्पादक चित्रमयजगत्—पूना	रजतपदक	(१) ग्वालियर राज्य से प्रथमा में उत्तीर्ण होनेवाली कन्या को
		"	(२) ग्वालियर राज्य से मध्यमा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को
९	चौ० केशवचन्द्र सिंह एम. ए. एल०एल० बी०—प्रयाग	१०) की पुस्तकें	प्रथमा के साहित्य में प्रथम आने वाली कन्या को
१०	डा०परुषोत्तमदास कक्कड़-लखनऊ	१५) का स्वर्ण आभूषण	प्रथमा में उत्तीर्ण कन्या को
११	पं० ओंकारनाथ बाजपेयी-प्रयाग	रजतपदक (सदा)	प्रथमा में प्रथम होने वाली कान्यकुब्ज कन्या को

सं०	देने वाले का नाम और पता	दातव्य वस्तु	विवरण
१२	बा० बैजनाथ गुप्त—मिर्ज़ापुर	रजतपदक	मध्यमा के इतिहास में प्रथम आने वाली देवी को
१३	बा० राधामोहन वकील—जौनपुर	रेशमी पारसी साड़ी	प्रथमा के इतिहास में प्रथम आने वाली देवी को
१४	मु० अम्बा प्रसाद कायस्थ-जबलपुर	रजतपदक	प्रथमा के गणित में प्रथम आने वाली कायस्थ देवी को
१५	सेठ जगन्नाथ झुनझुन वाला—रानीगंज	स्वर्णपदक	जिस परीक्षार्थी को स्थायी समिति देना चाहे
१६	पं० राजमणि त्रिपाठी—गोरखपुर	रजतपदक	गोरखपुर डिवीजन की संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों में सम्मेलन की परीक्षाओं में प्रथम आने वाले को
१७	पं० मनोहरदास चतुर्वेदी-प्रयाग	रजतपदक	६० वर्ष अथवा इससे भी अधिक अवस्था के परीक्षार्थी को जो मध्यमा में प्रथम आयेंगे।
१८	पं० शिवनारायण मिश्र-कानपुर	स्वर्णपदक	प्रथमा की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी को—प्रताप कानपुर की ओर से।
१९	बा० पुत्तनलाल विद्यार्थी विशारद—लखनऊ	रजतपदक	प्रथमा में प्रथम आने वाले काश्मीरी परीक्षार्थी को
२०	बा० भगवान दीन—काशी	रजतपदक	उत्तमा के हिन्दी साहित्य में उत्तम आने वाले कायस्थ को
२१	पं० ओंकारनाथ वाजपेयी-प्रयाग	१२ पुस्तकें	उत्तमा में उत्तम आने वाले परीक्षार्थी को
२२	पं० बद्रीनाथ पाण्डेय-काशी	रजतपदक	काशी प्रान्त से ३ वर्ष के बीच में उत्तमा में उत्तीर्ण होने वाले को
२३	पं० बद्री प्रसाद दुबे—नागपुर	४०) का स्वर्णप०	उत्तमा में उत्तम आने वाले कान्यकुब्ज परीक्षार्थी को
२४	पं० गोस्वामी शिवप्रताप-बीकानेर	३) का रजतपदक	उत्तमा के साहित्य में उत्तम आने वाले को

२५	शारदा भवन पुस्तकालय-जबलपुर	रजतपदक	(१) मध्य प्रदेश से प्रथमा में प्रथम आने वाले परीक्षार्थी को
२६	,,	,,	(२) मध्य प्रदेश से मध्यमा में प्रथम आने वाले परीक्षार्थी को
२७	पं० वेगराज शर्मा—भागलपुर	,,	प्रथमा में उत्तीर्ण चमार जाति के परीक्षार्थी को
२८	डा० पुरुषोत्तमदास कक्कड़-लखनऊ	स्वर्णपदक	उत्तम में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को
२९	ला० मनमोहन दास प्रयाग	,,	प्रथमा में प्रथम आने वाले खत्री जाति के परीक्षार्थी को
३०	नागरी प्रचारिणी सभा-आरा	१०) की पुस्तकें	विहारी परीक्षार्थियों में मध्यमा के साहित्य में प्रथम आने वाले को
३१	पं० रामजी लाल शर्मा-प्रयाग	१०) की पुस्तकें और रजतपदक	प्रथमा में प्रथम आने वाले मुसलमान परीक्षार्थी को
३२	पं० राजमणि त्रिपाठी-गोरखपुर	रजतपदकप्रतिवर्ष	प्रथमा में प्रथम आने वाले सरयूपारीण ब्राह्मण को
३३	ला० रुद्रनाथ सिंह धेनुगांव-बस्ती	,,	मध्यमा में प्रथम आने वाले परीक्षार्थी को
३४	पं० जगन्नाथ प्रसाद-चतुर्वेदी	स्वर्ण पदक	उत्तमा में उत्तम आने वाले परीक्षार्थी को
३५	प्रो० लक्ष्मीचन्द्र एम्० ए०-काशी	६ पुस्तकें	रसायन शास्त्र में प्रथम उत्तीर्ण परीक्षार्थी को।
३६	पं० रामचन्द्र वैद्य—ज्वालापुर	रजतपदक	मध्यमा के वैद्यक में प्रथम आने वाले परीक्षार्थी को।
३७	बा० नवलकिशोर जैन—कानपुर	,,	मध्यमा में उत्तम आने वाले जैनी परीक्षार्थी को।
३८	पं० रघुवरदयाल मिश्र डि० क० लखनऊ	,,	मध्यमा में प्रथम आने वाले परीक्षार्थी को
३९	मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति	,,	प्रथमा में प्रथम आने वाले मध्यभारत के परीक्षार्थी को
४०	पं० रामचन्द्र शुक्ल—बहराइच	७) की पुस्तकें	प्रथमा में उत्तीर्ण मुसलमान परीक्षार्थी को
४१	पं० राम रत्न—अध्यापक—आगरा	रजतपदक	अछूत जाति के परीक्षार्थी को जो प्रथमा में प्रथम आवेगा
४२	बा० सदानन्द सेठ हिन्दू आश्रम-प्रयाग	,,	प्रथमा में प्रथम आने वाले खत्री परीक्षार्थी को
४३	बाबू केदारनाथ गुप्त-प्रयाग	,,	प्रथमा में प्रथम आने वाले परीक्षार्थी को
४४	नागरी प्रचारिणी सभा—गोरखपुर	,,	प्रथमा में उत्तीर्ण मुसलमान परीक्षार्थी को
४५	परोपकारिणी संस्कृत पाठशाला खँडवा	रजतपदक	प्रथमा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को।

सं०	देने वाले का नाम और पता	दातव्य वस्तु	विवरण
४६	पं. शिवनारायण मिश्र-कानपुर	स्वर्णपदक	उत्तमा में उत्तीर्ण अन्त्यजाति के परीक्षार्थी को
४७	पं. बद्रीनाथ शर्म्मा वैद्य-मिर्ज़ापुर	रजतपदक	उत्तमा के अर्थशास्त्र में उत्तम आने वाले परीक्षार्थी को
४८	सारस्वत सभा-प्रयाग	,,	मध्यमा में प्रथम आने वाले सारस्वत ब्राह्मण को
४९	,,	स्वर्णपदक	मध्यमा में सर्वोत्तम आने वाले सारस्वत ब्राह्मण को
५०	श्रीमती भाग्यवती-कानपुर	चांदी की कटोरी	कान्यकुब्ज बालिका या स्त्री जो कानपुर प्रान्त या शहर की निवासिनी या ब्याही हो प्रथमा में क़मती नम्बर से पास होने पर
५१	सेठ वंशीधर बुलन्द शहर	५) और ४) पारितोषक	प्रथमा के हिन्दी मिडिल पास विद्यार्थियों में प्रथम और द्वितीय होने वाले को
५२	नागरी प्रचारिणी सभा बुलन्द-शहर	१५) पारितोषिक	एंट्रेंस या स्कूल लीविंग पास बुलन्दशहर के छात्रों में प्रथमा में प्रथम को
५३	सेठ वंशीधर बुलन्दशहर	१०) पारितोषिक	एंट्रेंस या स्कूल लीविंग पास कमिश्नरी आगरे वा मेरठ के वैश्य व अग्रवाल प्रथमा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को
५४	क.ख.ग. प्रयाग	लक्ष्मीपदक	प्रयाग के ला० शम्भूनाथ रईस के पुत्र ला० लक्ष्मीनारायण के स्मारक में प्रथमा में उत्तीर्ण कन्या को

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इसलिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इस में प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र, पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री सम्मेलन र्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की 'सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहिये।

प० ओंकारनाथ वाजपेयी के प्रबन्ध से ओंकार प्रेस प्रयाग में छपकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-620

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ३ | फागुन संवत् १९७२ | अङ्क ६

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि-तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३	फाल्गुन संवत् १९७२	अङ्क ६

सम्मेलन पर विचार

(ले० भगवानदयालु अग्निहोत्री इन्सट्रक्टर ट्रेनिङ्ग क्लास, हरदोई)

स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति।
स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निः स्वस्ति नो अदिते कृधि॥

उष्ण काल में मौसमी वायु के समानभाव के चलने और न चलने पर आगामी उन्नति तथा अवनति का विचार मानव समाज किया करता है उसीके द्वारा कृषकों के चित्त प्रफुल्लित और स्फुटित होते हैं। यद्यपि वह उष्ण काल में बड़ी दुखदाई और जीव निग्राहक होती है, परन्तु भविष्य की आशा कर उसके विविध प्रकार के उपचार कर सहन करने का साहस किया जाता है और सहते हैं। जहाँ तक विचार में आता है प्रत्येक कार्य्य की आदि की कठिनाइयों का परिश्रम इसी आशा पर सहन किया जाता है कि भविष्य में सुख और शान्ति प्राप्त होगी। मनुष्यों का विचार भी है। (आदि की कडुआई, अन्त की मिठाई) प्रकृति का नियम भी यही है कि परिश्रम और उद्योग करने से फल प्राप्त होता है, किन्तु किसी कार्य्य का परिश्रम और उसमें कितने उद्योग की आवश्यकता होगी यह फल के ऊपर तथा फल प्राप्त करने में सावधानी

और असावधानी एवं क्रमानुसार उद्योग पर निर्भर है। कार्य्य का फल जितना ही बड़ा गम्भीर और विश्वव्यापी हो उसमें उतनी ही सावधानी गम्भीरता कार्य्य-परायणता तथा परिपक्कता एवं विश्वव्यापी परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। 'हिन्दी राष्ट्रभाषा हो उसका प्रचार सारे संसार में हो उसका बोल बाला हो' (परमात्मा ऐसे समय का शीघ्र दर्शन दें) कितना महान् काम है, उसमें कितनी कार्य्यपरायणता की आवश्यकता है। उसके अङ्गों में कितनी अधिक पुष्टि की कमी है। उन अङ्गों की पूर्ति के हेतु कितने महान् उपादेय विचारों की और कार्य्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है। ये सब बातें वे महानुभाव समुन्नतिशील हिन्दी के प्रेमी जन उसके राष्ट्रभाषा बनाने के अभिलाषी भले प्रकार समझे हुए हैं। किन्तु अब की लाहौर षष्ठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन (जो प्रयाग में हुआ) के लेखमाला के विषयों में जब 'प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की आवश्यकता', इस विषय पर दृष्टि पड़ी तब मेरी इस क्षुद्र बुद्धि ने भी इस लेख को अपने टूटे फूटे शब्दों में लिखने का साहस किया। हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने और उसका प्रचार भारतवर्ष के कैलाश पर्वत से लेकर कन्या कुमारी तक और मुञ्ज अन्तरीप से लेकर ऊपरी आसाम में सदिया तक ३३ कोटि में नहीं, २२ कोटि ही मनुष्यों में अवश्य ही करने और उनको उसका प्रेमी बनाने और उनसे यह उद्धृत कराने में कि "हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है" जितनी सफलता प्रान्तीय-साहित्य-सम्मेलन के द्वारा हो सकती है, किसी द्वितीय उपचार से मेरे विचार में इससे अधिक नहीं हो सकती। और भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की पुष्टता भी अधिकांश इसीसे है कि उसके उपाङ्ग पुष्ट हों। गत वर्ष में गोरखपुर में स्वर्गवासी श्रीमान राय देवीप्रसाद पूर्ण-कानपुर निवासी की अध्यक्षता में संयुक्त देशीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हुआ। शीघ्रता के कारण वह इतना सफल न हुआ, किन्तु देशीय जातीय कानफ्रंशों के साथ हिन्दी कानफ्रंश की बड़ी आवश्यकता है। इस दृष्टि से उपर्युक्त सम्मेलन एक उच्च कोटि की कानफ्रंश हुई। यथार्थ में प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन जातीय कानफ्रंशों के साथ करने से उनको अधिक लाभ

होने की सम्भावना है। कारण यह है कि जातीय कानफ्रंशों में राष्ट्रवादियों का समूह एकत्रित हुआ करता है। उसके साथ में हिन्दी कानफ्रंश होने से हिन्दी का थोड़ा बहुत रङ्ग राष्ट्रवादियों पर अवश्य चढ़ेगा, जो भारतवर्ष की जातीय महती सभा (कांग-रस) में अपना रङ्ग जमाए बिना नहीं रह सकती। अधिक नहीं तो बहुमतानुसार इतना अवश्य सम्भव होगा! कि जातीय महती सभा की कार्य्यवाही का कार्य्य देशी भाषा में हुआ करे। यद्यपि व्याख्याताओं के व्याख्यान किसी भाषा में हों, किन्तु कार्य्यवाही का देशी भाषा में होना और बात है और व्याख्यानों का किसी भाषा में होना—जिसका प्रेमी उपस्थित समुदाय हो और बात है। गत वर्ष अलीगढ़ प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ। और इस वर्ष आगरा तथा इससे प्रथम एक दो और, मैं विचार करता हूं कि यह बड़ी सफलता से हुए और यदि इनकी स्थायीसमिति अपना कार्य्य समानता से सञ्चालित करती रही तो प्रान्त भर में हिन्दी के उच्च कोट में पहुंचने में कोई त्रुटि न रह जावेगी। इसी भाँति जिस जिस प्रान्त में प्रान्तीय सम्मेलन होगा। उस प्रान्त के निवासी अवश्य ही हिन्दी के घनिष्ट प्रेमी बन जाँयगे और उसको समुन्नतिशील बनाने तथा कचेहरी आदि में प्रचालित करने में कोई कसर न रक्खेंगे। एक मनुष्य उद्योग करने से बहुतों को निज मतावलम्बी बना लेता है। इसके लिये आदर्श महात्मा बौद्ध तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती की ओर विचार करना पर्याप्त है। फिर जिसमें दश मनुष्य एकत्र हों उस विचार की उन्नति में कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती और इन्हीं प्रान्तीय-हिन्दी-सम्मेलनों के विधि पूर्वक कार्य्य करने से भारतवर्षीय हिन्दी सम्मेलन के उद्देश्यों शीघ्र पूरित होने की सम्भावना है, किन्तु इन प्रान्तीय हिन्दी सम्मे-लनों की बागडोर और उनके भली भाँति चलने के मार्ग का दर्शक भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को रहना पड़ेगा। इसीसे सफलता हो सकती है। अपने महत्त्व का सन्निधान कराना और उनको गौर्वान्वित बनाना महान् हिन्दीसम्मेलन का कार्य्य होगा। यदि मौसमी वायु बड़े वेग से चले और वह किसी किसी प्रान्त पर अपना घनिष्ठ गौरव दर्शाये और किसी किसी प्रान्त की ओर

दृष्टि भी न करे उनकी ओर पीठ करके चलती बने तो इस चाल से सम्पूर्ण देश का भला कदापि नहीं हो सकता। हमारी मौसमी वायु ने वर्तमान काल में निज गति प्रायः इसी प्रकार निर्दिष्ट की है। जिससे कि संयुक्त देश तथा बङ्ग देश उसके मुख में समा गये और राजपूताना, मध्यप्रदेश तथा पञ्जाब उसकी पीठ देखते रह गये। क्या इस गति से कहा जा सकता है कि इस वर्ष की मौसमी वायु से भारतवर्ष का यथार्थ कल्याण हुआ, कदापि नहीं। यदि इस मौसमी वायु की कृपा थोड़ी थोड़ी सर्वत्र समान होती तो देश की अति ही समुन्नति करती, किन्तु यह प्राकृतिक नियम है इसमें परिवर्तन करने की शक्ति प्रकृति को छोड़ कर द्वितीय किसीमें नहीं। यह क्रियात्मक कार्य्य है इसके अङ्गों की सम्पुष्टता और निर्बलता उसके कर्त्ताओं पर निर्भर होगी। प्रान्तीय सम्मेलन महान् सम्मेलन के बड़े बड़े अङ्ग होंगे। इन अङ्गों की पुष्टता उनके प्रेमियों द्वारा और सम्मेलन के रेख देख से हो सकती है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में, बाम्बे और मद्रास देशों में, हिन्दी के प्रचारार्थ विचार करना और प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नींव डालने की युक्ति सोचने की बड़ी आवश्यकता है, इस ओर ध्यान देना और उसकी पूर्ति के उपाय सोचना आवश्यकीय बात है। जिस समय इन देशों में हिन्दी का अखाड़ा नियत हो जायगा और आसाम आदि दूर देशों में भी कुछ कार्य्य होने लग जायगा उस समय में कथन किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्य के उद्देश्यों में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हुई और यह पूर्ति उन देशों के स्थायी समिति के सभासदों द्वारा होना अधिकांश सम्भव है। हिन्दी सम्मेलन को उस दिवस की बाट आनन्दित चक्षुओं से हेरना चाहिए जबकि सभी भाषाएँ अपना शिरमौर हिन्दी भाषा को मानने की ओर आकर्षित हो रही हैं और सब मिल कर यह कहना ही चाहती हैं कि यदि भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा होने का अधिकार है तो केवल हिन्दी ही को है और हो सकता है। मुझे स्मरण है कि श्रीमती एनी बेसेन्ट जी ने किसी लेख में स्वराज्य के शासन की चर्चा करते हुए लिखा था कि प्रत्येक गाँव में एक एक पञ्चायत नियत होनी चाहिए जो निर्दिष्ट सङ्ख्या के धन तक के अभियोगों

को स्वयं निपटारा कर दिया करें। ऐसी पञ्चायतों की कुरीतियां सुनने के लिये अन्त में एक बड़ी पञ्चायत होनी चाहिए और समस्त प्रान्त के पञ्चायतों की संरक्षक देशीय पञ्चायत नियत की जावे जिसका सम्बन्ध स्वराज्य-शासक-समिति से हो। यह न्याय की कहानी भई। अब प्रबन्ध की दशा सुनिये। प्रत्येक गाँव में एक एक मुखिया नियत रहे जो प्रान्त के बड़े मुखिया के आधीन हों और वह उनकी देख रेख करता रहे। उस मुखिया का सम्बन्ध देश के मुख्य मुखिया से हो और भारत के समस्त देशों के मुखिया स्वराज्य शासक समिति में जो प्रस्ताव उठाया जावे वह क्रमशः गाँव के मुखिया और पञ्चायत ही तक नहीं प्रत्युत "प्रजा वर्ग में पहुंच कर सहज ही में प्रचारित हो सकता है तथा प्रजा की ध्वनि क्रमशः स्वराज्य-शासक-समिति के सभासद और प्रधान तक पहुंच कर अपनी कार्य्यवाही में सफल हो सकती है। प्रान्तीय सम्मेलनों का यही क्रम भारतीय महा सम्मेलन के साथ होने पर सम्मेलन की प्रत्येक बात भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने में प्रचारित हो सकती है; किन्तु इन सम्मेलनों के सङ्गठन में इस बात का ध्यान रखना आवश्यकीय होगा कि वे भारतीय महासम्मेलनों के अनुयायी रहें।" और भारतीय सम्मेलन उन पर अपनी रेख देख रक्खे। यह प्रथम भी बता चुका हूं कि प्रान्तीय सम्मेलन अपने आपकी निर्मित (जो उनके कार्य्यकर्ता मनोनीत करैं) नियत सङ्ख्या महासम्मेलन को प्रतिवर्ष दिया करै और अपने प्रतिनिधि सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में भेजा करे और वे इन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मेलन के ज्ञातव्य मनुष्यों की कार्य्यवाही करते रहें। इस प्रकार प्रान्तीय सम्मेलनों से हिन्दी भाषा के प्रचार और उसके पुष्ट करने में बड़ी सुगमता और शीघ्रता होना सम्भव है। इति शुभम्॥

उपदेशक का भ्रमण वृत्तान्त

मिति फाल्गुन कृष्ण १२ को हरदोई प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सहायतार्थ में हरदोई गया। मिति फाल्गुन कृष्ण १५ के दोपहर तक सम्मेलन की प्रवन्धकारिणी-समिति के कार्य्यालय में रह कर सम्मेलन-सम्बन्धी कार्यों में सम्मति तथा सहायता दिया। दोपहर को वहाँ से उसी जिले के साण्डी स्थान में आया और शुक्ल परिवा को वहाँ के मान्य जनों को प्रेरणा कर एक सार्वजनिक सभा कराई और उस सभा में नागरीप्रचार की आवश्यकता अपनी वक्तृता द्वारा दर्शा कर वहां एक 'हिन्दी साहित्य सम्बर्धिनी' नाम की सभा और तदन्तर्गत एक हिन्दी का पुस्तकालय स्थापित करायी। दूसरे दिन पुनः हरदोई आया और ५मी पर्यन्त सम्मेलन के कार्यों में सम्मति तथा सहायता देता रहा। मिती फा० शु० ६ को सम्मेलन के सभापति पं० श्रीकृष्ण जोशी जी के अगवानी स्वागत में सम्मिलित होकर स्वागतकारिणी के सभापति आदि का आप से परिचय कराया और जय घोषणादि हर्ष ध्वनि कराते हुए स्वागत करके जलूश के साथ उनको सभा स्थान से होते निवास स्थान पर पहुँचाने के उत्साह कार्य में सम्मिलित हुआ। मिति फा० शु० ७ को सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। मिति फा० शु० ८ को विषय निर्वाचिनी समिति के विषयों पर सम्मति दिया। सम्मेलन के आरम्भ में मङ्गलाचरण सरस्वती देवी का स्तुति पाठ किया। सम्मेलन के नागरी में प्रार्थना पत्रादि अदालतों में देने के अर्थ कई वकील मुहर्रिरों को धन्यवाद देने और बाकी लोगों से उनका अनुकरण करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव का अपनी सङ्क्षिप्त वक्तृता द्वारा अनुमोदन किया। तत्पश्चात् सम्मेलन की परीक्षा का परिचय लोगों को प्रदान कर परीक्षा के निमित्त प्रोत्साहित किया। मिति फा० शु० ६ को एक सार्वजनिक सभा में भारत में एक भाषा और एक लिपि की आवश्यकता और हिन्दी की उपयोगिता पर व्याख्यान दिया। श्रीरामेश्वर सहाय जी आदि सज्जनों का उत्साह सराहनीय है, आपने सम्मेलन के सहायता में ५) रुपया स्वागतकारिणी समिति की ओर से दिये।

श्रीसत्तानन्द जी आदि सज्जनों का हिन्दी प्रेम सराहनीय है। श्रीमान् बाबू गौड़ीशङ्कर जी व बाबू बालमुन्द वर्म्मा जी तथा श्री बाबू गोपालदास जी ने सम्मेलन के कार्य में जिस प्रकार सहायता दी है, हिन्दी के प्रेम का पहाड़ तथा कर्त्तव्यज्ञान का समुद्र बहने पर भी मुझे तृप्ति नहीं होती है। ईश्वर ऐसे सदात्माओं को इस देश के कल्याण के लिये चिरञ्जीवी करें।

मिति फा० शु० ११ से १३ तक सम्मेलन कार्य्यालय में रह कर १४ को परीक्षा-प्रचार तथा पैसा फण्ड के हेतु मिर्जापुर गया। १५ को सीखड़ सरस्वती सदन पुस्तकालय के वार्षिकोत्सव में गया। वहाँ चैत्र कृष्ण १ को पुस्तकालय की सभा में मातृभाषा के महत्त्व पर व्याख्यान दिया। मिति चैत्र कृष्ण २ को चुनार गये और वहाँ सार्वसनिक सभा में 'हमारे त्योहार और उनकी उपयोगिता' पर व्यख्यान दिया। मि० चैत्र कृ० ३ को काशी गये और वहाँ चैत्र कृ० १० तक रह कर वहाँ के कालेज स्कूल में परीक्षा के प्रचार तथा पैसा फण्ड के सङ्ग्रह का कार्य किया। मिति ११ को सम्मेलन में आये। चैत्र कृ० १२ को स्थानीय विद्या मन्दिर स्कूल स्कूल में छात्रों को हिन्दी की उपयोगिता का दिग्दर्शन करा कर परीक्षा में सम्मिलित होने को प्रोत्साहन दिया। इस स्कूल के हेड मास्टर साहब ने जिस कर्त्तव्यज्ञान का परिचय मुझे इस अवसर पर दिया है अन्य मास्टरों के लिये आदर्श होने योग्य है।

स्थायी-समिति का प्रथम अधिवेशन

हिन्दीसाहित्य-सम्मेलन की वर्तमान स्थायी-समिति का प्रथम अधिवेशन सम्मेलन कार्य्यालय में मिति माघ कृ० ३ सं० १९७२ ता० २३ जनवरी सन् १९१६ रविवार को सन्ध्या समय पाँच बजे से निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ।

१—पं० रामजीलाल शर्म्मा।
२—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी।
३—पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल।

४—स्वा० सत्यदेव परिव्राजक।

५—प्रो० ब्रजराज बहादुर।

६—प्रो० रामदास गौड़।

७—बा० नवाब बहादुर।

८—ठा० शिवकुमार सिंह।

९—पं० लक्ष्मीनारायण नागर।

प्रो० ब्रजराज ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

१—परीक्षा समिति के सङ्गठन और प्रो० ब्रजराज के प्रस्ताव पर विचार हुआ। बाहर से आयी हुई और उपस्थित सदस्यों की सम्मतियों पर विचार होने के अनन्तर निम्नलिखित स्थायी समिति के सदस्य परीक्षा समिति के सभ्य चुने गये।

१—बाबू श्यामसुन्दर दास बी० ए०, लखनऊ।

२—बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन एम० ए०, प्रयाग।

३—प्रो० रामदास गौड़ एम० ए०, प्रयाग।

४—पं० श्रीकृष्ण जोशी, प्रयाग।

५—प्रो० ब्रजराज बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, प्रयाग।

६—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी, बुद्धिपुरी।

७—पं० रघुवर प्रसाद द्विवेदी बी० ए०, जबलपुर।

८—पं० शुकदेव बिहारी मिश्र बी० ए०, छत्रपुर।

निम्नलिखित अन्य सज्जन परीक्षा-समिति के सभ्य चुने गये।

१—पं० चन्द्रमौलि शुक्ल एम० ए०, प्रयाग।

२—बा० हीरालाल खन्ना बी० एस-सी०, प्रयाग।

३—प्रो० ताराचन्द एम० ए०, प्रयाग।

परीक्षा समिति के संयोजक पूर्ववत् प्रो० ब्रजराज ही बनाये गये।

२—पं० राजमणि त्रिपाठी के अारायज नवीसी की परीक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार हुआ और सर्व-सम्मति से निश्चय हुआ कि सम्मेलन का मन्त्रिमण्डल परीक्षाक्रम का एक मसौदा बनाकर अगले अधिवेशन में इस प्रस्ताव के साथ उपस्थित करे।

६—पं० लक्ष्मीनारायण नागर के प्रस्ताव पर विचार हुआ। सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि स्थायी-समिति और साहित्य सम्मेलन के कार्य को स्थायी रूप से निर्विघ्न, निरन्तर चलाने के लिये ऐसे स्थायीकोष की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसके ब्याज से उसका पूरा काम चल सके। इस लिये यह समिति निम्न लिखित सदस्यों की एक उप-समिति बनाती है, जिसके संयोजक पं० लक्ष्मीनारायण नागर होंगे और जिसका कर्त्तव्य होगा कि इस विषय पर पूरा विचार करके एक सुनिश्चित स्कीम अगले अधिवेशन में उपस्थित करे।

१—पं० श्रीकृष्ण जोशी।
२—स्वा० सत्यदेव।
३—प० लक्ष्मीनारायण नागर (संयोजक)
४—बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन।
५—बा० नवाब बहादुर।
६—ठा० शिवकुमार सिंह।

४—अन्य आवश्यक विषय—

(अ) स्वामी सत्यदेव जी ने प्रस्ताव किया कि स्थायी-समिति की ओर से एक उपदेशक-विभाग खोला जाय जिसका कर्त्तव्य "साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों का प्रचार और पैसा फण्ड सम्बन्धी धन सङ्ग्रह करना होगा।"

निश्चय हुआ कि निम्न लिखित सदस्यों का उपदेशक विभाग बनाया जाय।

१—पं० श्रीकृष्ण जोशी।
२—स्वामी सत्यदेव।
३—ठा० शिवकुमार सिंह।
४—पं० रामजीलाल शर्म्मा।
५—बाबू नवाबबहादुर।

इस विभाग के प्रधान पं० श्रीकृष्ण जोशी और मन्त्री स्वामी सत्यदेव होंगे और इस समिति का कर्त्तव्य होगा कि आगामी

अधिवेशन में स्थायी-समिति के सामने उचित व्यवस्था उपस्थित करे।

(ब) हिन्दीहितैषिणी-सभा लालगञ्ज और मध्यभारत-हिन्दी साहित्य-समिति इन्दौर का सम्मेलन से सम्बद्ध होने के लिये प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया। निश्चय हुआ कि सम्बद्ध सभाओं का फार्म भर कर भेजने पर ये सभाएं सम्मिलित कर ली जावें।

सभापति को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

सौर मासों की प्रधानता।

(लेखक—श्रीयुत पण्डित राधावल्लभ स्मृति-व्याकरण-ज्योतिस्तीर्थ। ज्योतिषाध्यापक "संस्कृत-कालेज" कलकत्ता।)

(१) सङ्क्रान्ति के द्वारा सौर मासों का ज्ञान होता है। वर्तमान समय में सूर्य्य के मन्दोच्च ७७ अंश हैं, अतएव इससे बारह सौर मास ऐसे होते हैं।

सौर वैशाख—३० । ५६ । ४६	सौर कार्तिक—२६ । ५२ । ५१
„ ज्येष्ठ—३१ । २५ । ३६	„ अग्रहायण—२६ । २६ । १
„ आषाढ़—३१ । ३८ । ३५	„ पौष—२६ । १६ । ६
„ श्रावण—३१ । २७ । ५७	„ माघ—२६ । २७ । २३
„ भाद्र—३१ । ० । २०	„ फाल्गुन—२६ । ५० । ४
„ आश्विन—३० । २५ । ४०	„ चैत्र—३० । २२ । ३

सूर्य्य की मन्दोच्च गति इतनी थोड़ी है, कि सहस्र वर्षों में भी इन महीनों के मानों में एक दिन का भी पार्थक्य नहीं होता। उपर्य्युक्त दिवस समूह "सावन-दिन" हैं। सूर्य्योदय से पुनः सूर्य्योदय पर्य्यन्त "सावन-दिन" होता है। यह प्रत्यक्ष-सिद्ध तथा पृथिवी के सब प्रान्तों में व्यवहार-सिद्ध भी है। इस सावन-भित्ति पर प्रतिष्ठित होने के कारण सौर मासों का व्यवहार वैज्ञानिक-युक्ति-पूर्ण और तारीखों का व्यवहार भी बहुत ही सुगम है।

सङ्क्रान्ति के पर दिवस से नवीन मास का प्रारम्भ होगा, इस युक्तियुक्त सहज-बोध्य नियम की सत्ता में, (इसके द्वारा) निरक्षर मनुष्यगण भी सरलता से महीनों के तारीख जान सकते हैं। किस महीने में कितने दिन होते हैं; ऐसी स्थूल-धारणा सब में ही रहती है। केवल सङ्क्रान्ति किस दिन में होगी, यह जान लिया जावे तो (इसकी सहायता से) तारीखों का ज्ञान अति सुगम हो जावेगा।

(२) ग्रहों की गणनादि सावन दिनों पर निर्भर करती है, अतएव ज्योतिर्विदों को सावन दिनों का ज्ञान उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। जिन जिन प्रान्तों में सावन तारीखों का (सौर मासों का) व्यवहार नहीं है, उन उन प्रान्तों के ज्योतिर्विद्गण विशेष विपन्न हो, सौरदिन, अधिदिन, चान्द्रदिन, तथा अवमदिन जान कर (तदुपरान्त) सावनदिन निर्णय करते हैं। परन्तु जिन प्रान्तों में सावन तारीखों का प्रचलन है, वहां इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता। वे गत वर्ष की सङ्ख्या को वत्सर का परिमाण ३६५। १५। ३१। ३१ २४ से गुण कर वर्तमान वत्सरारम्भ दिवस से अभिप्रेत दिवस पर्य्यन्त जितने दिवस अतीत हुए हैं, उन्हें योग करके ही सावन दिन पा सकते हैं। अतएव सावन दिनों की तारीखों का अर्थात् सौर मासों के व्यवहार का प्रचलन होना उचित है।

(३) प्रति दिवस एक एक सावन दिन में एक एक तारीख वृद्धि होती जाती है। कल्पना किया, कि शनिवार को सङ्क्रान्ति हुई, अतएव रविवार परिवर्ती मास का पहला दिन हुआ, सोमवार दूसरा दिन, तथा मङ्गलवार तीसरा दिन इत्यादि। परन्तु तिथियों के तारीख रूप के व्यवहार में ऐसी शृङ्खला दिखाई नहीं देती। कारण कभी एक दिन में दो तिथियाँ अतीत होती हैं, कभी दो दिनों की एक तिथि भी होती है। अतएव (व्यावहारिकी दृष्टि से) चान्द्र तिथियाँ तारीखों के स्वरूप में व्यवहृत नहीं हो सकतीं।

(४) चन्द्र और सूर्य्य–इन दोनों के ज्ञान पर तिथियों का ज्ञान निर्भर करता है, परन्तु सावन तारीखों का व्यवहार और सौर मासो का व्यवहार एक सूर्य्य के ज्ञान से ही सम्पन्न हो सकता है, अतएव लाघव है।

(५) धर्म्म कार्य्यों में सौर, चान्द्र, सावन, आदि अनेक प्रकार के मासों की आवश्यकता होती है। जिन प्रान्तों के मास व्यवहार में सौर मासों का प्रचलन है, उन प्रान्तों में अन्यान्य मासों का कार्य्य नष्ट नहीं हुआ, तथा जिन प्रान्तों में चान्द्र मासों का प्रचलन है, उन प्रान्तों के अन्यान्य मासों के धर्म्म कार्य्यों का व्यवहार भी बन्द नहीं हुआ। अतएव मास व्यवहार में एक प्रकार के मास के प्रचलन से अन्यान्य मासों के धर्म्म कार्य्यों का व्यवहार नष्ट नहीं हो सकता।

(६) जो महाशयगण तिथियों के द्वारा तारीख का व्यवहार करते हैं, वे जैसे बिना पञ्चाङ्ग के तिथि जान नहीं सकते, वैसे ही सावन तारीखों के व्यवहार की सत्ता में भी बिना पञ्चाङ्ग के तिथि ज्ञान नहीं हो सकता। अतएव धर्म्मप्राण हिन्दूगण धर्म्म कार्य्यों के लिए पञ्चाङ्ग का व्यवहार करेंगे ही। परन्तु व्यावहारिकी दृष्टि से पञ्चाङ्ग पर सम्पूर्ण निर्भर कर कार्य्य निर्व्वाह नहीं हो सकता। अतएव तिथियों के द्वारा तारीखों का व्यवहार युक्ति विरुद्ध है, परन्तु सावन तारीखों का व्यवहार युक्तियुक्त है।

(७) सूर्य्य के ज्ञान के न होने की अवस्था में, किस नक्षत्र में चन्द्रमा हैं, केवल इसकी सहायता से तिथियों का ज्ञान नहीं हो सकता। कारण सब महीनों में ही चन्द्रमा अश्विन्यादि सब नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। आकाश में नक्षत्रों का कोई सीमावद्ध स्थान चिन्हित नहीं है। सब नक्षत्र भी समान अन्तर में अवस्थित नहीं हैं। अतएव नक्षत्र के अति समीपवर्ती न होने से किस नक्षत्र में चन्द्रमा हैं, यह यन्त्र द्वारा ग्रहवेध करने में सक्षम ज्योतिर्विदोंके बिना अन्य कोई जान नहीं सकता। ऐसे ज्योतिर्विद कितने दिखाई देते हैं? तथा ऐसे यन्त्र भी कितने पण्डितों के पास हैं? अतएव केवल नक्षत्र ज्ञान की सहायता से तिथियों का निश्चय नहीं हो सकता, तथा इस पर निर्भर भी किया नहीं जा सकता। सूर्य्य का ज्ञान होने पर भी एक नक्षत्रदो तिथियों के काल में रह सकता है, तथा एक तिथि भी दो नक्षत्रों के काल में रह सकती है; अतएव सूर्य्य और चन्द्र स्थित नक्षत्र ज्ञान से भी, वास्तव तिथि ज्ञान नहीं हो सकता।

(८) तिथियों के ह्रास वृद्धि के सदृश सावन दिनों की ह्रास वृद्धि नहीं होती। अतएव पञ्चाङ्ग की सहायता के बिना भी ह्रास वृद्धि न होने की सहायता से सौर मासों की तारीख सुगमता से निरूपित हो सकती हैं। तारीख सम्पूर्ण धर्म्मावलम्बियों की साधारण सम्पत्ति है। अतएव केवल हिन्दुओं के पञ्चाङ्गों पर निर्भर कर सब धर्म्मावलम्बीगण तारीख जान लेंगे, ऐसी कल्पना करना असङ्गत है। इसलिए सावन तारीखों का व्यवहार जैसा कि वङ्गदेश, उड़िष्या, आसाम, पञ्जाब आदि प्रान्तों में चल रहा है, इसका प्रचलन और सावन मान पर निरूपित सौर मासों का तथा सौर वत्सर का प्रचलन सर्वथा युक्तियुक्त और न्यायसङ्गत है।

(९) "बारहों सौर मास समान नहीं है" ऐसा कह कर प्रतिवादकर्त्ता ने आक्षेप किया है, यह युक्तिहीन है। क्योंकि चान्द्र मास के भी सब मास समान नहीं है। इससे मास व्यवहार में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती, यह सभी जानते हैं। अतएव सौर मासों के व्यवहार पर भी असुविधा किसी प्रकार की नहीं हो सकती।

षष्ठवर्ष की परीक्षा-समिति का प्रथम अधिवेशन

परीक्षा-समिति का प्रथम अधिवेशन जो मिति फा० शु० १ सं० १९७२ को होने वाला था उस दिन स्थगित रक्खा जाकर मि० फा० शु० ७ सं० १९७२ शनिवार ता० ११ मार्च सन् १९१६ को हुआ।

कार्य्यवाही का सङ्क्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

१—प्रो० रामदास गौड़ के प्रस्ताव पर निम्नलिखित विभाग और वर्ग सम्बन्धी उपनियम बनाए गए।

विभाग और वर्ग सम्बन्धी उपनियम

१—परीक्षा विषयों के दो विभाग होंगे। (१) साहित्य और (२) विज्ञान।

२—परीक्षा के समस्त कार्य्यों में परीक्ष्य पिवषयों पर उपयुक्त और आवश्यक सम्मति देने के लिए प्रत्येक विभाग में परीक्षा-समिति द्वारा मनोनीत अधिक से अधिक इकतीस सदस्य होंगे। जिनमें से एक को परीक्षा-समिति ही विभाग मन्त्री नियुक्त करेगी और विभाग के अधिवेशन में उपस्थित सदस्य आपस में से किसी को सभापति नियुक्त कर लिया करेंगे।

३—विभाग का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार, सम्भवतः सम्मेलन के समय अवश्य होगा जिसमें विभाग के अन्तर्गत समस्त विषयों की उन्नति तथा परीक्षा में उन विषयों की स्थिति, उन विषयों के आदर्श, तथा तद्विषयक नीति पर पूर्ण विचार होगा और इस विचार का फल परीक्षा-समिति में उचित कार-रवाई के लिए उपस्थित किया जायगा।

४—विभाग मन्त्री का कर्त्तव्य होगा कि विभाग के अधिवेशन से दो मास पूर्व सदस्यों से उपस्थित होने वाले प्रस्ताव मँगवा कर कार्य्यक्रम बना कर अधिवेशन से एक मास पूर्व सदस्यों के पास भेज दे और सम्मेलन-पत्रिका द्वारा प्रकाशित कर दे, विचाराधीन विषयों की विस्तृत सूची बना कर अधिवेशन से एक मास पूर्व विभाग के समस्त सदस्यों और परीक्षा समिति के पास भेजे तथा उस सूची में परिवर्तन और परिवर्द्धन के लिए सम्मति माँगे।

५—साहित्य-विभाग में काव्य, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुरातत्व विविध भाषा ये सात वर्ग होंगे और प्रत्येक वर्ग में अधिक से अधिक सात और कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक को परीक्षासमिति वर्ग संयोजक नियुक्त करेगी।

६—यदि वर्ग के सदस्यों में अधिकांश के मत में सदस्य पर्य्याप्त न हों तो सदस्यों को दो और अधिक सभ्यों को स्वयं चुन लेने का अधिकार होगा, जिनके अधिकार वही होंगे जो वर्ग के सदस्यों के हैं।

७—विभाग के अधिवेशनों के लिए ५ सदस्यों का और वर्ग के अधिवेशनों के लिए दो सदस्यों का कोरम होगा।

८—प्रत्येक वर्ग का कर्त्तव्य होगा कि अगले दो वर्षों के लिए पाठ्य विषयों और ग्रन्थों पर पूरा विचार करें (साम्प्रतिक वर्गों को १९७५ और १९७६ के लिए विचार करना होगा) और परीक्षा समिति के निर्धारित उपनियमों और आदर्श के अनुकूल उपयुक्त विषय और ग्रन्थ की सूची बना कर परीक्षा-समिति के पास भेजे।

९—वर्ग संयोजक के कर्त्तव्य—

(१) उपनियम ८ में निर्दिष्ट कार्रवाई का विवरण परीक्षा-समिति के संयोजक के पास उपाधि वितरण के ३ मास पूर्व भेज दे।

(२) वर्ग-सम्बन्धी विषय में जितने अच्छे ग्रन्थ प्राचीन व अर्वाचीन उपलब्ध हो सकें उनकी ऐसी तालिका रक्खे जिससे ग्रन्थ का नाम, प्रकाशक का पता, मूल्य और विषय इत्यादि का पता लग जाया करे और इस तालिका में बराबर परिवर्धन करते रहें।

(३) ग्रन्थ प्रकाशकों से वर्ग के विषय-सम्बन्धी पुस्तकों की सूची मगवा कर रक्खे और परीक्षा-समिति को उपयुक्त पुस्तकें मँगवा कर रखने के लिए परामर्श दे।

(४) जब कभी आवश्यक समझे अपने वर्ग का अधिवेशन करे और चाहे तो सब वर्गियों की सम्मति पत्र द्वारा भी लेकर कार्य्य सम्पादन करे।

(५) विभाग के अधिवेशन में अनुपस्थित सब वर्गियों के प्रतिनिधि का काम करे।

१—जिस तालिका का निर्देश उपनियम ९ (२) में हुआ है उस की एक प्रति परीक्षा-समिति के कार्य्यालय में भी रहा करेगी तथा उसमें जो कुछ परिवर्तन वा परिवर्धन वर्ग संयोजक करेगा उसकी सूचना भी हर छठे मास कार्य्यालय को देता रहेगा।

२—निश्चय हुआ कि मध्यमा-परीक्षा में स्त्रियों के लिए बिहारी की सतसई के स्थान पर रामचन्द्रिका वैकल्पित नियत कर दी जाय।

३—निम्न-लिखित नये केन्द्र तथा व्यवस्थापक प्रथमा तथा मध्यमा-परीक्षाओं के बनाये गये।

केन्द्र	व्यवस्थापक
इन्दौर	बा० नानकचन्द हेड मास्टर कल्यानचन्द जैन हाई स्कूल
एटा	पं० विश्वेश्वरनाथ शुक्ल हे मास्टर गवर्नमेन्ट हाई स्कूल
खण्डवा	श्रीयुत कालूराम गङ्गराडे
गोरखपुर	श्रीयुत नरसिंहदास
झाँसी	श्रीयुत विपिन बिहारी वनर्जी मेकडानल.हाई स्कूल
बड़ौदा	श्रीयुत प्रिन्सिपल ट्रेनिङ्ग कालेज
मेरठ	श्रीयुत हेड मास्टर देवनागरी हाईस्कूल
रायबरेली	पं० द्वारका प्रसाद शुक्ल बी० ए०, एल-एल० बी०
लखनऊ	पं० गणेश बिहारी मिश्र, गोलागञ्ज लखनऊ

नोट—लखनऊ केन्द्र पुराना है पर व्यवस्थापक की नियुक्ति नई हुई है।

निश्चय हुआ कि उन नगरों में जहाँ परीक्षाएँ स्कूलों को छोड़ अन्य स्थानों में होती हैं। व्यवस्थापकों से प्रार्थना की जाय कि वे परीक्षाओं का स्कूलों में प्रबन्ध करें।

४—निश्चय हुआ कि प्रतिदिन दो प्रश्न पत्र दिये जाँयगे।

५—पं० इन्द्रनारायणद्विवेदी के तीसरे प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि मेट्रिकुलेशन, स्कूल लीविङ्ग सार्टिफिकेट और वर्नाक्युलर फाइनल उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि प्रथमा के साहित्य में उत्तीर्ण हो जाँयगे तो उन्हें मध्यमा में परीक्षा देने का अधिकार होगा। परन्तु हिन्दी लेकर जिन्होंने मैट्रिक स्कूल लीविङ्ग तथा हिन्दी नारमल पास किया है। उनके लिए साहित्य परीक्षा भी आवश्यक नहीं होगी *।

* अर्थात् प्रथमा परीक्षा से वे मुक्त समझे जांयगे (सं०)।

६—निश्चय हुआ कि स्थायीसमिति से परीक्षा-समिति के आगामी वर्ष के व्यय के लिए ५००) की प्रार्थना की जाय।

७—निश्चय हुआ कि विश्वकोष के सम्पादक से 'अक्षर' नामक लेख जो विश्वकोष में निकला है, पुस्तकाकार छापने की प्रार्थना की जाय।

८—निश्चय हुआ कि सं० १९७५ के लिए 'विज्ञान' विषय उत्तमा परीक्षा में न रक्खा जाय और यह भी निश्चय हुआ कि अङ्ग्रेजी तथा संस्कृत साहित्य उत्तमा परीक्षा से न निकाले जाँय। निश्चय हुआ कि अङ्ग्रेजी तथा संस्कृत साहित्य की उत्तमा परीक्षा में गुजराती, बङ्गला तथा मरहठी भाषाओं के साथ उर्दू भाषा भी वैकल्पिक रक्खी जाय।

९—विवरणपत्रिका संशोधन के लिए निश्चय हुआ कि कुछ सज्जन विवरण बना कर परीक्षासमिति में उपस्थित करें।

पण्डित इन्द्रनारायणद्विवेदी के निम्नलिखित दोनों प्रस्ताव अस्वीकृत हुए—

(१) जो परीक्षार्थी अधिक से अधिक दो विषयों में गत वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं उनके अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा मार्च के मध्य में किसी रविवार को ले ली जाय और उनके लिए परीक्षा-शुल्क भेजने की अन्तिम तिथि इस वार की परीक्षा का फल निश्चित होने के १५ दिन पर रक्खी जाय और इसकी सूचना समस्त हिन्दी पत्रों में दे दी जाय।

(२) बा० रामदास गौड़ के प्रस्ताव पर गत वर्ष की परीक्षा समिति ने अपने सप्तम अधिवेशन में निश्चय किया है कि "केवल मध्यमा-परीक्षा के ही उन परीक्षार्थियों को आगामी वर्ष की परीक्षा में अर्द्ध शुल्क देकर बैठने की आज्ञा दी जाय जो शुल्क देकर किसी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके" किन्तु कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि उसी प्रकार समिति प्रथमा के परीक्षार्थियों के लिए भी आज्ञा न दे।

समालोचना

आनन्दमयजीवन

अभ्युदय प्रेस की 'साधारण-शिक्षा-निबन्धावली' का यह 'आनन्दमयजीवन' नवम अङ्क है। इसके लेखक हिन्दी संसार के सुपरिचित श्रीयुक्त पण्डित सोमेश्वरदत्त शुक्ल बी० ए० हैं और प्रकाशक अभ्युदय प्रेस, प्रयाग। पृष्ठ सं० १२६ और मूल्य ॥=) प्रकाशक के यहाँ से मिलती है।

यह आनन्दमयजीवन, अङ्गरेजी के प्रसिद्ध विद्वान् 'सर जान लवक' की "प्लेज़र्स आव् लाइफ़" के दूसरे भाग के भावों के आधार पर रचा गया है। पुस्तक में "ऐश्वर्य पाने की इच्छा, धन, आरोग्य, प्रेम, ललितकला, कविता, सङ्गीत, प्रकृत की सुन्दरता, जीवन के क्लेश, मेहनत और आराम, धर्म, उन्नति की आशा और मनुस्य के लक्ष्य" इन १३ विषयों पर विचार किया गया है। संसार में आनन्द कौन नहीं चाहता फिर भी उसके वास्तविक मार्ग के न जानने के कारण लोग दुःखमय जीवन बिताते हैं। किन्तु इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ जाने पर एक वार तो जीवन आनन्दमय होने की ओर आकृष्ट हो ही जायगा पुनः प्रारब्धवश चाहे भटक कर दुःख ही भोगे। सारांश यह कि पुस्तक सभी के पढ़ने योग्य है। विद्यार्थी से लेकर विद्वानों तक और ग्रामीण जनों से लेकर साहब बहादुरों तक के लिये यह पुस्तक उतनी ही लाभप्रद है जितना मनुष्यों के लिये आनन्दमय जीवन। ऐसी पुस्तकों का प्रचार होना देश के लिये अधिक लाभदायी है और मेरी राय में यदि यह पुस्तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा-परीक्षा की पाठ्य पुस्तकों में रख ली जाय तो अधिक उत्तम हो।

युद्ध की २५०० बातें

यह पुस्तक युद्ध ग्रन्थमाला (अभ्युदय प्रेस-प्रयाग) की दूसरी सङ्ख्या है। इसके लेखक पण्डित श्यामकरण शर्मा और प्रकाशक अभ्युदय प्रेस है। पृष्ठ सङ्ख्या १२५ और मूल्य ।-) ठीक ही है। प्रकाशक के पास से मिलती है।

इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं कि इस समय संसार व्यापी महायुद्ध के नवीन समाचारों के जानने के लिये सारा देश विशेष कर शिक्षित समाज लालायित रहता है। समाचारपत्रों में तार द्वारा खबरें आया करती हैं। तार में विवरण न होने के कारण सङ्क्षिप्त समाचार मात्र रहता है। कभी छपता है कि अमुक देश के अमुक किले पर अमुक का अधिकार हो गया और अनावश्यक समझ कर अमुक ने बहादुरी से उसका त्याग किया। कभी छपता है कि अमुक नाम के अमुक नगर पर अमुक राजा का अधिकार हो गया और जहाज, तोप और वायुयानों की सञ्ज्ञाएँ भी छपती हैं जिनका ठीक ज्ञान न होने के कारण समाचार का जो प्रयोजन है वह प्राप्त नहीं होता ऐसी दशा में यह युद्ध की २५०० बातें बड़े ही लाभ की चीज है। इसमें उपर्युक्त प्रायः सभी बातों का वर्णन है अतएव समस्त हिन्दी समाचार पढ़ने वालों को इसकी एक एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी चाहिये। हिन्दी साहित्य में ऐसी ऐसी उपयोगी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है।

हिन्दी-संसार

(ले० पं० रामकृष्ण सारस्वत स० मन्त्री)

हिन्दीनाटक का आदर

हर्ष की बात है कि हिन्दी नाटकों का आदर दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अभी उस दिन काशी की नागरी-नाटकमण्डली ने हिन्दू विश्वविद्यालय के उत्सव पर महाभारत नाटक खेला था, जिसे देखने के लिये अनेक राजे महाराजे भी पधारे थे। अवश्य ही देशी नरेशों को हिन्दी नाटक मण्डली द्वारा खेला हुआ यह नाटक बहुत पसन्द आया होगा। यह इस बात से प्रकट होता है कि नाटक मण्डली के नाटक-भवन के लिये अपील होते ही ४८०००) के ऊपर चन्दा हो गया। चन्दा देने वालों में महाराज काश्मीर, महाराज कोटा, महाराज जोधपुर, महाराज किशनगढ़, महाराज अलवर, महाराज दतिया, राजराना झालावाड़, सर प्रतापसिंह आदि के नाम हैं। नागरी-नाटकमण्डली की इस सफलता पर

हम उसे बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगे चल कर वह हिन्दी के उत्तमोत्तम नाटकों का अभिनय करके हिन्दी के एक बड़े अभाव को पूरा करने में प्रयत्नवान होगी।

हिन्दी-साहित्य में चोरी

दुःख की बात है कि हिन्दी साहित्य में चोरी दिन दिन बढ़ती जाती है। दूसरों के लिखे लेख कविताओं में थोड़ा सा फेर बदल कर अपने नाम से छपवा देना एक साधारण सी बात हो गयी है। अभी हाल में तरङ्गिणी के जनवरी के अङ्क में "प्रातश्चिन्ता" नाम की कविता हमें दिखलाई दी जिसे हमें ध्यान आया कि हमने सरस्वती के किसी पिछले अङ्क में पढ़ा था। फाइल उलटने पर हमें जनवरी सन् १९१२ की सरस्वती के ३० वें पृष्ठ पर वह कविता मिल गई। सरस्वती में वह पण्डित रूपनारायण पाण्डेय के नाम से और तरङ्गिणी में कोई वी० जोशी नामधारी महाशय के नाम से छपी है। वी० जोशी महाशय ने पाठकों की आँखों में धूल झोंक कर एक सुन्दर कविता में अपना नाम देकर खूब वाहवाही लूटने का प्रयत्न किया है। जोशी महाशय को वह कविता इतनी अच्छी मालूम हुई कि उन्होंने केवल दो एक शब्दों के फेरफार के सिवाय कविता को ज्यों की त्यों लिख दिया है। उन्होंने समझा होगा कि बता रहा है के स्थान पर "दिखा रहा है" पाठ पढ़ रही हैं के स्थान पर "पाठ कर रहा है" "उसी की धुन में हरेक पक्षी उमङ्ग से चह-चहा रहा है" के स्थाय पर "उमङ्ग में हरेक पक्षी जहाँ तहाँ चुहचुहा रहा है" तरङ्ग के स्थान पर "चढ़ाव" उद्यम के स्थान पर "उद्गम" वह के स्थान पर "वो" लिख कर तथा दो लाइनों को साफ नौ दो ग्यारह करने से हमारी श्रेष्ठ कवियों में गणना होने लगेगी। पर फल उलटा ही निकला। अस्तु, हम वी० जोशी महाशय से अनु-रोध करते हैं कि यदि उन्हें इस प्रकार दूसरे की कविता को अपना कह कर वाहवाही लूटना हो तो वे उसे हिन्दी-पत्रों में प्रकाशित करने के बदले अपने आस पास के लोगों को सुना कर वाहवाही लूट लें। हिन्दी-संसार में आने से उनकी चोरी खुल जायगी और सुकीर्ति के बदले में अपकीर्ति का भय रहेगा।

हिन्दी साहित्य की चोरी का एक दूसरा हाल दैनिक "भारत-

मित्र' के ता० ८ अप्रैल के अङ्क में प्रकाशित हुआ है। इसमें एक पूरी पुस्तक के उड़ा लेने और उसे अपने नाम से छपा देने का वर्णन है। पहले पहल जब हमने दैनिक भारतमित्र के इस लेख को पढ़ा। हमें इस पर कुछ अविश्वास हुआ; क्योंकि इसमें जिन महाशय को चोरी का दोषी बतलाया गया है उनकी गिनती हिन्दी के लेखकों में है और सामयिक पत्रों में उनके लेख छपा करते हैं। अधिक अनुसन्धान करने पर हमारा अनुमान ठीक न निकला। बात यह है कि बा० महेशचन्द्रप्रसाद द्वारा लिखित एक पुस्तक 'भारत-भाग्योदय' नाम से सन् १९११ में प्रकाशित हुई और सन् १९१६ में वही पुस्तक "भारत में इङ्गलैण्ड के कार्य्य और शासन पद्धति" के रूप में पं० रामदहिन मिश्र काव्यतीर्थ के नाम से निकली। चोरी खुल गई और काव्यतीर्थ जी बेढब फँसे; क्योंकि असली पुस्तक का कापीराइट हो चुका था। इस मामला का निबटारा किसी प्रकार सुगमता से हो गया और काव्यतीर्थ जी को अपनी पुस्तक की बची हुई ७०० प्रतियाँ और Copy right दे देने पर ही छुटकारा मिल गया।

पत्र-सम्पादकों तथा हिन्दी हितैषियों का कर्तव्य है कि ऐसी ऐसी बातें मालूम होने पर उन्हें अवश्य प्रकाशित कर दें; क्योंकि ऐसी बातें हिन्दी के लिये कलङ्क रूप हैं।

हिन्दी सभाएँ और हिन्दी पुस्तकालय

अभी हाल ही में सनातनधर्म सभा के उत्सव पर स्वामी सत्यदेव जी गाजीपुर पधारे थे। दो ढ़ाई हजार मनुष्यों की उपस्थिति में आपने हिन्दी का सन्देश सुनाया, जिसका उपस्थित जन समुदाय पर अच्छा प्रभाव पड़ा और एक नागरी-प्रचारिणी-सभा स्थापित की गयी। गाजीपुर निवासियों का कर्तव्य है कि इस सभा की उन्नति की पूरी चेष्टा करें।

हर्ष की बात है कि नागरी प्रचारिणी सभा रायबरेली का वार्षिकोत्सव श्रीमान् राजा रामपालसिंह के सभापतित्व में ता० २९, ३० जनवरी को सानन्द समाप्त हो गया। बाहर से आये हुए उपस्थित सज्जनों में रामदास गौड एम० ए०, स्वामी सत्यदेव परिब्राजक, लखनऊ के पं० गणेश बिहारी मिश्र और बा० गोपाललाल

खत्री और पं० ज्ञानेन्द्रदत्त जी शर्म्मा मुख्य थे। पं० गोकर्णनाथ मिश्र बा० श्यामसुन्दरदास बी० ए० तथा अन्य कई सज्जनों ने सहानुभूति सूचक तार तथा पत्र भेजे थे। रिपोर्ट पढ़ी जाने के अतिरिक्त स्वामी सत्यदेव जी ने शिक्षा का आदर्श तथा हिन्दी का सन्देश इन दोनों विषयों पर दोनों दिन तथा प्रो० रामदास गौड़ एम० ए० ने हिन्दी में वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया। लगभग साढ़े तीन सौ के चन्दा हुआ, जिसमें से ८०) के लगभग नगद प्राप्त हुआ। ४०) सभा ने उपदेशक विभाग को दिये। रात्रि को सभा के उद्योग से सन्मित्र नाटक और नागरी निरादर प्रहसन खेला गया। नाट्यकारों में अनेक ग्रेज्युएट और वकील थे।

ता० २६-२७ फरवरी को आगरा नागरी प्रचारिणी सभा का उत्सव सानन्द समाप्त हुआ।

काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का २२ वाँ वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से ता० ५ फरवरी को काशी में मनाया गया। सभापति का आसन श्रीकाश्मीर नरेश ने ग्रहण किया था। उपस्थित सज्जनों में काशीनरेश के कुमारसाहब महाराज गिद्धौर सर प्रभाशङ्कर पट्टनी, कर्मवीर गान्धी और उनकी धर्मपत्नी, प्रोफेसर विष्णुदिगम्बर तथा अन्य बहुत से सज्जन थे।

पं० श्यामविहारी मिश्र ने सभा की रिपोर्ट पढ़कर सुनायी और बा० श्यामसुन्दरदास बी० ए०, कर्मवीर गान्धी, लाहौर के एडवोकेट, भगत ईश्वरदास तथा सभापति महोदय की वक्तृताएँ हुईं। कर्मवीर गान्धी महाशय ने अपनी वक्तृता में हिन्दी के प्रति पूर्ण सहानुयूति प्रकट की और वकीलों से अपना काम हिन्दी में करने तथा अन्य सज्जनों से अपना पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने का अनुरोध किया। श्रीमान् काश्मीर नरेश ने १०००) और श्रीमान् गिद्धौर नरेश ने ५००) सभा को देने का वचन दिया।

चन्दौसी के पण्डित रामस्वरूप शर्म्मा एक उत्साही सज्जन हैं। आपने अपने उद्योग से कई नगरों में हिन्दी के पुस्तकालय स्थापित कराये हैं जिनसे सर्वसाधारण को अच्छा लाभ पहुँच रहा है। गजरौला जङ्क्शन का पुस्तकालय, विजनौर की फ्रेन्डस लायब्रेरी, फैजाबाद की सोहनलाल लायब्रेरी, बिसवाँ का आनन्द पुस्तकालय

और चन्दौसी की शर्म्मा प्रेम-वर्द्धिनी लायब्रेरी आप ही के उद्योग के फल हैं।

गत वर्ष की परीक्षा-समिति का आय-व्यय

मि० पौष कृ० ७ सं० १९७२ ता० २८ दिसम्बर सन् १९१५ से
मि० मार्ग शु० सं० १९७२ ता० २६ दिसम्बर सन् १९१६ तक

आय	व्यय
४॥।)। पिछले साल की बचत	२०२-)॥ कागज छपाई
५५१) शुल्क से प्राप्त	८४॥।)॥ व्यवस्थापक को भेजा
१४॥=) विवरण	२५॥-)। पुस्तकालय
	७१) स्टाम्प
	१३॥।=)॥। पार्सल
	२०=)॥ वेतन
	२॥।-)॥ तार
	६॥) फुटकर
	६॥)॥ स्टेशनरी
	१३६॥।≡)॥। हस्त में
५७०।=)।	५७०।=)।

सम्पादकीय विचार

स्थायीसमिति

सम्मेलन की स्थायीसमिति का प्रथम अधिवेशन मि० मा० कृ० ३ सं० १९७२ को हुआ था और उसमें परीक्षा-समिति के ११ सभ्यों का (नवीन नियम के अनुसार) चुनाव हुआ है। यद्यपि नवीन नियम के अनुसार उसमें स्थायीसमिति के ७ सभ्यों के अतिरिक्ति ४ अन्य सज्जन भी लिये जा सकते थे किन्तु इस वार बाहरी सज्जनों में से केवल ३ ही लिये जा सकें हैं और शेष ८ स्थायी समिति के सभासदों में से लिये गये हैं। स्थायी

समिति ने अपने इस अधिवेशन में दो उपसमितियां पुनः वनायीं हैं। अवश्य ही उपसमिति के द्वारा कार्य होगा इसमें हमें सन्देह है और इसी कारण से हम उपसमिति वनाने के विरोधी हैं तथापि जो हो गया सो हो गया अब तो हमें यही उद्योग करना चाहिये कि दोनों समितियों के सञ्चालकों से तकाजा करके काम करावें। यदि ऐसा न हुआ तो अब भी हमें सावधान हो जाना चाहिये और उप-समितियों के सङ्गठन की ओर से सन्तोष करना चाहिये।

परीक्षा-समिति

नवीन सङ्गठित परीक्षा-समिति का प्रथम अधिवेशन फा० शुक्ल ७ सं० १९७२ को हो गया। समिति में विभाग और वर्ग सम्वन्धी अनेक उपनियम वनाये गये हैं अवश्य ही उपनियम उपयुक्त हैं और उनको पढ़कर यह विदित होता है कि समिति के कार्य का भार कितना वढ़ रहा है और समिति कैसी उन्नति कर रही है। मैट्रिक, स्कूल लीविङ्ग, नारमल, वर्नाक्यूलर मिडिल के सम्वन्ध में ठीक नियम वनाये गये हैं किन्तु साथ ही संस्कृत की प्रथमा और मध्यमा के लिये भी यह नियम हो जाना चाहिये कि यदि भूगोल, इतिहास और गणित सम्वन्धी अपनी योग्यता का प्रमाण दे सकें तो प्रथमा या मध्यमा (संस्कृत की) पास परीक्षार्थी हिन्दी की प्रथमा परीक्षा से मुक्त करके मध्यमा में सम्मिलित होने के अधिकारी हो सकेंगे। इस वर्ष परीक्षार्थियों की सङ्ख्या विशेष वढ़ी है और प्रतिदिन वढ़ने की आशा है किन्तु पाठ्य ग्रन्थों के मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही है और पुस्तकें भी इतनी अधिक हैं कि जिनका मूल्य भी वहुत अधिक हो जाता है अतएव परीक्षा-समिति को इस ओर भी ध्यान देना परम आवश्यक है।

उपसमितियाँ

लिङ्ग-विचार समिति की रिपोर्ट आ गयी है और अगले अङ्क में वह सम्मति के लिये प्रकाश की जायगी इस अङ्क में स्थानाभाव के कारण दी नहीं जा सकती है। समालोचक-समिति के कार्यों का क्षेत्र बहुत वड़ा है और उसके कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने चाहियें। हम आशा करते हैं कि उसके संयोजक इस ओर शीघ्र ही ध्यान देंगे।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोथित समाचार भी होने चाहियें।

स्वामी सत्यदेव जी

की

प्रथम पुस्तक

मेरी कैलाश-यात्रा

हिमालयल के श्वेतभवन की छटा देखिये
श्री कैलाश जी के भव्यमन्दिर के दर्शन कीजिये
मानसरोवर स्नान का पुण्य सञ्चय करिए
तिब्बतियों का रहन सहन जानिये

अपूर्व पुस्तक है। दाम आठ आने।

दूसरी पुस्तक

शिक्षा का आदर्श

शिक्षा सम्बन्धी समस्या को हल करती है
नया जीवन प्रदान करती है

इस पुस्तक का घर घर प्रचार करने की आवश्यकता है। कृपया अपने मित्रों में इसका प्रचार बढ़ाइये। मूल्य पाँच आने।

प्रार्थी—

मैनेजर, सत्य-ग्रन्थ-माला, जानसेनगञ्ज, इलाहाबाद।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-620

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
की
मुखपत्रिका

भाग ३ | चैत्र, वैशाख संवत् १९७३ | अङ्क ७, ८

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना ।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना ।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना ।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना ।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना ।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना ।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना ।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना ।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना ।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना ।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना ।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३ | चैत्र, वैशाख संवत् १९७२ | अङ्क ७, ८

राष्ट्रमिति एवं सौरमास

(ले० श्रीयुक्त पं०रामदत्त ज्योतिर्विद्)

भाग २ अङ्क २।३ की सम्मेलन-पत्रिका में श्रीयुतपण्डित धर्म्मनारायण जी द्विवेदी का "राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति" शीर्षक गवेषणापूर्ण लेख छपा है। वास्तव में आपका लेख बड़े महत्त्व का है। राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति चान्द्रमास की मानी जाँय अथवा सौरमास की दोनों समान हैं। दोनों ही शास्त्रानुकूल हैं। आवश्यक यह है कि हिन्दी प्रधान देश में और हिन्दी प्रधान संस्थाओं में अङ्गरेजी तारीखों का व्यवहार न रहै। सौरमास अथवा चान्द्र-मास को तारीखों का स्थान दिया जाय। सौरमास अथमा चान्द्र-मास की मितियाँ जो अङ्गरेजी तारीख के अभ्यासियों को सुगम जान पड़ें। सर्व सम्मति में उन मितियों का प्रचार एवं व्यवहार करना श्रेयस्कर होगा। ज्योतिष-शास्त्र और धर्मशास्त्र की दृष्टि से सौरमास और चान्द्रमास दोनों तुल्य ही हैं। यथा—"दर्शावधिश्चान्द्र मसोहिमासः, सौरस्तु सङ्क्रान्त्यवधिर्यतोतः। शिरोमणि सिद्धान्त" तथा—सौरकार्यं विवाहादि ग्रहचारादिकं तथा, व्रतयज्ञादिकं चान्द्रे मासे परिणयः क्वचित् इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है। मन गढ़न्त

कोई नहीं दर्शान्त पर्यन्त चान्द्रमास सङ्क्रान्ति से सङ्क्रान्ति अर्थात् सूर्य की एक राशिभोग पर्यन्त सौरमास माना गया है। वर्ष, अयन, ऋतु और युग आदि की गणना सौरमास से करने की शास्त्र आज्ञा देता है। देखिये ज्यो० भ० अ० १ "वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमेव देव, मानादि मानमखिलं किल सौरमानादिति" मेष सङ्क्रान्ति से मेष सङ्क्रान्ति पर्यन्त ही पञ्चाङ्ग की गणना होती है। संवत्सर प्रतिपदा का ध्रुवक मान कर पञ्चाङ्ग का ग्रह गणित नहीं होता, इस मत को मन गढ़न्त कैसे कहें। बङ्गदेश, आसाम, उड़ीसा, नैपाल, गढ़वाल और कूर्माचल में सहस्रों वर्षों से सौरमासों का प्रचार है। परन्तु जन्माशौच, श्राद्ध, व्रत, पूजा, पर्वोत्सवादि धर्म कार्य चान्द्रमास ही से यहाँ माने जाते हैं। युक्त प्रान्त में चान्द्रमास का प्रचार रहते हुए भी, विवाह उपनयनादि के मुहूर्त्त सौरमास ही के अनुसार होते आते हैं। ऐसी दशा में सौरमासों के प्रचार से—चान्द्रमासों को हम सब एक दम भूल जायँगे, यह शङ्का निर्मूल है—बङ्गदेशादि के श्रद्धावान् हिन्दू मात्र अब तक तिथियों का व्यवहार जैसे नहीं भूले उसी प्रकार सौरमास का सार्वजनिक सर्वत्र प्रचार होने पर भी चान्द्रमास की तिथियों को कोई भारतवासी कदापि नहीं भूलेगा। तिथिपत्रों के महीनों का वर्त्तमान क्रम जब इसी प्रकार प्रचलित रहेगा तब तिथि नक्षत्रादिकों को कौन भूल सकता है। यह चिन्ता व्यर्थ है। यदि किसीके पास पञ्चाङ्ग (तिथि पत्र) न हो और वह अपना दिन भूल जाय तो आकाशमण्डल को देखकर चान्द्र तिथि जिस प्रकार जान सकता है—तारागण देख कर तिथि जानने की जिसमें योग्यता है, उसी प्रकार वह राशि लग्न देखकर सौर दिन भी जान सकता है पर आकाश-मण्डल के पञ्चाङ्ग को देखने की उसमें योग्यता अवश्य होनी चाहिये। चान्द्रमास के सार्वजनिक प्रचार में यह बड़ी भारी बाधा उपस्थित होती है कि शास्त्र में दो प्रकार के चान्द्रमास कहे हैं। एक दर्शान्त और दूसरा पौर्णिमान्त। यत्र तत्र दोनों का वर्णन है, तदनुसार ही उत्तर भारत में कृष्णादिमास, दक्षिण भारत में शुक्लादिमास प्रचलित हैं। दोनों अपने अपने पक्ष में अड़े हुए हैं। दोनों ओर प्रमाणों के ढेर हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रमिति के लिये किस चान्द्रमास को ग्रहण करें। जिस प्रकार संयुक्तप्रान्तादि से कृष्णादि मास का प्रचार हटाना कठिन है उसी प्रकार दक्षिण-भारत से शुक्लादिमास नहीं हट सकता। जबकि उत्तर भारत एवम् दक्षिण भारत में एक ही प्रकार का चान्द्रमास प्रचलित नहीं हो सकता दोनों पक्ष के शास्त्रीय प्रमाण भी पर्याप्त हैं। ऐसी दशा में एक देशीय पौर्णिमान्त मास को राष्ट्रभाषा की पदवी देना, दरिद्री को करोड़ीमल, किसान को महीपतिसिंह, अन्धे को नैनसुख, लङ्गड़े को सुचालसिंह कहने के तुल्य ही है। सौरमास की मिति को राष्ट्रमिति मानने में ये झगड़े कुछ नहीं हैं। सौरमण्डल का चक्र ही अङ्गरेजी तारीखों का एक छत्र राज्य हटाने के लिये ब्रह्मास्त्र है। जैसे अङ्गरेजी तारीखें १०।५।१६ मात्र लिखने से १० मई १६ ई० का ज्ञान करा सकती हैं। उसी प्रकार सौरमिति भी २६।१।७२ लिखने से १० मई का बोध करा सकती है। चान्द्रमास के नवीन क्रमानुसार भी यह सुभीता नहीं हो सकता। अङ्क और अक्षर बढ़ जाते हैं। जिन कार्यालय वा संस्थाओं को सैकड़ों पत्र नित्य लिखने पड़ते हैं। वह अधिक झञ्झट इस चान्द्रमास के क्रम में देखकर चान्द्र तिथियों से घबड़ाये हुए अङ्गरेजी तारीखों की ओर झुक पड़ते हैं। इसी हेतु चिट्ठी पत्री, घरेलू व्यवहारों में अङ्गरेजी तारीखों का अनिवार्य प्रचार हो गया है।

लेन देन के व्यवहार में भी चान्द्र मितियों की अपेक्षा, सौरमितियों की उपयोगिता और आवश्यकता देखी जाती है। कलकत्ते के मारवाड़ी व्यापारियों में चान्द्रमासों का व्यवहार है। तिथियों के ह्रास वृद्धि के कारण लेन देन में ब्याज की गड़बड़ से मैं मैं तू तू भयङ्कर रूप धारण करती है। एक मारवाड़ी सज्जन इस विषय पर एक स्वतन्त्र लेख लिखने वाले हैं। सम्वादपत्र वालों को मलमास के कारण एक मास तक विना मूल्य ही पत्र देना पड़ता है। इसी हेतु से हिन्दीसाहित्य-सेवी हिन्दीपत्र अङ्गरेजी तारीखों के अनुयायी होते जाते हैं। तिथियों के वृद्धि क्षय और अधिमास के कारण ही हिन्दी के मासिक साप्ताहिक वा दैनिक पत्रों का प्रका-

शन तथा आर्थिक लेन देन चान्द्रमासों के अनुसार नहीं होता। अङ्गरेजी तारीखों का व्यवहार ही प्रायः देखा जाता है। हाँ दो एक मासिक पत्र नाममात्र को चान्द्रमास के अनुसार प्रकाशित होते हैं। सो भी साप्ताहिक किंवा दैनिक नहीं। क्योंकि मासिक पत्र मलमास के कारण एक मास गुप्त हो सकता है। जैसे कि गत वर्ष वैशाख अधिक होने से "सम्मेलन-पत्रिका" एक मास गुप्त रही। परन्तु दैनिक वा साप्ताहिक भला एक मास तक कैसे अन्तर्ध्यान रहें। इस दशा में या तो एक मास तक बिना मूल्य ही पत्र देना पड़ता है अथवा अङ्गरेजी तारीखों की शरण लेनी पड़ती है। क्या कारण है कि हिन्दी प्रधान युक्तप्रान्त के हिन्दी-साहित्यानुरागी प्रधान प्रधान नेताओं के दैनिक, साप्ताहिक एवम् मासिक हिन्दी पत्रोंमें भी अङ्गरेजी तारीखों का प्रचार अद्यापि हो रहा है। हिन्दी सेवी बेधड़क विदेशी तारीखों का व्यवहार कर रहे हैं। केवल अङ्गरेजी शिक्षामात्र ही इसका कारण नहीं है। क्योंकि संयुक्त प्रान्तादि की अपेक्षा वङ्गदेश में अङ्गरेजी साहित्य का अत्यधिक प्रचार होते हुए तथा अङ्गरेजों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हुए भी वङ्गदेश के एक भी दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिकपत्र अङ्गरेजी तारीखों के अनुसार प्रकाशित नहीं होते। कारण यह है कि वहाँ सौरमासों का सार्वजनिक प्रचार है। अङ्गरेजी तारीखों की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ती। यदि संयुक्त प्रान्त में भी सौरमासों का व्यवहार हो जाता तो यहाँ भी अङ्गरेजी तारीखों का इतना प्रचार न होता। इधर चान्द्रमासों से अड़चन पड़ने के कारण ही अङ्गरेजी तारीखों की आवश्यकता देखी जाती है।

जैसे देवनागरी वर्णमाला हिन्दू मात्र की पूजनीया एवम् सार्वजनिक सम्पत्ति है। संयुक्त-प्रान्तवासियों का अथवा हिन्दी जगत का प्रान्तीय अधिकार उस पर नहीं हो सकता। सर्वगुण आगरी नागरी वर्णमाला में इतने गुण होते हुए भी हिन्दीभाषा नागरी में लिखी जाती है केवल इसी आधार पर वङ्ग देशवासी भ्रमाक्रान्त हो इसे प्रान्तीय समझ कर अपने देश में स्थान देना नहीं चाहते? द्वेष विरोध और अकारण हठ करते हैं, वैसे ही सौर मासों का संयुक्त प्रान्त में विशेष प्रचार न होने से हम संयुक्त-प्रान्तवासी इसे अप-

माना नहीं चाहते—प्रान्तीय समझते हैं, यह हमारा सम्पूर्ण भ्रम है। देवनागरी वर्णमाला के सदृश सौरमासों पर किसी प्रान्त का प्रान्तीय अधिकार नहीं हो सकता। यह हिन्दू और हिन्दुस्थान की सार्वजनिक सम्पत्ति है। वर्ष, अयन, ऋतु, मास, दिन की गणना सौर मास के अनुसार शास्त्र की आज्ञानुकूल होनी चाहिये। इससे सङ्कल्पादि में कोई गड़बड़ न होगी। सङ्कल्प तो ज्यों का त्यों रहेगा। केवल तिथि ही नहीं नक्षत्र वार योग करण मुहूर्त सभी का उच्चारण होना चाहिये। अङ्ग्रेजी तारीखों का व्यवहार सौर तारीखों से करने में सङ्कल्प कैसे बिगड़ सकता है। शास्त्र में जिन कार्यों के लिये चान्द्रमास उक्त है वे पितृकार्यादि चान्द्रमास ही के अनुसार होंगे। विवाहादि मुहूर्त सौरमास से अब भी होते हैं तब भी होंगे। इससे चान्द्रमास का त्याग कुछ भी नहीं होगा। तिथिपत्रों की यही परिपाटी रहेगी। जो अब तक है चान्द्रमास का लोप क्योंकर होगा। केवल चिट्ठी-पत्री, देन-लेन, सभा, संस्था, सामयिक-पत्रादि अङ्गरेजी तारीखों का व्यवहार और अनिवार्य प्रचार जहाँ जहाँ हो गया है, वहाँ अङ्गरेजी तारीखों का बहिष्कार करके भारतीय तारीख–सौर मितियों का प्रचार और व्यवहार करें। अङ्ग्रेजी तारीखों का चार्ज हिन्दी तारीख वा भारतीय तारीखों को देवें। यह राष्ट्रमिति सर्वानुमति से सौर वा चान्द्र जो सुगम जान पड़े जिसमें अड़चन न हो, भारतव्यापी हो सके, उसी को 'राष्ट्रमिति' स्थिर करें। "शुभस्य शीघ्रम्" के अनुसार जोर से आन्दोलन करके 'राष्टमिति' का व्यवहार आरम्भ करना परमावश्यक है। अविलम्ब से श्रीगणेश होना चाहिये।

लिङ्ग-निर्णय-समिति की रिपोर्ट

श्रीयुत मन्त्रीजी,

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,

प्रयाग।

महाशय,

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की जो बैठक लखनऊ में गत वर्ष २७-२८ और २९ नवम्बर को हुई थी, उसके नवें मन्तव्य के अनुसार निम्नलिखित सज्जनों की एक समिति हिन्दी के लिङ्ग-निर्णय पर विचार करने के लिए बनाई गई थीः—

(१) पं० रामावतार पाण्डेय, एम० ए०।
(२) " राधाचरण गोस्वामी।
(३) " अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी।
(४) " गोविन्द नारायण मिश्र।
(५) " चन्द्रधर शर्मा गुलेरी।
(६) " पद्मसिंह शर्मा।
(७) " अमृतलाल चक्रवर्ती।
(८) " अयोध्यासिंह उपाध्याय।
(९) बाबू श्यामसुन्दरदास।
(१०) पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी।

इस समिति के संयोजक का काम मुझे दिया गया था। समिति का कार्य्य आरम्भ करने के लिए मैंने ८--४--१५ को इस आशय का एक एक पत्र सदस्यों की सेवा में भेजा कि वे हिन्दी के लिङ्ग-निर्णय के विषय में अपनी अपनी सम्मति लिख भेजें; परन्तु पीछे से यह आवश्यक जान पड़ा कि सदस्यों की सेवा में कोरा पत्र भेजने के बदले कुछ नियम भेजने चाहिये जिनका वे लोग खण्डन-मण्डन करें। इस विचार के अनुसार लिङ्ग-विषयक कुछ नियमों का एक चिट्ठा सम्पूर्ण सदस्यों की सेवा में १--५--१५ को भेजा गया। इन नियमों पर अधिकांश लोगों ने सम्मति दी; केवल निम्नलिखित सज्जनों की सम्मति का सौभाग्य मुझे प्राप्त न हुआः—

पं० रामावतार पाण्डेय, एम० ए०।

" अमृतलाल चक्रवर्ती।

" पद्मसिंह शर्मा।

बाबू श्यामसुन्दरदास।

पं चन्द्रशेखर शास्त्री।

सम्भव है कि उपर्युक्त सज्जनों में से एक-दो महाशय ने उत्तर दिया हो और किसी कारण से मुझे न मिला हो।

निर्वाचित सज्जनोंके सिवाय और भी दो चार विद्वानों के पास मैंने नियमावली भेजी थी जिनमें से केवल पं० गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्रीजी ने सम्मति देने की कृपा की।

नियमों का खण्डन-मण्डन प्रायः सभी सम्मतियों में है; पर विशेष समालोचना पं० गोविन्दनारायण मिश्रजी ने की है जिसके लिये हम उनके परम कृतज्ञ हैं।

यद्यपि अधिकांश सज्जनों को इस नियमावली में विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी तथापि जो योग्य सम्मति मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार नियमों का संशोधन करना मुझे आवश्यक और उचित जान पड़ा। इस रिपोर्ट के साथ नियमावली की मूल और संशोधित प्रतियाँ सम्मिलित हैं।

इस नियमावली के सम्बन्ध में कुछ सज्जनों ने जो सूचनाएं दी हैं उनका उल्लेख करना उपयोगी है और आशा है कि सम्मेलन उन पर विचार करेगा। वे सूचनाएं ये हैं:—

पं० चन्द्रधरशर्मा—देश-भेद से जिन शब्दों के लिङ्गों में अन्तर है उनमें व्याकरण परिवर्तन नहीं कर सकता।"

"यह सब ठीक है, जितना व्यापक हो सकता है, उतना है। पूर्णता न सम्भव है न वाञ्छनीय"।

पं० राधाचरण गोस्वामी—"मेरी समझ में वाणी का प्रवाह ही इसका (लिङ्ग-निर्णय का) नियामक है न कि व्याकरण। इससे इन सूत्रों को छाप दीजिये। आगे देखा जायगा"।

"पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी—"इन नियमों से लिङ्ग-सम्बन्धी कठिनाई बहुत कुछ कम हो जाती है। मुझे इन पर विशेष रूप से विचार करने का समय नहीं मिला है; इसलिये मैं इनमें अपनी ओर से कुछ जोड़ देने में असमर्थ हूं"।

पं० गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री—"कालान्तर में धीरे धीरे ये नियम व्यापक और पूर्ण हो जाँयगे"।

पं० गोविन्दनारायण मिश्र—"जिस संस्कृत भाषा में पाणिनीय व्याकरण सा सर्वाङ्गसुन्दर व्याकरण वर्त्तमान है, जिसकी शिक्षा में आज भी ब्राह्मण पण्डित आजन्म परिश्रम करते हैं उस संस्कृत के पण्डितों में तथा बड़े बड़े अध्यापकों में भी व्याकरण की अशुद्धियाँ और लिङ्गों का भ्रम प्रत्यक्ष नित्य बोलने तथा लिखने में भी बहुधा सुनने और लेखने में आता है"।

इन नियमों की अव्यापकता और अपूर्णता का विश्वास जितना मुझे है उतना औरों को भी है; पर इनको अधिक व्यापक और पूर्ण करना इस समय मेरी शक्ति के बाहर है। लिङ्ग-विषयक कठिनाई भाषा की अस्थिरता के कारण है और इस अस्थिरता का कारण लेखकों में शिष्ट-प्रयोग का अनादर तथा अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। इस कठिनाई का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है:—

एक ही शब्द एक ही लेखक की पुस्तकों में अलग अलग लिङ्गों में आता है; जैसे—

"देह ठंढ़ी पड़ गई" (ठेठ प्र० ३३), "उसके सब देह में" (ठेठ ५०) "कितने सन्तान" (इति पृ० १), "रघुकुल भूषण की सन्तान" (गुट० भा० ३, पृष्ठ ४), "बहुत बरसें हो गईं" (स्वा० पृ० २१) "सवा सौ बरस हुए" (सर० भा० १५, पृ० ६४०)।

हिन्दी में जिन शब्दों का लिङ्ग वाद-ग्रस्त अथवा सन्दिग्ध है, उनकी सङ्ख्या बहुत अधिक नहीं है (यद्यपि उनके नियम निश्चित करना कठिन है); और यदि लेखक उनके सम्बन्ध में शिष्टप्रयोग का अनुकरण करें तो वैयाकरण की बहुत सी कठिनाई दूर हो जाँय।

इस लेख में इन शब्दों के लिङ्ग का अलग अलग विचार करना आवश्यक नहीं जान पड़ता। यथार्थ में यह कोष का विषय है।

यदि सम्मेलन उचित समझे तो यह नियमावली छाप कर प्रत्येक सदस्य के पास भेज कर उनसे प्रार्थना करे कि वे फिर इस विषय पर विचार कर नियमावली को पूर्ण और व्यापक बनाने में सहायता देवें। इसमें मैंने स्वयं कुछ नियम जोड़े हैं।

अन्त में समालोचकों को धन्यवाद देकर मैं यह सङ्क्षिप्त वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

गढ़ाफाटक, जबलपुर
२५-१२-१६१५

निवेदक—
कामताप्रसाद गुरु।

लिङ्ग-निर्णय

(लिङ्गविचार-समिति के संयोजक श्रीयुक्त कामताप्रसाद गुरु द्वारा प्राप्त)

१—हिन्दी में लिङ्ग-निर्णय बहुधा दो प्रकार से हो सकता है—(१) शब्द के अर्थ से। (२) उसके रूप से।

२—प्राणीवाचक सञ्ज्ञाओं का लिङ्ग बहुधा अर्थ के अनुसार और अप्राणीवाचक सञ्ज्ञाओं का बहुधा रूप के अनुसार निश्चित करते हैं। जिन शब्दों का लिङ्ग इन दोनों रीतियों से निश्चित नहीं हो सकता उनका लिङ्ग, व्यवहार के अनुसार माना जाता है।

अर्थ के अनुसार लिङ्ग-निर्णय

३—जिन प्राणीवाचक सञ्ज्ञाओं से मिथुन (जोड़े) का ज्ञान होता है उनमें पुरुष बोधक सञ्ज्ञाएँ बहुधा पुल्लिङ्ग और स्त्री-बोधक सञ्ज्ञाएँ बहुधा स्त्रीलिङ्ग होती हैं; जैसे—पुरुष, घोड़ा, मोर, आदि पुल्लिङ्ग हैं और स्त्री, घोड़ी, मोरनी, आदि स्त्रीलिङ्ग हैं।

अप०—"सन्तान" और "सवारी" (यात्री) स्त्रीलिङ्ग हैं।

सू०—शिष्ट लोगों में स्त्री के लिये "घर के लोग"—पुल्लिङ्ग शब्द बोला जाता है।

५—कई एक मनुष्येतर प्राणियों के नामों से दोनों जातियों का बोध होता है। और वे व्यवहार के अनुसार पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग माने जाते हैं; जैसे—

पु०—पक्षी, उल्लू, कौआ, भेड़िया, चीता, खटमल, कीड़ा, केंचुआ, आदि।

स्त्री०—चील, बटेर, कोयल, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली, इत्यादि।

सू०—इन शब्दों के प्रयोग में लोग इस बात की चिन्ता नहीं करते कि इनके वाच्य पुरुष हैं या स्त्री। जब इन प्राणियों की विशेष जाति सूचित करने की आवश्यकता होती है तब इनके नामोंके साथ पुरुष का बोध करने के लिये "नर" और स्त्री के बोध के लिये "मादा" (वा "मादी") लगाते हैं; परन्तु इन उपसर्गों के कारण शब्द के मूल लिङ्ग में अन्तर नहीं पड़ता; जैसे, "वे बीस हजार मक्खियाँ उन निकम्मी नर-मक्खियों को खिला कर (शहद) वृथा नहीं खोतीं"। (विद्या०)।

५—प्राणियों के समुदाय-वाचक नाम व्यवहार के अनुसार नित्य पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग होते हैं; जैसे—

पु०—झुण्ड, कुटुम्ब, सङ्घ, दल, मेला, इत्यादि।

स्त्री—भीड़, सेना, फौज, सभा, प्रजा, टोली, सरकार (शासक समूह), इत्यादि।

अपवाद—"समाज" शब्द का स्त्रीलिङ्ग में अधिक प्रयोग होता है; पर कोई कोई लेखक उसे पुल्लिङ्ग में लिखते हैं।

६—किसी किसी वैयाकरण ने अप्राणिवाचक शब्दों के अर्थ के अनुसार लिङ्ग-निर्णय के कुछ नियम बनाये हैं; परन्तु ये अव्यापक और अपूर्ण हैं। इस प्रकार के कुछ नियम यहाँ दिये जाते हैं—

पुल्लिङ्ग

(अ) शरीर के अवयवों के नाम—बाल, सिर, मस्तक, तालु, ओंठ, दाँत, मुँह, कान, गाल, हाथ, पाँव, नख, इ०।

अप०--आँख, नाक, जीभ, जाँघ, खाल, नस, हड्डी, इ०।

(आ) धातुओं के नाम--सोना, रूपा, लोहा, ताँबा, सीसा, काँसा, पीतल, टीन, इ०।

अप०—चाँदी, धातु, इ०।

(इ) रत्नोंके नाम--हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना, इ०।

अप०—मणि, चुन्नी, लालड़ी, इ०।

पेड़ों के नाम--पीपल, बड़, सागोन, शीशम, देवदार, तमाल, अशोक, इ०।

अप०—नीम, जामुन, कचनार, इ०।

(उ) अनाजों के नाम-जौ, गेहूं, चाँवल, बाजरा, मटर, उड़द, चना, तिल, इ०।

अप०—मक्का, जुआर, मूँग, अरहर, इ०।

(ऊ) द्रव पदार्थों के नाम—घी, तेल, पानी, दही, मही, शर्बत, सिरका, अतर, आसव, अवलेह इ०।

अप०—छाछ, स्याही, मसि, इ०।

(ऋ) जल और थल के विभागों के नाम—देश, नगर, पर्वत, द्वीप, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, इ०।

अप०—पृथ्वी, भील, नदी, घाटी, इ०।

(ॠ) ग्रहों के नाम—सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, राहु, केतु, शनि, इ०।
अप०—पृथ्वी।

स्त्रीलिङ्ग

(अ) नदियों के नाम-गङ्गा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, इ०।

(आ) तिथियों के नाम-परिवा, दूज, तीज, चौथ, पञ्चमी, इ०।

(इ) नक्षत्रों के नाम-अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, इ०।

(ई) वर्णमाला के अक्षर—इ, ई, ऋ, ए, ऐ,।

(उ) किराने के नाम—लौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, केशर, दालचीनी, इ०।

अप०—तेजपात, कपूर, इ०।

(ऊ) भोजनों के नाम—पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, कढ़ी, इ०।

अप०—भात, रायता, हलुआ, मोहनभोग, इ०।

रूप के अनुसार लिङ्ग-निर्णय

७—अप्राणिवाचक सञ्ज्ञाओं के लिङ्ग का निर्णय बहुधा शब्द के रूप के अनुसार किया जाता है। हिन्दी में संस्कृत और यावनी (विदेशी) शब्द भी आते हैं; इसलिये इन भाषाओं के शब्दों का अलग अलग विचार करने में सुभीता है।

—:०:—

१—हिन्दी-शब्द

पुल्लिङ्ग

(अ) ऊन-वाचक सञ्ज्ञाओं को छोड़, शेष हिन्दी आकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे—गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, कपड़ा, इ०।

(आ) जिन भाव-वाचक सञ्ज्ञाओं के अन्त में "ना", "आव", "पन" वा "पा" होता है; जैसे, आना, गाना, चढ़ाव, बहाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, इ०।

(इ) कृदन्त की नकारान्त सञ्ज्ञाएँ जिनका धातु नकारान्त न हो और जिनका उपान्त्य वर्ण आकारान्त हो; जैसे, लगान, मिलान, खानपान, गान, नहान, उठान, ब्यान, इ०।

अप०—उड़ान, इ०।

स्त्रीलिङ्ग

(अ०) ईकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, चिकनाई, इ०।

अप०—पानी, घी, जी, मोती, दही, मही, ।

(आ) ऊन-वाचक आकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, फुड़िया, खटिया, डिबिया, पुड़िया, ठिलिया, इ०।

(इ) तकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, रात, बात, लात, छत, पत, इ०।

अप०—भात, खेत, सूत, दाँत, गात, इ० ।

(ई) ऊकान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, बालू, लू, दारू, ब्यालू, आफू, झाड़ू, इ० ।

अप०—आलू, आँसू, रतालू, टेसू, इ० ।

(उ) अनुस्वारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, सरसों, जोखों, खड़ाऊं, गौं, दौं, चूं, इ० ।

अप०—कोदों, गेहूँ, ।

(ऊ) सकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, प्यास, मिठास, रास (लगाम), बास, घास, साँस, इ० ।

अप०—निकास, काँस, रास (नृत्य) ।

(ऋ) कृदन्त की नकारान्त सञ्ज्ञाएँ जिनका उपान्त्य वर्ण अकारान्त हो अथवा जिनका धातु नकारान्त हो; जैसे, सूजन, जलन, सिमटन, रहन-सहन, उलझन, छान, जान-पहचान, इ० ।

अ०—चलन और चाल-चलन, उभय लिङ्ग हैं ।

सू—मारण, मोहन, पालन, पोषण, आदि शब्दों के लिये आगे संस्कृत शब्द देखो ।

(ॠ) कृदन्त की अकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, लूट, मार, समझ, दौड़, सम्हाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार, इ० ।

अप०—खेल, नाच, मेल, बिगाड, बोल, उतार, इ० ।

(ए) जिन सञ्ज्ञाओं के अन्त में "ख" होता है; जैसे, ऊख, (ईख), दाख, सीख, भीख, राख, आँख, काँख, कोख, परख, साख, लाख, (लाक्षा), चीख, देख-रेख, इ० ।

अप०—पाख, रूख, इ० ।

(ऐ) जिन भाववाचक सञ्ज्ञाओं के अन्त में वट वा हट होता है; जैसे, सजावट, चिल्लाहट, बनावट, घबराहट, इ० ।

—:o:—

२—संस्कृत-शब्द

पुल्लिङ्ग

(अ) त्रान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, चित्र, चरित्र, पात्र, गोत्र, सूत्र, पत्र, इ० ।

(आ) नान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, पालन, पोषण, दमन, नयन, गमन, इ० ।

अप०—"पवन" उभय-लिङ्ग है ।

(इ) "ज" प्रत्ययान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, जलज, उरोज, इ० ।

(ई) जिन शब्दों के अन्त में त्व, त्य, व, अथवा र्य होता है; जैसे, सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, धैर्य, इ० ।

(उ) जिन शब्दों के अन्त में "आर", "आय" वा "आस" हो; जैसे, विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, हास, इ० ।

अप०—"सहाय" उभय-लिङ्ग और "आय" स्त्रीलिङ्ग है ।

(ऊ) "अ" प्रत्ययान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, क्रोध, बोध, मोह, भय, लय, स्पर्श, इ० ।

अप०—"जय" स्त्रीलिङ्ग और "विनय" उभय-लिङ्ग है ।

(ऋ) जिनके अन्त में "ख" होता है; जैसे, मुख, नख, सुख, दुःख, लेख, मख, शङ्ख, इ० ।

स्त्रीलिङ्ग

(अ) आकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, दया, माया, कृपा, लज्जा, शोभा, सभा, इच्छा, इ० ।

अप०—स्वाहा (नाश) ।

(आ) नाकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, प्रार्थना, वन्दना, प्रस्तावना, वेदना, रचना, घटना, आदि ।

(इ) उकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, वायु, रेणु, रज्जु, मृत्यु, आयु, जानु, वस्तु, धातु, ऋतु, इ० ।

अप०—मधु, अश्रु, तालु, तरु, मेरु, हेतु, सेतु, इ० ।

(ई) जिनके अन्त में "ति" वा "नि" होती है जैसे, गति, मति, रीति, जाति, भाँति, शान्ति, हानि, ग्लानि, ध्वनि, बुद्धि, ऋद्धि, सिद्धि, इ० ।

सूच०—अन्त के तीन शब्द "ति" प्रत्ययान्त हैं; पर सन्धि के कारण उनका कुछ रूपान्तर हो गया है ।

(उ) "ता" प्रत्ययान्त भाववाचक सञ्ज्ञाएँ; जैसे; नम्रता, लघुता, सुन्दरता, प्रभुता, जड़ता, इ० ।

(ऊ) इकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे विधि (रीति), निधि, परिधि, राशि, अग्नि (आग), छबि, केलि, रुचि, इ० ।

अपवाद—वारि, गिरि, जलधि, कृमि, पाणि, आदि, बलि, इ० ।

(ऋ) "इमा" प्रत्ययान्त शब्द; जैसे, महिमा, गरिमा, लालिमा, कालिमा, इ० ।

३—यावनी-शब्द

पुल्लिङ्ग

(अ) जिनके अन्त में "आब" होता है; जैसे, गुलाब, जुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, इ० ।

अप०—शराब, मिहराब, किताब, ताब, कमखाब, इ० ।

(आ) जिनके अन्त में "आर" वा "आन" होता है; जैसे बाजार, इकरार, इज़हार, इश्तिहार, इन्कार, अहसान, मकान, इ० ।

अप०—दूकान, जान, सरकार (शासक-समूह), तकरार, इ० ।

(इ) जिनके अन्त में "ह" होता है । हिन्दी में यह "ह" बहुधा "आ" होकर अन्त्य स्वर में मिल जाता है; जैसे, परदा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, तम्बूरा, चश्मा, तमगा (हिं०–तगमा), इ० ।

अप०—दफा, इ० ।

स्त्रीलिङ्ग

(अ) ईकारान्त भाववाचक सञ्ज्ञाएँ; जैसे, बीमारी, गरीबी, गरमी, चालाकी तैयारी, दूकानदारी, इ० ।

(आ) शकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, मालिश, इ० ।

अप०—ताश, होश, इ० ।

(इ) तकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, दौलत, कसरत, अदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात, इ० ।

अप०—दस्तखत, दरख्त, इ० ।

(ई) हकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, सुबह, राह, तरह, आह, सतह, सलाह, सुलह, इ० ।

अप०—माह, गुनाह, इ० ।

(उ) आकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, हवा, दवा, सज़ा, जमा, दुनिया, बला (हिं०—बलाय), इ० ।

अप०—"मज़ा" उभयलिङ्ग और "दगा" पुल्लिङ्ग है ।

(ऊ) "तफ़ईल" के वज़न की सञ्ज्ञाएँ; जैसे, तसबीर, तहसील, जागीर, तामील, तफ़सील, इ० ।

अप०—ताबीज़ ।

८—कोई कोई सञ्ज्ञाएँ दोनों लिङ्गों में आती हैं। इनके कुछ उदाहरण पहिले आ चुके हैं; और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। इस प्रकार के शब्द उभयलिङ्ग कहाते हैं:—बर्फ़, श्वास, जान (ज्ञान), गड़बड़, गेंद, इ० ।

९—हिन्दी में लगभग तीन-चौथाई शब्द संस्कृत के हैं और तत्सम अथवा तद्भव रूप में आते हैं। संस्कृत के पुल्लिङ्ग और नपुंसक-लिङ्ग शब्द हिन्दी में बहुधा पुल्लिङ्ग होते हैं और स्त्रीलिङ्ग शब्द बहुधा स्त्रीलिङ्ग होते हैं। तथापि कई एक तत्सम और कई एक तद्भव शब्दों का मूल लिङ्ग हिन्दी में बदल गया है; जैसे,

तत्सम शब्द

शब्द	सं० लिङ्ग	हिन्दी लिङ्ग
अग्नि	पु०	स्त्री०
जय	"	"
आत्मा	"	"
महिमा	"	"
देह	"	"

व्यक्ति	स्त्री०	पु०
तारा (नक्षत्र)	"	"
देवता	"	"
वस्तु	न०	स्त्री०
पुस्तक	"	"

तद्भव शब्द

तत्सम	सं० लि०	तद्भव	हिं० लि०
औषध	पु०	औषधि	स्त्री०
शपथ	"	सौंह	"
बाहु	"	बाँह	"
बिन्दु	"	बूँद	"
तन्तु	"	ताँत	"
अक्षि	न०	आँख	"
इ०	इ०	इ०	इ०

सूचना—तत्सम शब्दों का प्रयोग शास्त्री, पण्डित, आदि विद्वान् बहुधा संस्कृत के लिङ्गानुसार करते हैं।

१०—"अरबी, फारसी, आदि यावनी-भाषाओं के शब्दों में भी इस (हिन्दी) लिङ्गान्तर के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं; जैसे अरबी का "मुहावरत" (स्त्रीलिङ्ग) हिन्दुस्थानी में "मुहावरा" (पुल्लिङ्ग) हो गया है"। (प्लाट्सकृत हिन्दुस्थानी ग्रामर)

११—अङ्गरेजी शब्दों के सम्बन्ध में लिङ्ग-निर्णय के लिये बहुधा अर्थ और रूप दोनों का विचार किया जाता है।

(अ) कुछ शब्दों को उसी अर्थ के हिन्दी शब्दों का लिङ्ग प्राप्त हुआ है; जैसे,

कोट—अँगरखा—पुल्लिङ्ग	कम्पनी—मण्डली—स्त्री०
लेक्चर-व्याख्यान- "	फीस—दक्षिणा— "
वारण्ट—चालान- "	कमेटी—सभा— "
लम्प—दिया— "	चेन—साँकल— "
बूट—जूता— "	स्टिक—छड़ी— "
इ० इ०	इ० इ०

(आ) कई एक शब्द आकारान्त होने के कारण पुल्लिङ्ग और ईकारान्त होने के कारण स्त्रीलिङ्ग हुए हैं; जैसे,

पु०—सोडा, डेल्टा, इ० ।

स्त्री०—चिमनी, गिनी, म्युनीसिपाल्टी, इ० ।

(इ) कई एक शब्द उभय-लिङ्ग हैं; जैसे, स्टेशन, काङ्गरेस, कौंसिल, रिपोर्ट, अपील, प्लेग, इ० ।

१२—अधिकांश सामासिक शब्दों का लिङ्ग अन्त्य शब्द के लिङ्ग के अनुसार होता है; जैसे, रसोई-घर (पु०), धर्म-शाला (स्त्री०), मा-बाप (पु०), आब-हवा (स्त्री०), काञ्जीहौस (पु०), इ० ।

सू०—कई एक हिन्दी व्याकरणों में यह नियम व्यापक माना गया है; परन्तु एक-दो समासों में यह नियम नहीं लगता; जैसे "मन्द-मति" । यह शब्द केवल कर्म-धारय में स्त्रीलिङ्ग विशेष्य के अनुसार होता है; जैसे, "मन्द-मति-बालक", इ० ।

१३—सभा, पत्र, पुस्तक और स्थान के व्यक्तिवाचक नामों का लिङ्ग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार होता है; जैसे, महासभा, (स्त्री०), महामण्डल (पु०), मर्यादा (स्त्री०), प्रभा (स्त्री०), प्रताप (पु०), भारत-मित्र (पु०), रघुवंश (पु०), रामकहानी (स्त्री०), आगरा (पु०), मथुरा (स्त्री०), प्रयाग (पु०), दिल्ली (स्त्री०), इत्यादि ।

परीक्षासमिति, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्यालय, प्रयाग।

परीक्षाक्रम

प्रथमा-परीक्षा सं० १९७३

साहित्य का पहला प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ७ रविवार सं० १९७३ ता० ६ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
साहित्य का दूसरा प्रश्नपत्र	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
साहित्य का तीसरा प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ८ सोमवार सं० १९७३ ता० ७ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे दिन से १ बजे दिन तक
इतिहास	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
भूगोल	मि० श्रावण शु० ९ मङ्गलवार सं० १९७३ ता० ८ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
विज्ञान	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
अङ्कगणित	मि० श्रावण शु० १० बुधवार सं० १९७३ ता० ९ अगस्त सन् १११६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक

मध्यमा-परीक्षा सं० १९७३

साहित्य का पहला प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ७ रविवार सं० १९७३ ता० ६ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से २ बजे दिन तक
साहित्य का दूसरा प्रश्नपत्र	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक

साहित्य का तीसरा प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ८ सोमवार सं १९७३ ता० ७ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
साहित्य का चौथा प्रश्नपत्र	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
इतिहास का पहला प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ९ मङ्गलवार सं० १९७३ ता० ८ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
इतिहास का दूसरा प्रश्नपत्र	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
संस्कृत से अनुवाद	मि० श्रावण शु० १० बुधवार सं० १९७३ ता० ९ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
अङ्ग्रेजी से अनुवाद	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
ज्योतिष तथा गणित	मि० श्रावण शु० ११ गुरुवार सं० १९७३ ता० १० अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
अर्थशास्त्र	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
धर्मशास्त्र	मि० श्रावण शु० १२ शुक्रवार सं १९७३ ता० ११ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
दर्शन	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
विज्ञान	मि० श्रावण शु० १३ शनिवार सं० १९७३ ता० १२ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
वैद्यक	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक

उपदेशकीय भ्रमण-वृत्तान्त

(अप्रैल)

ता० ३–४ को हाजीपुर पहुँचा और वहाँ के लोगों से मिल कर वहाँ एक नागरीप्रचारिणी सभा स्थापित करने का उद्योग किया, सफलता की आशा ने २–३ दिन प्रतीक्षा करा कर पश्चात् और भी अपनी अवधि बढ़ा ली।

ता० ६–४ को भागलपुर के लिये रवाना होकर वहाँ १७–४ तक के ११ दिन समय में सम्मेलन के प्रतिनिधि शुल्क के भाग का रुपया जो अभी भागलपुर चतुर्थ-सम्मेलन की स्वागतकारिणी-समिति के ज़िम्मे कुल बाकी था उसके प्राप्ति का प्रबन्ध किया, जिसमें समिति के कोष का प्रस्तुत रुपया मात्र तो प्राप्त किया और शेष को शीघ्र अदाय करने के लिये समिति की एक उपसमिति बनवा कर उद्योग करने का भार दिला शीघ्र अदाय करने का वचन उसके सदस्यों से प्राप्त किया। उक्त समिति ने अपने यहाँ के सम्मेलन कार्य विवरण प्रथम भाग जो अब तक नहीं छपवाया था, उसे उसने छपवा कर तैयार करा लिया। उक्त सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन के पैसा फण्ड में प्रतिज्ञात चन्दे के रुपये को वहाँ के लोगों से यथा सम्भव सङ्ग्रह किया। सम्मेलन पत्रिका और सम्मेलन के कार्य विवरणों के प्रचार तथा परीक्षार्थ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का उद्योग किया। मारवाड़ी-पाठशाला में विद्या की विशेषता पर व्याख्यान दिया।

ता० १६–४ को मुजफ़्फ़रपुर हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा के उद्योग से हिन्दी से लाभ विषय पर व्याख्यान दिया।

ता० २२–४ को दरभङ्गा में व्याख्यान दिया। सम्मेलन-पत्रिका तथा सम्मेलन के कार्यविवरण के प्रचार का उद्योग किया सम्मेलन परीक्षा के लिये छात्रों को उत्साहित किया। वहाँ की हिन्दी-भाषा प्रचारिणी सभा के मन्त्री महोदय के स्थान पर नहीं मिलने से शहर में और अधिक कार्य नहीं हो सका।

ता० २५–४ से कई दिन मुजफ़्फ़रपुर पैसा फण्ड के दाताओं की प्रतीक्षा में रहा। इत्यादि।

हिन्दी-संसार

(ले० पं० रामकृष्ण सारस्वत स० मन्त्री)

हिन्दी में राजनैतिक साहित्य

प्रत्येक सभ्य देश में लोगों को राजनैतिक शिक्षा दी जाती है जिससे वे शासन-प्रणाली की बारीक से बारीक बातों को समझते हुए देशभक्त तथा राजभक्त नागरिक बनते हैं। पर हमारे देश में यह बात नहीं। इसके जहाँ और अनेक कारण हैं वहां सर्वसाधारण के समझने योग्य भाषा में इस विषय के अच्छे साहित्य का अभाव भी एक है। हर्ष की बात है कि प्रसिद्ध लोकोपकारी संस्था भारत-सेवक-समिति की प्रयाग वाली शाखा ने इस अभाव की पूर्ति करने का बीड़ा उठाया है। हिन्दी में शीघ्र ही इस विषय की पुस्तकों की एक माला निकलने वाली है। विषय होंगे (१) भारतवर्ष में राजनैतिक जागृति (२) उपनिवेशों में प्रजातन्त्र। (३) भारतवर्ष में स्वराज्य। (४) हिन्दुस्थान की साम्पत्तिक दशा। (५) भूमिकर और किसानों का बोझा। (६) सहयोग समितियाँ (७) भारतीय व्यापार और उद्योग धन्धे (८) भारतीय अर्थ नीति (९) प्रान्तिक आर्थिक स्थिति (१०) भारतवर्ष में शिक्षा (११) भारतवासी और सरकारी नौकरियाँ (१२) स्थानिक स्वराज्य (१३) न्यायविभाग का सुधार (१४) पुलीस का सुधार (१५) सरकार और आबकारी (१६) देशी रियासतें (१७) साम्राज्य और हिन्दुस्थानी इत्यादि। हमें विदित हुआ है कि पुस्तकें प्रसिद्ध राजनैतिक विद्वानों द्वारा लिखायी जाँयगी और इनकी प्रस्तावना माननीय मालवीय जी लिखेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं हमारे देश के सभी राजनैतिक नेता हिन्दी के अच्छे ज्ञाता नहीं, पर अपने विषय के वे पूरे पण्डित होंगे इसमें सन्देह नहीं। अस्तु, पुस्तकें तो लिखानी चाहिये उन्हीं लोगों से जो अपने विषय के अच्छे ज्ञाता हों पर यदि वे स्वयं हिन्दी में पुस्तकें न लिख सकें तो उनका अच्छा हिन्दी अनुवाद ही समिति को प्रकाशित करना चाहिये; क्योंकि अन्य भाषाओं मे पुस्तकें प्रकाशित करने से लाभ न होगा।

प्रयाग विश्वविद्यालय में देशभाषा की शिक्षा

प्रयाग विश्वविद्यालय की सीनेट-सभा में डाक्टर गङ्गानाथ झा का यह प्रस्ताव कि मेट्रिकुलेशन परीक्षा में देश-भाषा की शिक्षा अनिवार्य कर दी जावे, अस्वीकृत हुआ। और क्यों ? इसलिये कि भूले भटके २५ फी सैकड़ा विद्यार्थियों को, जिन्होंने अपने मन से देशी भाषा नहीं ली है पढ़ने की स्वतन्त्रता देना आवश्यक है, इसलिये कि देशी भाषा कीअपेक्षा विज्ञान पढ़ना बहुमूल्य है और इसलिये कि जो खराबी केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस नियम के कारण है कि जो विद्यार्थी यूनानी भाषा न पढ़े उसे वे अपने यहाँ नहीं लेते, वही खराबी प्रयाग विश्वविद्यालय में देश-भाषा को बलपूर्वक चलाने से आ जावेगी ! ऐसी ही बेढङ्गी बातें विपक्षियों ने कहीं हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इन सब बातों का क्या मतलब है । क्या ऐसे समय में जब कि किसी प्रकार का दबाव न होने पर भी ७५ फ़ी सैकड़ा विद्यार्थी देश-भाषा पढ़ते हैं यह कहा जा सकता है कि वे २५ फ़ी सैकड़ा भटके हुए नहीं है और उनको ठीक रास्ते पर लाने की आवश्यकता नहीं है ? क्या देश-भाषा के बिना जाने विज्ञान का कुछ भी मूल्य हो सकता है, क्या अङ्ग्रेजी भाषा-भाषीदेश में ग्रीक भाषा का जबर्दस्ती पढ़ाना वही अर्थ रखता है जो भारत के लोगों को उनकी मातृ-भाषा पढ़ाना। ऐसी ही औंधी दलीलों का पक्ष करके विरोधियों ने मैदान जीत लिया। मि० बर्न, मि० मैकेंजी प्रभृति सज्जनों के पक्ष में रहते हुए भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ये विचार ठीक वैसे ही हैं जो देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य्य करने के प्रस्ताव के विरोधी, अनिवार्य्य शिक्षा के सुपरिणाम देखते हुए भी प्रकट करते हैं। कुछ भी हो, यह प्रयाग विश्वविद्यालय के लिए दुःख और लज्जा की बात है !

श्रीमान् ग्वालियर नरेश का हिन्दी प्रेम

हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि लश्कर की हिन्दी सभा की प्रार्थना पर श्रीमान् ग्वालियर नरेश ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को आगामी वर्ष ग्वालियर बुलाना स्वीकार करके अपने असीम हिन्दी प्रेम का परिचय दिया है। इस बात पर हर्ष प्रकट करते हुए तथा

महाराज के इस काम पर उन्हें तथा हिन्दी संसार को बधाई देते हुए सहयोगी "प्रताप" ने हिन्दी-संसार के सन्मुख एक प्रस्ताव उपस्थित किया है कि जबलपुर सम्मेलन के सभापति का आसन ग्रहण करने के लिये श्रीमान् ग्वालियर नरेश से प्रार्थना की जाय। सहयोगी लिखता है कि "केवल साहित्यिक दृष्टि से भी, महाराज इस स्थान के लिये बहुत उपयुक्त हैं। उन्हीं के कारण हिन्दी ग्वालियर की राज्य-भाषा हो सकी, उन्हीं के कारण ग्वालियर के स्कूलों में हिन्दी का स्टैण्डर्ड अच्छा ऊँचा और विस्तृत किया जा रहा है, उन्हीं के कारण हिन्दी में "जयाजी प्रताप" ऐसा सुन्दर पत्र निकलता है। और उन्हीं के द्वारा कृषि पर हिन्दी का सर्वोत्तम ग्रन्थ निकल चुका है? ऐसी अवस्था में किसी साहित्य-प्रेमी को भी महाराज के सम्मेलन के सभापति बनाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हमें विश्वास है कि हमारे इस प्रस्ताव पर उचित ध्यान दिया जायगा।"

मध्य भारत हिन्दी-साहित्य-समिति का डेपूटेशन

इन्दौर की मध्य भारत हिन्दी-साहित्य-समिति, उसके उत्साही कार्य्य-कर्त्ताओं के परिश्रम से जो वास्तविक उन्नति करके सम्मान प्राप्त कर रही है उसे देख कर हमारे आनन्द का पारावार नहीं। अभी हाल में समिति का एक डेप्यूटेशन जिसमें समिति की ओर से, रायबहादुर सेठ हुकुमचन्द, रायसाहब डाक्टर सरयूप्रसाद, लाला जगमन्दरलाल जैनी बैरिस्टर एटला तथा श्रीयुक्त भीका जी बिलोरे बी० ए० प्रतिनिधि थे। श्रीमान् इन्दौर नरेश की सेवा में राजकुमारी के नामकरण समारम्भ के अवसर पर श्रीमान् को आशीर्वाद देने के निमित्त गया था। समिति की ओर से श्रीयुत बिलोरे ने आशीर्वचनात्मक कविता पढ़ी। श्रीमान् ने कविता की प्रशंसा करके समिति को धन्यवाद दिया। श्रीमान् के यह पूंछने पर कि समिति का उद्देश्य क्या है समिति के सुयोग्य मन्त्री श्रीयुत रायसाहब डा० सरयूप्रसाद ने अत्यन्त नम्रता पूर्वक समिति के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए समिति के उस उद्योग की बात छेड़ी जो समिति अपना निज का भवन बनाने के लिये धन सङ्ग्रह करने में कर रही है, उन्होंने कहा कि समिति के अध्यक्ष सेठ हुकुमचन्दजी ने

इस कार्य्य के लिये २०००) रुपये प्रदान किये हैं और कुल मिलाकर ५०००) रुपया चन्दा हो गया है और श्रीमान् की सेवा में भी प्रार्थना पत्र भेजा गया है। इस पर श्रीमान् ने स्वयं इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की इच्छा प्रकट की और पान सुपारी आदि से समिति के प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। हम समिति के इस सम्मान पर समिति के कार्य्य-कर्त्ताओं को बधाई देते हैं और आशा करते हैं समिति के भवन के लिये श्रीमान् एक अच्छी रकम प्रदान करेंगे और शीघ्र हमें समिति के उद्योग की सफलता पर समिति को फिर से बधाई देने का अवसर प्राप्त होगा।

हिन्दी व्याकरण सम्बन्धी बातें

दैनिक भारतमित्र ने अपने ता० ३ फरवरी के अङ्क में निम्नलिखित टिप्पणी छापी है।

"जो लोग हिन्दी में प्रकृति से प्रत्यय को मिला कर अथवा सविभक्तिक पद लिखते हैं उन्हें राम के लिये लिखने के समय राम शब्द के साथ "के" मिलाना चाहिये या "के लिये" यह प्रश्न हमारे मित्र पं० गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री ने उठाया है। हम "लिये" शब्द को "के" चिन्ह से अलग लिखते हैं और ऐसा ही उचित है। हमारी सम्मति से "लिये" "वास्ते" "अर्थ" निमित्त आदि स्वतन्त्र शब्द हैं और उन्हें सविभक्तिक पद से अलग लिखना चाहिये। संस्कृत में निमित्तार्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, पर हिन्दी में चतुर्थी विभक्ति नहीं है और द्वितीया ही उसका काम करती है। इस द्वितीया का चिन्ह को है। "मुझ को आम ला देना" वाक्य में "मुझको" पद का अर्थ "मेरे निमित्त" या "लिये" है। लिये, वास्ते, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, पास आदि कितने ही अव्ययों के योग में हिन्दी में "के" और "रे" प्रत्यय आते हैं; जैसे राम के लिये, खुदा के वास्ते, कृष्ण के आगे, शिव के पीछे, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, राजा के सामने, मेरे पास आदि प्रचलित प्रयोग हैं। संस्कृत व्याकरण में अव्यय वा अन्य शब्दों के प्रयोग में कुछ विशेष विभक्तियाँ ही लगती हैं; जैसे "सह" योग में तृतीया होती है पर हिन्दी में "के" चिन्ह

आता है इससे लिये अव्यय को "के" चिन्ह से मिलाना ठीक नहीं हैं। हम भारतमित्र की इस टिप्पणी से सहमत हैं।

हिन्दी सामयिक पत्रों में मनोरञ्जन की सामग्री

सरस्वती ने अपनी एक टिप्पणी में इस बात की शिकायत की है कि हिन्दी के पत्रों में मनोरञ्जन की सामग्री का अभाव है वह लिखती है:—उन्नति के शिखर पर पहुँची हुई जाति को भी मनोरञ्जन की सामग्री की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप ब्रिटिश जाति को ही लीजिये अङ्ग्रेजी का हमने कोई भी दैनिक साप्ताहिक व मासिक पत्र नहीं देखा जिसमें मनोरञ्जन की सामग्री न हो। टाइम्स आव इण्डिया को ही देखिये उसमें नियमित रूप से कहानियाँ प्रकाशित करते हैं परन्तु हमारे पत्रों में प्रायः इनका अभाव रहता है। बहुत कम लेखक इन विषयों पर कलम उठाते हैं। वे कहानी लिखना मानों अपने समय का अनुचित व्यवहार करना और श्रेष्ठता में धब्बा लगाना समझते हैं। हिन्दी पत्रों में जो कभी कभी कहानियाँ निकलती हैं वे बहुधा बङ्गला, मराठी आदि भाषाओं की नकल होती हैं। स्वतन्त्रता पूर्वक लिखने वाले हिन्दी में बहुत ही कम हैं। यही कारण ग्राहक-सङ्ख्या न बढ़ने का है। हमारा ध्यान पत्रों के मनोरञ्जक बनाने की ओर बहुत कम है। जिस भाषा में मनोरञ्जक लेख पढ़ने वाले नहीं उसके गम्भीर लेखों को कौन पढ़ेगा।

षष्ठ वर्ष की परीक्षा-समिति का द्वितीय अधिवेशन

परीक्षासमिति का द्वितीय अधिवेशन मि० बैशाख कृ० १० गुरुवार ता० २७ अप्रैल सन् १९१६ को चार बजे सन्ध्या समय सम्मेलन-कार्य्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

श्रीयुत पं० श्रीकृष्ण जोशी।
„ पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी।
„ प्रो० ताराचन्द।
„ पं० चन्द्रमौलि सुकुल।
„ बा० हीरालाल खन्ना।
" प्रो० व्रजराज (संयोजक)

१—अधिक सम्मतियों के न आने के कारण निश्चय हुआ कि विवरण-पत्रिका का संशोधन जुलाई में हो।

२—फैजाबाद, बिलासपुर, मुजफ्फरपुर, राजनाँद गाँव, शाहजहाँपुर, वहरायच और जयपुर ये७ नये केन्द्र बनाये गये।

३—उत्तमा परीक्षा के हिन्दी-साहित्य, अर्थशास्त्र, और इतिहास विषय के परीक्षक नियत किये गये।

४—परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार हुआ।

५—निश्चय हुआ कि जिनका प्रमाण-पत्र खो जाय उन्हें खो जाने के प्रमाण सहित १) शुल्क देने पर दूसरा प्रमाण-पत्र तथा उपाधि-पत्र दिया जा सकता है।

६-पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ—समिति का समस्त कार्य्य-विवरण चाहे वह कार्य्य समिति के अधिवेशन में हुआ हो अथवा संयोजक आदि अधिकारियों द्वारा हुआ हो लिपिबद्ध होना चाहिये; क्योंकि ऐसा न होने से समिति के कार्य्यों में भ्रम होने का भय रहता है।

७—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि आय-व्यय का लेखा आगामी अधिवेशन में उपस्थित किया जाय।

८—सम्मेलन के उपदेशक पं० राजनारायण शुक्ल के इस प्रार्थना-पत्र पर कि वे सम्मेलन के सेवक हैं इसलिये उन्हें मध्यमा परीक्षा में विना शुल्क दिये हुए बैठने की आज्ञा दी जाय। निश्चय हुआ कि परीक्षा के लिये शुल्क देना आवश्यक होगा।

९—प्रो० व्रजराज संयोजक की इस प्रार्थना पर कि किसी आवश्यक कार्य्य के लिये वे बाहर जाते हैं इसलिये उन्हें दो महीने का

अवकाश दिया जाय। निश्चय हुआ कि आपको सहर्ष यह अवकाश दिया जाय और जबतक प्रो० ब्रजराज पुनः कार्य्य का भार अपने ऊपर न ले सकें तबतक प्रो० ताराचन्द एम० ए० उनके स्थान पर परीक्षा-समिति का कार्य्य करें।

१०—परीक्षार्थिनियों के इस प्रार्थना-पत्र पर कि स्त्रियों को परीक्षा में बिना शुल्क दिये हुए बैठने की आज्ञा दी जाय*। निश्चय हुआ कि इनको उत्तर दिया जाय कि यह विषय अभी परीक्षा-समिति के विचाराधीन है और जबतक परीक्षा-समिति इसपर पूर्ण विचार न कर ले तबतक स्त्रियों के लिये कोई विशेष नियम नहीं बनाया जा सकता है।

११—इन्दौर के प्रथमा के परीक्षार्थी कन्हैयालाल लक्ष्मणप्रसाद दीक्षित के इस प्रार्थनापत्र पर कि दाहिना हाथ बेकाम होने से बाँये हाथ से उत्तर-पुस्तकों के लिखने के लिये उन्हें अधिक समय अथवा लेखक की सहायता दी जाय। निश्चय हुआ कि उन्हें लेखक की सहायता दी जायगी परन्तु इसमें जो व्यय होगा वह परीक्षार्थी को देना होगा और इन्दौर केन्द्र के व्यवस्थापक परीक्षा-समिति की अनुमति से लेखक नियत किया जायगा।

समालोचना

विनायकी टीका सहित रामायण

श्री तुलसीदास जी कृत रामायण वा रामचरितमानस की यद्यपि अनेक टीकाएँ अब तक छप चुकी हैं तथापि मुझे विनायकी टीका से बढ़कर दूसरी देखने में नहीं आयी। इस समय मेरे सम्मुख इस टीका के सहित बाल, अयोध्या, आरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर ये पाँच काण्ड हैं। बालकाण्ड एक ज़िल्द में पुरौनी के ५८ पृष्ठों के अतिरिक्त ६९६ पृष्ठों का है। आकार रायल अठपेजी और सजिल्द है। फिर भी मूल्य २) ऐसे ग्रन्थ का बहुत ही उचित

*देशी भाषा की मिड़िल परीक्षा की फीस सरकार भी उनसे नहीं लेती (सं०)

है। अयोध्याकाण्ड, दूसरी जिल्द में पुरौनी के सहित ५२४ पृष्ठों में समाप्त हुआ है और बालकाण्ड के ही आकार के सजिल्द का मूल्य १।) है। तीसरी जिल्द में आरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर ये तीनों काण्ड हैं। क्रम से पृष्ठ सङ्ख्या १४३, ६४ और १२६ है और मूल्य ||), |=) और ||) है। मिलने का पता पण्डित विनायकराव पेन्शनर लार्डगञ्ज—जबलपुर है।

टीका के साथ साथ विस्तृत टिप्पणी भी लगी है जिसमें काव्य के अङ्गों के विस्तृत विवरण तथा तुलसीदास की गीतावली आदि अन्य ग्रन्थों एवं केशवदास, सूरदास, नानक, रसखान, पद्माकर, सुन्दर आदि पुराने और लछिराम, शङ्करललित, व्रजचन्द आदि नये हिन्दी भाषा के कविरत्नों की कविता के आनन्द के साथ साथ संस्कृत के महाकवि कालिदास आदि विद्वानों की कविता एवं सिद्धान्तों का भी स्वाद मिलता है। टिप्पणी में स्त्री-समाज के लाभ की ओर भी ध्यान दिया गया है। बालकाण्ड की टिप्पणी में पुत्र जन्म के समय के सोहरे आदि, विवाह के समय की जेवनारें, गाली, बनरा आदि अनेक उपयोगी और सभ्यता एवम् उपदेशपूर्ण गीत तथा बर-बधू की प्रतिज्ञा आदि के भजन, ग़ज़ल और रेखता आदि में भी धार्मिक और सामाजिक सिद्धान्तों की कमी नहीं है। सारांश यह कि इस टीका और टिप्पणी द्वारा जितना लाभ विद्यार्थी, हरिभक्त, अध्यापक, देशहितैषी और समाज सुधारक को होगा उससे किसी अंश में कम लाभ स्त्री-समाज और साहित्य एवं सङ्गीत प्रेमियों को न होगा। टीका में मूल के साथ साथ कठिन पदों के अन्वय और साधारण एवं सुबोध भाषा में अर्थ समझा कर आवश्यकतानुसार साहित्य सम्बन्धी अलङ्कार आदि विषयों की सूक्ष्मतर बातें भी बतलायी गयी हैं। शङ्कासमाधान की ओर भी कम ध्यान नहीं दिया गया है। परिशिष्ट रूप से काण्डों के अन्त में पुरौनी लगायी गयी हैं। पुरौनी में भी बड़े बड़े महत्त्व के विषय हैं। बालकाण्ड की पुरौनी में पिङ्गल का सङ्क्षिप्त वर्णन, नवरस और उनके भावों का भली भाँति से वर्णन और क्षेपक का सङ्ग्रह है। अयोध्याकाण्ड की पुरौनी में साधारण पिङ्गल, शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार और भाषा व्याकरण का वर्णन

है। आरण्यकाण्ड की पुरौनी में भी आवश्यक पिङ्गल की चर्चा करके महर्षि नारद, इन्द्र और सूर्य्य के वृत्तान्त भी लगा दिये गये हैं जो कथा के जानने के लिये उपयोगी हैं। किष्किन्धाकाण्ड की पुरौनी में उसके क्षेपक और वर्षा एवं शरद ऋतु के वर्णन के साथ साथ अनेक उपदेशपूर्ण बातें एवम् अच्छी अच्छी कहावतों का अच्छा सङ्ग्रह है। इसी प्रकार सुन्दरकाण्ड की पुरौनी में भी आवश्यक पिङ्गल की चर्चा करके क्षेपक और प्रसिद्ध कहावतों का सङ्ग्रह है। यदि विचार-दृष्टि से देखा जाय तो आजकल की दृष्टि से साहित्य सम्बन्धी पिङ्गल, रस, भाव और अलङ्कार आदि विषयों के जानने के लिये इस टीका की पुरौनी अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि इसके उदाहरण प्रायः प्राचीनकाल के समान अश्लील न होकर उपदेशपूर्ण और धार्मिकभाव को लिये हुए हैं। मेरी राय में तो यह आता है कि इसकी पुरौनी यदि पृथक् से छपा ली जाती तो हमारी हिन्दी-परीक्षा-समिति के पाठ्य ग्रन्थों में रख दी जाने योग्य हो जाती। क्योंकि आजकल कन्याएँ भी परीक्षा में आ रही हैं जिनको छन्द, रस और अलङ्कार पढ़ाने के लिये शिष्ट और सभ्यतापूर्ण ग्रन्थ कठिनाई से मिल रहे हैं।

सारांश यह कि पण्डित विनायकराव जी ने इस टीका और टिप्पणी एवं पुरौनी की रचना करके हिन्दी-संसार का जो उपकार किया है उसके लिये समस्त हिन्दी प्रेमी को कृतज्ञ होना चाहिये और यह कृतज्ञता इसी रूप में प्रकट की जा सकती है कि इस पुस्तक की एक एक प्रति समस्त हिन्दी प्रेमी जन खरीद लें जिसमें उक्त पण्डित जी का परिश्रम सफल हो और अन्य उपकारी कार्य की ओर ध्यान जाय।

टि० यद्यपि इस टीका की समालोचना भाग ३ सङ्ख्या २–३ में श्रीयुत बाबू रामदासजी गौड़ ने की है तथापि इसकी समालोचना जितनी बार की जाय उतना ही हिन्दी संसार को लाभ होगा अतएव कुछ विषयों को लेकर पुनः समालोचना करने से मैं पुनरुक्ति दोष का भागी नहीं हो सकता।

सम्पादकीय विचार

सप्तम सम्मेलन

सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (जबलपुर) के लिये सन्तोष-जनक उद्योग हो रहा है। स्वागतकारिणी सभा के मन्त्री पण्डित दयाशङ्कर झा बी० एस-सी०, एल-एल० बी० के पत्र से विदित हुआ है कि चैत्र कृष्ण ७ रबिवार सं० १९७२ (२६।३।१९१६) को एक सार्वजनिक सभा द्वारा स्वागतगारिणी सभा (जबलपुर) का सङ्गठन हुआ और निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये—

सभापति—दीवानबहादुर सेठ वल्लभदास।

उपसभापति—राजा रघुनाथराव आबा साहब।

" दीवानबहादुर विहारीलाल खजानची।

" रायबहादुर सेठ जीवनदास।

" माननीय रायबहादुर पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल, बी० ए०।

" ब्योहार रघुवीरसिंह।

" रायसाहब जगन्नाथ प्रसाद वकील।

" पण्डित प्यारेलाल मिश्र, बार-एट-ला।

" पण्डित गणपतिलाल चौबे।

" माननीय रायसाहेब सेठ नथमल बी० ए०।

" रायसाहेब पण्डित हीरालाल शुक्ल।

मन्त्री—पण्डित रघुबर प्रसाद द्विवेदी बी० ए०।

" पण्डित मनोहर कृष्ण गोलवेलकर बी० ए०, एल-एल-बी० वकील।

" पण्डित दयाशङ्कर झा बी-एस-सी०, एल-एल० बी०

साधारण सभ्यों की सङ्ख्या अब तक १५० के लगभग हो चुकी है।

हम देखते हैं कि जबलपुर निवासी सज्जन सम्मेलन के नियम २३ के अनुसार अपनी स्वागतकारिणी सभा बना कर आशा दिला रहे हैं कि सप्तम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्य नियमबद्ध होंगे।

हम आशा करते हैं कि उक्त सज्जनगण यथाशक्य इस बात के लिये उद्योग करेंगे कि लोगों को गतवर्ष की त्रुटियों का स्मरण जाता रहे और हिन्दी-संसार, नियमबद्ध कार्यकर्त्ताओं की श्रेणी से पृथक् न समझा जाय।

स्थायी समिति

स्वागतकारिणी सभा (जबलपुर) के सङ्गठन का समाचार सुन कर स्थायी समिति ने अपने नियम २९ के अनुसार सूचना निकाली है कि "आगामी सप्तम हिन्दी-साहित्यसम्मेलन के सभापति के पद के लिये पाँच नामों की सूची बनाना है अतएव हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के २९ वें नियम के अनुसार समस्त, हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से सम्बद्ध सभाओं, पैसाफण्ड-समितियों और स्वागतकारिणी-सभा (जबलपुर) तथा स्थायी-समिति के सदस्यों से निवेदन है कि वे आषाढ़ शुक्ल २ रविवार सं० १९७३ तारीख २ जुलाई सन् १९१६ के प्रथम ही सभापति के आसन के लिये उपयुक्त पाँच पाँच सज्जनों की एक एक सूची बना कर सम्मेलन कार्य्यालय में भेजने की कृपा करें (क्योंकि उक्त तिथि को स्थायी-समिति की दूसरी बैठक होगी)। हम आशा करते हैं कि इस बार सभापति की अड़चन के कारण सम्मेलन के कार्यों में बाधा न पड़े इस बात की ओर स्थायी-समिति तथा स्वागतकारिणी सभा विशेष ध्यान रक्खेंगी और समय के सम्बन्ध में भी दोनों सहमत होकर शीघ्र निर्णय कर लेंगी।

स्थायी-समिति को चाहिये कि वह स्वागतकारिणी सभा को नियम २४ के द्वारा लेखों की विषय सूची बनवाने के लिये अनुरोध करे और नियम २५ का भी स्मरण दिलावे जिसमें नियम का पालन होता रहे और कार्यों में बाधाएँ न उपस्थित हों।

अब तक किसी वर्ष की किसी रिपोर्ट से यह पता नहीं चला है कि नियम २७ के अनुसार अब तक किन किन स्वागतकारिणी सभाओं से कितनी कितनी रकम स्थायी-समिति को प्राप्त हुई हैं और किन किन के ऊपर बकाया है। इस विवरण से हमें यह विदित हो जायगा कि स्वागतकारिणी सभाओं के लिये जो धन

सङ्ग्रह होता है उसमें से अब तक सम्मेलन को कितना मिला है और इस बात के लिये प्रत्येक सम्मेलन-हितैषी सज्जन को उद्योग करना चाहिये कि उसका कुछ अंश अवश्य ही स्थायी-समिति को प्राप्त हुआ करे क्योंकि स्थानीय सज्जनों की सहायता स्वागतकारिणी सभाओं को मिल जाने के कारण अधिवेशन के समय पैसा फण्ड या स्थायी-कोष के लिये दान में पुनरुक्ति होना कठिन हो जाता है और इस प्रकार सम्मेलन के आय में कमी पड़ने से उसके उद्देश्यों की पूर्त्ति में कठिनाई उपस्थित होने का भय है।

परीक्षा-समिति

परीक्षा-समिति का कार्य विवरण आप पढ़ कर अनुमान कर सकते हैं कि वह कितनी शीघ्रता से अपने कार्यों को अग्रसर कर रही है। प्रथम वर्ष प्रथमा में २७ परीक्षार्थियों ने शुल्क भेजा था, दूसरे वर्ष प्रथमा में १६६ और मध्यमा में ४७ परीक्षार्थियों ने शुल्क भेजा और इस वर्त्तमान वर्ष की प्रथमा में लगभग ४५० मध्यमा में लगभग १०० और उत्तमा में ३ के शुल्क आये हैं। इस आशातीत उन्नति को देख कर हम उसके कार्यकर्त्ताओं को धन्यवाद देते हुये अपनी गवर्नमेण्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि वह देखे तो कि देश को हिन्दी परीक्षाओं की कितनी अधिक आवश्यकता है और उसकी पूर्त्ति वह योग्यता-परीक्षा को शीघ्र प्रचलित करके कर सकती है।

लिङ्ग-विचार-समिति

इसी अङ्क में लिङ्ग-विचार-समिति के संयोजक जी की रिपोर्ट और लिङ्गानुशासन सम्बन्धी कुछ नियमों को—जो समिति द्वारा सम्मेलन को प्राप्त हुए हैं आप पढ़ेंगे। इस में कोई सन्देह नहीं कि ये नियम अभी सम्पूर्ण नहीं हैं और जनता की सम्मति के लिये प्रकाश किये गये हैं तथा इतना हम कह देना उचित समझते हैं कि हिन्दी व्याकरण की पुस्तकों के साथ इसे परिशिष्ट रूप से लगा देना चाहिये और हम आशा करते हैं कि हिन्दी के विद्वद्गण इस पर अपनी शीघ्र सम्मति देकर सप्तम-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर एक सुन्दर 'लिङ्गानुशासन' तैयार कराके

हिन्दी व्याकरण के आवश्यक अङ्ग की पूर्ति करने में सहायक होंगे। संयोजक जी ने इसके सम्पादन करने में जो परिश्रम किया है उसके लिये हम उनको हिन्दी-संसार की ओर से धन्यवाद देते हैं।

अन्य उपसमितियाँ

एक दर्जन के ऊपर हमारी उपसमितियों की सङ्ख्या है। उनमें से परीक्षा-समिति, वर्णविचार-समिति, लिङ्ग-विचार-समिति, हिन्दीयोग्यता-परीक्षाक्रमनिर्धारिणी-समिति और नियम संशोधनीसमिति ये ५ उपसमितियों के कार्य तो दृष्टिगोचर हुए हैं किन्तु शेष उपसमितियों की सूचना तो कभी मिल जाती है कि कार्य हो रहा है किन्तु जिन आवश्यक कार्यों के लिये वे बनायी गयी हैं उनकी पूर्ति की तो बात ही दूर है उनके लिये कार्यारम्भ भी सुना नहीं गया है। प्रधान मन्त्री जी के पत्र द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ उपसमितियों के कार्य हो रहे हैं किन्तु हमें खेद है कि 'समालोचक-समिति' जैसी प्रतिदिन काम करने वाली उपसमिति अब तक अपने हाथों में कोई काम नहीं लिया है। हम आशा करते हैं कि उसके संयोजक पण्डित रामजीलाल शर्म्मा इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

उपसमिति और स्थायी-समिति

उपसमितियों से काम लेना स्थायीसमिति का कार्य है किन्तु इस ओर वह क्या कर रही है ज्ञात नहीं है। अब तक हमें यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि जो रिपोर्ट वर्णविचार-समिति की तैयार हुई थी उस पर स्थायीसमिति ने क्या कार्य किया है और हम प्रार्थना करते हैं कि वह उपसमितियों के बहुमूल्य परिश्रम से तैयार की हुई रिपोर्ट से लाभ उठाने में विलम्ब न करे और अपने प्रस्तावानुसार उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया करे।

पत्रिका

जिस समय कागज के अकाल से पत्र बन्द हो रहे हैं अथवा अपना रङ्ग बदल रहे हैं उस समय भी सम्मेलन-पत्रिका आपकी

यथापूर्व सेवा करने के लिये प्रस्तुत है किन्तु प्रेस के प्रभाव से उसके सञ्चालकों को लज्जित होकर कहना पड़ता है कि हम इस बार भी ७–८ की सम्मिलित सङ्ख्या निकालते हैं और अब प्रेस बदल दिया गया है अतएव पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका पाठकों की सेवा में अब से ठीक समय पर पहुँचा करेगी।

अभ्युदय कम्पनी लिमिटेड

पत्रिका के पाठकों को भली भाँति विदित है कि बहुत दिनों से यह शुभसमाचार हिन्दी-संसार को सुनाई दे रहा था कि माननीय मालवीय जी ने जो अभ्युदय रूपी कल्पवृक्ष लगाया है उसे वे सर्वसाधारण को सौंपा चाहते हैं। हर्ष की बात है कि यह शुभ समाचार कार्यरूप में परिणत हो गया है और अभ्युदय, एक कम्पनी बना कर उसको दे दिया गया है। कम्पनी की रजिष्ट्री हो गयी। मूल धन २५००) और उसके प्रत्येक शेर १०) के हैं। प्रति शेर ५) प्रथम देना होगा। डाइरेक्टरों में बड़े बड़े विश्वासपात्र और योग्य पुरुष हैं अतएव अन्य कम्पनियों के समान इसमें कोई गड़बड़ी का भय नहीं है। हम आशा करते हैं कि देशहितैषी हिन्दी प्रेमी जन अपने देश के अभ्युदयकारक अभ्युदय के शेर खरीद कर अपना गौरव बढ़ावेंगे।

म्युनिसपेलिटी का प्रमाद

प्रयाग की म्युनिसपेलिटी के हिन्दी-प्रेम का नमूना हमने किसी अङ्क में उसके प्रेस में हिन्दी टाइपों के अभाव द्वारा दिखलाया था; आज हम उसके दूसरे प्रमाद का नमूना दिखलाते हैं। सिविल लाइन में सड़कों पर उनके नाम दिये हुए हैं और उनमें हिन्दी (अशुद्ध ही सही) को भी स्थान दिया गया है; क्योंकि साहब लोगों का काम कदाचित् हिन्दी के बिना कठिनता से चलता? परन्तु शहर में जो सड़कों के नाम तख़्तियों पर लगाये गये हैं उनमें सुन्दर अङ्ग्रेजी अक्षरों ही को स्थान मिला हैं; क्योंकि शहर की जनता कदाचित् अङ्ग्रेजी ही जानती है? उसे तो हिन्दी का ज्ञान ही नहीं है! क्या ही अन्धेर है नहीं नहीं प्रमाद है कि जो तख़्तियाँ सर्वसाधारण की सुविधा के लिये लगाई गई है उनमें सर्वसाधारण के परिचित

नागराक्षरों को स्थान नहीं दिया गया है। हम आशा करते हैं कि हमारे माननीय मालवीय जी के सुपुत्र पण्डित रमाकान्त मालवीय इस प्रश्न को म्युनिसपेलिटी में उठावेंगे और उसके इस प्रमाद को दूर कराने की चेष्टा करेंगे।

राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति

सं० पत्रिका भाग ३ सं० २-३ में श्रीयुक्त पं० धर्मनारायण द्विवेदी जी का एक विस्तृत लेख राष्ट्रमिति के सम्बन्ध में छपा था। उसके उत्तर में पत्रिका की गत सङ्ख्या में श्रीयुत पं० राधावल्लभ ज्योतिषाध्यापक-कलकत्ता (कालेज) का एक लेख 'सौर मासों की प्रधानता' शीर्षक छपा है और इन अङ्कों में भी श्रीयुत पण्डित रामदत्त ज्योतिर्विद् का "राष्ट्रमिति एवं सौर मास" शीर्षक लेख छपा है। यह आवश्यक और गम्भीर विषय है इसलिये हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पर विचार करें और अपनी अपनी सम्मति पत्रिका में प्रकाश के लिये भेजें। हम आशा करते हैं कि श्रीमान् पं० धर्मनारायण द्विवेदी जी भी पर पुनः विचार करेंगे और इस विषय पर अपनी अन्तिम सम्मति देने की कृपा करेंगे।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोथित समाचार भी होने चाहियें।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-629

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
की
मुखपत्रिका

भाग ३ } ज्येष्ठ, संवत् १९७३ { अङ्क ९

विषय-सूची

वा० म० १)] [मूल्य =)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३ | ज्येष्ठ, संवत् १९७३ | अङ्क ९

राष्ट्रमिति

(लेखक श्रीमान् पं० धर्मनारायण द्विवेदी)

गत कार्त्तिक-अगहन की पत्रिका में मैंने राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति शीर्षक लेख में यह दिखलाया था कि चान्द्रमिति ही राष्ट्रमिति के योग्य है। मेरे लेख के उत्तर या प्रतिवाद में फाल्गुन और चैत्र-वैशाख की पत्रिका में दो लेख निकले हैं। ब्राह्मणसर्वस्व और कलकत्ता समाचार आदि में भी लेख छपे हैं। सभी लेख सौरगणना के पक्ष के हैं। सभी लेखों में सौरमिति को ही राष्ट्रमिति बनाने की उपयोगिता सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है। लेखों के मुख्य लेखक हैं श्रीमान् परिडतराधावल्लभ जी ज्योतिषाध्यापक-संस्कृत कालेज, कलकत्ता। श्रीमान् परिडतरामदत्त जी ज्योतिर्विद्-भीमताल, नैनीताल और श्रीमान् बाबू अयोध्याप्रसाद वर्मा-कलकत्ता। यदि मेरे प्रथम लेख को एक वार प्रतिवाद कर्तागण पुनः पढ़ जायँ तो उनको अपने अपने लेखों के उत्तर उसीमें मिल जायँ परन्तु सर्व साधारण के ज्ञानार्थ मैं प्रतिवाद कर्ताओं के लेखों की आलोचना करके दो बातें दिखलाना चाहता हूं एक तो यह कि चान्द्रमिति

राष्ट्रमिति के लिये अधिक उपयुक्त है और दूसरे यह कि प्रतिवाद कर्ताओं ने भ्रम से अथवा आग्रह के वश सौरमास की प्रधानता दिखलाने की चेष्टा की है।

ज्योतिषाध्यापक जी ने अपने लेख में ६ बातें कही हैं। पहली बात में आपने सौर वैशाख आदि १२ महीनों के सावनदिनादि मान दिये हैं। मालूम नहीं आपके मत से मेष को सौर वैशाख कहते हैं या वृष को क्योंकि चैत्र शुक्ल १ से वैशाख कृ० ३० तक चैत्र होता है और सृष्ट्यादि में उसी समय में मेषराशि के सूर्य थे। अस्तु आप के मत से सौरमासों के जो मान आते हैं उनमें कम से कम २९ दिन १६ घड़ी और ६ पल तथा अधिक से अधिक ३१ दिन ३८ घड़ी और ३५ पल, के मास हैं। कोई भी महीना पूरे दिन का नहीं है। आप लिखते हैं कि "सङ्क्रान्ति के परदिवस से नवीन मास का प्रारम्भ होगा, इस युक्तियुक्त सहजबोध्य नियम की सत्ता में, (इसके द्वारा) निरक्षर मनुष्यगण भी सरलता से महीनों की तारीख जान सकते हैं। किस महीने में कितने दिन होते हैं ऐसी स्थूल धारणा सब में ही रहती है। केवल सङ्क्रान्ति किस दिन में होगी यह जान लिया जावे तो (इसकी सहायता से) तारीखों का ज्ञान अति सुगम हो जावेगा"। एक ओर तो आप १२ महीनों के मान दिखलाते हैं जिनमें एक भी पूरे दिनों का मास नहीं जिसका परिणाम यह होगा कि यदि इस वर्ष वैशाख ३१ दिनों का है तो आगामी वर्ष में वही ३० या ३२ दिनों का होगा। उदाहरणार्थ हम सं० १९७२ और सं० १९७३ के मासों की सौर तारीखों को उद्धृत करते हैं

सं० १८७२ में

मिथुन और कर्क ३२ दिनों के; मेष, वृष और सिंह ३१ दिनों के, कन्या, तुला, धनु, कुम्भ और मीन ३० दिनों के और वृश्चिक तथा मकर २९ दिनों के हुए थे।

सं० १९७३ में

वृष और कर्क ३२ दिनों के, मेष, मिथुन और सिंह ३१ दिनों के,

कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ और मीन ३० दिनों के और धनु तथा मकर २६ दिनों के हैं।

ऊपर के उदाहरण में एक वर्ष में ही चार महीनों के दिनों में अन्तर पड़ता है। सं० १९७२ में वृष ३१ दिनों का है और सं० १९७३ में वही ३२ दिनों का, मिथुन सं० ७२ में ३२ दिनों का है और सं० ७३ में ३१ दिनों का, वृश्चिक सं० ७२ में २९ दिनों का है और सं० ७३ में ३० दिनों का तथा धनु सं० ७२ में ३० दिनों का है तो सं० ७३ में २९ दिनों का। अब अध्यापक जी इस बात का स्वयं विचार करें कि उनका सौर मान कैसा वैज्ञानिक युक्ति-पूर्ण है। आप लिखते हैं कि "सहस्र वर्षों में भी इन महीनों के मानों में एक दिन का भी पार्थक्य नहीं होता" परन्तु एक ही वर्ष में चार चार महीनों में एक एक दिन का अन्तर दिखाई देता है। मन्दोच्च की मन्दगति महीनों के दिनों के पार्थक्य को रोक नहीं सकती क्योंकि आपके महीनों के मान तो पूरे दिनों के हैं ही नहीं अतएव उनमें प्रति वर्ष पार्थक्य होना स्वयं सिद्ध है। अब आप बतलावें कि 'किस महीने में कितने दिन होते हैं' यह स्थूल धारणा किसमें हो सकती है? क्या इसी सौर गणना की वैज्ञानिकता के भरोसे चान्द्रमिति की वैज्ञानिकता को आप मिटा सकते हैं। यह भी समझ में नहीं आता कि आप सौरमासों को सावन दिनों में किस प्रमाण से बाँटते हैं और ये दिन क्या सौर दिन कहला सकते हैं। क्या इन दिनों से सूर्य के अंश का काम (ज्योतिष में इसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है) लिया जा सकता है। यदि नहीं लिया जा सकता और ये दिन मुसलमानों की तारीखों के समान ही चान्द्र नहीं सौर दिन हैं तो क्या इन मनमाने दिनों के जानने के लिये भी आपके शास्त्रों में कहीं युक्ति है?

जिन जिन प्रान्तों के विभागों में सौर नाम से यह सावन दिनों की गणना प्रचलित है उन प्रान्तों में निरन्तर निरयण-गणना का प्रचार है और उनकी सौर गणना भी निरयण सङ्क्रान्ति के दूसरे दिन से प्रारम्भ होती है। निरयण-गणना अदृश्य है उसे ज्योतिषी आगम प्रमाण से ही जान सकते हैं ऐसी दशा में हम सौर गणना क वैज्ञानिकता पूर्ण मानने में असमर्थ हैं।

दूसरी बात में कोई नवीन विषय नहीं सब बातों की आलोचना पहली बात के ही अन्तर्गत है। तीसरी बात में भी वही सावनगणना की बात है। आप लिखते हैं कि "शनिवार को सङ्क्रान्ति हुई अतएव रविवार परिवर्ती मास का पहला दिन हुआ, सोमवार दूसरा तथा मङ्गल तीसरा दिन इत्यादि" परन्तु जो घड़ी पल शेष रहें उनको आप क्या करेंगे? क्या वे ही बढ़ते बढ़ते आपके महीनों के दिनों में पार्थक्य नहीं लावेंगे? चौथी बात में लाघव दिखलाया गया है वह पञ्चाङ्गकर्ता के लिये है न कि मिति लिखने वाले के लिये। पाँचवीं और छठवीं बात में कुछ तत्व की बात नहीं है। चान्द्रमान युक्ति विरुद्ध है सावन तारीखें युक्ति युक्त हैं यही बात बार बार कही गयी है किन्तु इसके लिये कोई प्रमाण या युक्ति सन्तोषजनक दिखलायी नहीं गयी है। सातवीं बात के लिये हम यही कहेंगे कि मेरे पूर्व लेख के पृष्ठ ५८ को पढ़िये उसमें चान्द्रमिति की विलक्षणता में जो बातें कही गयी हैं उनका उत्तर ढूंढ़िये। यदि आपकी बातें सत्य हैं तो आपकी सौर-गणना क्योंकर विज्ञान युक्ति युक्त हो सकती है? जो अदृश्य और आगम प्रमाण के आधार पर गतानुगतिक-न्याय से चली आ रही है। आठवीं बात में आप ने लिखा है कि "तिथियों की ह्रास वृद्धि के सदृश सावन दिनों की ह्रास वृद्धि नहीं होती अतएव पञ्चाङ्ग की सहायता के बिना भी ह्रास वृद्धि न होने की सहायता से सौरमासों की तारीख सुगमता से निरूपित हो सकती है" परन्तु ऊपर की आलोचना से तो यही सिद्ध होता है कि सौरमासों की ये मनमानी तारीखें पञ्चाङ्ग से भी वस्तुतः जानी नहीं जा सकतीं हैं। नवीं बात में तो चान्द्रमास की विषमता का समाधान करना वैसा ही है कि जैसा किसी काने ने कहा था कि तुम्हारी आँखें अच्छी नहीं हैं। यह तो हुई सौरमास की लीला और ज्योतिषाध्यापक जी की युक्ति युक्त सौरमासों की प्रधानता की बात, अब हम ज्योतिर्विद् जी की ओर ध्यान देते हैं।

ज्योतिर्विद् जी ने भी सौरगणना के लिये कोई प्रमाण या युक्ति सन्तोषदायक नहीं लिखी हैं। विशेषता यही है कि आप सौर और चान्द्र दोनों को समान मानते हैं। आप कहते हैं कि

"दोनों ही शास्त्रानुकूल हैं" किन्तु चान्द्रमास के द्वैविध्य के कारण आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। परन्तु सौरगणना में उससे बढ़ के बाधा है। सायन और निरयण-गणना में लगभग २३ दिनों का अन्तर है क्या निरयण-गणना का सौरमान (जो आप सारे देश में फैलाना चाहते हैं) राशिलग्न देख कर जाना जा सकता है ? यदि नहीं तो उसकी समता चान्द्र जैसी युक्ति युक्त गणना के साथ में कैसे की जा सकती है ?

आप लिखते हैं कि "मेष सङ्क्रान्ति से मेष सङ्क्रान्ति पर्यन्त ही पञ्चाङ्ग की गणना होती है। संवत्सर प्रतिपदा का ध्रुवक मान कर पञ्चाङ्ग का ग्रहगणित नहीं होता।" ठीक ही है मकरन्दादि सारणियों में साधारण मनुष्यों की सुविधा के लिये मेष सङ्क्रान्ति से पञ्चाङ्ग की गणना होती है किन्तु सिद्धान्त ग्रन्थों में नहीं। सूर्य सिद्धान्त ही को देखिये *

अहर्गण साधन सङ्क्रान्ति से करते हैं या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और समस्त ग्रहगणित और पञ्चाङ्ग साधन इसी अहर्गण के अधीन है। आप समाचार पत्रों की चर्चा करके कहते हैं कि "युक्तप्रान्त के हिन्दी साहित्यानुरागी प्रधान प्रधान नेताओं के दैनिक, साप्ताहिक एवम् मासिक पत्रों में भी अङ्गरेज़ी तारीखों का प्रचार अद्यापि हो रहा है" परन्तु यह आपका भ्रम है। समस्त साप्ताहिक पत्र सावन गणना के अनुसार निकलते हैं उनका लक्ष्य वार होता है न कि अङ्गरेज़ी तारीखें, दैनिक पत्रों का भी यही हाल है। सारांश यह कि सौरगणना की प्रधानता के विषय में आपने भी कोई युक्ति या प्रमाण ऐसा नहीं दिया है कि जिसके आधार पर उसे राष्ट्रमिति का पद दिया जा सके।

तीसरे महाशय हैं वर्मा जी आपने तो अपने शीर्षक में ही अधीरता के लक्षण दिखला दिये हैं। आपका शीर्षक है "द्विविधा में दोनों गये माया मिली न राम" आपने एक समिति की कथा कह कर सौरगणना के लिये सिफारिस की है अतएव आपके विषय में

---

* अतऊर्ध्वममीयुक्ता गत कालाब्दसङ्ख्यया।
मासीकृतायुता मासैर्मधुशुक्लादिभिर्गतैः॥ (१। ४८)

विशेष लिखना व्यर्थ है। यह तो हुई सौर मतावलम्बी सावन वादियों की बात अब हम आगे यह दिखलावेंगे कि चान्द्रमिति क्यों सर्वमान्य कही जाती है।

चान्द्रमान का मान

चैत्रादि मासों का नामकरण पौर्णिमान्त चान्द्रमान के ही आधार पर हुआ है और इसका अस्तित्व वैदिककाल से अबतक अविछिन्न पाया जाता है। इसकी तीसों तिथियाँ दो भागों में बटी होती हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष के नाम से उसका व्यवहार है। सन्ध्या समय चन्द्रोदय या चन्द्रशून्य आकाश देख कर ग्रामीण जन भी इसे जान लेते हैं। तिथियों के जानने के लिये चन्द्रोदय या चन्द्रास्त काल के द्वारा साधारण मनुष्य भी तिथि का पता बतला सकता है। इसके जानने के लिये तारागणों का वेध करना या बड़े बड़े यन्त्रों की सहायता लेना आवश्यक नहीं है। अतएव इसका सारे देश में मान है और इसे राष्ट्रमिति कहने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में मैं प्रथम लेख में विस्तार पूर्वक लिख चुका हूं उसकी पुनरुक्ति करना व्यर्थ है। इसमें सदैव तीस ही तिथि होती हैं, उनका सावन के साथ सम्बन्ध करने के लिये ह्रास वृद्धि लिखने की आवश्यकता होती है। मैंने अपने पूर्व लेख में दिखला दिया है कि इससे अधिक उपयुक्त और दोष रहित कोई भी देशी मिति नहीं है जिसे राष्ट्रमिति का पद दिया जा सके।

कुछ लोगों का मत है कि राजकार्य में (सरकारी मियाद आदि के लिये) चान्द्रमिति ठीक नहीं है और सौरमिति का बर्तमानरूप भी दोषपूर्ण ही है अतएव इस विषय में विचार करना आवश्यक है। लेख बढ़ जाने के कारण इस बार हम इस विषय में कुछ न लिख कर इतनाही कहना चाहते हैं कि यह चान्द्रमिति राष्ट्रमिति है न कि राजमिति जिस प्रकार राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पृथक्त्व हमें विवश होकर वर्तमान काल में मानना ही पड़ता है उसी प्रकार मितियों का भी पृथक्त्व मानना अनुचित नहीं और राष्ट्र एवं राजभाषा तथा मिति का एकीकरण राष्ट्रशासित देश ही कर सकता है। शुभम्

हिन्दी भाषा और बङ्गाली बाबू

(लेखक—श्रीमान बाबू गिरिजाकुमार घोष)

विहार प्रान्त बङ्गाल के पास है, पहले वह बङ्गाल ही का अङ्ग था। इस विहार में शिक्षा-विस्तार के लिए बाबू भूदेव मुखोपाध्याय का पवित्र नाम अनन्त काल तक लिया जावेगा। भूदेव बाबू मातृ-भाषा—बङ्गलाके बड़े भारी प्रेमी थे; परन्तु विहार में पाठशालाओं में हिन्दी-भाषा पढ़ायी जाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। भूदेव बाबू के कार्य का क्षेत्र सभ्य-जगत में था। इस कारण उनके नाम से बहुतेरे हिन्दी-भाषा-भाषी विद्वान परिचित हैं। परन्तु आज मैं एक ऐसे बङ्गाली कर्मवीर की बात इस पत्रिका के पाठकों को सुनाता हूं जिनका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। विहार प्रान्त के अन्तर्गत छोटा नागपुर का भी भाग पाया जाता है। यह भाग २६ हजार वर्गमील पर फैला हुआ है। यहाँ की भूमि पहाड़ी और जङ्गली है। यहाँ के निवासी संवताल हो, उरांव, मुंडारी आदि सब अनार्य कुल के जङ्गली हैं। कलकत्ते के रहने वाले हिन्दी-भाषी सज्जनोंने कुछ काल पहले मट्टी खोदने, पनाले धोने आदि कामों में लगे हुए धाँगड़ नामधारी जङ्गली जाति को देखा होगा। धाँगड़ अब भी बङ्गाल में जीविका अर्जन करते पाये जाते हैं। पर अब शिक्षा के प्रभाव से उनके जङ्गलीपने की सङ्ख्या दिन दिन घटती जा रही है। खड्गबिलास प्रेस की छपी हुई अनेक हिन्दी-पुस्तकें अब इन्हीं असभ्य जाति के बालकों को पढ़ायी जाती हैं। छोटा नाग-पुर के अनार्यों में शिक्षा-दान के लिये जो भाषा चुनी गयी है वह हिन्दी ही है; परन्तु सम्भवतः इस समय बहुत कम सज्जनों को स्मरण होगा कि हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना एक बङ्गाली सज्जन का कार्य था। इनका नाम था राय बीरेश्वर चक्रवर्ती बहादुर।

वीरेश्वर बाबू शिक्षा-विभाग में काम करते थे। वे सन् १८६७ ई० में मेदिनीपुर से छोटा नागपुर बदल आये। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि स्कूलों की इन्सपेक्टरी उनको सौंपी गयी है। परन्तु परिदर्शन के लिए विद्यालय वहाँ हैं ही नहीं। छब्बीस हज़ार

वर्ग मील के पहाड़ और जङ्गलों में कुल १६ पाठशालायें थीं—उनमें से आठ बर्लिन (जर्मन) और अमरीकन मिशन के पादरियों द्वारा स्थापित बहुत छोटी छोटी पाठशालायें थीं। वीरेश्वर ने समझ लिया कि उनका कार्य परिदर्शन नहीं. सङ्गठन था। तैयार खेत की रक्षा और उन्नति साधन नहीं, मट्टी खोद कर, जङ्गल काट कर घास काट छील कर, पथरीली ऊसर भूमि को हरे भरे अन्न के खेतों में परिवर्त्तन करना उनका कार्य था। पाँच ज़िलों में कुल १६ पाठशालायें! परन्तु जब १८९७ ई० में वे काम से अलग हुए उस समय उसी भूभाग में उच्च और निम्न श्रेणी की तीन हज़ार पाठशालाओं से छोटा नागपुर भर गया था। और पढ़ाई जाती थी, और अब भी है, हिन्दी।

पहले कई वर्षों तक वीरेश्वर बाबू गाँव गाँव में घूम कर शिक्षा की महिमा प्रचार करते रहे। वे उन असभ्य जङ्गलियों के साथ निडर मिलते, उन्हीं में से एक बन कर रहा करते थे। उस समय वहाँ न रेल था, न स्टीमर, न डाकगाड़ी। घोड़ा, पाल्की की सहायता से और बहुधा कोसों पैदल चल कर यात्रा पूरी करनी पड़ती थी। कठिन परिश्रम से अन्त में बाबू साहब का वीर शरीर शिथिल हो गया था।

पर्वत के किनारे घने जङ्गल के भीतर पेड़ों से छिपी हुई कुछ झोपड़ियों की समष्टि को ध्यान से देख लीजिए। वही एक गाँव है। राह बाट कहीं कुछ नहीं। मानो पृथिवी के किसी अंश से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं। सबेरा होते ही अधनङ्गे काले काले नर नारी अपने अपने कामों में लगे हैं। कोई खेत में हल चला रहा है, कोई गाय या भैंस चरा रहा है, कोई शिकार के लिए तीर या बन्दूक सम्हाल रहा है। कहीं लड़कियाँ और युवतियाँ महुए के फूल बिन कर पेट भर रही हैं और कहीं बूढ़े या बुढ़ियाएँ बाघ का भय दूर करने के लिए बोंगा के सामने मुरगा हलाल करने का यत्न कर रही हैं। बोंगा उनका देवता या भूत है। वही बाघ या सर्प बन कर रात्रिकाल में उपद्रव मचाता है। आज तीन हज़ार वर्ष से जङ्गली गाँवों में यही कार्य, यही विश्वास, जारी है।

अकस्मात गाँव के बाहर एक पाल्की देख पड़ी। पाल्की के पीछे दो तीन बन्दगी वाले भी देख पड़े। गाँव वालों को ऐसा दृश्य देखने का अभ्यास नहीं है। वे डरे, उनके मन में डाँवाडोल होने लगा। कानाफूसी चलने लगी। निस्सन्देह राजपुरुष कोई नया टिकस लगाने आया है। पड़ गयी भगदड़। कहीं किसी का पता नहीं। थोड़ी देर पीछे एक मनुष्य पाल्की में से निकला। वह सीधा चल कर गाँव के मानकी या मुखिया के पास पहुँचा। मानकी एक खटिया पर बैठ कर दारू घुलवा रहा था। उसने देखा, चोगा, शमला वाला कोई भारी अफसर नहीं है। धोती, कुर्त्ता और "चपाती" जूते पहरे हुए एक साधारण मनुष्य है। सो भी उन्हींकी ठेठ देशी बोली में बोल रहा है। मानकी अचरज में डूब गया। पर उसका भय घटने लगा। उसने उस मनुष्य को अपनी खटिया पर बैठने कहा। इधर उधर की अनेक बातें होने लगीं। अन्त में चलने के समय लड़कों के लिए पाठशाला खोलने की बात छेड़ी गयी। गाँव वाले फिर चौकन्ने हो गये। उन्होंने बोंगा का भय दिखलाया। परन्तु विदेशी ने कहा, मैं भी तो बोंगा ही का सेवक हूं। बोंगा शब्द के प्रयोग से चतुर वीरेश्वर हिंसक मुर्गी-बकरी-भक्षी भूत की अधीनता से उन लोगों के हृदय प्रेममय सर्व शक्तिमान परमेश्वर की ओर घुमाने लगे। कैसे अद्भुत अभूत पूर्व उषालोक की सृष्टि कर दी।

अब उन्हीं जङ्गलियों में से अनेक लड़के राँची जाकर एन्ट्रेन्स भी पास करने लगे हैं। परन्तु प्राथमिक शिक्षा उनको हिन्दी ही में दी गयी।

वीरेश्वर बाबू का "साहित्य सङ्ग्रह" नामक सङ्ग्रह ग्रन्थ बहुत दिनों तक कलकत्ते के एन्ट्रेन्स परीक्षा में हिन्दी का पाठ्य ग्रन्थ था। उसमें अनेक निबन्ध वीरेश्वर बाबू के अपने लिखे हुए थे। हिन्दी, उड़िया, हो, मुंडारी और सांवताली, पाँच भाषाएं वीरेश्वर बाबू ने कार्यवश सीख ली थी और पाँचों में गहन ज्ञान प्राप्त किया था।

अलवर राज्य में हिन्दी की उन्नति के उपाय

(ले० पं० व्रजनारायण–अलवर)

श्रीमान् अलवर नरेश के असीम हिन्दी-प्रेम का परिचय पाठकगण सम्मेलन-पत्रिका के किसी गताङ्क से पा चुके हैं। अब प्रजावर्ग का भी हाल सुनिये; महाराज ने जब से अपने राज्य में हिन्दी-भाषा के प्रचार करने की आज्ञा दी है, तभी से यहाँ कतिपय हिन्दी-प्रेमी राज्य-मान पुरुषों द्वारा हिन्दी की उन्नति के अनेक महत्व-पूर्ण कार्य हो रहे हैं। उनमें सब से अधिक महत्व का कार्य श्रीयुत मुं० जगन्मोहनलाल जी ताजीमी सरदार का है। आप हिन्दी के अनन्य भक्त, काव्य-मर्मज्ञ और विद्या-रसिक सज्जन हैं। आपके सदुद्योग से अलवर-राज्य का एक वृहद् इतिहास तैयार हो रहा है। जिस परिश्रम और खोज के साथ यह इतिहास बन रहा है, उससे आशा की जा सकती है कि हिन्दी-साहित्य में यह एक उत्तम कोटि का ग्रन्थ होगा। अलवर नरेश ने इस ग्रन्थ-निर्माण के निमित्त अभी एक लक्ष रुपिया दिया है। दूसरा कार्य कोष-सम्बन्धी है। न्याय-मन्त्री श्रीयुत ठा० दुर्जनसिंह ने स्थानीय विद्वन्-मण्डली की सहायता से अदालती शब्दों का हिन्दी कोष तैयार किया है*। यह कोष भी बड़े परिश्रम के साथ वना है। यद्यपि इसमें कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी-साहित्य में यह एक बिलकुल नई चीज है। अतएव ठाकुर साहिब और उनकी विद्वन्-मण्डली का यह कार्य अवश्य श्लाघनीय है। राज्य में इस कोष के अनुसार हिन्दी-शब्दों का प्रयोग होगा। अदालतों में हिन्दी-लेखन-शैली का प्रचार शीघ्र हो, इसके लिये और भी अनेक कार्य हो रहे हैं। कई छोटी छोटी सभाएँ हैं, जिनमें हिन्दी लिखने और वोलने का अभ्यास किया जाता है। स्थानीय हिन्दी-साहित्य-समिति भी अपना कार्य–परन्तु सुस्ती से—

*इसके लिये सम्मेलन की स्थायी समिति ने भी एक उपसमिति द्वारा कार्य आरम्भ किया है। यदि सम्भव हो तो दोनों को मिल के काम करना अधिक उत्तम होगा। (सं०)

कर रही है। इसके पुस्तकालय से लोग अब लाभ उठाने लगे हैं। समिति के स्थापन का महत्व अब उनके ध्यान में आने लगा है।

अब रही शिक्षा-विभाग की बात। उसमें भी पहिले से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। शिक्षा-विभाग के प्रधानाध्यक्ष पं० रामभद्र ओझा एम० ए० एल० एल० बी० के उद्योग से राजकीय स्कूलों में धर्म-शिक्षा और कुछ उत्तम पाठ्य-पुस्तकों के प्रचलित होने से विद्यार्थियों को हिन्दी में सामान्यतः अच्छा ज्ञान हो जाता है। राज्य-भाषा हिन्दी होने से हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों की सङ्ख्या भी बढ़ रही है। सभी हिन्दू, मुसलमान अपनी सन्तान को हिन्दी पढ़ाने की चिन्ता में हैं। प्राइवेट हिन्दी पाठशालाएँ भी खुलती जा रही हैं। यह सब होते हुए भी एक बात हमें बेतरह खटकती है। यहाँ अभी तक हिन्दी की उच्च शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। उच्च शिक्षा की बात क्या कहें, राज्य भर में कोई हिन्दी मिडिल स्कूल तक नहीं; केवल हिन्दी अपर और लोअर प्राइमरी स्कूल्स हैं। यद्यपि शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष महाशय हिन्दी-मिडिल-स्कूल स्थापनार्थ चिर-काल से उद्योग कर रहे हैं; एक स्कीम भी तैयार की है, परन्तु अभी कुछ फल सिद्धि नहीं हुई। जिस राज्य की मातृ-भाषा हिन्दी है; जिस राज्य ने अपनी परम-पूज्य मातृ-भाषा को राज्य-भाषा के उच्च पद पर स्थापित कर सन्मानित किया है; जिस राज्य के गण्य मान्य पुरुष हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि में दत्त चित्त हैं एवं जिस राज्य के अधिपति स्वयं हिन्दी के अनन्य भक्त हैं; उस राज्य में हिन्दी-शिक्षा की इस प्रकार कमी अवश्य सोचनीय है। यह अल्प शिक्षा ही हिन्दी की समुन्नति के लिये पर्य्याप्त नहीं। इस भारी अभाव की पूर्ति का उपाय भी शीघ्र होना चाहिये।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-सम्बन्धी परीक्षाओंकी उपयोगिता हिन्दी-प्रेमियों से छिपी नहीं है। अलवर-राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा अन्य हिन्दीप्रेमियों का ध्यान हम इन परीक्षाओं की ओर आकर्षित करते हैं। हिन्दी में उच्च कोटि के विद्वान कवि, लेखक और शास्त्रज्ञ उत्पन्न हों इसी उद्देश्य से इन परीक्षाओं की स्थापना हुई है। यदि अलवर राज्य में इन परीक्षाओं का प्रचार किया जाय, तो रियासत

को बड़ा लाभ हो। जिस प्रकार के हिन्दी लेखकों की रियासत को आवश्यकता है, वैसे लेखक इन परीक्षाओं द्वारा सरलता से बन सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन परीक्षाओं से हिन्दी में प्रत्येक विषय के पूर्ण पण्डित तैयार हो सकते हैं।

अतएव उपर्युक्त सज्जनों से हमारा नम्र-निवेदन है कि वे इन परीक्षाओं पर विचार कर समस्त राज्य में इनके प्रचार का प्रयत्न करें; जिससे राज्य से हिन्दी की उच्च शिक्षा का अभाव भी दूर हो जाय।

समालोचना

हिन्दी-महाभारत

पुस्तक के लेखक हिन्दी-संसार के सुपरिचित श्रीयुत पं० राम-नरेश जी त्रिपाठी हैं और प्रकाशक हिन्दी प्रेस के स्वामी पं० रामजीलाल शर्मा। मूल्य ।।।) डबलक्राउन सोलह पृष्ठ के आकार के ४१८ पृष्ठों की पुस्तक का हिन्दी-संसार के लिए उपयुक्त और अन्य प्रकाशकों के लिए अनुकरणीय है । कागज और छपाई बहुत ही उत्तम है।

पुस्तक में महाभारत की कथा के भाव लिए गये हैं। अट्ठारहों पर्व की कथा के अधिकांश विषय आ गये हैं। भाषा और लेखनशैली रोचक एवं शिक्षाप्रद होने पर भी ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है। लेखक महाशय ने जिन जिन बातों को आक्षेपजनक अथवा आजकल की दृष्टिसे असम्भव समझा है उनको निकाल ही नहीं दिया; प्रत्युत उनके विषयमें प्रायः यही लिख दिया है कि ये कथाएँ बिलकुल झूठ हैं। केवल अपने विश्वास या आक्षेपकारियों के भय से किसी ग्रन्थ की अधिकांश कथाओं को मिथ्या बतलाना न्यायसङ्गत नहीं है। किस प्रमाण से आपने महाभारतके समस्त उपाख्यानों और अधिकांश कथाओं को झूठ बतलाया है यह समझ में नहीं आता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कथाओं या उपा-

ख्यानों के झूठ बतलाने का उद्देश्य उनके विचार से अच्छा ही था; परन्तु उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। जिस पुस्तक में अधिकांश बातें मिथ्या बतलायी जायँ उसके कुछ अंश को हम सत्य कैसे मान सकते हैं। इस पुस्तक को आप महाभारत की कथाओं के आधार पर लिखी हुई स्वतन्त्र रचना मान सकते हैं; परन्तु इसे हिन्दी-महाभारत नहीं कह सकते। ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रन्थों में ऐसा परिवर्तन करना उचित नहीं और लोगोंको भ्रम में डालने वाला है।

उदाहरण के लिए हम श्रीकृष्ण-चरित्र ही को लेते हैं। आप लिखते हैं कि "महात्मा श्रीकृष्ण एकपत्नीव्रत थे" "श्रीकृष्ण के केवल एक रानी थी, जिसका नाम रुक्मिणी था"; परन्तु यह बात कहाँ तक सत्य है, इसका पता आपको कृष्ण-वंशावली से चल सकता है जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि अमुक रानी से अमुक पुत्र उत्पन्न हुए इत्यादि। मेरा प्रयोजन यह नहीं कि उनकी सहस्रों रानियों की बात सर्वथा ठीक है और न मैं उनको मिथ्या ही कह सकता हूं; परन्तु एक पत्नीव्रत वाली बात तो लेखक महाशय ही के मानने योग्य है, उसे तो कदाचित् कोई भी इतिहासज्ञ न मानेगा। यमुना के चरण छूने की बात, योगमाया की कथा, पूतना आदि उत्पात-कारी प्राणियों के भेजने की बात, गोवर्धन धारण की कथा, कुबरी की बात और कालयवन के भस्म होने के वृत्तन्त को आपने मिथ्या या असम्भव समझ कर लिखना उचित नहीं समझा या उलट पलटदिया है यह उचित नहीं है। जो हिन्दू महाभारत की कथा बक्ताओं से सुन कर इस पुस्तक को पढ़ेगा, उसके हृदय में कैसा भ्रम पैदा होगा। आप स्वयं विचार करें क्या आपके संशोधन से ही महाभारत या हमारे पुराणों की कथाएँ साम्प्रतिक सभ्यता से परिष्कृत हो जायँगी ? कभी नही आपकी पुस्तक उत्तम और सस्ती है, भाषा और भाव उत्तम हैं, बालकों के पढ़ने योग्य है और हिन्दी-साहित्य में एक अभाव न सही तो कमी को पूरा करने वाली है; परन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि लेखनशैली ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रन्थों के लिए दोष-पूर्ण और अनुचित है।

सयाजी चरितामृत

पुस्तक में वर्तमान बड़ोदा नरेश के अनेक चित्रों सहित सोलह चित्र हैं और १७९ पृष्ठ। लेखक हैं बदायूं निवासी पं० श्रीरामशर्मा और प्रकाशक कारेली बाग बड़ोदा निवासी पं० भगवद्दत्त शर्मा। मिलने का पता प्रकाशक का स्थान और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग है। इतने चित्रों सहित १७९ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १) यद्यपि अधिक नहीं है तथापि इस प्रकार की पुस्तकों का मूल्य जितना कम होना चाहिये उससे अधिक है।

इस पुस्तक में वर्तमान बड़ोदा नरेश श्रीमान् तृतीय सयाजीराव गायकवाड़ सरकार, सेना खास खेल, शमशेर बहादुर का जीवन-चरित्र लिखा गया है और उनके मन्त्रियों तथा अन्य सम्बन्धियों के स्थान स्थान पर चित्र दिये गये हैं। स्वयं महाराज ही के अनेक पोशाक में अनेक चित्र हैं अन्त में बड़ोदा राजघराने का वंश-वृक्ष है। पुस्तक यद्यपि जीवन-चरित्र के ढङ्ग से लिखी नहीं गयी है और भाषा भी उच्च कोटि की नहीं है तथापि बड़ोदाराज्य-सम्बन्धी अनेक बातों के जानने के लिये पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। बृटिश-राज्य की शिक्षा और बड़ोदा राज्य की शिक्षा का जो मुकाबला किया गया है वह अधिकारियों के ध्यान देने योग्य है। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से केवल हिन्दी जानने वाले सज्जनों को अधिक काम की बातें विदित हो जायँगी।

हिन्दी-संसार

(ले० पं० रामकृष्ण सारस्वत स० मन्त्री)

मैसोर विश्वविद्यालय में हिन्दी का अपमान

"नये मैसोर विश्वविद्यालय में देशी भाषा की पढ़ाई का कुछ विशेष प्रबन्ध किया जायगा। दक्षिणी भाषा तो पढ़ायी जायगी ही, हिन्दुस्थानी भाषा को भी स्थान मिलेगा। हिन्दुस्तानी भाषा से हिन्दी का मतलब नहीं है, उर्दू का मतलब है। यदि इस नये विश्व-

विद्यालय में हिन्दी को कोई विशेष स्थान दिलाना है—जिसके दिलाने की न केवल आवश्यकता ही है, परन्तु जिसके मिलने में दिक्कत भी न होगी—तो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कमेटी को अभी से इस विषय पर पूरा ध्यान देना चाहिये।"

"प्रताप"

कलकत्ता-विश्वविद्यालय में हिन्दी

हम कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकारियों का ध्यान ता० २७ अप्रैल के दैनिक भारतमित्र की निम्नलिखित टिप्पणी की ओर आकर्षित करते हैं—

"कलकत्ता विश्वविश्वविद्यालय में हिन्दी की जैसी उपेक्षा होती है, उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिवर्ष मैट्रिकुलेशन के हिन्दी प्रश्नपत्र की भूलें दिखाते हैं और विश्वविद्यालयके धुरन्धर प्रश्नकर्ता प्रतिवर्ष भूलें करते हैं। इसका कारण यही है कि विश्वविद्यालय उन प्रश्नकर्ताओं को छोड़ना नहीं चाहता और वे जैसी हिन्दी उचित समझते हैं वैसी ही प्रश्नपत्र में लिखते हैं। इस वर्ष उन्होंने पेट में घोड़ा कुदाया है। सम्भव है अगले वर्ष हाथी कुदावें, इसी डर से हमें इस वर्ष फिर विश्वविद्यालय का ध्यान हिन्दी प्रश्नपत्र की ओर आकर्षित करना पड़ा है। हिन्दी के प्रश्नपत्र में कुछ मुहाबिरे लिख कर परीक्षार्थियों से उनके अर्थ पूछे जाते हैं। इसी नियम के अनुसार इस वर्ष भी "दाँत खट्टे कर दिये, पानी पानी हो गया, पाला पड़ा और पेट में घोड़ा कूदने लगा" आदि मुहाबिरों का अर्थ पूछा गया है। परीक्षार्थियों ने योग्यतानुसार इनका अर्थ बताया होगा। पर पेट में घोड़ा कैसे कूदेगा यह हमारी समझ में नहीं आता। हां चूहा कूदना तो मुहाबिरा है, पर घोड़ा कूदना आज तक नहीं सुना गया। यह प्रयोग या तो इस प्रश्नपत्र में या पं० रामदहिन मिश्र काव्यतीर्थ कृत "रचना-विचार" पुस्तक में ही पाया गया है। सच तो यह है कि यह हिन्दी का मुहाविरा नहीं है। ऐसे अशुद्ध मुहाबिरे पूँछने से परीक्षार्थियों की कितनी हानि होती है; यह पाठक और विश्वविद्यालय दोनों अनायास समझ सकते हैं। विश्वविद्या-

लय को उचित है कि परीक्षकों को सूचना दे कि उत्तर-पत्र देखने के समय प्रश्नकर्त्ता की भूल को भूल मानें।"

नाटक कम्पनियों में हिन्दी

नाटक खेलने का व्यवसाय करने वाली कुछ नाटक कम्पनियाँ अपने कुछ खेल हिन्दी-भाषा में करने लगी हैं; यह चर्चा जहाँ तहाँ सुनाई देने से हमें प्रसन्नता हुई है। यद्यपि इनकी हिन्दी, उर्दू मिश्रित होती है, पर इससे आगे के लिए बहुत कुछ आशा है। एक बात बड़े मार्के की है नाटक कम्पनियों ने जिन खेलों से हिन्दी का श्रीगणेश किया है वे हैं भारतीयों के धार्मिक भावों को दिखलाना तथा हिन्दू-समाज का चित्र खींचना जो हिन्दी को छोड़ कर किसी अन्य भाषा के द्वारा ठीक ठीक नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के मुख से उर्दू की शेरें कहलाना तथा श्रीराम के मुख से अरबी के शब्द निकलवाना ठीक भाँड़ों का स्वाँग है, इससे किसी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कम्पनी को भी श्रेय प्राप्त नहीं हो सकता। यदि नाटकों द्वारा समाज के ऊपर कुछ भी प्रभाव डालना अभीष्ट है; यही नहीं, यदि जनता प्रसन्न करके द्रव्य कमाना नाटक कम्पनियों का उद्देश्य है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह काम भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी के द्वारा जितनी अच्छी तरह हो सकता है उतनी अच्छी तरह किसी और भाषा के द्वारा नहीं।

बाँकीपुर में हिन्दी पुस्तकालय

बिहार की राजधानी बाँकीपुर में हिन्दी का कोई अच्छा पुस्तकालय नहीं है, इसकी शिकायत हम पहिले कई बार सुन चुके थे। सहयोगिनी "शिक्षा" ने समाचार दिया है कि बाँकीपुर में रूपकला भगवान पुस्तकालय और गुलज़ार बाग का श्रीकृष्ण चैतन्य पुस्तकालय ये दोनों ही अच्छी उन्नति करके सर्वसाधारण को लाभ पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं; पर हमें इससे सन्तोष नहीं करना चाहिये। शिक्षा के शब्दों में "हमको पटना-बाँकीपुर ऐसे बड़े शहर में केवल एक-दो पुस्तकालय खुल जाने से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये। पटना चौक के लोगों को गुलज़ारबाग अथवा बाँकीपुर पुस्तकालयों

से विशेष लाभ नहीं हो सकता। अभी ऐसे कई पुस्तकालयों की जरूरत है। इस कमी को पूरी करने के लिए हिन्दी-भाषा-भाषियों को ध्यान देना चाहिये।"

सम्पादकीय-विचार

सहयोगियों की बात

मई सन् १६१६ ई० की हितकारिणी पत्रिका में आदित्यनारायण सिंह शर्मा जी का "भारत में एक लिपि का प्रचलन" शीर्षक लेख विचार-पूर्ण और सभी प्रान्त के विद्वानों के ध्यान देने योग्य है। इस लेख में सङ्क्षिप्त युक्तियों से यह सिद्ध किया गया है कि देव-नागरी लिपि ही भारत की राष्ट्रलिपि हो सकती है और सभी प्रान्त के लोग इसे स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं।

एप्रिल सन् १६१६ ई० की सरस्वती में श्रीयुत पं० बद्रीनाथ भट्ट जी का "हिन्दी का काम कौन सँभालेगा" बहुत ही उत्तम और अङ्ग्रेजी भाषा के प्रेमियों के ध्याल देने योग्य है। लेख में शिक्षा-प्रद बातों की कमी न होने पर भी हास्य रस की अधिकता है। लेख अपनी मातृ-भाषा की सरल शिक्षा से विमुख अङ्ग्रेजी भाषा के भक्तों के लिए शिक्षाप्रद है।

जैन-धर्म और हिन्दी। हम देखते हैं कि जिस प्रकार प्राकृत और पाली को देश-व्यापी बनाने में जैन-धर्म किसी समय में अग्रगामी था उसी प्रकार इस समय उसने राष्ट्रभाषा-हिन्दी के लिए भी उद्योग कर रहा है। उसकी जितनी सभाएँ और उनके जितने पत्र हैं सभी हिन्दी में काम करती और हिन्दी में निकलते हैं। इतना ही नहीं, बम्बई आदि नगरों से जो ग्रन्थमालाएँ निकल रही हैं उनका भी उद्देश्य हिन्दी ही प्रचार का है और वे सभी हिन्दी की हैं।

ब्राह्मणरायपत्रिका में हमें यह पढ़ कर प्रसन्नता हुई है कि उसके सम्पादक ने सम्मेलन-पत्रिका की सम्मति को मान कर अपनी पत्रिका को उर्दू से हिन्दी में करने के लिए उद्योग करना निश्चय किया है। हम उस दिन की बाट देख रहे हैं कि जब यह पत्रिका

हिन्दी में अपना दर्शन देगी और हम न केवल उसके सम्पादक को प्रत्युत समस्त भाट जाति को बधाई देनेमें समर्थ होंगे। हमें यह देख कर प्रसन्नता और भी अधिक हुई है कि इसी भाट-जाति की ओर से एक मासिक-पत्र "ब्रह्मभट्ट-हितैषी" कानपुर से निकलता है और उसने भी सम्मेलन-पत्रिका की सम्मति का समर्थन किया है अस्तु।

फरवरी सन् १६१६ ई० की नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका में "हिन्दी पर एक महाराष्ट्र सज्जन की सम्मति" शीर्षक एक लेख छपा है, जिसमें श्रीयुत गणेशगोविन्द भोजराज जी बी० ए० (महाराष्ट्र) के उस लेख का अनुवाद दिया है जो उन्होंने बम्बई के मराठी-भाषा के प्रसिद्ध दैनिक पत्र "सन्देश" में "राष्ट्र-भाषा आणि हिन्दीकेशरी" शीर्षक एक लेख प्रकाशित कराया था। उस लेख में आपने हिन्दी-केशरी को महाराष्ट्रों के लिये हिन्दी सीखने का बहुत अच्छा साधन बतलाया है, और उसके द्वारा हिन्दी तथा मराठी-भाषियोंमें सुहृद भाव उत्पन्न होने की सम्भावना बतलायी है। लेख में हिन्दी के राष्ट्र-भाषा होने के सम्बन्ध में अनेक प्रमाण और युक्तियाँ दी हैं। अतएव हम हिन्दी-संसार की ओर से भोजराज जी को धन्यवाद देते हैं।

फरवरी और मार्च सन् १६१६ ई० के "हिन्दी-वैद्यकल्पतरु" में "आरोग्य प्राप्ति में बुद्धि का अपराध" शीर्षक लेख बहुत ही उत्तम और शिक्षाप्रद है। इस पत्र में प्रायः उत्तमोत्तम लेख निकला करते हैं जो हिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए उपयोगी और नवीन होते हैं। वैद्यक सम्बन्ध बातें हिन्दी में सरल भाषा में बतलाने के लिये यद्यपि "सुधानिधि, देशोपकारक, वैद्यसम्मेलन-पत्रिका, वनौषधि-प्रकाश" आदि अनेक पत्र हैं तथापि यूरोपीय-शिक्षा-मिश्रित देशीय वैद्यक-शिक्षा के लिये यह पत्र अधिक लाभदायक है।

परीक्षा-समिति के पाठ्य-विषय और ग्रन्थ

प्रायः देखा और सुना जाता है कि परीक्षा-समिति के पाठ्य-विषय और पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में लोग आक्षेप करते हैं। आक्षेप की बातें प्रायः तीन हैं—

(१) यह कि जो पाठ्य-ग्रन्थ रक्खे गये हैं उनके मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और अनेक ऐसे भी ग्रन्थ हैं जो मिलते ही नहीं हैं।

(२) यह कि पाठ्य-ग्रन्थ इतने अधिक हैं कि उनका मूल्य अत्यधिक हो जाता है।

(३) यह कि बड़ी बड़ी पुस्तकों का थोड़ा थोड़ा अंश रखने से खर्च अधिक करना पड़ता है और काम कम होता है।

अवश्य ही ऊपर लिखी बातों में अधिकांश सत्य हैं; अतएव परीक्षा-समिति ने निश्चय किया है कि शीघ्र ही अपने पाठ्य-ग्रन्थ और पाठ्य-विषयों में परिवर्तन करे और इसके लिये सर्वसाधारण तथा हिन्दी के विद्वानों की सम्मति के लिये प्रार्थना की है। जो सज्जन अपनी सम्मति देना चाहें वे शीघ्र संयोजक, परीक्षा-समिति हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-कार्यालय प्रयाग के पते से भेज दें। पाठ्य-ग्रन्थों के परिवर्तन का समय है; अतएव जिन प्रकाशकों के पास ऐसे ग्रन्थ हों जो पाठ्य-विषयों में आ सकते हैं वे अपने ग्रन्थ भी कार्यालयमें भेज दें, जिसमें सर्व-सम्मति से ग्रन्थों और विषयों का ठीक चुनाव हो सके इससे प्रकाशकों को भी लाभ होने की सम्भावना है।

विशेष अङ्क

हिन्दी के पत्रों में विशेष अङ्क निकालने की प्रथा चल पड़ी है। यह हर्ष की बात है इस समय कागज की मँहगाई होने पर भी हम देखते हैं कि "विद्यार्थी" का विशेष अङ्क बहुत ही उत्तम निकला है। सब मिला कर इसमें २५ लेख हैं। मातृ-भाषा की शिक्षा शीर्षक लेख श्रीमान् पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी जी का अत्युत्तम है और हिन्दी-प्रेमियों के ध्यान देने योग्य है।

परीक्षा-समिति की सूचना

परीक्षा-समिति के कार्य-विवरण से यद्यपि ये विषय प्रकट ही होते रहते हैं तथापि परीक्षार्थियों के जानने के लिये समिति ने सूचना निकाली है कि सं० १९७३ की परीक्षाओं में निम्नलिखित परिबर्तन हुए हैं—

प्रथमा-परीक्षा में

(१) परीक्षा-विषय, साहित्य-छाया नामक पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

(२) परीक्षा-विषय, स्वास्थ्यरक्षा-आरोग्यादर्श नामक पुस्तक पढ़ना आवश्यक नहीं।

मध्यमा-परीक्षा में

(१) परीक्षा-विषय, साहित्य–विहारी की सतसई के स्थान में स्त्रियों के लिये रामचन्द्रिका वैकल्पिक रक्खी गयी है।

स्वागतकारिणी सभा

सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्वागतकारिणी सभा (जबलपुर) के सङ्गठित हो जाने का शुभसमाचार गत अङ्कों में हमने दे दिया था और नियम २४ तथा २५ की ओर स्थायी-समिति का ध्यान दिलाया था। चौवीसवाँ नियम यह है कि—"इस सभा (स्वागतकारिणी) का यह भी कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी समाचारपत्रों में सूचना द्वारा सर्वसाधारण की सम्मति आमन्त्रित और उपलब्ध कर सम्मेलन की स्थायी-समिति की सम्मति से सम्मेलन के समय से कम से कम छः मास पहिले एक विषय-सूची बनावे और उनपर हिन्दी के अच्छे लेखकों से लेख लिखाने का प्रयत्न करे............।"

हम देखते हैं कि विषय-सूची की चर्चा स्वा० का० सभा की ओर से अब तक किसी समाचारपत्र में नहीं चली है। अवश्य ही इसके लिये कम से कम एक मास का समय चाहिये और उसके पश्चात् सम्मेलन के छः मास, अर्थात्–यदि आज ही से इसकी चर्चा चलायी जाय तो भी ७ मास का समय अपेक्षित है। इस समय जून का महीना चल रहा है और सम्मेलन के लिये बड़े दिनों की छुट्टियों के पश्चात् कोई समय अब तक ठीक नहीं समझा गया है। बड़े दिनों

की छुट्टियों को भी अब छः महीने शेष हैं और ७ महीने नियमानुसार चाहियें; फिर भी विषय-सूची की चर्चा न चलते देख कर हमें चिन्ता होती है कि नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि काम करने वाले सज्जन कदाचित् गर्मी की छुट्टियों के कारण बाहर गये हुए होंगे, अतएव काम में शिथिलता दिखायी देती है, परन्तु यह कारण ठीक नहीं प्रतीत होता है; क्योंकि छुट्टियों के प्रथम ही इसकी सूचना निकल जानी चाहिये थी। अस्तु, अब भी कोई हानि नहीं हुई है और स्वागतकारिणी-सभा को चाहिये कि वह शीघ्र ही अपनी ओर से इसकी चर्चा चलावे।

सम्मेलन ने बहुत सोच विचार के अपना २४ वाँ नियम बनाया है। अच्छे लेखों के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अच्छे लेखकों को स्वतन्त्रता के साथ लिखने के लिये अधिक समय दिया जाय अनेक लेख अध्ययन और खोज के द्वारा लिखे जाते हैं क्या सम्भव है कि थोड़े समय में कोई अच्छा लेखक इस कार्य को कर सके। आपकी ओर से लेखकों को अबतक न तो कोई पारितोषिक दिया जाता है न मिडल। उनकी उदारता और मातृ-भाषा प्रेम ही उन्हें इस कार्य में प्रवृत्त करता है। ऐसी दशा में यदि उन्हें पर्याप्त समय भी न दिया जाय तो इने गिये ही लेख आपको मिलेंगे जो वास्तवमें सम्मेलन की लेखमाला के लिये उपयुक्त होंगे। अतएव हम अन्त में पुनः इस बात का अनुरोध करते हैं कि स्वा० का० सभा जबलपुर शीघ्र ही इस ओर ध्यान दे और अपने नियमों का पालन करने में गत वर्ष की स्वा० का० सभा का अनुकरण न करे।

परीक्षासमिति

परीक्षासमिति का कार्य यथोचितरूप से चल रहा है इस समय में उसके संयोजक बाबू ब्रजराज बहादुर जी छुट्टी पर बाहर गये हुए हैं अतएव संयोजक का कार्यभार बाबू ताराचन्द जी एम० ए० को दिया गया है। एक महाशय ने हमारे पास पत्र भेजा था कि "वर्तमान संयोजक जी स्थायीसमिति के सभ्य नहीं हैं और परीक्षा के नियम २ के अनुसार संयोजक स्थायीसमिति का सभ्य ही होना चाहिये। यद्यपि नियम में केवल इतना ही है कि 'स्थायी-

समिति परीक्षा के प्रबन्ध के लिये अपने सदस्यों में से सात सदस्यों की एक परीक्षा-समिति नियत किया करेगी। उनमें से एक को संयोजक नियुक्त करेगी' और गत सम्मेलन के समय में इस नियम में परिवर्तन हुआ है कि 'स्थायीसमिति ही परीक्षा समिति के लिये ११ सदस्य चुन दिया करे। इनमें ७ स्थायीसमिति के सदस्य हों और शेष ४ सदस्य हों अथवा कोई बाहरी सज्जन हों' अतएव स्थायीसमिति के पूर्ववत् सात सदस्यों में से ही संयोजक की नियुक्ति होनी चाहिये। यदि हम थोड़ी देर के लिये यह भी मान लें कि दूसरे नियम के 'अपने सदस्यों में से' इस वाक्य के माने हैं कि अब ११ सदस्यों में से संयोजक की नियुक्त हुआ करेगी तो भी परीक्षासमिति को क्या अधिकार है कि वह दूसरा संयोजक बनावे ? उसके किसी नियम में यह बात नहीं है; अतएव यह संयोजक की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है और स्थायीसमिति को इस ओर ध्यान देना चाहिये।" अवश्य ही संयोजक जी की नियुक्ति स्थायीसमिति द्वारा ही होनी चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या स्थानापन्न संयोजक की नियुक्ति का भी अधिकार परीक्षा समिति को नहीं है यदि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है तो इस विषय को स्पष्ट कर देने के लिये नियम बन जाना चाहिये जिसमें किसी प्रकार के मतभेद का अवसर न उपस्थित हो।

लिङ्गनिर्णय

गत सङ्ख्याओं में लिङ्ग निर्णय-समिति की रिपोर्ट और उसके बनाये हुए लिङ्ग-निर्णय सम्बन्धी नियम सर्वसाधारण की सम्मति के लिये प्रकाश कर दिये गये हैं अब तक किसी सज्जन की सम्मति नहीं आयी है। हम आशा करते हैं कि हिन्दी के विद्वान इस पर विचार करेंगे और सम्मति प्रदान कर अपनी विचार-शक्ति से सम्मेलन को भी लाभ उठाने का अवसर देंगे। स्थायीसमिति की ओर से भी यह लिङ्गनिर्णय हिन्दी के विद्वानों की सेवा में सम्मति के लिये भेजा जा रहा है। हम आशा करते हैं कि सम्मेलन के प्रथम ही इस विषय का निश्चय हो जायगा और सम्मेलन के अवसर पर सर्व-सम्मति से हिन्दी का लिङ्गानुशासन बन कर तैयार हो जायगा।

हिन्दी सायन्स यूनिवर्सिटी

शुभचिन्तक के गुलाबी अतिरिक्त पत्र में हम प्रोफेसर लक्ष्मी-चन्द (एम्० ए० इत्यादि पदवीधारी) जी की 'हिन्दी-सायन्स-यूनिवर्सिटी' के सम्बन्ध की बातें पढ़ कर प्रसन्न हुए कि आप अच्छा उद्योग कर रहे हैं किन्तु अब तक हमारे समझ में नहीं आया कि आप यूनिवर्सिटी किस ढङ्ग की रक्खेंगे। प्रति सभ्य से १) आप फीस लेकर उसको रिआयती मूल्य पर अपनी पुस्तकें देंगे। इसी प्रथा को यूनिवर्सिटी कहेंगे! अस्तु हमारी यही प्रार्थना है कि इस समय प्रयाग में विज्ञान-परिषद् नाम की एक संस्था स्थापित है उसका उद्देश्य भी आपके उद्देश्य से ही मिलता जुलता है भेद इतना ही है कि आप 'हिन्दी सायन्स यूनिवर्सिटी' नाम रक्खे हैं अर्थात् हिन्दी के साथ में सायन्स शब्द रक्खे हैं और प्रयाग की परिषद् ने विज्ञान नाम रक्खा है। अतएव दोनों मिल के यदि काम करें तो सरलता से उद्देश्यों की सिद्धि हो सकती है। यदि प्रोफेसर साहब का उद्देश्य वास्तव में देश की वैज्ञानिक शिक्षा की वृद्धि करना है तो इसमें कोई हानि नहीं कि वे प्रयाग की परिषद् के सभ्य बन कर काम करें और इस परिषद् की ओर से जो हिन्दी में उत्तम श्रेणी का विज्ञान नाम का मासिक-पत्र निकलता है उसीको यूनिवर्सिटी का पत्र समझें। बात चाहे जो कुछ हो किन्तु कलकत्ता की घटनाओं के समाचार जैसे भारतमित्र और कलकत्ता समाचार (दैनिक) में प्रकाशित हुए थे उनसे लोगों की श्रद्धा सायन्स यूनिवर्सिटी के वर्तमान रूप से हट रही है और विज्ञान-परिषद् का स्वार्थ त्याग देख कर उसे लोग अपना रहे हैं।

विज्ञान

प्रयाग की विज्ञान-परिषद् की ओर से विज्ञान नाम का एक मासिकपत्र हिन्दी में निकलता है। इसमें विज्ञान-सम्बन्धी गूढ़ बातों को सरल हिन्दी भाषा में दिखलाने का उद्योग किया जाता है। लेख बड़े बड़े विद्वानों के और उच्च कोटि के होते हैं। कभी कभी ज्योतिष-सम्बन्धी लेख भी निकल जाते हैं। अवश्य ही विज्ञान सम्बन्धी लेखों के समान अब तक ज्योतिष-सम्बन्धी लेख अधिक विचारपूर्ण और लाभकारी नहीं निकले हैं। अब तक इसके सम्पा-

दकों में प्रयाग के प्रसिद्ध हिन्दी कवियों के दो नाम थे किन्तु अब किसीका नाम नहीं है अवश्य ही वैज्ञानिक पत्र में कवि का सम्पादक होना लोगों को खटकता भी था यहाँ तक कि लोग समझते थे कि ये सम्पादक वास्तव में टाइटिल पेज पर अपना नाम लिखाने मात्र के सम्पादक हैं। पत्रों को ऐसे कल्पित सम्पादकों से कुछ लाभ नहीं होता है और सम्भव है कि ये बातें विज्ञान के सम्बन्ध में ठीक न हों परन्तु दोनों सम्पादकों के नाम एकदम क्यों निकल गये यह समझ में नहीं आता है।

सम्मेलन

सम्मेलन का कार्य पूर्ववत् यथा रीति से चल रहा है सभापति की नाम सूची बनाने के लिये आषाढ़ शु० २ सं० १९७३ को उसकी स्थायीसमिति का एक अधिवेशन होने वाला है। हम आशा करते हैं कि हमारे गत अङ्कों की टिप्पणी पर अवश्य ही समिति विचार करेगी और अपने उद्देश्य (च) की पूर्ति के लिये एक उपसमिति (सोने वाली नहीं काम करने वाली) बनाने की कृपा करेगी।

मालूम नहीं कि सम्मेलन के व्ययार्थ जो विचार हुआ था उसके लिये क्या प्रवन्ध हो रहा है। सम्मेलन के दान की रकमें अभी बहुत बाकी पड़ी हैं। यदि वे सब वसूल हो जायँ तो बहुत ही उत्तम हो। हम आशा करते हैं कि जिस उदारता से लोगों ने बचनदान दिया है उसी उदारता से वास्तविक दान देकर सम्मेलन की इस समय सहायता करने से पीछे न हटेंगे। प्रतिज्ञा-पत्र पर अनेक लोगों के ठीक पता नहीं लिखे हैं अतएव दाता गणों के पास सूचनापत्र भी नहीं भेजा जा सकता है अतएव मेरा प्रस्ताव है कि यदि प्रतिज्ञात महाशयों की नामावली पत्रिका में प्रकाश कर दी जाय तो उत्तम हो और साथ ही यह प्रार्थना कर दी जाय कि यदि इनमें से कोई महाशय अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करना चाहें या न कर सकते हों तो वे कृपया सूचित कर दें उनका नाम बाकीदारों में से पृथक् कर दिया जाय क्योंकि नाम पड़ा रहने से सम्मेलन को पत्र लिखने में व्यर्थ ही व्यय और परिश्रम करना पड़ता है।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-629

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
की
मुखपत्रिका

भाग ३ } आषाढ़, संवत् १९७३ { अङ्क १०

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य =)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३ | आषाढ़, संवत् १९७२ | अङ्क १०

सम्मेलन के उद्देश्य
और
उनकी सिद्धि के उपाय

(लेखक—सम्मेलन का एक सेवक)

सम्मेलन ने अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अब तक जिन जिन उपायों का अवलम्ब लिया है और उनमें जो कुछ सफलता या असफलता हुई है उनकी ओर दृष्टि रख कर इस लेख में उन उपायों की ओर सम्मेलन का ध्यान आकर्षित किया जायगा जिनके द्वारा उसके उद्देश्यों की सिद्धि में अधिक सफलता हो सकती है।

उद्देश्य सं० ३ और ८ की सिद्धि के लिये वर्णविचार-समिति, लिङ्गनिर्णय-समिति और परीक्षा-समिति की स्थापना हुई है। पहली और दूसरी समिति ने जो कार्य किया है उसका फल अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि दोनों की रिपोर्ट और व्यवस्थायें प्रकाशित होने पर भी अद्यावधि अपने परिणाम तक नहीं पहुंची हैं—अधूरी अवस्था में पड़ी हैं। कारण यह है कि उन पर अधिकांश हिन्दी के विद्वानों की दृष्टि नहीं जा रही है। कदाचित् अनेक

विद्वान हिन्दी की स्वच्छन्दता में बाधक समझ कर लिङ्गनिर्णय को अनावश्यक और सनातन से प्रचलित नागरी वर्णमाला में परिवर्तन करना सनातनत्व के विरुद्ध समझते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं क्योंकि यदि ऐसा था तो उनको प्रारम्भ ही में इसका विरोध करना चाहिये था और यदि नहीं किया तो अब भी स्पष्ट शब्दों में इस विषय पर अपनी सम्मति देनी चाहिये क्योंकि सम्मेलन तो उनकी सम्मति की बाट देख रहा है और वे अपने मत के अनुसार कार्य होते न देख कर मौनव्रत धारण किये हुए बैठे रहेंगे तो कार्य कैसे चलेगा ? इस समय दोनों समितियों की रिपोर्टों और व्यवस्थाओं को स्थायी-समिति पुनः प्रकाश करके निश्चय के रूप में लाने का उद्योग कर रही है आशा है कि आगामी सम्मेलन तक में दोनों विषय निश्चय होकर हिन्दी-साहित्य के लिये लाभदायक और सम्मेलन के उद्देश्य सं० ३ की पूर्ति करने में सहायक होंगे। तीसरी समिति का कार्य स्थायी है और बहुत ही सन्तोषदायक रीति से चल रहा है। इस समिति का कार्य इतना व्यापक और आशाप्रद है कि जिसका वर्णन करना असम्भव है। इस समय इसकी ओर अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है किन्तु इस समिति के नियम और उपनियमों की ओर देख कर लोग कहते हैं कि सम्मेलन के उद्देश्य सं० ८ के लिये ये नियमोपनियम ठीक नहीं हैं। उनका कथन है कि इस ओर शीघ्र ही ध्यान देना आवश्यक है।

सब से प्रथम स्थायी-समिति के मार्गशीर्ष शुक्ल ६ और ७ सं० १९६९ के अधिवेशन में परीक्षा की आरम्भिक रूप में नियमावली तैयार की गयी थी जो चतुर्थ हिन्दीसाहित्य-सम्मेलन के अवसर पर भागलपुर में मि० मार्गशीर्ष शुक्ल ११ सं० १९७० को उपस्थित की गयी और अपूर्ण समझी जाने के कारण सम्मेलन ने अपने निम्नलिखित पन्द्रहवें प्रस्ताव द्वारा नियमावली संशोधन के लिये आज्ञा दी थी।

"यह सम्मेलन हिन्दी-परीक्षा की नियमावली पर विचार करने के लिये निम्नलिखित ७ सदस्यों की एक उपसमिति बनाती है। यह उपसमिति तीन मास में स्थायी-समिति के मन्त्री के पास अपनी रिपोर्ट भेज देगी। इसके पश्चात् मन्त्री का कर्तव्य होगा

कि उसको छपवा कर स्थायी-समिति के सदस्यों को बाँट दें और रिपोर्ट आने के एक महीने के पश्चात् स्थायी-समिति का अधिवेशन कर उसमें उस रिपोर्ट को उपस्थित करें। स्थायी-समिति को अधिकार है कि वह अपने मन्तव्य के अनुसार परीक्षा के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ कर दे। अनुभव के बाद जिन परिवर्तनों की आवश्यकता मालूम होगी उनके लिए आगामी सम्मेलन में प्रस्ताव उपस्थित किये जायेंगे।

समिति के सदस्यों के नाम

१—पं० शुकदेवविहारी मिश्र (संयोजक)
२—लाला राधामोहन गोकुल जी।
३—बाबू श्यामसुन्दरदास।
४—हरिश्चन्द्र वेदालङ्कार।
५—पं० रामावतार शर्मा।
६—पं० युगलकिशोर मिश्र।
७—पं० जगन्नाथ-प्रसाद चतुर्वेदी।"

उपसमिति के संयोजक ने संशोधित करके अपनी रिपोर्ट के सहित नियमावली स्थायी-समिति के पास भेज दी जो चैत्र सं० १९७१ की पत्रिका में छाप दी गयी। संयोजक—पं० शुकदेव-विहारी मिश्र जी ने अपने विचारों को १४ अङ्कों में बाँटा है। विचार गम्भीर एवं परीक्षासमिति के सञ्चालकों के लिए अपने नेत्रों के सामने सदा रखने योग्य हैं। विचार सं० ८, ११ और १४ की ओर ध्यान देना इस समय विशेषतः आवश्यक है। आठवें विचार में जो बाबू राधामोहन गोकुल जी का परामर्श उद्धृत किया गया है कि "या तो पहली और दूसरी परीक्षाओं में उपाधियाँ रक्खी जावें अथवा उन दोनों को पास करके ही अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रतिबन्ध रक्खा जाय, अन्यथा आरम्भिक दो परीक्षाओं का महत्व कम हो जायगा।" इस पर ध्यान देना इस समय में अधिक आवश्यक है। प्रथमा परीक्षा से कुछ लोग मुक्त किये जा रहे हैं यह बात लोगों के मन में खटकी है, क्योंकि हिन्दी की प्रथमा परीक्षा का महत्व इससे कम हो जायगा और अधिकांश

परीक्षार्थी उससे मुक्त होने की ओर ध्यान देने लगेंगे। अवश्य ही यह नियम ठीक हो सकता है कि इस वर्ष की परीक्षा-समिति के प्रथम अधिवेशन के निश्चयानुसार "मेट्रिकुलेशन, स्कूललीविङ्ग सार्टिफिकेट और वर्नाक्यूलर फाइनल उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि प्रथमा के साहित्य में उत्तीर्ण हो जायँगे तो उन्हें मध्यमा में परीक्षा देने का अधिकार होगा।" परन्तु इसीके उत्तरार्ध में जो यह जोड़ दिया गया है कि "हिन्दी लेकर जिन्होंने मैट्रिक, स्कूल लीविङ्ग तथा हिन्दी नारमल पास किया है उनके लिये साहित्य परीक्षा भी आवश्यक न होगी (अर्थात् प्रथमा परीक्षा से वे मुक्त समझे जायँगे)" ठीक नहीं है क्योंकि उक्त परीक्षाओं में जितनी योग्यता हिन्दी साहित्य की होती है उससे बहुत अधिक योग्यता हमारी प्रथमा में होती है क्योंकि छन्द और अलङ्कार आदि की शिक्षा उनमें से उठा दी गयी है जो हिन्दीसाहित्य के एक मुख्य अङ्ग है। यदि हमारी परीक्षा में साहित्य की योग्यता में कुछ कमी है तो उसको अधिक करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी परीक्षाओं में हिन्दी-साहित्य की योग्यता अधिक होनी चाहिये और उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्तियों को भी हिन्दी-साहित्य के ३ प्रश्न पत्रों में परीक्षा देना आवश्यक होना चाहिये। यदि ऐसा न किया जायगा तो यह समझा जायगा कि हमारी प्रथमा परीक्षा मेट्रिक, स्कूललीविङ्ग और हिन्दी नारमल से भी कम महत्व की है क्योंकि उन परीक्षाओं में हमारी प्रथमा परीक्षा से अधिक रेखा गणित आदि अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। ग्यारवें विचार में शुल्क की बात है तीनों परीक्षाओं में क्रम से १), २) और ३) उन्होंने पर्याप्त समझा है। इस समय में २), ५) और १०) है और भी बढ़ाने का विचार हो रहा है। अवश्य ही समिति का व्यय बढ़ता जा रहा है और वर्तमान शुल्क से व्यय का निर्वाह होना कठिन प्रतीत हो रहा है परन्तु मेरे विचार में शुल्क बढ़ाना अभी उचित नहीं है। यदि आवश्यक ही समझा जायगा तो आगे चल कर बढ़ाने का विचार किया जायगा। चौदहवाँ विचार परीक्षा-विषय का है इसमें आपने लिखा है कि "विज्ञान, पाश्चात्य दर्शन और स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के समावेश करने का विषय कई एक कारणों से

सचमुच विचार योग्य और गम्भीर है। हमारी समझ में उचित रीति से उक्त विषयों में भी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का परिज्ञान प्राप्त करा देना सब तरह से उचित और उपयोगी होगा। इन विषयों को अधिक करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिये कि हमारी परीक्षायें वास्तव में हिन्दी भाषा की योग्यता को ही सम्पादन करने के प्रयोजन में हैं। इस लिये आवश्यक परिज्ञानमात्र की वृद्धि के लिये उपर्युक्त विषयों पर कुछ पुस्तकों को बढ़ा देने में और उनके लिए पहिली और दूसरी परीक्षामात्र में दो पर्चों तक के सुरक्षित कर लेने में कोई हानि नहीं। तृतीय परीक्षा को यथावस्थित केवल हिन्दी-भाषा-मात्र की परीक्षा बनाये रखना बिलकुल ठीक होगा।" इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मिश्र जी के विचार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यानुसार हैं। सम्मेलन का उद्देश्य है "हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिए हिन्दी की उच्च परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना" परन्तु हम देखते हैं इस समय परीक्षा-समिति के उपनियम इसके अनुकूल नहीं हैं। उत्तमा परीक्षा में इस समय १० विषय हैं—हिन्दी-साहित्य, संस्कृत-साहित्य, अङ्ग्रेजी-साहित्य, पुरातत्व, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, ज्यौतिष, दर्शन और विज्ञान। हाँ, सं० १९७५ के लिए विज्ञान विषय निकाल दिया गया है। इनमें से कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसमें बिना अङ्ग्रेज़ी पढ़े हुए लोग ठीक से परीक्षा दे सकें। हाँ, अपूर्ण परीक्षा हिन्दी-साहित्य, संस्कृत-साहित्य और ज्यौतिष की वे भी दे सकते हैं जो अङ्ग्रेज़ी के विद्वान नहीं हैं। विचार करने की बात है कि हमारी परीक्षा जिस उद्देश्य से स्थापित हुई और प्रारम्भ में लोगों के जैसे मत थे इस समय उससे कितनी भिन्नता पायी जाती है। मेरे विचार में मध्यमा के वैकल्पिक विषयों में हिन्दी-साहित्य के अतिरिक्त अन्य आवश्यक विषयों का रखना आवश्यक है, परन्तु उत्तमा में केवल हिन्दी-साहित्य रखना मिश्र जी के वचनों से बिलकुल ठीक है। ऐसा न करने से हिन्दी-साहित्य की वास्तविक उन्नति में बाधा पड़ने का भय है और इस पर शीघ्र ही विचार होना चाहिये। हम देखते हैं कि उत्तमा के समस्त विषय एम्० ए० के विषयों के समकक्ष हैं।

एम्० ए० में हिन्दी-साहित्य नहीं है और हमको अपनी उत्तमा में उसका रखना आवश्यक है। अन्य विषयों के लिए लोग एम्० ए० की परीक्षा पास करेंगे। यदि हम ऐसा न करेंगे तो हमें सरकारी एम्० ए० की प्रतिद्वन्द्विता करनी पड़ेगी और इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वार्थ और शक्ति दोनों हमारे प्रतिपक्ष में होने से सफलता की आशा बहुत कम है। अवश्य ही हिन्दी-साहित्य में न हमारा कोई प्रतिद्वन्द्वी है न बाधक, और इसमें ही हमारा स्वार्थ और उद्देश्य की सिद्धि भी है। अतएव उत्तमा में हमें केवल हिन्दी-साहित्य रखना चाहिये। समस्त विषयों के रखने वाले कहते हैं कि उत्तमा में सब विषयों के रखने से हमारी हिन्दी-युनिवर्सिटी बन जायगी और दूसरा लाभ यह होगा कि उत्तमा में जो परीक्षा देने आवेंगे उनसे हम २०० पृष्ठों का एक उत्तम ग्रन्थ उस विषय का तैयार करा लेंगे इस प्रकार साहित्य की अनायास उन्नति होती जायगी। ठीक है इतने लाभ के लिए हम अपनी परीक्षा को अपने उद्देश्यों के विरुद्ध ऐसी बना दें कि जिसे विना अङ्ग्रेजी पढ़ा हिन्दी का योग्य से योग्य विद्वान पास न कर सके यह अनुचित है। हम यहाँ तक मानने के लिए तैयार हैं कि जिन जिन विषयों के ग्रन्थ हमारी हिन्दी-भाषा में तैयार होते जाँय उन उन विषयों को भी आप उत्तमा में यदि रख लें तो हानि नहीं. किन्तु हिन्दी-परीक्षा देने के लिए अङ्ग्रेजी का विद्वान होना आवश्यक रहे इसका हमें घोर विरोध है।

उद्देश्य सं० ९ की सिद्धि के लिए भी उद्योग हो रहा है। तृतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (कलकत्ता) के चौथे प्रस्ताव द्वारा भी इस विषय की ओर ध्यान दिलाया गया है और उस समय कुछ विद्वानों ने ग्रन्थ लिखने की प्रतिज्ञा की थी, अनेक ग्रन्थ इस समय तक लिखे भी जा चुके हैं। हाँ, इसके लिए और भी अधिक उद्योग करना चाहिए और एक ऐसी सूची तैयार करानी चाहिए कि जिसमें यह रहे कि अमुक अमुक विषयों के इस श्रेणी के ग्रन्थों की आवश्यकता है और पुनः उनके लिखने वाले विद्वानों का अन्वेषण करना चाहिए। यह भी निश्चय कर लेना चाहिए कि कम से कम इतने ग्रन्थ हम प्रतिवर्ष निकलवा देंगे। इस कार्य में प्रकाशकों से भी लिखा पढ़ी

करनी चाहिए कि जिसमें ग्रन्थ-प्रकाशन का भार अधिकता से सम्मेलन पर न पड़े, और सरलता से ग्रन्थों का प्रकाशन भी होता जाय।

उद्देश्य सं० १, २, ४, ६, ७ और १० की पूर्ति के लिए अनेक उपसमितियाँ बनीं और उपदेशक-विभाग खोला गया। पं० जीवानन्द काव्यतीर्थ तथा स्वामी सत्यदेव जी आदि सज्जनों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ काम किये हैं, परन्तु इस समय यह विभाग ठीक रीति से चल नहीं रहा है। इस विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वैतनिक और अवैतनिक दोनों प्रकार के उपदेशक हों। उपदेशकों के द्वारा बहुत बड़े काम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए एक प्रचारक समिति भी बनाई गई थी और उसके संयोजक थे बाबू भगवानदास हालना, किन्तु काम नाममात्र को भी नहीं हुआ है। इसलिए यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि कुछ सज्जनों की एक पुनः समिति बनाई जाय और वह प्रचार का कार्य उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति और धन-सङ्ग्रह भी करे। समिति में बड़े से बड़े लोग लिये जाँय और कुछ नवयुवक उत्साही सज्जन भी रहें। समिति में कम से कम २५ सज्जन रहें जो बारी बारी वे समय देकर सम्मेलन की सहायता करें।

उद्देश्य सं० ५ की पूर्ति के लिए यद्यपि तृतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, कलकत्ते के प्रस्ताव सं० ४ में भी उल्लेख किया गया था, तथापि इसकी पूर्ति की ओर एक कदम भी सम्मेलन ने पैर नहीं रक्खा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ उद्देश्य सं० ८, ६ और १ का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इतना ही नहीं, प्रायः अधिकांश उद्देश्यों की पूर्ति में यह उद्देश्य सहायक हो सकता है। अतएव यह अत्यन्त आवश्यक विषय है और हम सम्मेलन-पत्रिका के सम्पादक महोदय की उस टिप्पणी से बिलकुल सहमत हैं कि जो उन्होंने पौष-माघ सं० १९७२ की सम्मिलित सङ्ख्या में इस विषय पर लिखी है। उनका मत है कि अब समय आ गया है कि एक समिति बनाकर उसके द्वारा सम्मेलन हिन्दी के योग्य ग्रन्थकारों, प्रकाशकों, लेखकों, सम्पादकों और उनके सहायकों की सूची बनावे और उनको आगामी सम्मेलन के समय सम्मानित करने के लिए पारितोषिक,

पदक, प्रशंसा-पत्र और उपाधि आदि सत्कारों से विभूषित करने के लिए, विचार करे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्थायी-समिति को इस कार्य की ढिलाई न करनी चाहिए। ढिलाई करने से उसके उगद्देश्यों की सिद्धि में बाधा पड़ रही है।

इस समय में इतना ही लिख कर मैं विश्राम लेता हूं, किन्तु सम्मेलन और उसकी सम्बद्ध सभाएं इस विषय पर मैं अगली सङ्ख्या में अपने विचार प्रकट करने का उद्योग करूंगा। शुभम्।

स्थायी-समिति का द्वितीय अधिवेशन

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन सम्मेलन-कार्यालय में मि० आषाढ़ शु० २ सं० १९७३ ता० २ जुलाई सन् १९१६ रविवार को ४ बजे सन्ध्या समय निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

(१) स्वामी सत्यदेव परिव्राजक।
(२) बा० सरयूप्रसाद महाजन, गया।
(३) विशारद बा० पुत्तनलालजी विद्यार्थी, लखनऊ।
(४) बा० गौरीशङ्करप्रसाद, काशी।
(५) बा० लालबिहारीलाल, सतना।
(६) प्रो० रामदास गौड़ प्रयाग।
(७) पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी।
(८) पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल।
(९) पं० चन्द्रशेखर शास्त्री।
(१०) ठा० शिवकुमारसिंह।
(११) पं० लक्ष्मीनारायण नागर।
(१२) बा० नवाब बहादुर।

सर्वसम्मति से रायबहादुर बा० लालबिहारीलाल ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

गत अधिवेशन की रिपोर्ट पढ़ी जाने और स्वीकृत होने के अनन्तर निम्नलिखित विषयों पर विचार हुआ।

१—सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति-निर्वाचन पर विचार हुआ। पत्र द्वारा आयी हुई स्थायी-समिति के सभासदों, सम्बद्ध सभाओं और स्वागतकारिणी-समिति की तथा स्थायी-समिति के उपस्थित सदस्यों की सम्मतियों की गणना करके आगामी सम्मेलन के सभापति के पद के लिए पाँच नामों की एक सूची बनाई गयी।

२—आय-व्यय उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

३—सम्मेलन के स्थायी-कोष के लिए धन-सङ्ग्रह के सम्बन्ध में विचार हुआ और निश्चय हुआ कि यह विषय सम्मेलनके वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित किये जाने योग्य है, पर यह किस रूप में आगामी सम्मेलन में उपस्थित हो; इसका निश्चय इस सम्बन्ध में जो उपसमिति बनायी गयी थी उसकी स्कीम आ जाने पर स्थायी-समिति के आगामी अधिवेशन में, किया जावे।

४—उपदेशक-विभाग की व्यवस्था तैयार न होने के कारण निश्चय हुआ कि यह विषय आगामी अधिवेशन में उपस्थित किया जावे।

५—नागरी-प्रचारिणी-सभा रायबरेली का सम्मेलन से सम्बद्ध होने के लिए प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

६—पं० माखनलाल चतुर्वेदी के त्याग पत्र पर विचार हुआ निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय और आपके स्थान पर श्रीयुत कालूराम जी गङ्गराडे मध्य-प्रदेश से स्थायी-समिति के सदस्य निर्वाचित हुए।

७—नियमावली संशोधन का विषय उठाया गया पर संशोधन का मसविदा तैयार न होने के कारण निश्चय हुआ कि बा० पुत्तनलाल विद्यार्थी, पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी, प्रो० रामदास गौड़ और

डा० शिवकुमार सिंह इन चार सज्जनों की एक उपसमिति, जिसके संयोजक बा० पुत्तनलाल विद्यार्थी हों, संशोधन का मसविदा शीघ्र तैयार करने के लिए बनायी जाय और संयोजक को अधिकार दिया जाय कि वे षष्ठ सम्मेलन के १३ वें मन्तव्य के अनुसार आगामी सम्मेलन से कम से कम दो मास पूर्व मसविदे को विचारार्थ प्रकाशित करदें।

८—अन्य आवश्यक विषय—

(क) हिन्दी-साहित्य-सभा, लखनऊ के ता० ८-४-१६ के पत्र पर विचार हुआ, जिसमें सभा ने आगामी काङ्ग्रेस के समय में हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ कार्य करने की सम्मति माँगी है, जिससे काङ्ग्रेस में उपस्थित सज्जनों पर उसका कुछ विशेष प्रभाव पड़े। निश्चय हुआ कि सभा को लिखा जाय कि काङ्ग्रेस के समय में हिन्दी-साहित्य-सभा अवश्य अपना सार्वजनिक अधिवेशन करके उपयोगी व्याख्यानों का प्रवन्ध करे और सम्मेलन के उपदेशक-विभाग की ओर से यथासम्भव उपदेशक की सहायता देने का प्रयत्न किया जायगा।

(ख) हिन्दी-साहित्य सभा लखनऊ के ता० २३-४-१६ के पत्र पर विचार हुआ, जिसमें सभा ने श्रीयुत बा० मदनमोहन सेठ के मामले में कुछ आन्दोलन करने के विषय में सम्मेलन की सम्मति माँगी है। निश्चय हुआ कि इस विषय में आन्दोलन करना आवश्यक है और इस विषय का पूरा हाल जान कर सम्मेलन की ओर से आन्दोलन करने का अधिकार सम्मेलन के मन्त्रि-मण्डल को दिया जाय।

(ग) नागरी-प्रचारिणी सभा आरा के ता० १४-६-१६ के पत्र पर विचार हुआ, जिसमें सभा ने अपने उस मेमोरियल का जो उसने विहार प्रान्त की कचहरियों में नागरी-प्रचार के सम्बन्ध में बिहार प्रान्तीय गवर्नमेण्ट के पास भेजा था और उस पर बिहार गवर्नमेण्ट ने जो आज्ञा दी है, उसका उल्लेख किया है। निश्चय हुआ कि विहार प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की जो आज्ञा इस सम्बन्ध में

बिहार के सरकारी गज़ट के ता० ७ जून के अङ्क में छपी है इसका अनुवाद सम्मेलन-पत्रिका में प्रकाशित किया जाय और सप्तम सम्मेलन का ध्यान इस महत्व-पूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया जाय।

(घ) प्रताप में निकली हुई उस टिप्पणी पर विचार हुआ, जिसमें सम्मेलन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि नये मैसोर–विश्वविद्यालय में हिन्दी को स्थान नहीं दिया जा रहा है। निश्चय हुआ कि मन्त्रियों को अधिकार दिया जाय कि इस विषय में पूरा हाल जान कर उचित कार्यवाही करें।

षष्ठ वर्ष की परीक्षा-समिति का तृतीय अधिवेशन

परीक्षा-समिति सं० १९७३ का तृतीय अधिवेशन आषाढ़ शुक्ल २ रविवार ता० २ जुलाई सन् १९१६ ई० को दो बजे दिन से सम्मेलन-कार्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ।

श्रीयुत प्रो० रामदास गौड़ एम० ए०।
„ बा० ताराचन्द एम० ए० (संयोजक)।
„ पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी।

कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है—

१—प्रश्नपत्रों के ऊपर विचार हुआ और स्वीकृत प्रश्नपत्रों के छपने के लिए संयोजक जी को अधिकार दिया गया।

२—परीक्षा-समिति-सम्बन्धी आय-व्यय उपस्थित और स्वीकृत किया गया जो इस प्रकार है।

मि० पौष कृष्ण सं० १९७२ ता० २९ दिसम्बर सन् १९१५ ई० से मि० आषाढ़ कृष्ण ३० सं० १९७३ ता० ३० जून सन् १९१६ ई० तक का।

आय	व्यय
१३६॥।≡)॥। पिछले वर्ष की बचत	१०८॥≡) पोस्टेज
१६।–)॥ विवरण	७।)॥। स्टेशनरी
१९॥–)॥ पोस्टेज	५।=)॥ फुटकर
२०।≡) प्रश्नपत्र	१=)॥। प्रश्नपत्र
१) पर्चा की जचाई	२॥।) ऊजड़ग्राम
१३॥।) पुस्तकों की बिक्री	१४।=)॥। पुस्तकालय
७॥) गद्य काव्य	२१५॥–)॥ कागज छपाई
॥।) ऊजड़ग्राम	१।–) पार्चा को
≡) विज्ञानप्रवेशिका	४५॥) शुल्कखाता
१।–) यूरोप का सङ्क्षिप्त०	॥=) भूगोल
१॥।) अलङ्कार प्रकाश	१०७३।–)॥ बचत
१॥) अर्थशास्त्र	
॥।) युरोपीय दर्शन	
१३॥।)	
१२५६) शुल्कखाता	
१) प्रमाणपत्र	
५) पुस्तकालय	
१४७६–)॥।	१४७६–)॥।

(स्वा० का० सभा जबलपुर द्वारा लिखित)

सप्तम हिन्दीसाहित्य-सम्मेलन की प्रस्तावित लेखों की विषय-सूची

(१) हिन्दीभाषा में भाव व्यञ्जकता बढ़ाने का उद्योग किस प्रकार करना चाहिये।
(२) हिन्दी शब्दों में विराम चिह्नों का विचार।
(३) गत सात वर्षों में हिन्दी-साहित्य-संसार का सिंहावलोकन।
(४) हिन्दीभाषा में नाटक ग्रन्थ और वर्तमान नाटक कम्पनियाँ।
(५) हिन्दीभाषा में उपन्यास।
(६) प्राचीन भारतवर्ष में नाविक विद्या।
(७) हिन्दीसाहित्य के प्रचार के उपाय।
(८) हिन्दी के लेखकों की जीविका।
(९) हिन्दी में निबन्ध रचना।
(१०) हिन्दीभाषा में स्त्रियों के योग्य साहित्य।
(११) हिन्दीभाषा में बालकों के योग्य साहित्य।
(१२) समाजविज्ञान और उसके अध्ययन करने की आवश्यकता।
(१३) अन्य भाषा भाषियों के द्वारा की गयी हिन्दी की सेवा।
(१४) पञ्चाङ्ग और उनका विचार।
(१५) अङ्गरेजी-साहित्य का हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव।
(१६) वर्तमान युग के हिन्दी-साहित्य की दशा।
(१७) प्राचीन और अर्वाचीन शासन पद्धतियाँ।
(१८) घर में खेले जाने योग्य बालकों के खेल।
(१९) हिन्दी में वीर साहित्य की आवश्यकता।
(२०) मध्यप्रदेश की अदालतों में हिन्दी।
(२१) नागपुर के विश्वविद्यालय में हिन्दी को स्थान मिलने की आवश्यकता।
(२२) मध्यप्रदेश की भिन्न भिन्न बोलियाँ।

(२३) हिन्दी में कविता—आधुनिक और प्राचीन दोनों के गुण दोष।
(२४) पहला ग्रन्थ कौन, रामायण अथवा महाभारत ?
(२५) आर्यों का आदिस्थान।
(२६) वेदों का रचनाकाल।
(२७) विक्रम और उनका संवत्।
(२८) प्राचीन भारत की शिक्षाप्रणाली।
(२९) मातृभाषा में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा।
(३०) वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द।
(३१) हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाने के सुगम उपाय।
(३२) वर्तमान महासमर के कारण।
(३३) ऐतिहासिक खेल और उनके द्वारा भारतीय इतिहास के उपाय।
(३४) गत दश वर्षों में नये नये ऐतिहासिक अन्वेषण और उनका भारतीय इतिहास पर प्रभाव।
(३५) वर्तमान कविवर रवीन्द्रनाथ टागोर की जगद्व्यापिनी कीर्ति के रहस्य।
(३६) हिन्दी में सामयिक पत्रों की वर्तमान दशा और उनके अधिक लाभकारी बनने के उपाय।
(३७) कृषक समाज में सम्पत्तिशास्त्र के मूल तत्वों का विचार।
(३८) जैन लेखकों तथा कवियों द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवा।

आलोचना

(ले० रामकृष्ण सारस्वत स० मन्त्री)

बिहार प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

बिहार प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के विषय में मतभेद है। कम से कम शिक्षा के २२ जून के अङ्क की एक टिप्पणी से यही प्रकट होता है। बात यह है कि बाँकीपुरवालों ने कहा कि प्रान्तीय सम्मेलन हो। मुफस्सिल वालों ने कहा अवश्य हो ! पर सम्मेलन करे कौन ? मुफस्सिल वाले बाँकीपुर वालों से कहते कि तुम

करो। इस पर बाँकीपुर वालों ने कहा कि वाह जी वाह जो बोले सो घी को जाय। हमने युक्ति सुझाई तो यह क्या आवश्यक है कि हमी सम्मेलन करें। कुछ भी हो हम बिहार प्रान्तीय सम्मेलन सफलता पूर्वक हो गया। यह सुनने को उत्सुक हैं।

मान बढ़ाने का उपाय

मेरा लड़का अङ्ग्रेजी में बातचीत करने लगे तथा अङ्ग्रेजी में पत्र-व्यवहार करने लगे यह बहुत से माता-पिताओं की इच्छा रहती है। इसके लिए वे अपने बालकों से सदैव अङ्ग्रेजी में बातचीत करने तथा अङ्ग्रेजी में पत्र लिखने का आदेश करते रहते हैं। लड़का भी उनकी आज्ञा में चलते हुए कुछ दिन में अङ्ग्रेजी अच्छी तरह बोलना और लिखना सीख लेता है। उर्दू के "शीन" "काफ" का ज्ञान भी उसे अपने "सभ्य" साथियों द्वारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा पाये हुए नवयुवकों को सारी "तहजीब" उर्दू में और सारी सभ्यता अङ्ग्रेजी में दिखलायी देती है "हिन्दी-चिन्दी" की वे परवाह नहीं करते। यदि किसी ने उन्हें हिन्दी का प्रेम दिलाया तो उसे बोलने में 'अटकते' हैं और "हिन्दी बोलना हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है" 'हिन्दी में शब्द नहीं हैं' 'बिना उर्दू के ज़बान साफ नहीं होती' इत्यादि 'दलीलें' पेश करते हैं। अस्तु, यह तो हुई उनकी बात जो 'सीखते' हैं अब हमारे बड़े बड़े हिन्दी-प्रेमी प्रोफेसरों, डाक्टरों, वकीलों की ओर दृष्टि डालिए तो विदित होगा कि 'बिना' अङ्ग्रेजी के मान नहीं, इस सिद्धान्त के पक्षपाती हैं। यही कारण है कि उनकी बातचीत यदि अधिक नहीं तो कम से कम पहली बार 'अङ्ग्रेजी दाँ' लोगों से अङ्ग्रेजी में होगी और किसी सभा संस्था अथवा अन्य किसी मनुष्य को पहला पत्र जो वे लिखेंगे अङ्ग्रेजी में लिखेंगे। यह सब देख सुन कर हमारे जी में भी यही आता है कि अङ्ग्रेजी बोलने अथवा लिखने की योग्यता प्राप्त कर लेना मान बढ़ाने के लिए अच्छा उपाय है।

श्रीराम नामामृत

अभी हाल में हमें "निवलगढ़ निवासी हरमुखराय छावछरिया द्वारा सङ्गृहीत और रामनाम के प्रचारक लछमनगढ़ निवासी

पं० बालूराम के सदुपदेश से श्रीयुक्त बा० द्वारकादास केदारबक्स भगत द्वारा नं० ४ चिनी पट्टी कलकत्ता से प्रकाशित, बिना मूल्य वितरित" एक पुस्तक प्राप्त हुई है, जिसका नाम है श्रीरामनामामृत। पुस्तक को हाथ में लेते ही तथा उसका बढ़िया काग़ज़ का टाइटिल पेज व सुन्दर छपाई देख कर श्रीराम के उपासकों का हृदय आनन्द में हिलोरें लेने लगता है और एक पृष्ठ उलटने पर तो श्रीराम के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्तकर वे अपने को धन्य मानने लगते हैं, पर पुस्तक के पन्ने उलटने पर जब तीसरे प्रष्ठ से लेकर २०३ पृष्ठों तक बराबर श्रीराम राम के सिवाय और कुछ लिखा हुआ दिखलायी नहीं देता, तब हृदय में यह विचार बिना आये हुए नहीं रहता कि आखिर श्रीराम राम से इतने पन्ने रँगने का तात्पर्य क्या है। यह प्रश्न और इसका उत्तर दोनों ही सहृदय सङ्ग्रहकर्त्ता ने अपनी भूमिका में दे दिये हैं। आप लिखते हैं श्रीराम का नाम सभी सुगमता पूर्वक बिना पुस्तक के ले सकते हैं, किन्तु नाम जानना और लेना एवं विधि पूर्वक नियम से जपना इसमें बहुत अन्तर है। रात और दिन में शूद्र और द्विज में, पशु और मनुष्य में, अनियम कार्य और नियम पूर्वक कार्य करने में जैसा फ़र्क़ है वैसा ही इसमें अन्तर है। अपनी इच्छानुसार पाँच या अधिक बार श्रीराम नामोच्चारण कर लिया जाय तो कितना अन्तर है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सङ्ग्रहकर्त्ता यह जान लेने पर भी इस पुस्तक को देख कर कई मनुष्य यह कहेंगे कि "श्रीराम का नाम सभी जानते हैं और अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं एवं लेते हैं, तब यह अनर्थक द्रव्य व्यय कर पुस्तक के प्रकाशन की क्या आवश्यकता थी? इस पुस्तक से लाभ ही क्या हो सकता है?" और इसका उत्तर दे देने पर भी हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस पुस्तक में निस्सन्देह द्रव्य व्यय हुआ है। यदि इतना ही रुपया किसी दूसरी अच्छी पुस्तक के प्रकाशित कराने में व्यय किया जाता तो अधिक लाभ होता। पुस्तक के आरम्भ में श्रीराम-नाम-माहात्म्य और अन्त में श्रीराम-महिमास्तव शीर्षक इधर उधर से सङ्ग्रह किये हुए ३५ श्लोक हैं। श्लोक सभी सुन्दर तथा सुपाठ्य हैं।

—:o:—

समालोचना

(१) रामकोश

इस हिन्दी-संस्कृत डिक्शनरी व रामकोश को पं० रामलाल शास्त्री गवर्नमेण्ट हाईस्कूल झङ्ग ने बनाया है और पं० चरणदास बी० ए० पञ्जाब प्रिंटिङ्ग वर्क्स, अनारकली लाहौर ने छाप कर प्रकाश किया है। पृष्ठ सङ्ख्या ४५० के लगभग और आकार डिमाई आठपेजी है। ऐसी पुस्तक का मूल्य २) ठीक ही है। जिल्द सहित का मूल्य २।) है और प्रकाशक के पास से कदाचित् मिलती है।

पुस्तक स्कूल और कालिजों में संस्कृत पढ़ने वालों के लिए अधिक उपयोगी है। हिन्दी शब्दों के पर्यायवाची संस्कृत शब्दों के जानने के लिए यह कोश बनाया गया है। यद्यपि अधिकांश उपयोगी शब्दों की कोश में कमी है तथापि वर्तमान समय में इस ढङ्ग का यह कोश पहला और अच्छा है। प्रति शब्दों के साथ में अङ्गरेजी अक्षरों में सङ्केत दिये गये हैं जिनके द्वारा शब्दों के विषय में यह ज्ञात होता है कि यह आत्मनेपद, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, पञ्चमी, द्वितीया, णिजन्त, समास, नामधातु, चतुर्थी, अभिव्यक्त, स्त्रीलिङ्ग, षष्ठी, अव्यय, तुमुन्नन्त, तृतीया, सप्तमी, पुल्लिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा, परस्मैपद, कर्मवाच्य, बहुवचन, सर्वनाम, सञ्ज्ञाशब्द, उभयपदी, अकर्म क्रिया, सम्बोधन और सकर्म क्रिया में से कौन है। अवश्य ही अङ्गरेजी के साथ में हिन्दी या संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक उपयोगी है।

(२) भारतीय विद्यार्थी-विनोद

पुस्तक के लेखक बा० भगवानदास महेश्वरी (केला) शीश महल मेरठ और प्रकाशक पं० रामजीलाल शर्म्मा, हिन्दीप्रेस, प्रयाग हैं। सोलह पृष्ठ के डबलक्राउन आकार की ८८ पृष्ठों की पुस्तक है और मूल्य ।=) मिलने का पता—मैनेजर माहेश्वरी कार्यालय, अलीगढ़ और विद्यार्थी कार्यालय, हिन्दी प्रेस, प्रयाग है।

पुस्तक में दो खण्ड हैं और एक एक खण्डों में ८-८ विषय हैं। विषय भी साधारण नहीं 'भाषा, गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास,

सम्पत्ति शास्त्र, नीति, तर्क शास्त्र, भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा का प्रश्न, मातृभाषा से प्रेम, हमारी मातृभाषा, हमारी आदतें, स्वदेशोन्नति की पहली सीढ़ी आत्मोन्नति, आजकल के पाहुने, मानवी सुख दुःख पर एक दृष्टि और जीवन यात्रा के हैं। अवश्य ही इन विषयों पर छोटे छोटे लेखों में विषयगत महत्त्व की बातें नहीं आ सकी हैं फिर भी प्रारम्भिक ज्ञान के लिये पुस्तक उत्तम और सङ्ग्रह करने योग्य है। पुस्तक नये ढङ्ग और योरोपीय उदाहरणों से विभूषित उत्तेजनाकारक है ऐसी ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता भी है। यदि इस ढङ्ग की पुस्तकें विद्यार्थियों के हाथ में दी जाँय तो वे अपने लिये बहुत कुछ विचार कर काम कर सकते हैं।

हिन्दी-संसार

(ले० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का एक सेवक)

मुसलमान सभापति

शुक्रवार ता० १४ जुलाई सन १९१६ ई० के साप्ताहिक श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार में हमें "चांई" वासा हिन्दी सभा का समाचार पढ़ कर अत्यन्त हर्ष हुआ है। उक्त सभा का अभी गत २७ जून को एक विशेष अधिवेशन हुआ था उसके सभापति थे "मौलवी फअतेहक साहब" आपका हिन्दी के प्रति अधिक प्रेम है। हमारी प्रसन्नता का कारण यह नहीं है कि एक मुसलमान सज्जन ने हमारी हिन्दी सभा के सभापति के आसन को पवित्र किया है प्रत्युत इसलिये कि एक मुसलमान भाई ने राष्ट्रभाषा की उपयोगिता समझ कर अपने अनेक जिद्दी भाइयों की परवा न करके हिन्दी सभा में सम्मिलित होने का साहस किया है।

हिन्दी-सम्पादक की उम्मेदवारी

आजकल बड़ी कौंसिल की मेम्बरी के लिये मध्य-प्रदेश की ओर से सरयूपारीण पत्रिका के सम्पादक श्रीमान् माननीय रायबहादुर पं० विष्णुदत्त शुक्ल बी० ए० (इत्यादि) महाशय उम्मीदवार हुए हैं। आपके वहाँ पहुंच जाने पर यह एक नवीन बात

होगी कि एक वर्तमान हिन्दी-पत्रिका के सम्पादक को यह पद मिलेगा। हम आशा करते हैं कि लोग आपकी योग्यता की ओर ध्यान देकर अवश्य ही अपना प्रतिनिधि बना कर गुण ग्राहकता का परिचय देंगे।

राजपूताना और जयपुर

आषाढ़ शुक्ल १५ के प्रताप में एक टिप्पणी निकली है कि "राज्य अलवर में सम्पूर्ण राज्य-कार्य अब हिन्दी-भाषा में होने लगा है। जयपुर को छोड़ कर अब सारे राजपूताना में हिन्दी का प्रचार हो गया है।" टिप्पणी को पढ़ कर हमें अपने राष्ट्रपति राजपूतों की सुपूती पर अत्यन्त हर्ष हुआ है, किन्तु जयपुर के विषय में हमें खेद है कि अब तक वहाँ हिन्दी को स्थान नहीं मिला। जयपुर राज्य सदा से संस्कृत का प्रेमी था। इस समय भी वहाँ बड़े से बड़े विद्वान हैं और वहाँ का सरस्वती-भण्डार देश के प्रधान पुस्तकालयों में श्रेष्ठ और अलभ्य पुस्तकों का आगार है। क्या ऐसे राज्य में संस्कृत की पुत्री-हिन्दी को उसकी माता की स्त्री-धन रूपी सम्पत्ति न मिलेगी और उसके स्थान में विदेशी भाषा आदर पाती रहेगी। क्या इसमें महाराज के अतिरिक्त किसी उच्च कर्मचारी की इच्छा ही कारण है? यदि ऐसा है तो हमको इसके लिए उद्योग करना चाहिए कि हमारा जयपुर हमारा ही हो और हमारी राष्ट्रभाषा को अपनावे।

हिन्दी-पञ्चाङ्ग

हम देखते हैं कि इस समय हिन्दी का प्रेम बहुत बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि हम अपना कारबार हिन्दी में करें मिति आदि हिन्दी में लिखें और हिन्दी की कोई राष्ट्रमिति को जानें किन्तु इस कार्य के लिये एक हिन्दी-पञ्चाग की आवश्यकता है। यद्यपि अनेक क्यालेण्डर, डायरी और यन्त्री हिन्दी में भी छपती हैं तथापि उनके द्वारा हिन्दी का उपकार अधिक न होकर अपकार ही होता है। लोगों की अश्रद्धा हिन्दी पञ्चाङ्ग की ओर होती जाती है अतएव यह आवश्यक है कि एक ऐसा सरल और सुबोध हिन्दी-पञ्चाङ्ग बने कि जिसके द्वारा हिन्दी प्रेमी सज्जनों की समस्त आवश्यकतायें अनायास ही दूर हो जायँ।

हिन्दी नाम में अङ्गरेजी अक्षर का उच्चारण

हम देखते हैं कि हमारे हिन्दी-हितैषी भाइयों में भी अनेक सज्जन ऐसे हैं कि जो अपने सुन्दर हिन्दी नामों का सङ्क्षेप अङ्गरेजी अक्षरों के उच्चारण से लिखते हैं। यदि किसीका नाम 'रामलाल' है तो वह लिखता है 'आर० एल०' यदि 'मिश्रीलाल' नाम है तो वह लिखेगा 'एम० एल०'। समझ में नहीं आता कि ये सज्जन क्यों ऐसा करते हैं यदि अङ्गरेजी में उनको लिखना है तो भले ही वे वैसा लिखें किन्तु नागराक्षर में क्यों अङ्गरेजी शब्दों का उच्चारण लिखते हैं। इस प्रकार लिखने से अक्षर बढ़ जाते हैं नाम में भी भ्रम होता है और हिन्दी का अपमान होता है हाँ साधारण अपढ़ मनुष्य अङ्गरेजी अक्षरों का उच्चारण सुनकर रोब में या भ्रम में आ जाते हैं और इतना ही उनका प्रयोजन भी होता है अतएव जिन सज्जनों को मिथ्या अभिमान से साहब बहादुरी का रोब नहीं जमाना है और न दूसरों को भ्रम में डाल कर कोई स्वार्थ ही साधना है उनको चाहिये कि व्यर्थ ही अपनी हिन्दी माता का अपमान न करें और अपना सङ्क्षिप्त नाम अपने नागराक्षरों में ही लिखने की कृपा करें।

हिन्दी-कानफ्रंस

समझ में नहीं आता कि हमारे पढ़े लिखे भाइयों के दिमाग में क्या समाया हुआ है कि जो महत्त्व उनको अङ्गरेजी शब्दों में मिलता है वह अपनी मातृभाषा के शब्दों में नहीं। यदि कानफ्रंसों के साथ होने के कारण ही उसके रङ्ग में न रँगकर लोग हमारी हिन्दी भाषा के सम्मेलन को विहार के समान सम्मेलन ही नाम रखते तो कोई पाप न था और हम आशा करते हैं कि इस बार झाँसी में इसका निपटेरा हो जायगा। सुना गया है कि जिस प्रकार गोरखपुर में प्रान्तीय हिन्दी-कानफ्रंस हुई थी उसी प्रकार इस वर्ष में झाँसी में होगी किन्तु हम सम्मेलन-पत्रिका के भाग २ अङ्क १२ की टिप्पणी की ओर उसके सञ्चालकों का ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें निम्न लिखित प्रश्न हैं:—

(१) प्रान्तीय सम्मेलनों की कितनी आवश्यकता है ?

(२) उसका सम्बन्ध हमारे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से किस प्रकार का होना चाहिये।

(३) प्रान्तीय सम्मेलन स्थायी होंगे कि अस्थायी ?

हम आशा करते हैं कि कानफ्रेंस सफलता पूर्वक होगी और उसके द्वारा हिन्दी-संसार का कुछ उपकार होगा।

सम्पादकीय-विचार

सम्मेलन के सभापति

स्थायीसमिति की ओर से ५ नामों की सूची बना कर स्वा० का० सभा (जबलपुर) के पास भेज दी गयी। अवश्य ही स्वा० का० सभा शीघ्र ही अपना निश्चय प्रकट कर देगी कि इस वर्ष किन महाशय के सभापतित्व में सम्मेलन होगा। अब तक समाचारपत्रों में जो लेख छपे हैं उनमें कोई विशेषता नहीं, केवल हिन्दी समाचार में एक बात की विशेषता पाई जाती है कि वह चाहता है कि "हिन्दी को यदि राष्ट्रभाषा बनाना हैं तो भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियों को इसका सभापति बनाना चाहिये और यदि इस बार बाँकीपुर के मि० हसनइमाम तथा सय्यद अमीर अली (मीर) में से किसी एक को बनाया जाय तो 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' एक ज़ातीय नहीं वरन् एक भारतीय संस्था का गौरव प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी" इस पत्र ने गत वर्ष भी मुसलमान सभापति बनाने के पक्ष में था।

एक सज्जन का पत्र मेरे पास आया है उसमें उन्होंने गत वर्ष के वङ्गीय साहित्य-सम्मेलन के सभापतित्व के पद को अस्वीकार करते हुए महाराज बर्दवान ने जो कहा था उसका उल्लेख किया है जिसका सारांश यह है कि साहित्य-सम्मेलनों का सभापति साहित्य सेवी विद्वान होना चाहिये न कि बड़ा आदमी या देश का नेता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस अर्थ में साहित्यशब्द लिया जाता है यदि वास्तव में उसी अर्थ में लिया जाता तो बात ठीक थी किन्तु सम्मेलन ने साहित्यशब्द बहुव्यापक अर्थ में ले रक्खा है जैसा कि

एक लेखक ने पत्रिका की सं० ४-५ में 'परीक्षाओं का महत्त्व' लिखते समय दिखलाया है। अतएव इस सम्मेलन का सभापति न केवल साहित्य सेवी ही को बनाना चाहिये प्रत्युत राष्ट्र के नेताओं को भी इस पद पर विराजमान होना चाहिये। मेरी निज की राय तो यह है कि हमको राष्ट्रभाषा का प्रचार करना है इस कार्य में हमको जिन जिन सभापतियों से लाभ होने की आशा है उनका विचार सहज ही में किया जा सकता है। राष्ट्र की दशा का जिन पर उत्तर-दायित्व है वे देशी राजे महाराजे (जो एक बड़ी राष्ट्र सङ्ख्या के स्वामी होते हैं) और राष्ट्रभाषा के विद्वान जिनकी राष्ट्र पर छाप लगी हो सभापति के योग्य इस कारण हो सकते हैं कि उनका राष्ट्र पर प्रभाव होता है और हिन्दी साहित्य की आजन्म सेवा करने वाले अनेक ऐसे विद्वान हैं जिनका प्रभाव राष्ट्र पर कुछ भी नहीं, कोई जानता भी नहीं। ऐसे विद्वानों को हमारा सम्मेलन सभापति बना कर नहीं प्रत्युत अपने उद्देश्य सं०, ५ के अनुसार सम्मानित करने के लिए तैयार हो सकता है। सम्मेलन के सभापति के लिए उन महानुभावों की ओर हम जा सकते हैं जिनको हम राष्ट्रपति के योग्य समझें, राष्ट्रभाषा साहित्य सम्मेलन का सभापति दूसरे रूप में देश का राष्ट्रपति ही समझा जाना चाहिये।

हिन्दी-पत्र की बात मेरे मन में नहीं आती क्योंकि काङ्ग्रेस की नीति में असफलता देख कर हम यह कभी आशा नहीं कर सकते कि एक बार नहीं यदि हम सदा के लिए सम्मेलन के सभापति का पद अपने चिरमित्र मुसलमान भाइयों के लिए सुर-क्षित कर दें तो भी वे इसका विरोध करना त्याग देंगे। बाकी रही अपनी उदारता सो भी हम ऐसी दिखावनी बात को अच्छा नहीं समझते। जब हमारे हिन्दी-प्रेमी हिन्दू भाइयों में सहस्त्रों व्यक्ति ऐसे विद्यमान हैं जो उक्त दोनों मुसलमान सज्जनों से अधिक योग्य हैं तब उनका अपमान करके उदारतावश—या कपट नीति से हम दूसरों को सभापति के पद के लिए अच्छा नहीं समझते। हमारा प्रयोजन यह नहीं कि हम मुसलमानों को सभापति बनाने के विरोधी हैं, प्रत्युत हमारा सिद्धान्त यह है कि इस विषय में यह भाव ही न आना चाहिये कि इसके सभापति मुसलमान भी

बनाये जायँ और इसलिये कि जिसमें उस जाति की भी सहानुभूति हो जाय।

समय

सम्मेलन के नियम २५ के अनुसार समय का निश्चय करना सर्वसाधारण और स्थायीसमिति के सभ्य एवं सम्बद्ध सभाओं की सम्मति के अनुसार स्थायीसमिति के अधीन है और अब तक ऐसा ही होता आया है किन्तु स्वा० का० सभा के मन्त्री जी ने नियम को न जानने के कारण पत्रों में अपना प्रस्तावित समय निश्चय रूप से ५, ६ और ७ नवम्बर प्रकाश कर दिये हैं। इससे लोगों को भ्रम हुआ है। ठीक ही है नियम विरुद्ध कार्य देखकर भ्रम होना स्वाभाविक बात है किन्तु यह बात जान बूझ कर नहीं हुई है अतएव स्थायीसमिति अपनी आगामी बैठक-जो मि० श्रा० शु० ६ रविवार को होने वाली है—में समय का निश्चय कर देगी। स्थायीसमिति को इस बात का ध्यान भी रखना आवश्यक ही होता है कि स्वा० का० सभा और हमारे सभी प्रान्त के लोगों को किस समय में सुविधा होगी अतः इस विषय में शीघ्रता उचित नहीं।

लेख-सूची

इसी अङ्क में स्वा० का० सभा की प्रस्तावित लेख-सूची भी प्रकाशित है हम आशा करते हैं कि स्थायीसमिति भी इनमें से अधिकांश विषय अवश्य अपनी निर्णीत सूची में रक्खेगी और शीघ्र ही निर्णीत सूची प्रकाश हो जाने पर लेख लिखवाने का प्रबन्ध किया जायगा, जिसमें योग्य हिन्दी-लेखकों को समयाभाव के कारण कोई कठिनाई न पड़े। प्रस्तावित सूची के अनेक विषय ऐसे हैं जिन पर न केवल लेख ही किन्तु बड़े बड़े ग्रन्थों के लिखवाने की आवश्यकता है। यदि सम्मेलन लेख माला के समान ही ग्रन्थमाला भी प्रतिवर्ष लिखवाने का प्रबन्ध करे और उसके लिए अपने उद्देश्य ५ के अनुसार लेखकों का सम्मान करना निश्चय कर लेतो परीक्षा समिति के सामने, जो कठिनाई ग्रन्थ न मिलने की उपस्थित है वह शीघ्र ही दूर हो जाय। हम आशा करते हैं कि कम से कम एक प्रस्ताव सम्मेलन में ऐसा अवश्य रक्खा जायगा कि अमुक अमुक विषय के इतने इतने पृष्ठों के ग्रन्थों की आवश्यकता है इनमें से जो

ग्रन्थ सर्वोत्तम होगा उसके लेखक को आगामी वर्ष के सम्मेलन के समय में इतना पारितोषिक दिया जायगा और अन्य सज्जनों का भी दूसरे रूप में सम्मान किया जायगा।

परीक्षार्थी

सम्मेलन की परीक्षा में अच्छी उन्नति हो रही है। इस वर्ष में २९ परीक्षा-केन्द्र हैं और प्रथमा में ३९२, मध्यमा में ८६ और उत्तमा में ३ परीक्षार्थियों के प्रार्थना-पत्र तथा शुल्क आये हैं। जिनमें से प्रथमा में २ मुसलमान और १६ देवियाँ तथा मध्यमा में ४ देवियाँ आ रहीं हैं। हमें यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने राष्ट्र-भाषा की परीक्षा में आना प्रारम्भ किया है। देवियों के सम्बन्ध में हम प्रयाग की आर्य-कन्या-पाठशाला और उसके सञ्चालकों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते, कि जिन्होंने सब से प्रथम इस कार्य में पैर बढ़ाया है। इस वर्ष उक्त पाठशाला में एक स्पेसल क्लास ही इसके लिए खोल दिया गया है। दिल्ली को भी हम बधाई बिना नहीं रह सकते कि, जहाँ के एक भी पुरुष के न सम्मिलित होने पर ३ देवियाँ प्रथमा में सम्मिलित हुई हैं।

राष्ट्रमिति

मेरे पास पं० गणेशदीन त्रिपाठी जी और बाबू अयोध्याप्रसाद वर्मा जी के एक एक पत्र आये हैं जो स्थानाभाव के कारण दिये नहीं जा सके हैं, अगली सङ्ख्या में दिये जाँयगे। हम आशा करते हैं कि इस विषय को लोग अपना पक्षपात छोड़ कर विचार करेंगे और निम्नलिखित बातों कीओर ध्यान रक्खें तो अधिक उत्तम हो और शीघ्र राष्ट्रमिति का निश्चय हो जाय।

(१) यह कि राजमिति और राष्ट्रमिति वर्तमान समय में पृथक् पृथक् रहेगी या एक ही कर दी जाँयगी।

(२) यह कि देशी मितियों में से राष्ट्रमिति के लिए हमें शास्त्रीय (आर्ष) मिति लेना उचित है या मनमानी जिसमें हमको सुविधा जान पड़े।

(३) यह कि हमारे राष्ट्रीय-पर्वोत्सव जिस मिति के आधार पर होते हैं क्या उनमें परिवर्तन करना सम्भव है।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन संम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

सम्मेलन-कार्यालय की नयी और अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें

नागरी अङ्क और अक्षर

इस ग्रन्थ में अङ्कों और अक्षरों की उत्पत्ति पर जो बड़े गवेषणा पूर्ण लेख प्रथम और द्वितीय सम्मेलन में पढ़े गये थे, सङ्कलित हैं। हिन्दी में ऐसी दूसरी पुस्तक है ही नहीं। मूल्य ≡)

इतिहास

यह ग्रन्थ पं० विष्णुशास्त्री चिपलूणकर के प्रसिद्ध निबन्ध का अनुवाद है। मध्यमा के पाठ्य ग्रन्थों में होने के अतिरिक्त यह अत्यन्त रोचक भी है। इतिहास का वास्तविक महत्व इससे जाना जा सकता है। मूल्य ≡)

अन्य पुस्तकें

प्रथम वर्ष का विवरण	।)	पञ्चम " "	॥)
द्वितीय वर्ष "	।)	नीतिदर्शन " "	॥।)
तृतीय वर्ष "	।=)	लाजपतराय की जीवनी	१)
चतुर्थ वर्ष "	॥)	हिन्दी का सन्देश	-)
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला	॥।)	इतिहास	≡)
द्वितीय " "	१)	नागरी अङ्क और अक्षर	≡)
तृतीय " "	॥।)	सौ अजान और एक सुजान	।=)
चतुर्थ " "	॥')	पिङ्गल का फलक (प्रथमा के लिये)	-)

मन्त्री—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्यालय,

प्रयाग।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-629

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
की
मुखपत्रिका

भाग ३ } श्रावण, संवत् १९७३ { अङ्क ११

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य =)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३ } श्रावण, संवत् १९७३ { अङ्क ११

राष्ट्रमिति

(ले० पं० गणेशदीन त्रिपाठी)

पत्रिका के कई अङ्कों में तथा अधिकांश हिन्दी समाचारपत्रों में इस समय 'राष्ट्रमिति' की चर्चा चल रही है। अवश्य ही हम इसके लिये श्रीमान् पं० धर्मनारायण द्विवेदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। किन्तु साथ ही हम देखते हैं कि जो इस विषय के लेख निकल रहे हैं उनमें सैद्धान्तिक बातों की बहुत कमी है। एक पक्ष सौरवादी है दूसरा चान्द्रवादी। दोनों पक्षों के विषय में हमें जो वक्तव्य है उसे हम निष्पक्ष होकर लिखना चाहते हैं सम्भव है कि लोग हमको भी किसी पक्ष में समझ लें। अस्तु सबसे प्रथम हमें यह देखना है कि हमारी राष्ट्रमिति कैसी होनी चाहिये और उसमें किन किन गुणों की आवश्यकता है? उसके पश्चात् हमें यह देखना चाहिये कि हमें सर्वगुण सम्पन्न अपनी मितियों में यदि कोई न मिले तो हम कोई नवीन कल्पित मिति को राष्ट्रपद देंगे अथवा अपनी आर्षमितियों में से ही अधिक गुण वाली किसी मिति को राष्ट्रपद के लिए चुनेंगे।

सब से प्रथम हम राष्ट्रमिति के लिये उसे स्वीकार करना चाहते हैं जिसका हमारे राष्ट्र के अधिकांश भाग में प्रचार हो और अधिकांश राष्ट्र के लिये जो अपरिचित न हो, क्योंकि इसी युक्ति को आगे रख कर हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद देते हैं। दूसरा गुण यह होना चाहिये कि भ्रामक और अधिक गौरवयुक्त न हो क्योंकि हिन्दी में भी यही गुण बतलाया जाता है। उपर्युक्त बातों के सम्बन्ध में हमारा यही मत है कि हम अपनी आर्षमितियों में से अधिक गुण और न्यून दोष सम्पन्न किसी मिति को राष्ट्रपद देंगे-कल्पित मिति को नहीं क्योंकि यदि हमें अपनी मितियों का त्याग करके कल्पित मिति का आश्रय लेना है तो अङ्गरेजी मिति ने क्या अपराध किया है जो हम उसीको स्वीकार न कर लें।

अब देखना यह है कि उक्त गुण सम्पन्न हमारी देशी मितियों में से कौन सी मिति है? सौरवादियों में अब तक हमको तीन सज्जनों के लेख देखने में आये हैं उनमें से प्रधान बा० अयोध्या प्रसाद जी वर्मा हैं। इस पक्ष के लोगों के कथन में दो बातें प्रधान हैं एक तो यह कि चान्द्रमिति की खराबियों के ही कारण इस समय में चान्द्रमिति प्रधान प्रदेशों में अङ्गरेजी का आश्रय लेना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार अङ्गरेजी वर्ष ३६५ दिनों का होता है उसी प्रकार सौर वर्ष भी उतने ही दिनों का होता है अतएव यह अधिक उत्तम है और इसीसे सौर प्रधान प्रदेशों में अङ्गरेजी तारीखों को आश्रय नहीं मिला है। वे यह भी कहते हैं कि तिथियों की क्षयवृद्धि और महीनों का घटना बढ़ना चान्द्रमिति में ऐसा दोष है जिससे यह मिति निर्भ्रान्त और सरल एवं सुबोध नहीं बन सकती है। इसीके साथ वे सौर मिति को सावन भित्ति पर स्थित करते हैं जिसमें सूर्य के अंशों के क्षय वृद्धि का झगड़ा न रह जाय।

चान्द्रवादियों में अब तक हमें पं० धर्मनारायण द्विवेदी ही प्रधान ज्ञात हुए हैं। उनका कथन है कि चान्द्रमिति में जितने दोष हैं उनसे कम सौरमिति में नहीं हैं किन्तु सौरमिति अप्रचलित और अनावश्यक है। जिस सौर गणना का कुछ प्रदेशों में प्रचार है

उसे वे अशास्त्रीय, मनमानी एवं मुसलमानोंकी नकल बतलाते हैं। साथ ही चान्द्रमिति को सर्वव्यापी, आवश्यक और निर्भ्रान्त सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि क्षय वृद्धि सम्बन्धी भ्रम निवारणार्थ साधारण चिह्नों का रख लेना ही पर्याप्त है और इसके लिये वे लेखन क्रम भी बतलाते हैं।

अब देखना यह है कि दोनों पक्षों में किस पक्ष की युक्ति ठीक और राष्ट्रमिति के लिये उपयुक्त है? हमारे देश के जितने राष्ट्रीय दिन हैं जैसे विजयादशमी, रामनवमी, भीष्माष्टमी, नृसिंहचतुर्दशी, जन्माष्टमी, होलिकादहन, दुर्गाष्टमी, परशुराम और महावीर जयन्ती तथा दीपमालिका, वसन्तोत्सव, गुरुपूजा, श्रावणी महालय आदि ये सब के सब चान्द्रमिति के अधीन हैं इतना ही नहीं आज भी जो प्राणी मरते हैं उनका क्षयाह दिन इसी चान्द्रमिति के अनुसार मनाया जाता है। केवल हमारे संयुक्त प्रान्त में ही नहीं समस्त भारत में उपर्युक्त दिनों का मनाना एकमात्र चान्द्रमिति के अनुसार है। आज तक हमने यह नहीं सुना कि सौरमास के अमुक तिथि को अमुक राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है। हाँ सौरमास की सङ्क्रान्तियों से काम लिया जाता है वह भी केवल धार्मिक। व्यावहारिक कार्यों से उससे भी सम्बन्ध नहीं। अवश्य ही श्री १०८ श्री स्वामी रामानुज सम्प्रदाय के आलवारों के जन्म दिन सौरमास से लोग मनाते हैं किन्तु उसमें भी केवल सौर मासों का उपयोग है उसके दिनों का नहीं क्योंकि उनके यहाँ नक्षत्र की प्रधानता है जो नक्षत्र जिसका है उस नक्षत्र में उसका उत्सव मनाया जायगा दिन चाहे जौन सा हो। हाँ सौरमास का विचार उनके यहाँ है इससे ज्ञात होता है कि हमारे देश में सर्वव्यापिनी मिति वास्तव में चान्द्र ही है किन्तु मास कौन सा माननीय होगा यह ध्यान देने योग्य है।

चैत्रादिमासों का प्रचार वैदिक काल से आज तक चला आता है और चाहे शुक्लादि मानें चाहे कृष्णादि किन्तु इसका प्रचार हमारे समस्त भारतवर्ष में है। मेषादि मासों का प्रचार प्रान्त विशेष में भले ही हो किन्तु सर्वव्यापी नहीं है और न होने की आशा है।

राष्ट्रीय मास नहीं किन्तु शास्त्रीय मास हम इसे अवश्य मानते हैं। सर्वसाधारण में प्रति सैकड़ा ९९ मनुष्य चैत्रादिमास के नाम जानते हैं किन्तु ठीक इसके विपरीत मेषादिमासों को अधिक से अधिक प्रति सैकड़ा ५ मनुष्य कदाचित् ही जानते हों अपठित समाज तो इससे सर्वथा अनभिज्ञ ही है। ऐसी दशा में दोनों के विषय में विवेचन करना व्यर्थ है। जो लोग सौर नामों के साथ में चैत्रादि चान्द्र नाम भी रखना चाहते हैं (मेष वैशाख, वृष ज्येष्ठ आदि) उन्हें समझना चाहिये कि ये नाम चान्द्रमासों के हैं और चन्द्र नक्षत्रों के और चान्द्र तिथियों के योग से ये नाम रक्खे गये हैं। अतएव ये सौरमासों के उपयोग में नहीं आ सकते हैं। बाकी रहा यह कि चैत्रादि मासों में अमान्त मान लिया जायगा कि पूर्णिमान्त ? इसके लिये भी हम यही कहेंगे कि जिसका अधिकांश में प्रचार हो।

यद्यपि पञ्चाङ्ग अमान्तमान से बनते हैं, अधिमास आदि अमान्त मानानुसार होते हैं और दक्षिणीय भारत में इसका प्रचार भी है किन्तु संयुक्त-प्रान्त, नेपाल, विहार, बङ्गाल, राजपूताना, पञ्जाब, मध्यप्रान्त, गुजरात और बम्बई प्रान्त के अधिकांश भाग में पूर्णिमान्त चान्द्रमान का प्रचार है। ऐसी दशा में हमें राष्ट्रमिति के लिये अमान्तमान न मान कर पूर्णिमान्त मान ही मानना उचित है।

तिथि और मास के निश्चय होने पर संवत् का कोई विवाद ही नहीं है क्योंकि विक्रमीय संवत् को सभी स्वीकार करते हैं। अवश्य ही हम को चान्द्रमान की तिथि, चान्द्र एवं सौर मिश्रित मास (क्योंकि मलमास द्वारा चान्द्रमास को सौर से मिला देते हैं) और सौर संस्कृत चान्द्र वर्ष (क्योंकि मास ही के अधीन वर्ष होगा) राष्ट्रमिति के लिए सरल, सुबोध एवम् उपयुक्त प्रतीत होता है।

सौरवादी कहते हैं कि लेनदेन आदि व्यवहारों में चान्द्रमिति में गड़बड़ी होती है क्योंकि तिथियों की घटती बढ़ती के कारण महीनों के दिन बराबर नहीं होते। इसीसे हिन्दी समाचारपत्र,

यहाँ तक कि संस्कृत की पत्रिकायें भी अङ्गरेजी तारीखों का आश्रय लेती हैं। ये सब युक्तियाँ पक्षपात-पूर्ण-दृष्टि से लिखी गयी हैं नहीं तो देखिये फरवरी २८ दिन का, मार्च ३१ दिन का और अप्रैल ३० दिन का मास होता है। इसी प्रकार—नहीं नहीं इससे भी अधिक गड़बड़ी सौरमास के दिनों में भी होती हैं तब क्या कारण है कि हमारे चान्द्रमास की त्रुटियाँ तो दोषप्रद और अन्य मासों की त्रुटियाँ गुणमयी मानी जायँ। व्यवहार में बुद्धि से काम लिया जाता है आंख बन्द करके नहीं, अतएव चान्द्रमिति के लिखने में व्यावहारिक आपत्ति कुछ भी नहीं है। यदि सौरवादियों की 'सावनभित्ति पर स्थित सौरमान' की बात को हम विचारते हैं तो हँसी आती है कि इस भित्ति को किस आचार्य ने उठाया था क्या यह वङ्गाब्द के समान मुसलमानी मान तो नहीं है क्योंकि मुसलमानी सन् का सौरमान ही बङ्गाब्द है और उसी प्रकार मुसलमानी चान्द्र के समान ही यह सावनभित्ति परस्थित सौरमान भी है। मेरा तो अनुमान है कि यह मुसलमानों की नकल मात्र है क्योंकि मुसलमानों के प्रथम इसका मिति रूप से कहीं प्रचार हम नहीं पाते हैं। प्राचीनकाल में पक्ष लिखने की चाल कम थी अतएव लोग ३० तिथि तक लिखते थे किन्तु सौरमिति का अस्तित्व प्राचीनकाल में नहीं मिलता है। चान्द्र मिति में जो जो विशेषतायें हैं उनका दोहराना व्यर्थ है उक्त द्विवेदी जी ने प्रथम ही उनका वर्णन कर दिया है। अतएव चान्द्रमिति ही राष्ट्रमिति के लिये श्रेष्ठ प्रतीत होती है। शुभम्

उपदेशक-विभाग की व्यवस्था

(श्रीयुत स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा प्राप्त)

भारतवर्ष में एक नागरी लिपि तथा हिन्दी-भाषा को राष्ट्रीय-भाषा बनाने के लिए नागरी-प्रचारिणी सभाओं का जन्म हुआ है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन उन्हीं सभाओं का प्रतिनिधि स्वरूप है। उस महान उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो? यह प्रधान प्रश्न प्रत्येक सभासद के सम्मुख रहना चाहिये।

हमारे इस विशाल देश में भिन्न भिन्न भाषायें बोली जाती हैं और सैकड़ों वर्षों से पृथग्भाव के संस्कारों में पले हुए लोग अपने अपने सङ्कुचित स्वार्थों की पूजा कर रहे हैं। ऐसे देश में एक राष्ट्र-भाषा का विचार फैलाने के लिए ज़बरदस्त शक्ति की ज़रूरत है। लोगों को पहले यह मालूम होना चाहिये कि एक लिपि तथा एक भाषा होने से उनको क्या लाभ होगा।

यह कार्य बिना उपदेश के नहीं हो सकता। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का प्रधान उद्देश्य प्रचार पर निर्भर है। उसके लिये योग्य उपदेशक दरकार हैं, जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूम कर राष्ट्रीय-जागृति उत्पन्न करें, ताकि सर्वसाधारण एक भाषा की महत्ता को समझें।

इसी कार्य की व्यवस्था के लिये उपदेशक-विभाग खोला गया है। परन्तु उपदेशक-विभाग को अपना कार्य आरम्भ करने के लिये पहले कुछ धन की आवश्यकता है। कम से कम इतना धन होना चाहिये, जिससे चार योग्य उपदेशक रक्खे जा सकें। जब एक बार कार्य चल निकलेगा तो फिर काफ़ी रुपया उपदेशकों द्वारा इस विभाग में आ जायेगा। एक उपदेशक पचास रुपये मासिक पर, एक चालीस, एक तीस और एक बीस रुपये पर रखा जाना चाहिये। उनका मार्ग व्यय आदि मिला कर ढाई हज़ार रुपये साल का खर्च है।

यह रुपया कहाँ से आवेगा? मेरे विचार में इसके लिए एक जुदा फण्ड "हिन्दी-प्रचार-फण्ड" अथवा कोई और नाम रख कर खोलना उचित है। उस फण्ड का रुपया सङ्ग्रह करने के लिए चार आना रसीद बुक छपवानी चाहिये। जहाँ जहाँ हिन्दी-प्रेमी हैं, उनके पास दो दो चार चार कापियाँ भेज देने से शीघ्र रुपया इकट्ठा हो सकेगा। नागरी-प्रचारिणी सभाओं के पास भी ऐसी कापियाँ भेज देने से बहुत सा रुपया सङ्ग्रह हो जायगा। जब रुपया हो जावे तो उपदेशकों के लिये विज्ञापन दिया जाय। काफ़ी वेतन दिये बिना अच्छे उपदेशक मिल नहीं सकते और सम्मेलन के पास इस फण्ड के लिए रुपया नहीं है।

ऐसी अवस्था में स्थायी-समिति के सदस्यों के इस महत्त्व-पूर्ण विषय पर अच्छी प्रकार विचार कर धनाभाव की त्रुटि का उपाय सोच इस विभाग की मशीन को दृढ़ करना चाहिये। क्योंकि इसकी पूर्ति हुये बिना सम्मेलन-संस्था विशेष लाभकारी नहीं हो सकती, और नहीं इसके लिए करने वाले तैयार हा सकते हैं।

विहार और उड़ीसा गज़ेट ता० ७ जून १९१६ नं० १११६ जे०

बिहार और उड़ीसा की गवर्मेण्ट

जुडिशल डिपार्टमेण्ट

प्रस्ताव

रांँची, ता० ५ जून १९१६

नागरी-प्रचारिणी-सभा के सहकारी मन्त्री का ता० ४ अगस्त सन् १९११४ का मेमोरियल नम्बर ५५१ पढ़ा गया।

उड़ीसा को छोड़ कर डिविज़नो के कमिश्नरों, कटक के डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ कर अन्य डिस्ट्रिक्ट जजों, बोर्ड आफ रेवेन्यू, डाइरेक्टर आफ़ लेण्ड रेकार्डस् अवसर्वेज़ और इन्सपेक्टर जनरल आफ़ पोलीस की रिपोर्टें पढ़ी गयीं।

इस विषय पर और भी पिछले कागज़ पत्र पढ़े गये।

अगस्त सन् १९१४ में आरा की नागरी-प्रचारिणी-सभा ने प्रान्तीय-सरकार को इस आशय का एक मेमोरियल भेजा कि सरकारी कचहरियों में रक्खे जाने वाले या कचहरियों में वादी-प्रतिवादियों द्वारा पेश किये जाने वाले सम्पूर्ण कागज़-पत्रों, सरकारी दस्तावेज़ों, रिकार्डों और रजिस्टरों में कैथी के स्थान पर देवनागरी अक्षर लिखे जाया करें।

लेफ़्टिनेएट गवर्नर साहिब इन कौन्सिल, इन प्रस्तावों को पूर्णतया स्वीकार करने में असमर्थ हैं, परन्तु जिन जिन अफ़सरों से इस विषय में राय ली गयी है उनमें अधिकांश की राय से सहमत

होते हुए, उन्हें सन्तोष है कि भिन्न भिन्न अदालतों और सरकार के कार्यालयों से निकलने वाले या वहाँ उपयोग किये जाने वाले रजिस्टरों, फ़ार्मों या दूसरे छपे हुए दस्तावेज़ों के छपे हुए शीर्षकों में कैथी लिपि को काम में लाने की अब आवश्यकता नहीं है।

१—इस समय काम में लायी जाने वाली कैथी लिपि का आरम्भ लगभग तीस वर्ष हुए मिस्टर ग्रीयर्सन (जो कि अब सर जी० ए० ग्रीयर्सन हैं) द्वारा उस समय किया गया था, जब कि सरकारी कामों में उर्दू (Persian) लिपि का व्यवहार बन्द किया गया था और यह केवल इस अभिप्राय से किया गया था कि वह समय शीघ्र आ जावे जब कि विहार के पढ़े लिखे लोग देवनागरी लिपि को उपयोग में लाने के अभ्यस्त हो जावें। उस समय से शिक्षा-विभाग की पाठ्य-पुस्तकों में दोनों लिपियों का बराबर व्यवहार किया जा रहा है, परन्तु सन् १९१३ में बहुत ध्यान पूर्वक विचार किये जाने पर यह निश्चय किया गया कि उस समय तक जो थोड़ी बहुत भी पाठ्य-पुस्तकें कैथी अक्षरों में छपती थीं उन्हें भी अलग कर दिया जाय और भविष्य में केवल देवनागरी लिपि को ही व्यवहार में लाया जाय, क्योंकि हिन्दी पढ़े लिखे लोगों में इनको पढ़ लेने की योग्यता अब सर्वत्र बतलायी जाती है।

२—इन कारणों से लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर इन-कौन्सिल आज्ञा देते हैं कि फ़ार्म रजिस्टरों के शीर्षक और सरकारी पुस्तकें जो अब तक कैथी अक्षरों में छपती रही हैं, भविष्य में देवनागरी अक्षरों में छपा करें। यह समझा जाना चाहिये कि सब प्रकार की लिखी हुई दस्तावेजों में कैथी लिपि के व्यवहार में इससे किसी प्रकार का अन्तर न आवेगा, क्योंकि इन पर किसी प्रकार की रुकावट डालने की सरकार की अभी कुछ भी इच्छा नहीं है।

आज्ञा—आज्ञा दी जाती है कि पटना हाईकोर्ट के माननीय विचारपतियों, सेक्रेटेरियट के सम्पूर्ण विभागों, बोर्ड आफ़ रेवेन्यू, उड़ीसा को छोड़ कर डिविज़नों के सब कमिश्नरों, कटक के डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ कर सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट जजों और विभागों के प्रधानाध्यक्षों को इन आज्ञाओं की सूचना दी जाय।

—:o:—

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की षष्ठवर्ष की स्थायी-समिति का तृतीय अधिवेशन

मिति श्रावण कृष्ण ९ संवत् १९७३ रविवार ता० २३ जुलाई सन् १९१६ ई० को ४ बजे सन्ध्या समय सम्मेलन-कार्यालय में हुआ। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे—

पं० रामजीलाल शर्मा प्रयाग।
पं० नन्दकुमारदेव शर्मा, कलकत्ता।
प्रोफेसर रामदास गौड़ प्रयाग
पं० चन्द्रशेखर शास्त्री "
ठाकुर शिवकुमार सिंह "
प्रो० व्रजराज "
पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी "
पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल "
पं० लक्ष्मीनारायण नागर "
बा० नवाब बहादुर "
अधिकारी जगन्नाथ दास विशारद-भरतपुर।

सर्वसम्मति से पं रामजीलाल शर्मा ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

गत अधिवेशन की रिपोर्ट पढ़ी गयी और स्वीकृत हुई—

(१) आगामी सम्मेलन का समय नियत करने के विषय में निश्चय हुआ कि समय निश्चय का प्रश्न सम्प्रति एक महीनेके लगभग के लिये स्थगित रक्खा जाय।

(२) सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्वागतकारिणी-समिति की तैयार की हुई विषय-सूची पर विचार हुआ और सर्वसम्मति से निम्नलिखित विषय सूची स्थित हुई—

विषय-सूची

१—हिन्दी-भाषा की भाव-व्यञ्जकता बढ़ाने का उद्योग किस प्रकार करना चाहिये।

२—हिन्दी-ग्रन्थों में विराम चिन्हों पर विचार।

३—गत सात वर्षों में हिन्दी-साहित्य-संसार का सिंहावलोकन।

४—हिंन्दी-भाषा में नाटक-ग्रन्थ और वर्त्तमान नाटक-कम्पनियाँ।

५—हिन्दी-भाषा में उपन्यास।

६—हिन्दी-भाषा में स्त्रियों के योग्य साहित्य।

७—हिन्दी-भाषा में बालकों के योग्य साहित्य।

८—अन्य भाषा-भाषियों द्वारा की हुई हिन्दी की सेवा।

९—अङ्ग्रेजी-साहित्य का हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव।

१०—वर्तमान युग के हिन्दी-साहित्य का झुकाव।

११—हिन्दी में वीर साहित्य की आवश्यकता।

१२—मध्यप्रदेश की अदालतों में हिन्दी।

१३—नागपुर के विश्वविद्यालय में हिन्दी को स्थान मिलने की आवश्यकता।

१४—मध्यप्रदेश की भिन्न भिन्न बोलियाँ और हिन्दी।

१५—हिन्दी में कविता–आधुनिक और प्राचीन–दोनों के गुण दोष।

१६—मातृ-भाषा में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा।

१७—हिन्दी में विज्ञान-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द।

१८—राष्ट्र-भाषा और राष्ट्रलिपि के अधिक प्रचार का उपाय।

१९—हिन्दी में सामयिक-पत्रों की वर्तमान दशा और उनके अधिक लाभकारी बनने के उपाय।

२०—जैन लेखकों और कवियों द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवा।

२१—संयुक्त-प्रान्त की अदालतों में नागरी-प्रचार की अवस्था और उद्योग की आवश्यकता।

२२—हिन्दी और अङ्ग्रेजी बही खातों की परस्पर तुलना।

२३—ऐतिहासिक खोज द्वारा हिन्दी-साहित्य के इतिहास में परिवर्द्धन।

२४--राष्ट्र-भाषा के लिए राष्ट्रमिति।

२५—हिन्दी में संस्कृतादि अन्य भाषाओं के शब्दों के रूप कैसे हों ?

२६—देवनागरी लिपि में कुछ शब्द भिन्न भिन्न रूप से लिखे जाते हैं, उनके एक एक रूप निश्चय करने पर विचार।

उदाहरण—

गई	गए	हुआ	लिए	चाहिए	नए
गयी	गये	हुवा, हुया	लिये	चाहिये	नये

(३) लिङ्ग-निर्णय के विषय में निश्चय हुआ कि यह विषय स्थायी समिति के आगामी अधिवेशन में उपस्थित किया जाय।

(४) उपदेशक-विभाग की व्यवस्था पर विचार हुआ और निश्चय हुआ कि इसके लिए उपदेशक-विभाग के मन्त्री स्वामी सत्यदेव को धन्यवाद दिया जाय और व्यवस्था सम्मेलन-पत्रिका में प्रकाशित कर दी जाय।

(५) आरायज नवीसी की परीक्षा के विषय में विचार हुआ और प्रो० रामदास गौड़ के प्रस्ताव करने पर निश्चय हुआ कि आरायज नवीसी-परीक्षा ली जाया करे और इसके प्रबन्ध के लिये पं० राजमणि त्रिपाठी द्वारा लिखित व्यवस्था परीक्षा-समिति के पास भेज दी जाय।

(६) स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का त्याग-पत्र उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। स्वामी सत्यदेव के स्थान में पञ्जाब से हिन्दू कालेज के महामहोपाध्याय पं० हरनारायण शास्त्री विद्यासागर स्थायी-समिति के सदस्य निर्वाचित हुए। सभापति को धन्यवाद देकर अधिवेशन समाप्त हुआ।

———

प्रेमभवन का वार्षिकोत्सव

श्रावण कृष्ण ३० रविवार सं० १६७३ को सन्ध्या समय रानी गोमती बीबी की धर्मशाला-मुट्ठीगञ्ज, प्रयाग में श्रीमान रा० ब० श्रीशचन्द्र वसु रिटायर्ड जज और स्थानीय पाणिनीय आफिस के सर्वस्व के सभापतित्व में प्रेमभवन-पुस्तकालय का वार्षिकोत्सव खूब धूमधाम से हो गया। सभा में अन्य सभाओं के समान ही सब कार्य हुये, किन्तु उल्लेख योग्य बातें दो थीं। एक तो पं० रामजीलाल शर्मा जी का व्याख्यान और दूसरी स्वयं सभापतिजी की आलोचना। शर्मा जी ने अपने व्याख्यान में युक्ति-प्रमाण से यह सिद्ध किया था कि हमारे सुधारक लोगों की बातें और उनके आन्दोलन पूर्णतः सफल इसलिये नहीं होते कि वे अपने ग्रामीण देशभाइयों की भाषा में अथवा यों कहें कि अपनी मातृ-भाषा हिन्दी में अपनी बातें, अपने अभिप्राय एवं अपने उपदेश प्रकट नहीं कर सकते और पहिले तो अङ्ग्रेजी में काम होता है जिससे देश के अधिकांश लोग अनभिज्ञ होते हैं और यदि वर्नाक्यूलर भाषा में भी काम हुआ तो अरबी और फारसी मिश्रित ऐसी उर्दू भाषा में होगा कि जिसे पढ़े लिखे भी ग्रामीण भली भांति से न समझ सकेंगे इत्यादि। शर्मा जी के मधुर और ओजस्वी व्याख्यान से श्रोतागण मुग्ध हो गये थे। अन्त में सभापति का भाषण प्रारम्भ हुआ, आपने शर्मा जी की बातों की आलोचना प्रारम्भ की। आपने कहा कि हिंदी-भाषा कौन सी है ? (याने कोई नहीं है) वैदिककाल की संस्कृत, बौद्धकाल की पाली, जैनकाल की प्राकृत अथवा आजकल की मिली घुली भाषा हम किसको हिन्दी कहें ? क्योंकि ये सभी भाषाएँ अपने अपने समय में देश में बोली गयीं और बोली जाती हैं। जिस प्रकार हिन्दू शब्द अफ्रीका और अमेरिका में हिन्दुस्तानियों के अर्थ में लिया जाता है। हमको उसी प्रकार ईसाई, मुसलमान और हिन्दू सभी को हिन्दू कहना चाहिये और तामिल, तेलगू, अङ्ग्रेजी, अरबी, फारसी आदि सभी भाषा के शब्दों को जो हिन्दुस्तान में बोले जायँ, हिन्दी-भाषा के मानने चाहियें; क्योंकि इस पुस्तकालय का नाम प्रेमभवन है, हमें प्रेम से सब को मिलाना चाहिये। प्रेम के

माने मिलाने के हैं और ज्ञान के माने बिलगाने के। आपने यह भी कहा कि केवल देव-नागराक्षर की पुस्तक या हिन्दी-भाषा की पुस्तक रखना ठीक नहीं, हमें सब को मिलाना चाहिये। देश के सभी भाई हिन्दू हैं, चाहे वे ईसाई हों या मुसलमान; इसी प्रकार देश में बोली जाने वाली सभी भाषाएँ हिन्दी हैं। इतना ही नहीं, आपने यह भी कहा कि हमारे मनु जी ने लिखा है कि वेदों का लिखना पाप है। अतएव हमारे यहाँ पूर्वकाल में पुस्तकें न लिखी जाती थीं और न पुस्तकालय ही थे। हमारे यहाँ सब विद्याएँ कण्ठस्थ रहती थीं जिन्हें हम मौखिक लाइब्रेरी कह सकते हैं। अतएव 'यह कहना झूठ है कि हमारी लाइब्रेरियाँ और वेदादि की पुस्तकें जलाई व नष्ट की गयी हैं। अब तक तो किसी ने नष्ट नहीं किया; हाँ, अब इसलिये नष्ट होने का भय है कि पुस्तकें छापा होने के कारण अब मौखिक न रह कर पुस्तकालयों में आ गयी हैं। इत्यादि इत्यादि।

सभापति जी के व्याख्यान और विलक्षण आलोचना से श्रोता-गण में हलचल सी मच गयी। अनेक लोग कहने लगे कि जिसे हिन्दी और हिन्दू शब्द का वास्तविक ज्ञान नहीं, उसे सभापति बनाना ठीक नहीं था। भवन के एक पदाधिकारी ने कहा कि यदि हमें यह मालूम होता कि वसु बाबू पूरे बङ्गाली ही हैं, आपको मातृ-भाषा हिन्दी और हिन्दू जाति की परिभाषा ज्ञात नहीं, तो हम किसी वक्ता के द्वारा इसकी परिभाषा प्रथम ही कहला देते। कुछ भी हो, इस घटना से हमें दो बातों की शिक्षा मिलती है—एक तो यह कि आप अपने पाणिनीय आफिस से हमारे संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद करके, पाश्चात्य देशों में संस्कृत विद्या का जो महत्व दिखलाते होंगे उनमें भी अवश्य ही आपके ये उदार सिद्धान्त रहते होंगे जिनको मानने के लिये हमारे देश के विद्वान प्रस्तुत नहीं हैं। अतएव इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये कि आपने अपने आफिस से कम से कम हिन्दू और हिन्दी के विषय में क्या क्या सिद्धान्त निकाले हैं। दूसरे यह कि जिसके सिद्धान्त हमें विदित न हों उसको अपनी संस्था का सभापति बना देना इसी प्रकार का शोचनीय कार्य होता है। अतएव सभापति बनाने के प्रथम हमको

उसके सिद्धान्तों का भी ज्ञान होना चाहिये। हाँ, यह भी ठीक है कि हमें अपने सिद्धान्त के विरुद्धवाली संस्था का सभापति होना भी उचित नहीं, क्योंकि ऐसा करने से प्रेमभवन की सी घटना हो जाती है। शुभम्

समालोचना

(ले० पं० रामकृष्ण सारस्वत स० मन्त्री)

दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास

लेखक वीर सत्याग्रही श्रीयुत भवानीदयालु, प्रकाशक श्रीयुत द्वारिकाप्रसाद "सेवक" अध्यक्ष सरस्वती-सदन केम्प इन्दौर। मूल्य १॥) प्रकाशक से प्राप्य—

विदेश में मातृ-भूमि की लाज रखने के लिए, दक्षिण आफ्रिका की सरकार को न्याय का पाठ पढ़ाने के लिए, अपने मनुष्योचित अधिकार और स्वत्वों को प्राप्त करने के लिए एवं संसार के परदे से अन्याय को दूर करने के लिए दक्षिण आफ्रिका प्रवासी भारतीय वीरों ने, कोमलाङ्गी भारत महिलाओं ने, छोटे छोटे बालकों ने बड़े से बड़े शारीरिक कष्टों की परवाह न करके जिस पवित्र सङ्ग्राम में भाग लिया था, उसका पूरा हाल जानने की किस भारतीय की इच्छा न होगी। बस, इस पुस्तक में भारतीयों की इसी पवित्र लड़ाई का वर्णन है। हमने इस पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ा। वास्तव में पुस्तक भारतीयों के बड़े काम की है। प्रत्येक भारत-वासी का कर्तव्य है कि भारतीय-गौरव के इस अपूर्व इतिहास को अवश्य पढ़े। इस पुस्तक के पढ़ने से, पुस्तक के लेखक के शब्दों में आप भारतीयों की वीरता, कर्मनिष्ठा, स्वार्थ-त्याग और देश-प्रेम को पढ़ कर आनन्द से उछल पड़ेंगे, आप को स्मरण हो जायगा कि भारतीयों के शरीर में अभी राम और कृष्ण का रक्त विद्यमान है। कहीं कहीं भारतीयों के ऊपर गोलियों की सनसनाहट, तीरों के आघात और कोड़ों की मार देख कर आप का कलेजा दहल

उठेगा और रोमाञ्च हो उठेगा। भारतीयों के ऊपर कष्ट आपत्तियों और कठिनाइयों की भरमार देख कर आपकी आँखो से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगेगी। औपनिवेशिक गोरों की अत्याचार प्रियता से आपकी आँखें क्रोध से लाल हो जाँयगी और सहसा आपके मुख से अत्याचारियों के प्रति "धिक्कार" शब्द निकलने लगेंगे एवं भारतीयों की सहनशीलता और कष्ट सहिष्णुता से आपका कोमल हृदय द्रवीभूत हो जायगा। इस पवित्र सङ्ग्राम में भाग लेने वाले वीर वीराङ्गनाओं के वृत्तान्त दिये रहने के कारण यह पुस्तक अद्वितीय हो गई है।

—:o:—

सम्मेलन और उसकी सम्बद्ध सभाएँ

सम्मेलन के नियम ३।३ में लिखा है कि "हिन्दी और नागरी का उद्देश्य रखने वाली वे सभाएँ जो अपने नियमों के अनुसार स्वीकृत प्रस्ताव और निम्न लिखित पत्र द्वारा अपना सम्मेलन से सम्बन्ध करें और ५) पत्र के साथ भेजें:—

"श्रीयुत मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, सम्मिति

महाशय,

मेरी सभा ने मिति ·· ··· ··· को अपने नियमों के अनुसार निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है—

'यह सभा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों से पूर्ण सहानुभूति रखती है और अपना हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से सम्बन्ध किया चाहती है।

सभा सम्मेलन के नियमों को स्वीकार करती है और यथा-शक्ति सम्मेलन के उद्देश्यों का पालन करेगी।'

सभा की ओर से मैं सम्मेलन की नियमित फीस ५) भेजता हूं" वे सभायें सम्मेलन के अङ्ग होंगी।

उपयुक्त नियम के अनुसार अब तक निम्नलिखित सभाएँ सम्बद्ध हुई हैं और दिनो दिन इनकी सङ्ख्या बढ़ती जाती है।

(१) हिन्दी साहित्य परिषद्—कलकत्ता (बङ्गाल)
(२) नागरी-प्रचारिणी-सभा—ब्यावर (राजपूताना)
(३) नागरी-प्रचारिणी-सभा—अमृतसर (पञ्जाब)
(४) नागरी-प्रचारिणी-सभा—काशी (संयुक्त प्रान्त)
(५) नागरी-प्रचारिणी-सभा—बुलन्दशहर (सं० प्रां०)
(६) नागरी-प्रचारिणी-सभा—आगरा (सं० प्रां०)
(७) नागरी-प्रवर्द्धिनी-सभा—प्रयाग (सं० प्रां०)
(८) नागरी-प्रचारिणी सभा—गोरखपुर (सं० प्रां०)
(९) देवनागरी-प्रचारिणी-सभा—लाहौर (पञ्जाब)
(१०) हिन्दी-प्रचारिणी-सभा—मुरादाबाद (सं० प्रां०)
(११) नागरी-प्रचारिणी-सभा—लखीमपुर खीरी (सं० प्रां०)
(१२) हिन्दी-सभा—भागलपुर (विहार)
(१३) छात्रोपकारिणी सभा—लेहरिया सराय, दरभङ्गा (विहार)
(१४) नागरी प्रचारिणी-सभा—हाथरस (सं० प्रां०)
(१५) हिन्दी-हितैषिणी-सभा—धेनुगाँव, बलवा-बस्ती (सं० प्रां०)
(१६) हिन्दीभाषा-प्रचारिणी-सभा—लेहरिया सरायँ, दरभङ्गा (विहार)
(१७) हिन्दी-साहित्य-सभा—चौक, लखनऊ (सं० प्रां०)
(१८) विद्या-प्रचारिणी-सभा—चित्तौरगढ़, मेवाड़ (राजपूताना)
(१९) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन—कोटा (राजपूताना)
(२०) हिन्दी-प्रवर्द्धिनी-सभा—शाहजहाँपुर (सं० प्रां०)
(२१) हिन्दी-सम्मेलन-सभा—बाँदा (सं० प्रां०)
(२२) नागरी-प्रचारिणी-सभा—४० १/२ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता (बङ्गाल)
(२३) प्रान्तीय-कान्फ्रेंस-सभा—गोरखपुर (सं० प्रां०)
(२४) नागरी-प्रचारिणी-सभा—देवरिया, गोरखपुर (सं० प्रां०)
(२५) मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समिति—इन्दौर (मध्यभारत)
(२६) हिन्दी-हितैषिणी-सभा—लालगञ्ज, मुजफ़्फ़रपुर (विहार प्रां०)
(२७) नागरी-प्रचारिणी-सभा—रायबरेली (सं० प्रां०)

ऊपर की नामावली के देखने से विदित होता है कि संयुक्त-प्रान्त के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों की केवल १२ सभायें सम्मेलन से सम्बद्ध हैं—बिहार की ४, राजपूताना और मध्य भारत की ४, पञ्जाब की २ और बङ्गाल की २। हमारे सम्मेलन में जिन जिन प्रान्तों से प्रतिनिधि लिये जाते हैं उनके नाम ये हैं—

"संयुक्तप्रान्त, बिहार और उड़ीसा, मध्यप्रदेश और बरार, राजपूताना और मध्यभारत, बङ्गाल, दिल्ली-पञ्जाब और पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश, बम्बई और मद्रास।"

विचार करने की बात है कि जिन प्रान्तों में हमारे सम्मेलन के सभासद विद्यमान हैं उन ८ प्रान्तों में से केवल ५ प्रान्त की सभायें सम्बद्ध हैं वे भी नाम मात्र की और शेष ३ प्रान्तों की चर्चा ही नहीं है। यद्यपि देखने के लिये संयुक्त-प्रान्त में १५ सम्बद्ध सभायें हैं तथापि उनकी ओर दृष्टि रख कर सन्तोष नहीं होता क्योंकि जिस प्रान्त में आधे सैकड़ा के लगभग जिले हैं और समस्त प्रान्त एक मात्र हिन्दी-भाषा-भाषी और ८५ प्रतिशत हिन्दुओं का निवास है वहाँ के केवल १३ ज़िलों में १५ सभाओं का सम्बद्ध होना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। कदाचित् कोई यह कहे कि जिन प्रान्तों तथा जिलों में सभायें हैं ही नहीं उन प्रान्तों में सम्बद्ध सभायें कहाँ से आवें ? सो बात नहीं है, देश में ऐसी सैकड़ों सभायें इस समय भी विद्यमान हैं कि जो सम्मेलन से सम्बद्ध नहीं हैं, उदाहरण स्वरूप हम प्रयाग, इटावा, गाजीपुर, बाँदा, देहरादून, जबलपुर, बदायूँ आदि जिलों की 'हिन्दी उपकारिणी, नागरी प्रचारिणी, हिन्दी प्रचारिणी और हितकारिणी सभाओं के नाम ले सकते हैं। ऐसी दशा में हमको

क्या करना चाहिए ?

यह बात विचारने योग्य है। लोग कह सकते हैं कि मद्रास जैसे हिन्दी से अपरिचित प्रान्त में हिन्दी-सभायें कहाँ होंगी और मूल ही नहीं तो शाखा कहाँ से आवेगी परन्तु यह बात ठीक नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे भारतीय भाइयों ने दक्षिणी अफ्रीका में भी हिन्दी सभाओं और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना की है। इस समय वहाँ हिन्दी की ७ सभायें हैं और उनका सञ्चालक

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, हमारे ही सम्मेलन के उद्देश्यों को आदर्श मान कर काम कर रहा है। तब क्या मद्रास जैसे प्रान्तों में हिन्दी बोलने वाले मनुष्यों का सर्वतोभाव से अभाव ही है? कदापि नहीं, अतएव इस समय हमें दो बातें करनी चाहियें, एक तो यह कि उपदेशक भेज भेज कर कम से कम भारत के समस्त प्रदेशों और उसके समीपवर्ती नैपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्याम, सुमात्रा, कोचीन, गोवा, डैमिन, ड्यू आदि भिन्न भिन्न छोटे छोटे राज्यों में उन भारतीय भाइयों की जो वहाँ रहते हैं परन्तु उनकी मातृभाषा हिन्दी है और सरलता से वे हिन्दी पढ़ और समझ सकते हैं सभायें स्थापित करावें, जिनके उद्देश्य हिन्दी भाषा और देवनागरी अक्षरों के प्रचार का हो और साथ ही उनको और जो प्रथम से स्थापित हों उन सब सभाओं को सम्मेलन से सम्बद्ध कराते जावें। इतना ही नहीं हमको उन सभाओं की सहायता से उन उन प्रान्तों राज्यों और स्थानों में जहाँ हिन्दी भाषा का बहुत कम प्रचार हो अपने हिन्दी-भाषा भाषी भाइयों की सुविधा के लिए पुस्तकालय पाठशाला आदि खुलवाने का प्रबन्ध भी करना चाहिये। जैसा कि दक्षिणीय अफ्रीका में हमारे भाइयों ने कर रक्खा है। यह समाचार पढ़ कर हमको हर्ष हुआ है कि पं० रामगोविन्द पाण्डेय के सभापतित्व और पं० भगवानदीन दुबे के मन्त्रित्व में एक हिन्दी पुस्तकालय रङ्गून में खोला गया है। इसी प्रकार सर्वत्र सभा और पुस्तकालय एवं पाठशालाओं के खोलने की आवश्यकता है।

सम्बद्ध सभाओं के लाभ

हिन्दी-भाषा और देवनागरीलिपि के प्रचार का उद्देश्य रख कर जो सभायें स्थापित हैं उनको सम्मेलन से सम्बन्ध कराने से क्या लाभ है? इस विषय के बतलाने की कदाचित् आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस प्रकार प्रान्तीय और जिला की राष्ट्रीय सभायें (कान्फ्रेंसें) अपने देश की राष्ट्रीय महासभा (काङ्ग्रेस) के अधीन होकर (उनके अङ्ग रूप से) काम करने में अपना लाभ समझती हैं और उन को जैसा लाभ होता है और हो सकता है वैसा ही लाभ हमारी राष्ट्र-भाषा की सभाओं को अपने भारतीय राष्ट्रभाषा-साहित्य-सम्मेलन के अधीन और उसके अङ्ग रूप से रह कर काम करने में होना सम्भव

है। किन किन विषयों में स्थानीय सभायें स्वतन्त्र और किन किन विषयों में सम्मेलन के अधीन रहेंगी अर्थात्-सम्मेलन का शासन मानेंगी इस विषय में अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है जो होना आवश्यक है। एक विशेष लाभ यह है कि हमारे सम्मेलन का २७ वाँ नियम इस प्रकार है—"प्रत्येक अधिवेशन के व्यय के बाद जो कुछ सम्पत्ति बचे उसके सम्बन्ध में स्वागतकारिणी-सभा का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कुल बची हुई सम्पत्ति में से आधा आगामी अधिवेशन होने के कम से कम एक मास पहिले स्थायीसमिति को सौंप दे और आधे के सम्बन्ध में सभा (स्वा० का० सभा) को अधिकार होगा कि वह किसी स्थानीयसम्बद्ध-सभा को दे दे। यदि वहाँ कोई स्थानीय सम्बद्ध सभा न हो तो कुल धन स्थायीसमिति को सौंपना होगा।"

उदाहरणार्थ हम जबलपुर ही को लेते हैं। वहाँ अब तक कोई भी सभा, सम्बद्ध नहीं है और सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन वहीं होने वाला है। अवश्य ही स्वा० का० सभा के पास की बची हुई सम्पत्ति का कोई भी भाग वहाँ की सभाओं को नहीं दिया जा सकेगा। यदि आज वहाँ की कोई सभा सम्मेलन से सम्बद्ध होती अथवा अब हो जाय तो उसको बची हुई सम्पत्ति का आधा भाग उसे मिल सकता है। हमें खेद है कि हिन्दी-प्रधान मध्यप्रदेश में आज तक कोई सभा सम्मेलन से सम्बद्ध नहीं है जबकि पञ्जाब और बङ्गाल तक की सभायें सम्बद्ध हैं! इस ओर मध्यप्रान्त निवासी हिन्दी हितैषियों को ध्यान देना चाहिये।

सम्बद्ध सभाओं के कर्त्तव्य

सम्मेलन से सम्बद्ध कराना कोई नेग नहीं है। सम्बद्ध-सभाओं को चाहिये कि वे सम्मेलन के कार्यों में सहायता दें और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न करें। अपने प्रान्त में हिन्दी भाषा और नागरीलिपि के प्रचार के उपाय सोचें और उसके लिये सम्मेलन को सम्मति दें अथवा सम्मेलन की सम्मति से स्वयं कोई कार्य करें। अपने यहाँ की अदालतों में हिन्दी-भाषा और नागराक्षर के कागजों को दाखिल कराने के लिये लेखकों की नियुक्ति करें यदि उसमें आवश्यकता हो तो

सम्मेलन से आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना करें। सम्मेलन के पैसाफण्ड और स्थायी कोष की वृद्धि में सहायता दें। हिन्दी पुस्तकालय और पाठशालाओं की स्थापना करें और वार्षिक अधिवेशन के समय सम्मेलन में अपने अपने प्रतिनिधि भेजें। सारांश यह कि चुपचाप सम्बद्ध होकर बैठी न रहें लगातार काम करें और सम्मेलन को खोद खोद कर उससे काम करावें।

सम्मेलन के कर्त्तव्य

अब तक सम्मेलन ने अपनी सम्बद्ध-सभाओं द्वारा क्या क्या किया है—विदित नहीं किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अपने कर्तव्यों का उसने पूरा पूरा पालन नहीं किया है। सम्मेलन के मन्त्रि मण्डल में एक मन्त्री के अधीन केवल यही कार्य रहना चाहिये कि वह अपनी सम्बद्ध-सभाओं की देख रेख करें। नवीन सभाओं के खुलवाने का प्रबन्ध करें और जो सभायें सम्बद्ध नहीं हैं उनको सम्बद्ध करावें, उनकी कार्यवाही—वार्षिक विवरण आदि मँगावें और अपनी पत्रिका में उन्हें प्रकाश करें। उनके प्रस्तावों को सम्मेलन में उपस्थित करें और उनके लिये सम्मेलन की सम्मतियाँ समय समय पर भेजें। उनको आर्थिक सहायता दिलाने के लिये सम्मेलन में प्रस्तावक करें और उनसे सम्मेलन के व्ययार्थ आर्थिक सहायता के लिये कहें। उनको अपने उद्देश्यों पर लावें और उनके द्वारा सम्मेलन के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करने का उद्योग करें। जब तक ऐसा कोई मन्त्री नियुक्त न हो तब तक सम्मेलन की स्थायीसमिति ही को चाहिये कि उपर्युक्त कार्यों की ओर ध्यान दे। ऐसा करने से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

विशेष कर्त्तव्य

सम्मेलन को चाहिये कि जिस प्रकार वह भारत के ८ प्रदेशों से स्थायीसमिति का निर्वाचन करता है उसी प्रकार बड़े बड़े देशी राज्यों तथा पूर्वोक्त नैपाल आदि भिन्न भिन्न राज्यों से भी स्थायीसमिति के सभ्य चुनने का नियम बनावे। इतना ही नहीं जिन जिन प्रदेशों, देशी राज्यों अथवा भिन्न राज्यों से स्थायीसमिति चुने शनैः शनैः उन समस्त स्थानों में प्रान्तीय-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना

करें। जिस प्रकार के प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन इस समय हो रहे हैं इनसे हम सहमत नहीं हैं। प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन प्रधान सम्मेलन के ही समान स्थायी और काम करने वाले हों और उनकी स्थायी-समिति भी रहे। प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलनों की स्थायी-समिति में वे भी सभ्य रहें कि जो उस प्रान्त की ओर से प्रधान साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति के सभ्य हों और वे प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन अपने प्रान्त की सभाओं के प्रतिनिधि बनें तथा स्वयमेव अपना प्रतिनिधि, प्रधान साहित्य-सम्मेलन को मानें। उनका धन प्रधान सम्मेलन का धन हो और प्रधान सम्मेलन का धन उनका धन। सारांश यह कि दोनों अङ्गाङ्गीरूप से काम करें। ऐसा करने से बहुत बड़े काम हो सकते हैं। यद्यपि मेरे इस प्रस्ताव को लोग बहुत ही बड़ा काम समझेंगे और कहेंगे कि इतना बड़ा काम करना सरल नहीं तथापि मैं निश्चय करके कहता हूं कि इन कार्यों के लिये केवल एक स्वार्थत्यागी प्राणी की आवश्यकता है। यदि एक योग्य व्यक्ति अपना सर्वस्व त्याग कर इस कार्य को अपने हाथ में ले तो बड़ी शीघ्रता से इसके हो जाने में कोई सन्देह नहीं। क्या हमारी हिन्दी माता का एक भी सुपूत ऐसा न मिलेगा? हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कार्यों में अनेक विद्वान अपना जीवन समर्पण कर चुके हैं और करते जा रहे हैं फिर क्या राष्ट्रीय जीवन का जीवन इस राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के लिये उनमें से कोई एक भी माई का लाल अपना जीवन समर्पण न करेगा? अवश्य ही करेगा, अतएव सम्मेलन को इस बात के लिये नोटिस निकाल देनी चाहिये कि हमको राष्ट्र जीवन के लिये उसकी भाषा और लिपि का प्रचार करना आवश्यक है इस कार्य को सम्मेलन ने सात वर्षों से ले रक्खा है किन्तु अब समय आ गया है कि इसके लिये विशेष आन्दोलन किया जाय और उसके लिये स्वार्थत्यागी विद्वानों की आवश्यकता है जो अपना सम्पूर्ण अथवा जीवन का कुछ अंश दे सकें जो ऐसा करना चाहें वे सम्मेलन के मन्त्री से लिखा पढ़ी करें। मेरा तो विश्वास है कि ऐसा करने से हमें ऐसे भ्रातृ-रत्न अनेक मिल जायँगे और शीघ्र ही सम्मेलन अपने मनोर्थों में कृतकार्य हो जायगा। शुभम्

हिन्दी-ग्रन्थों की प्रदर्शिनी

हिन्दी-साहित्य की उन्नति को हृदय से चाहने वाले सज्जनों के लिये यह शुभ सम्वाद है कि जबलपुर के हिन्दी-साहित्यानुरागी सज्जनों ने आगामी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के समय जबलपुर में हिन्दी के मुद्रित और हस्तलिखित ग्रन्थों की एक प्रदर्शिनी खोलना निश्चित किया है। प्रदर्शिनी से होने वाले लाभों को समझाने के लिये अब बड़े बड़े ग्रन्थ और लेख लिखने की तादृश आवश्यकता नहीं बोध होती। अभी कुछ वर्षों के पूर्व हमारी सरकार ने नागपुर और प्रयाग में जो प्रदर्शनियाँ की थीं उनको देखने का सौभाग्य जिन वस्त्वर्थज्ञानी सज्जनों को हुआ होगा वे प्रदर्शनी के लाभ से भली भाँति परिचित हो गये होंगे। प्रदर्शनी से बड़ा भारी लाभ यह होता है कि उसके दर्शक को अपनी अभीष्ट एवम् आदेय वस्तु का ज्ञान तथा लाभ बहुत ही सरलता और सुगमता पूर्व्वक हो जाता है। हिन्दीसाहित्य-विषयक ग्रन्थों के इसी ज्ञान-लाभ को प्रत्येक हिन्दी साहित्यानुरागी सज्जन के दृष्टि प्रदेश में उपस्थापित करने के अभिप्राय से जबलपुर निवासी हिन्दी-साहित्य-सेवकों ने प्रदर्शनी खोलने का विचार किया है। इस कार्य को सफलता प्राप्त करना प्रत्येक हिन्दी-साहित्य-सेवी का परम पुनीत एवं पवित्र पुण्यकर्म है।

आशा की जाती है कि इस प्रदर्शनी की सहायता से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले नेता और नायक लोगों को उन ग्रन्थों का ज्ञान हो जायगा जिनके द्वारा इस समय हिन्दी में उच्च कोटि की शिक्षा दी जा सकती है। साथ ही यह भी ज्ञात हो जायगा कि हिन्दी भाषा के साहित्य के अङ्ग प्रत्यङ्ग को परिपुष्ट करने के लिये किन किन विषयों पर ग्रन्थ प्रस्तुत हैं और किन किन विषयों पर ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं हैं।

इस महत् कार्य्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण करने की इच्छा रखते हुए हम हिन्दी के समस्त ग्रन्थ लेखकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं से प्रार्थना करते हैं कि वे लोग अपनी तथा अपने यहाँ की कविता, निबन्ध, उपन्यास, नाटक, इतिहास, पदार्थ विज्ञान, दर्शन, भाषा-विज्ञान, कृषिविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, समाज

शास्त्र, रसायन-शास्त्र, भूगोल, खगोल, सम्पत्ति-शास्त्र, पुराण-साहित्य, बालोपयोगी साहित्य, पाठशालोपयोगी पुस्तकें, स्त्रीजनोपयोगी साहित्य और कोषादि-विषयक मुद्रित ग्रन्थों की एक एक प्रति स्वागतकारिणी-समिति के मन्त्री श्रीयुत पं० दयाशङ्कर जी झा, बी० एस० सी०, एल० एल० बी०, वकील, जबलपुर के पास पेड पारसल द्वारा भेजने की कृपा करें। ग्रन्थों के साथ उनकी निम्न-लिखित प्रकार की सूची भी भेजनी चाहिये।

अनुक्रम-सङ्ख्या	ग्रन्थका नाम	ग्रन्थकर्त्ता का नाम और पूरा पता	ग्रन्थ का विषय	ग्रन्थ का मूल्य	ग्रन्थ मिलने का पूरा पता	ग्रन्थ के कितने संस्करण हुए	विशेष विवरण

हिन्दीके ग्रन्थ-विक्रेतागणों से भी प्रर्थना है कि वे लोग अपने यहाँ की सब प्रकार की और सब काल की मुद्रित पुस्तकें लेकर प्रदर्शिनी के समय जबलपुर आवें। यहाँ उनके दुकान रखने आदि का समयानुसार प्रबन्ध-सूचना मिलने पर सम्मेलन की ओर से कर दिया जायगा। ग्रन्थ-विक्रेतागणों को अपने आने की सूचना स्वागतकारिणी-समिति के मन्त्री को एक मास पूर्व दे देनी होगी।

जिन सज्जनों के पास प्राचीन तथा अर्वाचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हों उनसे भी सानुरोध, किन्तु विनयान्वित प्रार्थना है कि वे लोग उन्हें रजिस्ट्री-द्वारा स्वागतकारिणी-समिति के उक्त मन्त्री महाशय के पास भेजने की दया करें। ग्रन्थों के साथ उनकी एक सूची उक्त प्रकार के नमूने में उचित हेर फेर कर भेजें। उनके ग्रन्थ यहाँ उचित सावधानी के साथ रखे और प्रदर्शित किये जाँयगे। प्रदर्शिनी का कार्य्य पूरा हो जाने पर वे उनके पास प्रदर्शिनी के परिणाम की सूचना के साथ धन्यवाद पूर्वक लौटा दिये जायगे।

प्रदर्शिनी में ये आये हुए ग्रन्थों में से प्रदर्शिनी में रखने योग्य ग्रन्थों का चुनाव प्रदर्शिनी-समिति-और संयोजक करेंगे। जो मुद्रित और हस्तलिखित ग्रन्थ, प्रदर्शित किये जायँगे उनकी एक सूची पूर्ण विवरण के साथ सम्मेलन-द्वारा प्रकाशित की जायगी; जिसकी

सहायता से प्रत्येक मनुष्य अपने अभीष्ट ग्रन्थ की प्राप्ति-स्थान और मूल्य का ज्ञान बहुत सरलता से प्राप्त कर सकेगा। इसके सिवाय ग्रन्थों के प्रचार में भी इस सूची से विशेष सहायता मिलेगी।

मुद्रित ग्रन्थोंके जो प्रेषकगण अपने ग्रन्थों को प्रदर्शिनी के पश्चात् जबलपुरके सम्मेलन-पुस्तकालय को भेंट में देने की उदारता प्रकट करेंगे, उनके ग्रन्थ सहर्ष ससाधुवाद स्वीकृत कर लिये जायँगे और जो सज्जन अपने मुद्रित ग्रन्थ लौटा लेना चाहेंगे, उनके ग्रन्थ उनके व्यय भेज देने पर धन्यवाद पूर्वक लौटा दिये जायँगे। जिन सज्जनों के ग्रन्थ प्रदर्शिनी में स्थान नहीं पा सकेंगे, उनके ग्रन्थ भी उनके व्यय भेजने पर धन्यवाद पूर्वक लौटा दिये जायँगे।

प्रदर्शिनी के बिषय में जिन महाशयों को और जो कुछ पूछताछ करनी हो उसे वे हमसे पत्र-द्वारा कर सकते हैं।

—:o:—

साहित्य-सम्बन्धी अभियोग

हमारे प्रायः सभी पाठक जानते हैं कि स्वामी नाभाजी के दो सौ चौदह मूल छन्दों तथा श्रीप्रियादासजी के ६२६ छः सौ उन्तीस कवित्तों में जो "श्रीभक्तनाम माला" अर्थात् भक्तमाल प्रसिद्ध है, उस सम्पूर्ण ग्रन्थ का तिलक (वार्तिक) श्रीसीतारामशरण भगवान-प्रसाद रूपकलाजी ने किया है, और उसको गया के वकील बाबू बलदेवनारायण सिंह जी ने काशी और बाँकीपुर में छपवा कर प्रकाशित किया है।

उसी ग्रन्थ को स० १६१३ में किसी ने अपना बनाया हुआ कह कर लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस को दिया और उक्त प्रेस ने बिना विचारे ही उसे छाप डाला। प्रकाशित होने पर उक्त वकील साहब बाबू बलदेवनारायण सिंह जी ने लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब के इजलास में १६१४ के ऐक्ट के अनुसार कापी राइट (Copy Right) का अभियोग चलाया।

इस अभियोग का अन्त इस प्रकार हुआ है कि ग्रन्थकार में श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसादजी का नाम बना रहे। कापीराइट के लिये एक सहस्र नौ सौ रुपये नक़द वकील साहब बलदेव-नारायण सिंह को प्रेस से मिले, उक्त ग्रन्थ छः जिल्दों में ६ रुपये को और एक जिल्द में ३ रुपये को लखनऊ नवलकिशोर प्रेस से मिल सकता है। प्रेस के अधिष्ठाता महाशयों को ऐसे कामों से सावधान रहना चाहिये। —"शिक्षा"

हिन्दी-संसार

हिन्दी नहीं

हिन्दी विहारी के एक सम्वाददाता ने हाल ही में उसे लिखा है कि 'हाईकोर्ट के ऑफिसरों को जो सर्विसबुक सरकार से मिली है उसमें हेडिङ्ग आदि और और कई भाषाओं में लिखा हुआ है किन्तु शोक की बात है कि हिन्दी को उसमें स्थान नहीं मिला है। हमारे विचार से विहार की मातृभाषा हिन्दी है बेचारी हिन्दी को बिना रोक टोक सर्वत्र स्थान मिलना चाहिये।

तिर्हुत समाचार (आशु ४।७२)

हिन्दी ग्रन्थों की प्रदर्शिनी

सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर जबलपुर में हिन्दी ग्रन्थों की प्रदर्शिनी भी होगी किन्तु प्रदर्शिनी में जो ग्रन्थ भेजे जायँगे उनका मार्ग व्यय आदि प्रदर्शिनी नहीं ग्रन्थ के स्वामी को देना पड़ेगा और ग्रन्थ के स्वामियों को पारितोषिक, पदक, प्रशंसापत्र आदि झञ्झटों से भी दूर ही रक्खा गया है? यह बात समझ में नहीं आती कि लोग हिन्दीप्रेम से ही अपने व्यय से अपने बहुमूल्य ग्रन्थों को परमार्थ ही प्रदर्शिनी में क्यों न भेजेंगे?

हिन्दी-विद्यार्थियों को सूचना

वर्धे में 'मारवाड़ी-शिक्षा-मण्डल' की ओर से 'मारवाड़ी-विद्यालय' नाम की पाठशाला और 'मा० विद्यार्थीगृह' नाम का बोर्डिङ्ग हाउस खुला है। अब तब उसमें अङ्गरेजी के साथ में द्वितीय भाषा मराठी पढ़ाई जाती है। अब उसके सञ्चालकों ने विचार किया है कि हिन्दी को भी अपनावें (साधु) और उसमें वे ही विद्यार्थी लिये जायँगे जो हिन्दी में कक्षा ४ पास होंगे। जिन जिन विद्यार्थियों को हिन्दी के साथ अङ्गरेजी पढ़ने की इच्छा हो वे 'सुपरेण्टेण्डेण्ट मारवाड़ी विद्यार्थीगृह' वर्धा के पास सूचना दें।

हिन्दी-कविता

'आधुनिक हिन्दी कविता' शीर्षक एक लेख में श्रीयुत कामता प्रसाद गुरु जी ने ज्येष्ठ की सरस्वती में बहुत ही उत्तम विचार

प्रकट किये हैं यद्यपि हम उनकी बातों से सर्वांश में सहमत नहीं तथापि आधुनिक कवियों के ध्यान देने योग्य इस लेख को सभी हिन्दी पत्रों को उद्धृत करना चाहिये।

हिन्दी में व्यापारी

व्यापार सम्बन्धी एक व्यापारी मासिक पत्र हिन्दी में जुही-कानपुर से निकलता है। इसमें व्यापार-सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी लेख रहते हैं। इस प्रकार के पत्र की जितनी ही उन्नति हो उतना ही उपकार हो सकता है। हिन्दी का यह पत्र अपने नामानुसार लेखों से भूषित रहने के कारण उत्तम और व्यापारियों तथा देश के शुभ-चिन्तकों के पढ़ने योग्य है। जून के अङ्क में "देश के तेल जो प्रतिवर्ष नष्ट हो जाते हैं" इस शीर्षक का एक लेख है जो देश के शुभचि-न्तकों के ध्यान देने योग्य है।

झालावाड़ नरेश का हिन्दी-प्रेम

श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचार (आ० कृ० १४-७३) में हमें यह पढ़ कर प्रसन्नता हुई है कि श्रीमान् वर्तमान झालावाड़ नरेश ने 'सेक्स-पियर सोसायटी' कायम की है। यह सभा अच्छे अच्छे विद्वानों से हिन्दी-भाषा और देवनागरी लिपि में सेक्सपियर के समस्त ग्रन्थों का अनुवाद कराके प्रकाशित करावेगी।

प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन

दैनिक विहारी (आ० शु० ६ बु ७३) में चैतन्य-हिन्दी-सभा का विवरण छपा है। उक्त सभा ने अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है कि "यदि विहार प्रान्त की हिन्दी संस्थाओं और साहित्य सेवियों की सहानुभूति और साहाय्य मिले तो प्रथम प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन–बाँकीपुर में करने का आयोजन करने को यह सभा प्रस्तुत है, इस विषय की चिट्ठी समाचार पत्रों में छपा कर प्रान्तीय सम्मति एकत्र की जाय।"

हम आशा करते हैं कि चैतन्य-सभा की चेतनता की ओर प्रान्त के विहारी जन ध्यान देने की कृपा अवश्य करेंगे। यदि इसी प्रकार की चैतन्य-सभा में अन्य प्रान्तों में भी होतीं तो हमें प्रान्तीय सम्मेलनों का टोटा न रहता।

नागपुर में स्वागत कारिणी सभा

श्रा० शु० ६ बु ७२ के दैनिक भारतमित्र में छपा है कि गत रबिवार को नागपुर के टौनहाल में सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्वा० का० सभा के लिये सदस्य चुनने के लिये गोस्वामी रामकृष्ण पुरी जी की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई और एक स्थानीय कमेटी बनाई गयी। जिसके सभ्य निम्न लिखित सज्जन चुने गये।

श्रीयुत गो० रामकृष्णपुरी सभापति।
" सेठ शिवनारायण जी राठी।
" पं० शिवनारायण बाजपेयी।
" पं० हीरालाल शुक्ल बी० ए० एल-एल० बी।
" पं० हीरालाल टेङ्गुरिया "

लन्दन के विद्यालय में हिन्दी

श्रा० शु० ८ सो ७२ के कलकत्ता समाचार में छपा है कि—"लन्दन में भारतीय देशी भाषा सिखाने के लिये एक विद्यालय खोलने की व्यवस्था हुई है। आशा करते हैं कि लन्दन के विद्यालय में अन्यान्य भाषाओं की शिक्षा के साथ हिन्दी-भाषा की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जायेगा। कारण, हिन्दी भाषा का भारत में वही महत्वपूर्ण स्थान है जो यूरोप में फ्रांसीसी-भाषा का है। यह हमारे यहाँ सर्वव्यापी है।"

सम्पादकीय-विचार

सम्मेलन

इस समय सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की धूम चारों ओर मच रही है। हर्ष की बात है कि इस ओर हिन्दी के सभी पत्रों में चर्चा चल रही है। अनेक विषयों पर आलोचनायें निकल रहीं हैं। कोई स्थायी-समिति की आलोचना करता है कोई स्वा० का० सभा की और कोई हिन्दी-संसार ही की। यद्यपि स्थायी-समिति की आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है तथापि सर्व साधारण के बोधार्थ इस विषय में कुछ लिख देना अनुचित भी न होगा।

विषय-सूची

सम्मेलन में पढ़े जाने ही के विचार से नहीं प्रत्युत सम्मेलन की ओर से केवल लेखमाला में छापने के लिये भी प्रतिवर्ष कुछ विषयों पर लेख लिखवाये जाते हैं। उसकी सूची पर अनेक लोगों के अनेक मत हो रहे हैं। स्थानीय सहयोगी **अभ्युदय** के विचार से प्रस्तावित विषय सूची में से जो अनेक विषय निकाल दिये गये हैं वे अधिक महत्त्वपूर्ण थे। **आनन्द** अपनी आशा की बेल पर तुषार ही पड़ते देखता है। वह कहता है कि "हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में जो विषय लेख के लिये रक्खे गये उनकी व्यर्थत्व देख कर यह भय होता है कि हिन्दी का भाग्य अभी ऊँचा होता नहीं दिखता। पूर्व सम्मेलन में लेख जो लिखे गये उनका फल कुछ नहीं निकला। व्यर्थ के झगड़ों का सूत्रपात डाला गया है।"

उदाहरण के लिये आनन्द ने निम्नलिखित लेखों को दिखलाया है जो विवाद बढ़ाने वाले और व्यर्थ हैं—

(१) हिन्दी ग्रन्थों में विराम चिह्नों का विचार।
(२) नाटक।
(३) उपन्यास।
(४) स्त्रियों के योग्य साहित्य।
(५) हिन्दी की आधुनिक और प्राचीन कविता के गुण दोष।
इत्यादि।

अन्त में आनन्द कहता है कि "निबन्ध ऐसे होने चाहिये थे कि जिनसे हिन्दी साहित्य में कुछ प्रभावशाली विषय बन जाँय। दर्शन शास्त्र, विज्ञान, भूगोल, खगोल विद्या सम्बन्धी विषय ही सा० स० कि उपयुक्त हैं"। सारांश यह कि उसके मत से अब तक जितने लेख लिखे गये हैं सब व्यर्थ हुए हैं और इस वर्ष की जो विषय-सूची है वह भी व्यर्थ ही है। **भारतमित्र** ने लिखा था कि लेख सूची बहुत बड़ी न हो और उपयोगी विषयों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

उपर्युक्त आक्षेप और आलोचनाओं के उत्तर में हमें अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। सम्मेलन की ओर से कुछ लेख और

कुछ ग्रन्थ लिखवाये जाते हैं। अभ्युदय के विचार में जो विषय छोड़ दिये गये हैं स्थायी-समिति के विचार से वे अनावश्यक नहीं समझे गये हैं, प्रत्युत उन पर ग्रन्थ लिखवाने का विचार किया गया है। क्योंकि वे विषय ऐसे हैं कि उन पर छोटे छोटे लेखों का लिखा जाना पर्याप्त नहीं है। आनन्दके लिए हम अधिक न लिख कर केवल यही कहेंगे कि वह एक बार सम्मेलनके पाँच वर्षों की लेखमाला, जो छप चुकीं हैं, उन्हें पढ़े और तब अपनी सम्मति दे तो ठीक है। मेरा तो विश्वास है कि अब तक जो लेख छपे हैं उनमें अनेक लेख बड़े ही महत्त्व के हैं और विवादके भय से हमें कातर न हो जाना चाहिए; प्रत्युत विवाद-ग्रस्त विषयोंको समयानुसार निर्विवाद बनाने के लिये उद्योग करना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब उस विषय की चर्चा चलाई जाय, न कि उस विषय का नाम न लिया जाय; क्योंकि उससे विवाद बढ़ेगा? अस्तु, भारत-मित्र के विषय में भी हमें यही कहना है कि जो विषय-सूची बनाई गयी है वह बहुत अनुसन्धान-पूर्वक बनाई गयी है। यदि उसमें कोई त्रुटि रह गयी है तो उसके लिये अभी उद्योग किया जा सकता है; क्योंकि हमारे यहाँ यह कोई नियम नहीं है कि जितने विषय, विषय-सूची में आवें उनके अतिरिक्त कोई निबन्ध सम्मेलन में पढ़ा न जाय और न यही नियम है कि लेख-माला में अन्य कोई लेख छापे ही न जायँ। स्थायी-समिति-द्वारा निर्णीत सूची ही यद्यपि अब तक स्वीकृत होती चली आयी है तथापि हमारे नियम २४ में स्पष्ट लिखा है कि "स्थायी-समिति की सम्मति से ......(स्वा० का० सभा) एक विषय-सूची बनावे" अर्थात् स्थायी-समिति को विषय-सूची पर सम्मति देने का अधिकार है और उसके विषयों का निश्चय करने का पूर्ण अधिकार स्वा० का० सभा को है। अतएव वह अपने प्रस्तावित अन्य महत्त्व-पूर्ण विषयों को यदि विषय-सूची में रख लें तो स्थायी-समिति को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं। ऐसी दशा में स्वा० का० सभा को समाचार-पत्रों की सम्मतियों की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

दूसरा विषय है सभापति के सम्बन्ध का। इस विषय में राष्ट्र-भाषा-भक्त (भानु) जी का एक पत्र प्रताप में छपा है और हिन्दी-समाचार ने भी अपनी प्रकृति के अनुसार आलोचना की है। भानुजी और

हिन्दी-समाचार का मत है कि किसी हिन्दी-हितैषी मुसलमान सज्जन को सभापति चुनना चाहिये। दोनों उदार-मत के सज्जनों से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि वे अपने अन्तःकरण से यह भाव दूर कर दें कि हम लोग मुसलमान सज्जनों का नाम सभापति के लिये जाति पाँति अथवा ऊँच नीच के विचार से नहीं लेते हैं। हमने गत मास की पत्रिका में लिखा था और उसी को हम फिर दोहराते हैं कि "इस विषय में यह भाव ही न आना चाहिये कि इसके सभापति मुसलमान भी बनाये जायँ और इसलिये कि उस जाति की भी सहानुभूति हो जाय" अर्थात् सभापति के लिये जाति गत विचारों को छोड़ कर योग्यता का विचार करना आवश्यक है। जिनके सिद्धान्त हमारे सर्वथा अनुकूल हों उनको हमें अपना सभापति बनाना ठीक है। प्रेमभवन-पुस्तकालय के सभापति के सम्बन्ध का एक लेख आप इसी अङ्क में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमें सभापति के लिये कितनी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सम्मेलन का जो सभापति होता है वर्ष पर्यन्त हमारी स्थायी-समिति का भी वही सभापति रहता है। हमारा पूरा वर्ष उसके अधीन रहता है। अतएव केवल ऊपरी दृश्यों के भ्रम में कहीं भयकारी दृश्य न आ जाय; इस बात का हमें ध्यान रखना अत्यावश्यक है। हमें अपने सभापति के लिये दृढ़ और सच्चा हिन्दी-हितैषी सज्जन ढूँढ़ना चाहिये। वह चाहे जिस जाति या धर्म का हो इससे हमसे प्रयोजन नहीं। अतएव हम फिर कहते हैं कि इस विषय में हिन्दू मुसलमान का प्रश्न उठाना ही व्यर्थ है; योग्यता पर ध्यान देना ही अधिक उत्तम है।

स्वागत और स्वागतकारिणी-सभा

अभ्युदय के अग्र लेख में इस बात का दोष स्थायी-समिति पर लगाया गया है कि पण्डाल और प्रतिनिधियों के भोजन के सम्बन्ध में स्वा० का० समिति को उसने कुछ परामर्श नहीं दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वा० का० समिति को इस विषय में स्थायी-समिति ने अब तक कोई परामर्श नहीं दिया है, यह सत्य है; किन्तु इसके विषय में हम उसको दोषी नहीं ठहरा सकते; क्योंकि अभी तक उसे यह भी विदित नहीं कि स्वा० का समिति अपना पण्डाल

बनाना चाहती है या किसी हालमें अथवा सामियाने के नीचे अधिवेशन करेगी और यह भी नहीं ज्ञात हुआ है कि प्रतिनिधियों को वह भोजन देनेका प्रबन्ध कर रही है। स्थायी-समिति त्रिकालज्ञ तो हैही नहीं कि उसे सारे संसार का दृश्य दिखायी देता हो अतएव इस विषय में उसका दोष कुछ भी नहीं है। हमको भली भाँति से स्मरण है कि पञ्चम साहित्य-सम्मेलन लखनऊ की स्वा० का० समिति को स्थायी-समिति ने बार बार रोका था कि भोजन का प्रबन्ध न करे; किन्तु उसने नहीं माना। यदि स्थायी-समिति को ज्ञात हो जाता तो जबलपुर की स्वा० का० समिति को भी वह अवश्य इस विषयमें वही परामर्श देती जो लखनऊ वालों को उसने दिया था। हम आशा करते हैं कि अभ्युदय की सम्मति के अनुसार स्वा० का० समिति सम्मेलन के उपयोगी विषयों के व्यय योग्य रुपयों को पण्डाल और प्रतिनिधि-भोजन आदि अनावश्यक विषयों में व्यय न करने का विचार करेगी और स्थायी-समिति को भी उचित है कि वह अपनी सम्मति इस विषय में अब उसके पास भेज दे।

परीक्षा-समिति

सम्मेलन की परीक्षायें हो गयीं। गत वर्ष के समान इस वर्ष में भी अनेक परीक्षार्थी शुल्क देकर भी परीक्षा में नहीं बैठे हैं। इस वर्ष ३१ केन्द्र थे जिनमें से २६ में परीक्षार्थी बैठे हैं और हर्ष की बात है कि दो परीक्षार्थी उत्तमा में भी बैठे हैं। हिन्दी-साहित्य में विशारद पण्डित भगीरथ जी दीक्षित और इतिहास में विशारद बाबू पुत्तनलाल जी विद्यार्थी। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमें उक्त दोनों सज्जनों को रत्न-पद प्राप्त करने के लिये बधाई देने का समय उपस्थित होगा। परीक्षा और प्रश्नपत्र आदि के सम्बन्ध में हम आगामी अङ्क में विशेष रूप से लिखेंगे।

विलक्षण मिति

दैनिक-विहारी के मिति लिखने का क्रम विलक्षण है। ता० ६ अगस्त के लिये उसने अपने पत्र में लिखा है "श्रावण शुक्ल २५ बुधवार संवत् १६७३"। उस दिन तिथि नवमी है, सूर्य का अंश २३ है और बङ्गला ता० २५। यदि वह श्रावण शुक्ल लिखता है तो उसे

तिथि लिखनी चाहिये थी और यदि बङ्गला तारीख लिखता है तो पत्र लिखना व्यर्थ है। समझ में नहीं आता कि यह बिहारी की विलक्षण-मिति का क्रम क्या है और इस प्रकार की भ्रामक मिति से क्या लाभ है।

हिन्दी-समाचार की सम्मति

हिन्दी-समाचार ने लिखा है कि "इस वर्ष लाहौर ही में उसका (सम्मेलन का) उत्सव करना उचित था; क्योंकि हिन्दी के प्रचार की आवश्यकता जितनी पञ्जाब में दृष्टि-गोचर होती है उतनी कहीं भी नजर नहीं आती"। ठीक ही है, जो बेचारे सम्मेलन के नियमों को नहीं जानते उनका ध्यान आवश्यकता की ओर जाना उचित ही है। अन्यथा विचार करने की बात है कि जिस पञ्जाब का प्रतिनिधि भी न आया हो और निमन्त्रण भी न मिले, वहाँ किसके बिढ़ते पर सम्मेलन दौड़ जाता। क्या हिन्दी के सम्पादक महोदय उसके लिए कुछ प्रबन्ध करने को तैयार थे। यदि तैयार थे तो उनको अवश्य ही निमन्त्रण देना चाहिये था। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, आगामी सम्मेलन के पश्चात् आपके आतिथ्य को सम्मेलन स्वीकार करने के लिये तैयार है।

उपसमितियों की रिपोर्टें

लिङ्ग-निर्णय और वर्णविचार समिति की व्यवस्थायें सम्मति के लिये भेजी गयी हैं आशा है कि हिन्दी के विद्वान अपनी अमूल्य सम्मतियों द्वारा उन्हें सर्वाङ्गपूर्ण बनाने की कृपा करेंगे। जिसमें आगामी सम्मेलन के समय इन व्यवस्थाओं पर अन्तिम विचार हो सकें इसके लिए शीघ्रता की जानी चाहिये।

नियम-संशोधन

सम्मेलन और परीक्षासमिति के नियमोपनियमों के संशोधन के लिए मसौदा तैयार हो रहा है शीघ्र ही सर्वसाधारण की सम्मति के लिए प्रकाश किया जायगा जिसमें उस पर भी आगामी सम्मेलन के अवसर पर निश्चय हो सके। मेरी सम्मति में तो नियमों के बढ़ाने की जितनी आवश्यकता है उतनी उसमें परिवर्तन करने की नहीं।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-629

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ३ } भाद्रपद, संवत् १९७३ { अङ्क १२

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य =)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि-तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

आवश्यक सूचना

"सम्मेलन-पत्रिका" का तृतीय वर्ष समाप्त हो गया है। पत्रिका की अगली सङ्ख्या नये वर्ष की होगी। अतएव उक्त सङ्ख्या वी० पी० द्वारा ग्राहकों की सेवा में भेजी जावेगी। जिनको ग्राहक होना स्वीकार न हो वे इसको पढ़ते ही सम्मेलन-कार्यालय में सूचना भेजने की कृपा करें जिससे उनकी सेवा में वी० पी० न भेजी जावे।

स्मरण रहे, पत्रिका के नवीन वर्ष के ही अङ्कों में परीक्षाफल, प्रश्नपत्र और परीक्षा के पाठ्य पुस्तकों की नामावली प्रकाश की जायगी।

निवेदक—
मन्त्री
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग।

श्रीयुत ठाकुर शिवकुमारसिंह
" पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
" बाबू रामदास गौड़, एम० ए०
" बा० पुत्तनलाल विद्यार्थी

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३	भाद्रपद, संवत् १९७३	अङ्क १२

सम्मेलन की नियमावली
और
उसका संशोधन

सम्मेलन की वर्तमान नियमावली में ४५ नियम हैं। कई वर्षों से नियमावली संशोधन का प्रश्न उठ रहा है। अवश्य ही किसी संस्था की नियमावली सदा के लिये परिपूर्ण नहीं हो सकती है। अतएव कार्य और समय के अनुसार संस्थाओं की नियमावलियों में सदा परिवर्तन की आवश्यकता होना स्वाभाविक बात है। तद्नुसार इस समय सम्मेलन के कार्यक्षेत्र की वृद्धि के साथ साथ अब उसकी नियमावली में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन की आवश्यकता हुई है। स्थायी-समिति की ओर से नियमावली का मसौदा बनाने के लिये एक उपसमिति बनायी गयी थी जिसके सदस्य निम्नलिखित सज्जन थे—

श्रीयुत ठाकुर शिवकुमारसिंह
" पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
" बाबू रामदास गौड़, एम० ए०
" बा० पुत्तनलाल विद्यार्थी

इस समय मसौदा की एक प्रति मेरे सामने उपस्थित है। मसौदे में बड़े बड़े महत्त्व के विषय बढ़ाये और बदले गये हैं। किन्तु मसौदे पर विचार करने के प्रथम हम यह कह देना अनुचित नहीं समझते हैं कि इसको मैंने आदि से अन्त तक पढ़ा किन्तु यह पता न चला कि इस मसौदे को केवल एक व्यक्ति (संयोजक) ने बनाया है कि उपसमिति ने। क्योंकि मसौदे के साथ में जो चिट्ठी और प्रस्तावना है उससे यह कहीं भी गन्ध नहीं आती है कि जो उपसमिति बनायी गयी उसकी कभी बैठक हुई अथवा उसके सदस्यों ने अपनी अपनी सम्मतियाँ लिख कर दीं और उस पर विचार करके यह मसौदा बनाया गया है। यह बात आवश्यक थी कि संयोजक की ओर से नहीं, मसौदा समिति की ओर से प्रकाश किया जाता अथवा संयोजक की ओर से होता तो भी यह लिख देना आवश्यक था कि समिति में यह मसौदा स्वीकार किया गया है या इनके अमुक अमुक नियमों में हमारे सदस्यों में मतभेद है और साथ ही सभी मतों का उल्लेख भी होता। अस्तु इस बात को हम अधिक न बढ़ा कर इतना ही कहना चाहते हैं कि किसी समिति के कार्य को अधिक लोकप्रिय और मान्य बनाने के लिये उसके सञ्चालकों को अपने समुदाय के पीछे चलना आवश्यक होता है न कि पीछे चलाना।

मसौदे की प्रस्तावना में दिखलाया गया है कि महत्त्व के परिवर्तन तथा परिवर्द्धन सात हैं। और उन सातों पर सङ्क्षेपतः कुछ महत्त्व की बातें लिखी गयी हैं। यद्यपि नियमावली में अनेक नियम ऐसे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है तथापि इस समय हम प्रस्तावना-लिखित उन्हीं सात विषयों पर विचार करते हैं जो अधिक महत्त्व के बतलाये गये हैं।

सदस्य

सदस्य के विषय में प्रस्तावना में विचारणीय दो विषय हैं— १—यह कि सदस्यता क्या सम्मेलन की उपयोगिता में बाधक होगी ? २–यह कि क्या इसके द्वारा बँधी आय श्रेयस्कर है ? सदस्य भी दो प्रकार के रक्खे गये हैं एक आजन्म दूसरे साधारण।

आजन्म को एक कालीन २००) देना होगा और साधारण को १२) वार्षिक। आगे चल के नवम नियम से स्थायी समिति को अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो "किसी हिन्दी हितैषी सज्जन को बिना शुल्क लिये ही साधारण सदस्य बना लें।"

प्रस्तावना के प्रथम प्रश्न का उत्तर हम यही देंगे कि सदस्यता सम्मेलन की उपयोगिता में बाधक नहीं हो सकती किन्तु उसके जो नियम हैं वे बाधक होंगे। और दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि सदस्यता के द्वारा बँधी आय श्रेयस्कर अवश्य होगी किन्तु सम्मेलन को दानोपजीवी समझ कर आक्षेप करना भी ठीक नहीं। दान द्वारा ही आज गुरुकुल जैसी बड़ी बड़ी युनिवर्सिटियाँ चल रही हैं। नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और मेरे विचार से निम्न लिखित रीति से नियम होना चाहिये—

३—सम्मेलन के सदस्य

४—सम्मेलन के सदस्य ४ प्रकार के होंगे।

क—संरक्षक। जो प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रस्ताव १४ के अनुसार अथवा नवीन नियम द्वारा बनाये गये हों या बनाये जायँ।

ख—स्थायी। जो सम्मेलन को कमसे कम २००) एक कालीन सहायता देंगे। अथवा हिन्दी के योग्य विद्वान या परम सहायक होंगे और जिनको स्थायी-समिति बनाने का निश्चय करे।

ग—साधारण। जो सम्मेलन को १२) वार्षिक सहायता देंगे अथवा जिनको स्थायी-समिति बनाने का निश्चय करे।

घ—पदाधिकारी। जो सम्मेलन के सभापति या प्रधान मन्त्री रहे हों या वर्तमान समय में हों। और स्वागतकारिणी सभाओं के सभापति। तथा प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनों के वर्तमान सभापति महाशय। और परीक्षासमिति के अवैतनिक परीक्षक।

सदस्य सम्बन्धी अन्य नियमों में अधिक परिवर्तनों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रान्तीय समितियाँ

प्रान्तीय समितियों के सम्बन्ध में प्रस्तावना में दो बातें पूछी गयी हैं। १ यह कि "क्या समय भी इन (प्रान्तीय समितियों) के लिये अनुकूल है ?", दूसरे यह कि "क्या सम्मेलन, इन (समितियों) के सङ्गठन का दायित्व औचित्य और योग्यता पूर्वक ले सकता है ?"

पहिले प्रश्न का उत्तर हम यही देंगे कि 'शुभस्य शीघ्रं' इस कहावत का प्रयोजन यही है कि अच्छे काम के लिये समय की बाट जोहना ठीक नहीं। हम अपने कार्यों को जितनी ही शीघ्रता से बढ़ावेंगे उतनी ही शीघ्र उन्नति होगी। इसमें भी क्या हमको कोई कह सकता है कि अभी हम इसके योग्य नहीं हैं। सम्मेलन के साम्राज्य का महत्त्व ही तब तक स्थापित नहीं हो सकता है जब तक कि प्रान्तीय सम्मेलनों और उनकी स्थायी-समितियों की स्थापना न होगी। दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि अब सम्मेलन के मन्त्रियों में वृद्धि और अधिकारियों के कार्यों को विभक्त करके यदि कार्य प्रारम्भ होगा तो सम्मेलन, प्रान्तीय समितियों के सङ्गठन के दायित्व भार को औचित्य और योग्यता पूर्वक ले सकता है इसके लिये एक योग्य उपदेशक मात्र की आवश्यकता होगी किन्तु साथ ही प्रान्तीय समितियों के लिये कुछ नियम सम्मेलन को बना देने होंगे और उपनियम वे स्वयं बना लेंगी। सब से प्रथम हमें अपने प्रान्तीय सम्मेलन (जो झाँसी में होने वाला है) में इस विषय को उठाना चाहिये और इस लिये कि उसके सञ्चालक अभी तक प्रान्तीय सम्मेलन को सर्वथा प्रधान सम्मेलन से भिन्न ही रखना चाहते हैं जिसमें वे अपने नियम भी न ऐसे ही बना लें जैसे उनके विचार हैं।

अधिक मन्त्री और पदाधिकारियों के कर्तव्य

जिस प्रकार भिन्न भिन्न विभाग के मन्त्री चार रखे गये हैं उसी प्रकार चार उपसभापति भी हों और प्रथक् प्रथक् विभाग की उपसमितियाँ बनायी जायँ जिनके वे ही सभापति बनाये जायँ जो सम्मेलन के उस विभाग के उपसभापति हों। इससे यह होगा कि

सम्मेलन की अब तक जिस प्रकार एक मात्र परीक्षासमिति ही स्थायी और काम करने वाली प्रधानतः देखी जाती है उसी प्रकार अन्यान्य उपसमितियाँ भी बन जायँगी और उनके द्वारा सम्मेलन का कार्य भी यथोचित रीति से होगा। चारों उपसमितियों के नाम ये हों—

(१) परीक्षासमिति।

(२) अर्थसमिति।

(३) प्रबन्ध समिति।

(४) प्रचार समिति।

और चारों समितियों के मन्त्री निम्न लिखित चार पदाधिकारी हों—१ परीक्षासमिति के संयोजक, २ कोषाध्यक्ष, ३ मन्त्री ही और ४ प्र० उपदेशक। इनके लिये उपमन्त्रियों की भी आवश्यकता होगी और वे प्रायः वैतनिक होंगे। ज्यों ज्यों काम बढ़ता जायगा त्यों त्यों उनकी नियुक्ति होती जायगी। इन उपसमितियों के लिये भी परीक्षासमिति के सदृश आवश्यकतानुसार नियमोपनियमों का बना देना आवश्यक होगा।

नियम २४ में समिति के १२ सभासदों को मन्त्री के पास लिखने का अधिकार मात्र देना ठीक नहीं। यहाँ पर इतना अंश और बढ़ा देना चाहिये कि "और ऐसी दशा में मन्त्री को उस स्थान वा समय विशेष पर अपनी समिति का अधिवेशन करना आवश्यक होगा। यदि किसी स्थान विशेष में कठिनाई प्रतीत हो तो उस पर स्थायीसमिति का निर्णय मान्य होगा। इस नियम में नियम २५ का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा।" नियम १८ (ग) की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यह नियम व्यर्थ है। इसका काम नियम १८ (ख) के द्वारा पूरा हो सकता है। इसी प्रकार के अन्य अधिकार सम्बन्धी नियम भी सुधारने योग्य हैं।

प्रतिनिधि शुल्क और लेख प्रकाशन

नियम ५५ में इतना और भी बढ़ा देना चाहिये कि—"सम्मेलन की विशारद परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त विद्वान सम्मेलन के

प्रतिनिधि समझे जायँगे" क्योंकि हमको अपने यहाँ के विद्वानों का आदर करना योग्य ही है।

विवरण छपाने का कार्य स्थायी समिति को सौंपना ठीक है। इस विषय में सम्पादक सम्मेलन-पत्रिका ने एक बार अपनी सम्मति भी दी थी किन्तु इसके व्यय के लिये केवल प्रतिनिधियों का शुल्क पर्याप्त नहीं होगा। सम्भव है कि किसी अधिवेशन में प्रतिनिधियों की सङ्ख्या बहुत कम हो और अधिक से अधिक प्रतिनिधि सङ्ख्या होने पर भी अब तक शुल्क इतना नहीं आया कि जो विवरण छपाने के व्यय से अधिक हो। हाँ यह सत्य है कि विवरण का मूल्य स्थायी समिति को मिलता है किन्तु बिक्री ऐसी नहीं होती कि उसकी कमी पूरी हो सके। अतएव प्रतिनिधि शुल्क के साथ साथ स्वागतकारिणी सभा के सभासदों के शुल्क को भी विवरण छपाई के व्ययार्थ स्थायी-समिति को दे दिया जाय तो व्यय पूरा हो जाना सम्भव है क्योंकि स्वा० सभा के सभासदों को दोनों भाग विवरण बिना मूल्य दिये जाते हैं। ऐसी दशा में उनका शुल्क उसीको मिलना उचित हो जो विवरण छपाई का भार अपने ऊपर ले।

सम्बद्ध सभाओं की मत सङ्ख्या

सम्बद्ध सभाओं की मत सङ्ख्या में विषमता ठीक नहीं है। यदि मतसङ्ख्या में विषमता की आवश्यकता है तो उसी प्रकार सम्बद्ध सभाओं के वार्षिक शुल्क में भी विषमता की आवश्यकता है और उसके लिये निम्न रीति से नियम बनाना चाहिये—

"नियम ३४—सम्बद्ध होनेकी इच्छा रखने वाली सभाओं को ५) सम्बद्ध शुल्क और अपने सभासदों के वार्षिक चन्दे का षोड़शांश अर्थात्—चन्दे में से आना रुपया सम्मेलन को वार्षिक शुल्क के रूप में देना होगा और उनको सम्मेलन-पत्रिका, सम्मेलन और उसकी उपसमितियों के कार्य विवरण की एक एक प्रति बिना मूल्य मिला करेगी।"

जब तक कि वार्षिक शुल्क में कोई अन्तर नहीं तब तक हम उनके मताधिक्य के घोर विरोधी हैं। क्या कारण है कि हम अन्य

सभाओं से उनके मत का अधिक आदर करें। सभाओं के मत के साथ ही यह भी ज्ञात होना चाहिये कि यह मत उक्त सभा के अमुक अधिवेशन में निश्चय हुआ है क्योंकि सभा के किसी अधिकारी विशेष के मत को हम सभा का मत नहीं कह सकते हैं। किन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि कोई सम्बद्ध सभा हमारे इन नवीन नियमों को स्वीकार न करे तो उसके लिये हमें क्या करना होगा। क्या हम उसका नाम अपनी सम्बद्ध सभाओं की सूची में से काट देंगे? मेरे विचार से तो यह उत्तम होगा कि सम्बद्ध सभायें दो प्रकार की हों एक अधिकार प्राप्त जो वार्षिक शुल्क दिया करें और दूसरी साधारण जो केवल सम्बद्ध शुल्क जैसा इस समय तक नियम है दिया करें। अन्य नियमों में भी परिवर्तन आवश्यक है किन्तु विस्तार भय से हम नहीं लिख सकते हैं।

परीक्षा शुल्क में वृद्धि

प्रस्तावना में इसके लिये कारण उपस्थित किया गया है कि "अब तक सारा काम अवैतनिक होते हुए भी शुल्क की आय से व्यय बढ़ा रहता है और स्थायी-समिति को उसका भार सहना पड़ता है।" साथ ही परीक्षार्थियों की बढ़ती हुई सङ्ख्या को देख कर परीक्षकों से अवैतनिक काम लेना अन्याय बतलाया गया है।

आषाढ़ की स० पत्रिका की टिप्पणी से हमें ज्ञात होता है कि ४३०) मध्यमा के २०) उत्तमा के और ७८४) प्रथमा के परीक्षार्थियों का शुल्क इस वर्ष में मिला है। सब मिला कर १२३४) शुल्क के हुये। स्थायी-समिति ने अब तक परीक्षासमिति को किसी वर्ष में भी २००) से अधिक नहीं दिया है। ऐसी दशा में स्थायी-समिति को परीक्षा का क्या भार सहना पड़ता है? समझ में नहीं आता है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हमारी हिन्दी-संसार की गवर्नमेण्ट है और परीक्षासमिति शिक्षा विभाग। गवर्नमेण्ट अपने ऊपर यदि शिक्षा विभाग का इतना भी व्यय न ले तो उसे हम क्या समझें। परीक्षासमिति का सारा भार परीक्षार्थियों के ऊपर

डालना अन्याय है क्योंकि सम्मेलन में सर्वसाधारण का धन आता है उसकी आय बढ़ाना और उससे परीक्षासमिति को अधिक धन दिलाना ही न्याय है और इसी रीति से हिन्दी शिक्षा की वृद्धि होगी। परीक्षार्थियों पर परीक्षा का अधिक भार डालना मानो परीक्षार्थियों के मार्ग में अड़चन डालना है। जो शुल्क लिया जाता है वह कम नहीं है और उससे अधिक बढ़ाना ठीक नहीं है।

परीक्षकों को हम अपने सम्मेलन का निःशुल्क सभासद बना देंगे किन्तु उनको रुपया देकर उनकी हिन्दीसेवा में धब्बा लगाना हम उचित नहीं समझते हैं। यदि परीक्षार्थियों की सङ्ख्या वृद्धि से आप परीक्षकों के ऊपर अधिक भार देखते हैं तो एक एक विषय के अनेक परीक्षक बना कर उनमें उत्तर पुस्तकें बाँट दिया करें किन्तु परीक्षकों को दो दो, चार चार आना देना हिन्दी की बदनामी करना और हिन्दी सेवकों का अपमान करना होगा।

ऊपर के सातों विषयों की आलोचना करके हम अन्त में यही कहेंगे कि नियम बनाना ठीक है किन्तु उनका पालन हो सके इस बात पर ध्यान रखना अधिक आवश्यक है।

स्फुट

सम्मति के सम्बन्ध में मेरी सम्मति है कि प्रतिनिधि द्वारा भी सम्मति देने का अधिकार स्थायी-समिति आदि समितियों के सभासदों को होना चाहिये। ऐसा न होने से अनेक लोगों की सम्मतियाँ नहीं आ सकती हैं और लोगों को यह आक्षेप करने का साहस होता है कि मुट्ठी भर लोग सम्मेलन के हर्ता कर्ता हैं। इस समय इतना ही लिख कर हम इस लेख को समाप्त करेंगे। आगे चल कर पुनः इस विषय पर विचार किया जायगा। शुभम्

—सम्मेलन का एक सेवक

साहित्य कैसा होना चाहिये

(१) साहित्य शब्द का अर्थ है सहित का भाव। जब कोई विषय एक दूसरे का साथ रखे—परस्पर मिला रहे तथा एक प्रयोजन से किसी कार्य में प्रवृत्त हो तब उसे साहित्य कहते हैं।

मनुष्य जाति अपने साहित्य के अधीन रहती है और साहित्य मनुष्य जाति के अधीन रहता है। इन दोनों का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। बुरे साहित्य का प्रभाव उनके पढ़ने वालों पर बुरा होता है, उससे बुराई फैलती है। वीर जाति का साहित्य वीरता-मय होता है। उसके पढ़ने से बूढ़ों में जवानी आ जाती है, विला-सिता के साहित्य से तलवारों में मुर्चे लग जाते हैं।

(२) साहित्य जाति, समाज तथा देश का सच्चा प्रतिबिम्ब है। जिस समय जाति तथा समाज की जैसी दशा होती है उस समय का साहित्य वैसा ही होता है। मृच्छ-कटिक तथा मुद्राराक्षस से पाश्चात्य विद्वानों ने पुस्तक कालीन भारत का पता लगाया है। इसी प्रकार आजकल के (अधिकांश—सं०) ऐयारी और तिलस्म के उपन्यासों से आजकल के लोगों की रुचि तथा अवस्था अनायास समझ में आ जाती है।

अङ्गरेज़ी उपन्यासों के अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित हो रहे हैं। इनकी ओर ध्यान दिया जाय तो ज्ञात होगा कि पाश्चात्यों को विज्ञान और कलाओं से प्रेम है क्योंकि उनके वर्णन से समय पर कला और विज्ञान की महिमा सूचित होती है।

(३) जैसे रोगी प्रयत्न से नीरोग, दुर्बल सबल तथा निर्धन धनी हो जाता है, वैसे ही आन्दोलन तथा परिश्रम से साहित्य सुधर जाता है। सुधरा हुआ साहित्य अपने पढ़ने वालों को सुधा-रता है। खण्डन मण्डन तथा गाने की पुस्तकें बड़े उच्छृङ्खल भाव से बनती और छपती हैं, इनके पढ़नेवाले भी बड़े उच्छृङ्खल हो जाते हैं। राह, दूकान अथवा मैदान सभी स्थानों में वे खण्डन मण्डन करते अथवा गाते हैं। उन्हें दूसरों के सुख दुःख का कुछ भी ध्यान नहीं रहता।

(४) शिक्षा साहित्य के द्वारा प्राप्त होती है अतएव शिक्षा के अनुकूल साहित्य होना चाहिए। जिसके पढ़ने से शारीरिक तथा

मानसिक शक्तियों की उन्नति, पूज्य राजा तथा वर्गों की भक्ति, देश जाति और समाज की ममता, शिल्प, कला तथा सम्पत्ति की वृद्धि एवम् धर्म-प्रीति हो, उस साहित्य की आवश्यकता है।

(५) इस समय जो जो देश उन्नत हैं उनकी उन्नति का प्रधान कारण साहित्य की उन्नति है। जिस समय भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर आरूढ़ था उस समय इसके साहित्य की जो दशा थी उसकी समानता इस समय भी दूसरा देश नहीं कर सकता। वर्तमान महासमर में जो प्राणसंहारी भयङ्कर आविष्कार हुए हैं बृहत्कथासागर में उक्त ढङ्ग की चर्चा विस्तृत रूप से है। उसमें लिखा हुआ है कि मयदानव हवाई जहाजों से लड़ने की विद्या सिखाता था। उसने हवाई जहाजों का एक कारखाना खोला था। उसका बनाया हुआ अग्नियंत्र आग की लपटें छोड़ता था। यह यंत्र गैस अथवा बिजली से लोगों को जलाता होगा। सूर्यप्रभ राजा हवाई जहाजों से चक्रवर्ती हो गया था।

(६) वाल्मीकि रामायण और महाभारत में रावण और पाण्डव के सभागृह का वर्णन है। उससे भारतीय शिल्प की पराकाष्ठा सूचित होती है। इन दोनों ग्रन्थों से जो उपदेश प्राप्त होता है उनका कहना ही क्या है।

(७) पौरस्त्य तथा पाश्चात्य भाषाओं में जो विविध प्रकार की पुस्तकें हैं उनसे चुन चुन कर अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिये।

(८) जो हिन्दी लेखक बुरी पुस्तकें हिन्दी में लिख रहे हैं उनका झुकाव अच्छी पुस्तकों की ओर कर देने से हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार हो सकता है। पहले फारसी थियेटर वाले विलासिताकारक तमाशा दिखलाते थे। उन्हें कुछ लोगों ने समझाया। वे अब रामायण, महाभारत के आधार पर नये नये नाटक खेल रहें हैं। समझाने वालों की आवश्यकता है। समझने वालों को कोई आग्रह नहीं होगा कि हम बुरे साहित्य का प्रचार करें तथा उसी का पठन पाठन प्रचलित रक्खें।

—शिक्षा

स्थायी-समिति का चतुर्थ अधिवेशन

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के छठे वर्ष की स्थायी-समिति का चतुर्थ अधिवेशन मि० भाद्रपद शु० ६ सं० १९७३ रविवार ता० ३ सितम्बर सन् १९१६ को ४ बजे सन्ध्या समय सम्मेलन कार्य्यालय में हुआ। निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे—

पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
पं० चन्द्रशेखर शास्त्री
पं० रामजीलाल शर्म्मा
प्रो० ब्रजराज
प्रो० रामदास गौड़
पं० लक्ष्मीनारायण नागर
बा० नवाब बहादुर

सर्व सम्मति से पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

१—गत अधिवेशन की रिपोर्ट पढ़ी गयी और स्वीकृत हुई।

२—आगामी सप्तम हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का समय नियत करने के विषय में विचार हुआ और सर्व सम्मति से कार्त्तिक शु० ११, १२, १३ सं० १९७३ ता० ५, ६ और ७ नवम्बर सन् १९१६ रविवार, सोमवार, मङ्गलवार को सम्मेलन होना निश्चित हुआ।

३—पं० लक्ष्मीनारायण नागर के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार हुआ और बा० नवाब बहादुर के प्रस्ताव करने तथा प्रो० रामदास गौड़ के अनुमोदन करने पर सर्वसम्मति से निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पैसाफंड के आनरेरी सेक्रेटरी के नाम से जो १०००) ता० २४ अगस्त सन् १९१५ को जमा किया गया था उसे निकालने के लिये स्थायी-समिति पं० लक्ष्मीनारायण नागर बी० ए० एल-एल० बी० को अधिकार देती है।"

४—पं० रामजीलाल शर्मा ने प्रस्ताव किया कि इस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि इलाहाबाद बैंक सिटी आफ़िस को सूचनार्थ भेज दी जावे।

प्रो० व्रजराज के अनुमोदन करने पर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

५—लिङ्ग निर्णय के विषय में विचार हुआ। अब तक की आयी हुई सम्मतियों का सङ्कलन पढ़ा गया और निश्चय हुआ कि यह सप्तम सम्मेलन की विषय निर्वाचिनी समिति में उपस्थित किया जाय।

६—आय व्यय परीक्षक ने हिसाब रखने के विषय में जो नोट लिखे थे उन पर विचार हुआ और निश्चय हुआ कि इन पर ध्यान रखते हुए उचित कार्य्यवाही की जावे और इनके लिये आय व्यय परीक्षक को धन्यवाद दिया जाय।

सभापति को धन्यवाद देकर अधिवेशन का कार्य्य समाप्त हुआ।

परीक्षासमिति के वर्गियों की स्वीकृत नामावली

(सं० १९७६-७ के लिये)

साहित्य विभाग

साहित्याचार्य्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री, दारागञ्ज, प्रयाग—विभाग-मंत्री

काव्य वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत पं० पद्मसिंह शर्म्मा, ज्वालापुर

२ " पं० चन्द्रमौलि शुक्ल, एम. ए., एल. टी., गवर्नमेन्ट स्कूल, प्रयाग

३ " पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, भारतमित्र कार्य्यालय, कलकत्ता

४ श्रीयुत लाला भगवानदीन, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी

५ " पं० श्यामविहारी मिश्र, एम. ए., डिप्टी कलक्टर, बुलन्दशहर

६ श्रीयुत बा० श्यामसुन्दरदास, बी. ए., हेड मास्टर,
कालीचरण हाई स्कूल, लखनऊ

दर्शन वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद, एम. ए., एल-एल. बी.
काव्यतीर्थ, दर्शनकेसरी, वकील मुजफ़्फ़रपुर

२ महामहोपाध्याय श्रीयुत पं० गङ्गानाथ झा, एम. ए.,
डी. लिट., म्योर कालेज, प्रयाग

३ श्रीयुत प्रो० दीवानचन्द, एम. ए., डी. ए. वी. कालेज, लाहौर

४ " बाबू भगवानदास, एम. ए., दुर्गाकुंड, काशी

पुरातत्व वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत बा० नरेन्द्रदेव, एम. ए., एल-एल. बी.,
वकील, फ़ैज़ाबाद

२ " बा० जगन्मोहन वर्मा, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी

३ " पं० हरिरामचन्द्र दिवेकर, एम. ए., महिलाश्रम, पूना

४ " पं० हीरानंद शास्त्री, एम. ए., क्युरेटर
म्युज़ियम, लखनऊ

५ " राय हीरालाल बहादुर एक्स्ट्रा असिस्टंट
कमिश्नर, दमोह

इतिहास वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत प्रो० ताराचन्द, एम. ए., कायस्थ पाठशाला
कालेज, प्रयाग

२ " प्रो० बद्रीनारायण सिंह, एम. ए., विहार
नेशनल कालेज़, मुजफ्फ़रपुर

३ " प्रो० रामप्रसाद त्रिपाठी, एम. ए.,
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग

४ " प्रो० श्रीप्रकाश एम. ए., बार.एट-ला., दुर्गाकुंड, काशी

५ " पं० हीरानन्द शास्त्री, एम. ए., क्युरेटर
म्युजियम, लखनऊ

अर्थशास्त्र वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत पं० वेंकटेश नारायण तिवारी, एम. ए.,
अभ्युदय प्रेस, प्रयाग

२ श्रीयुत पं० जगद्धर गुलेरी, एम. ए., हिन्दू बोर्डिङ्ग हौस, प्रयाग

३ " प्रो० बालकृष्ण, एम. ए., गुरुकुल कांगड़ी, शामपुर, बिजनौर

धर्मशास्त्र वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत पं० श्रीकृष्ण जोशी, रियासत, नाभा

२ " पाण्डेय जगन्नाथ प्रसाद, एम. ए., एल-एल. बी., काव्यतीर्थ, दर्शन केसरी, वकील, मुजफ़्फ़रपुर

३ " महामहोपाध्याय पं० हरनारायण शास्त्री, विद्यासागर, हिन्दू कालेज, देहली.

विविधभाषा वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत पं० चन्द्रशेखर शास्त्री साहित्याचार्य्य, दारागञ्ज, प्रयाग

२ " बा० गिरिजाकुमार घोष, कटरा, प्रयाग (बङ्गला)

३ " पं० चन्द्रमौलि शुक्ल, एम. ए., एल. टी., गवर्नमेन्ट स्कूल, प्रयाग (संस्कृत)

४ " पं० पद्मसिंह शर्मा, ज्वालापुर

५ " प्रो० महदीहुसेन नासरी, एम. ए., म्योर कालेज, प्रयाग (उर्दू)

६ " पं० माधवराव सप्रे, बी. ए., तातियापारा, रायपुर (मराठी)

७ " मेहता पं० लज्जाराम शर्मा, बूँदी (गुजराती)

८ " प्रो० शिवाधार पांडे, एम. ए., एल-एल. बी., म्योर कालेज, प्रयाग (अंग्रेज़ी)

विज्ञान विभाग

विभाग मंत्री—श्रीयुत पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, आयुर्वेद पञ्चानन, दारागञ्ज, प्रयाग

गणित वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत बा० हीरालाल खन्ना, एम. एस-सी., शिवराखन पाठशाला, प्रयाग

२ श्रीयुत पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी, ज्योतिष भूषण,
सराय आक़िल, प्रयाग

३ " पं० कमलाकर द्विवेदी, एम. ए., डिप्टी
कलक्टर, सीतापुर

४ " प्रो० लक्ष्मीनारायण, एम. ए., हिन्दू कालेज, काशी

५ " प्रो० सूर्य्यबलिराय, बी. ए., ट्रेनिङ्ग कालेज, लखनऊ

ज्यौतिष वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी, ज्यौतिष भूषण,
सराय आकिल, प्रयाग

२ " बा० छोटेलाल, बी. ए., (बार्हस्पत्य)
एक्सिक्युटिव इंजिनियर, बनारस

३ " पं० ब्रजनाथ शर्मा, सीतला गली, आगरा

४ " पं० मुरलीधर झा, गणिताचार्य, संस्कृत
कालेज, काशी

५ " पं० यागेश्वर जोशी, वैद्यराज्य, कनखल, हरिद्वार

आयुर्वेद वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, आयुर्वेद पञ्चानन,
दारागञ्ज, प्रयाग

२ महामहोपाध्याय कविराज श्रीयुत गणनाथ सेन, एम. ए.,
एल. एम. एस., विद्यानिधि, कविभूषण, वैद्यावतंस,
सरस्वती, ६५ वीडन स्ट्रीट, कलकत्ता

३ श्रीयुत पं० नाथूराम शर्मा, हरदुआगञ्ज, अलीगढ़

४ " पं० रामचन्द्र शर्मा वैद्य, ज्वालापुर

५ " डा० त्रिलोकीनाथ वर्मा, बी. एस-सी.,
एम. बी., बी. एस., मेडिकल कालेज, लखनऊ

भौतिक वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत प्रो० गोमती प्रसाद अग्निहोत्री, बी. एस-सी.,
हिस्लाप कालेज, नागपुर

२ " प्रो० निहालकरण सेठी, एम. एस-सी.,
सेंट्रल हिन्दू कालेज, काशी

३ श्रीयुत प्रो० लालजी श्रीवास्तव, एम. एस-सी.,
गवर्नमेन्ट कालेज, अजमेर

४ " प्रो० शालग्राम भार्गव, एम. एस-सी.,
म्योर कालेज, प्रयाग

रसायन वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत प्रो० गोपाल स्वरूप भार्गव, एम. एस-सी.,
कायस्थ पाठशाला कालेज, प्रयाग

२ " डा० चौधरी खुदादाद, पी-एच. डी.,
अजवायनका कारख़ाना, देहरादून

३ " प्रो० ज्योतिप्रसाद बेजल, एम. ए., मेरट
कालेज, मेरट

४ " प्रो० पूरनसिंह, इम्पीरियल फ़ारेस्ट केमिस्ट,
फ़ारेस्ट कालेज, देहरादून

५ श्रीयुत डा० हरिश्चन्द्र, पी-एच. डी., डालनवाला, देहरादून

वनस्पति वर्ग

वर्ग संयोजक—१ श्रीयुत प्रो० नन्दकुमार तिवारी, बी. एस-सी.,
केनिङ्ग कालेज, लखनऊ

२ " प्रो० महेशचरण सिंह, एम्. एस.,
गुरुकुल कांगड़ी, शामपुर, बिजनौर

३ " प्रो० वसन्तलाल गुप्त, एम. एस-सी.,
केनिंग कालेज, लखनऊ

प्राणिविद्या वर्ग

वग संयोजक—१ श्रीयुत डा० त्रिलोकीनाथ वर्मा, बी. एस-सी.,
एम. बी., बी. एस., मेडिकल कालेज, लखनऊ

२ " डा० मूलचन्द टंडन, एल. एम्. एस., प्रयाग

३ " डा० उमरावसिंह गुप्त, बी. एस-सी.,
एम. बी., बी. एस., मेडिकल कालेज, लखनऊ

षष्ठ वर्ष की परीक्षासमिति का चतुर्थ अधिवेशन

वर्तमान सं० १९७३ की परीक्षा समिति का चतुर्थ अधिवेशन श्रावण कृष्ण ६ रविवार ता० २३ जुलाई सन् १९१६ ई० को सात बजे प्रातःकाल से सम्मेलन-कार्य्यालय में निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

श्रीयुत प्रो० रामदास गौड़, एम० ए०
" बा० व्रजराज, बी० एस-सी०
" बा० ताराचन्द, एम० ए०
" पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
" बा० हीरालाल खन्ना, एम० एस-सी०

विवरण-पत्रिका संशोधन के सम्बन्ध में नियमोपनियमों पर विचार हुआ और पाठ्य पुस्तकों एवं विषयों के निर्धारण पर आयी हुई सम्मतियाँ पढ़ी गयीं तथा उपस्थित सभ्यों की सम्मति ली गयी। समय अधिक हो जाने के कारण कार्य समाप्त नहीं हुआ और श्रावण कृष्ण १२ बुधवार ता० २६ जुलाई के लिए अधिवेशन स्थगित रक्खा गया और यह भी निश्चय हुआ कि यह स्थगित अधिवेशन कचेहरी रोड कटरा में प्रो० ताराचन्द एम० ए० के बँगले पर उक्त तिथि को सन्ध्या समय ४ बजे होगा।

स्थगित अधिवेशन

पूर्व निश्चयानुसार परीक्षासमिति का चतुर्थ (स्थगित) अधिवेशन श्रावण कृष्ण १२ बुधवार ता० २६ जुलाई सन् १९१६ ई० को ४ बजे सन्ध्या समय से कचेहरी रोड–कटरा में प्रो० ताराचन्द एम० ए० के बँगले पर निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ।

श्रीयुत पं० चन्द्रमौलि शुक्ल, एम० ए०
" प्रो० रामदास गौड़, एम० ए०
" प्रो० व्रजराज, बी० एस-सी०
" पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
" बा० हीरालाल खन्ना, एम० एस-सी०

(१) नियमों पर विचार हुआ और निश्चय हुआ कि परीक्षा-समिति की संशोधित नियमावली स्थायीसमिति की सेवा में स्वीकारार्थ भेज दी जाय।

(२) उपनियमों पर विचार हुआ और परिवर्तित उपनियमावली स्वीकृत हुई।

(३) पाठ्य विषय और ग्रन्थों पर विचार हुआ और उसमा की दो वैकल्पिक भाषाओं के स्थान में एक ही भाषा रक्खी गयी। अन्य परिवर्तित विषय सम्पूर्ण नहीं हुए और अतिकाल हो जाने के कारण अधिवेशन समाप्त किया गया।

षष्ठ वर्ष की परीक्षासमिति का पञ्चम अधिवेशन

श्रावण शुक्ल ७ रविवार ता० ६ अगस्त सन् १९१६ ई० को सन्ध्या समय ५ बजे से प्रो० रामदास गौड़ जी के स्थान पर मम्फोर्डगञ्ज-प्रयाग में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में परीक्षा समिति का पञ्चम अधिवेशन हुआ।

श्रीयुत प्रो० रामदास गौड़, एम० ए०
" पं० चन्द्रमौलि शुक्ल, एम० ए०
" बा० ताराचन्द, एम० ए०
" पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
" प्रो० व्रजराज, बी० एस-सी०

(१) स्थायीसमिति की भेजी हुई आरायज नवीसी की परीक्षा की नियमावली पर विचार और निश्चित हुआ कि प्रथमा परीक्षा में कुछ विषय वैकल्पित रक्खे जायँ और उन्हीं में आरायज़ नवीसी मुनीमी और कारिन्दगिरी के विषय भी रख दिये जायँ और यह भी निश्चय हुआ कि मुनीमी और कारिन्दगिरी के पाठ्य विषय और पुस्तकें पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी शीघ्र तैयार करके संयोजक जी की सेवा में भेज दें।

(२) सं० १९७४ के पाठ्य विषय और पुस्तकें निश्चित हुईं और संयोजक जी को अधिकार दिया गया कि सं० १९७४ विवरण-पत्रिका वे छपा दें।

(३) सं० १९७५-७६ के वर्गियों की सूची पर विचार हुआ और सर्वसम्मति से सूची तैयार की गयी (जो इसी अङ्क में पृथक् दी गयी है)

निश्चय हुआ कि सं० १९७५ के विवरण पत्र पर आगामी अधिवेशन पर विचार किया जायगा और अतिकाल हो जाने के कारण अधिवेशन समाप्त हुआ।

षष्ठ वर्ष की परीक्षासमिति का षष्ठ अधिवेशन

मि० भाद्रपद शुक्ल ६ सं० १९७३ रविवार ता० ३ सितम्बर सन् १९१६ ई० को दिन में १२ बजे से सम्मेलन-कार्य्यालयमें निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थितिमें परीक्षासमितिका षष्ठ अधिवेशन हुआ।

श्रीयुत प्रो० रामदास गौड़, एम० ए०
" पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
" प्रो० ताराचन्द, एम० ए०
" प्रो० ब्रजराज, बी० एस-सी०
" बा० हीरालाल खन्ना, एम० एस-सी०

(१) निश्चय हुआ कि सं० १९७४ की परीक्षायें मि० भाद्रपद (प्रथम) शुक्ल २ रविवार सं० १९७४ ता० १९ अगस्त सन् १९१७ ई० को प्रारम्भ होंगी। और परीक्षार्थियों के शुल्क भेजने की अन्तिम तिथि नवीन केन्द्रों से मि० चैत्र शुक्ल ९ सोमवार सं० १९७४ ता० ३१ मार्च सन् १९१७ ई० और पुराने केन्द्रों से मि० वैशाख शुक्ल ९ सोमवार सं० १९७४ ता० ३० अप्रैल सन् १९१७ ई० होगी।

(२) निश्चय हुआ है कि सं० १९७५ की परीक्षायें मि० श्रावण शुक्ल ११ रविवार सं० १९७५ ता० १८ अगस्त स न्१९१८ ई० को

प्रारम्भ होगी। परीक्षार्थियों के शुल्क भेजने की अन्तिम तिथि, नवीन केन्द्रों से मि० चैत्र कृष्ण ४ रविवार सं० १९७४ ता० ३१ मार्च सन् १९१८ ई० और पुराने केन्द्रों से मि० वैशाख कृष्ण ४ मङ्गलवार सं० १९७५ ता० ३० अप्रैल सन् १९१८ ई० होगी।

(३) निश्चय हुआ कि सं० १९७४ के लिये जो विवरण-पत्रिका संशोधित हुई है वही सं० १९७५ के लिये भी रक्खी जावे और जो विवरण-पत्रिका छपे वह दोनों वर्षों के लिये हो। (अर्थात् जो पाठ्य विषय और पुस्तकें गत अधिवेशन में सं० १९७४ के लिये स्वीकृत हुये हैं और जो उपनियम बनाये गये हैं वे ही सं० १९७५ के लिये भी समझे जावें) और यह भी निश्चय हुआ कि जो वर्गी गत अधिवेशन में सं० १९७५-७६ के लिये निश्चित हुए हैं उनके पास सं० १९७६-७७ के लिये निम्नलिखित सूचनायें शीघ्र भेजी जावें—

१—परीक्षाओं की प्रणाली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए या नहीं ?

२—परीक्षक के विषयविभागों तथा पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहियें ?

३—प्रश्नपत्र कितने हों ?

४—वैकल्पिक नियम कौन कौन और कितने हों ?

(४) निश्चय हुआ कि प्रथम परीक्षा के इतिहास और विज्ञान के विकल्प में, अारायज़ नवीस, कारिन्दगिरी और मुनीमी के वैकल्पिक दो दो पत्र रहेंगे। जो परीक्षार्थी अारायज़ नवीसी, कारिन्दगिरी अथवा मुनीमी के वैकल्पिक प्रश्नपत्र में परीक्षा देंगे उनको मध्यमा परीक्षा में बैठने का अधिकार विज्ञान के प्रश्नपत्र में भी उत्तीर्ण होने पर ही दिया जायगा। उनकी सुविधा के लिये विज्ञान का प्रश्नपत्र अन्तिम होगा।

(५) बा० ब्रजराज बी० एस-सी० (संयोजक) के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि सम्मेलन-कार्य्यालय के लेखक पं० महावीर प्रसाद त्रिपाठी ने परीक्षासमिति के काम में प्रशंसनीय परिश्रम किया है अतएव उनको १५) पारितोषिक स्वरूप में दिया जाय।

(६) निश्चय हुआ कि प्रश्नपत्र छपाई आदि के सम्बन्ध का (इण्डियन प्रेस का) जो विल है उसका रुपया दे दिया जाय।

समालोचना

(१) भारतीय शासन पद्धति

प्रथम भाग

यह पुस्तक राजनीति रत्नमाला का प्रथम रत्न है। इसके रचयिता भारतमित्र के सम्पादक और हिन्दी संसार के प्रतिष्ठित विद्वान पं० अम्बिकादत्त जी बाजपेयी हैं। प्रकाशक हैं श्री प्रतापनारायण बाजपेयी नं० ३० नाथरायलेन-कलकत्ता। पृष्ठ सङ्ख्या १०३ और सर्वसाधारण से मूल्य है ॥)। जो सज्जन इस माला के स्थायी ग्राहक होंगे उनको अब १॥) में इस माला की ४ पुस्तकें मिला करेंगी अर्थात् उनके लिये इसका मूल्य ।≡) होगा।

इस समय संसार में जागृति सी हो रही है। अपने अपने स्वत्वों के लिये लोग चञ्चल हो उठे हैं। कोई इसके लिये भिक्षांदेहि कहता है कोई अपना नैसर्गिक स्वत्त्व बता कर माँगता है और कोई चाहता तो है लेकिन अपने पातिव्रत भङ्ग के भय से मुख से निकालना नहीं चाहता। सभी सुधारों की जड़ राजनीतिक सुधार है। राजनीतिक आन्दोलन के लिये देश के शासनपद्धति का जानना परमावश्यक है। प्राचीन प्रथा को दिखा दिखा कर रोना कि हमारे यहाँ सदा प्रतिनिधि शासन था अधिक उपयुक्त नहीं है। वर्तमान शासन की आलोचनायें आन्दोलनकारियों की ओर से समाचार-पत्रों एवं व्याख्यानों में हुआ करती हैं उनके समझने के लिये हिन्दी जानने वालों के पास अब तक ऐसा सुन्दर और सङ्क्षिप्त साधन कुछ भी नहीं था। यद्यपि इस पुस्तक में बहुत सी बातें लिखी गयी हैं। अतएव उनका वर्णन आवश्यकता से अधिक सङ्क्षेप हो गया है तथापि इसके द्वारा हमें बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। देशहितैषी, लेखक, विद्यार्थी और इतिहास के जानने की इच्छा रखने वालों के लिये यह काम की वस्तु है।

पुस्तक में सात अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में उपोद्घात अर्थात्—भारत में वर्तमान शासन की जड़ कैसे पड़ी इत्यादि बातें हैं। दूसरी में इङ्गलैण्ड में भारत शासन व्यवस्था अर्थात्—भारत शासन के लिये इङ्गलैण्ड में क्या प्रबन्ध है। तीसरी में भारत सरकार का वर्णन है। चौथी में प्रादेशिक सरकारों का विवरण है। पाँचवीं में जिले की शासन व्यवस्था का वर्णन है। छठी में न्यायालयों के कार्य और अधिकारों का वर्णन है और सातवीं में पुलीस और जेल का वर्णन है।

पुस्तक वर्णनात्मक है आलोचनात्मक नहीं अतएव सभी के काम की वस्तु है। क्योंकि आलोचना में मतभेद होने के कारण एक ही पुस्तक सर्वोपयोगी नहीं हो सकती। इसी नाम और विषय की कुछ ही अन्तर है दो तीन पुस्तकें और भी निकली हैं। किन्तु इसकी वर्णन शैली सरल सुबोध और सङ्क्षिप्त होने के कारण पुस्तक सङ्ग्रह करने योग्य है।

(२) लाख की खेती

यह पुस्तक कृषि उपयोगी पुस्तकमाला की दूसरी सङ्ख्या है। इसके लेखक हैं पं० गयादत्त त्रिपाठी और प्रकाशक पं० राधारमण त्रिपाठी, कार्य्याध्यक्ष कृषिभवन-इलाहाबाद हैं। पृष्ठ सङ्ख्या २७ और मूल्य चार आना कागज के अकाल के समय में भी अत्यधिक है।

पुस्तक में लाख (लाह) की खेती अर्थात् उसके उत्पन्न करने की अनेक उपयोगी बातों का वर्णन है। लाख की खेती अधिकता से होने पर अधिक लाभ होने की सम्भावना है विशेष कर इस समर के साम्राज्य में तो इसके द्वारा अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जिन वृक्षों में लाख अधिकता से उत्पन्न होती है या हो सकती है उनकी, देश में बहुत बड़ी समष्टि पायी जाती है अतः इस पुस्तक से बड़ा लाभ हो सकता है परन्तु हमारे त्रिपाठी जी महाराज यदि दीन हिन्दी जानने वाले लाख के खेती करने वालों की ओर ध्यान देकर इसका मूल्य कम कर देते तो अधिक लाभ था। पुस्तक की भाषा उत्तम और साधारणतः सभी के समझने योग्य

है। इसे खरीद कर ज़मीनदारों को अपने इलाकों में बटवाना चाहिये और इसके अनुसार लाख की खेती का प्रचार करके देश के व्यापार में वृद्धि करने के पुण्यभागी बनना चाहिये।

(३) धान की खेती

यह पुस्तक उपर्युक्त माला की तीसरी सङ्ख्या है। इसके लेखक हैं ठाकुर रामनरेश सिंह साह। आप ईशनंपुर जिला प्रतापगढ़ के तालुक़दार और आनरेरी मैजिस्ट्रेट व मुंसिफ ठाकुर रघुनाथ सिंह साहब के होनहार सुपुत्र हैं और प्रकाशक वे ही पं० राधा रमण त्रिपाठी, कार्य्याध्यक्ष कृषिभवन, इलाहाबाद हैं। पृष्ठ सङ्ख्या वही २७ और मूल्य ।) । पुस्तक का मूल्य देख कर खेद होता है कि लोग या तो देशहित का नाम लेकर दूसरों का गला घोंटते हैं या व्यापार की नीति ही नहीं जानते हैं। अस्तु पुस्तक का मल्य यदि यही रहे तो कम से कम मैं किसी हिन्दी हितैषी को इसके पढ़ने के लिये सम्मति नहीं देता हूं। पुस्तक में धान की खेती का सङ्क्षिप्त वर्णन है किन्तु इस छोटी सी पुस्तक में अधिकांश बातें अनावश्यक और अप्रासङ्गिक भी आ गयी हैं। अन्त में कुछ धानों की नामावली के साथ उनके बोने का समय, बीज परिमाण, खर्च, उपज इत्यादि की सूची भी लगा दी गयी है जो साधारणतः कृषकों के लिये उपयुक्त है।

हिन्दी-संसार

(ले० पं० रामकृष्ण सारस्वत स० मन्त्री)

रीवां राज्य के रायपुर ग्राम में सर्वहितैषी-पुस्तकालय नामक एक पुस्तकालय खुला है जिसमें लगभग ४०० ग्रन्थ हैं।

छपरा में विद्याविवर्द्धिनी पुस्तकालय खुला है। हिन्दी का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा का २३ वां वार्षिकोत्सव ता० ५ अगस्त को काशी में मनाया गया।

अलवर राज्य में हिन्दी की अच्छी उन्नति हो रही है, प्रचलित उर्दू शब्दों के बदले हिन्दी शब्द बनाने का तथा हिन्दी में अलवर राज्य का इतिहास लिखाने का प्रयत्न हो रहा है। वहां का कम्पनी बाग अब 'पुरजन विहार' कहलाता है। सब साधारण उसे इसी नाम से पुकारने लगे हैं।

ता० ४ सितम्बर के प्रताप से यह जान कर दुःख हुआ कि उदयपुर की हिन्दी साहित्य समिति के जन्मदाता महता योधासिंह का मि० भाद्रपद कृष्ण ९ को स्वर्गवास हो गया। आप हिन्दी के एक सुयोग्य लेखक तथा कवि थे। आप राजस्थान के इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। खड्गविलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित राजस्थान के इतिहास का संशोधन आप ही ने किया था।

हिन्दी नाट्य मण्डली

अयोध्या के श्रीमान् महन्त राममनोहरदास जी की नाटक मण्डली स्थान स्थान में घूम कर अच्छा कौशल दिखला रही है। यह विशेष कर धार्मिक नाटकों के खेल दिखलाती है। विशेषता यह है कि आदि से अन्त तक सम्पूर्ण पात्र शुद्ध हिन्दी में वार्तालाप करते हैं।

तुलसी जयन्ती

गत श्रावण शुक्ल सप्तमी को स्थानीय दारागञ्ज हाई स्कूल के छात्रों की ओर से महामहोपाध्याय पं० गङ्गानाथ झा एम० ए० के सभापतित्व में बड़े समारोह से साहित्य सम्राट महात्मा तुलसी दास की जयन्ती मनायी गयी। स्थानीय लगभग सभी साहित्य सेवी तथा हिन्दी प्रेमी उपस्थित थे।

तुलसी ग्रन्थ माला की ओर से रीवां में भी उपरोक्त जयन्ती मनायी गयी।

लखनादौन (सिवनी) तथा राजापुर से भी उपरोक्त जयन्ती धूमधाम से मनायी जाने के समाचार आये हैं।

हर्ष की बात है कि श्रीमान महाराज रीवां ने राजापुर की तुलसी स्मारक सभा का संरक्षक होना स्वीकार किया है।

धर्मवीर

हर्ष की बात है कि हमारे दक्षिण आफ्रिका प्रवासी भारतवासी भाई मातृभाषा की उन्नति में दत्त चित्त हुए हैं उन्होंने वहाँ हिन्दी की अनेकों पाठशालाएँ, पुस्तकालय तथा हिन्दी प्रचारिणी सभाएँ स्थापित करने के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन की भी स्थापना की है जो हमारे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आदर्श पर ही काम कर रहा है। अभी हाल में वहाँ से धर्मवीर नामक एक अङ्गरेज़ी, हिन्दी साप्ताहिक पत्र भी निकलने लगा है। इसके अङ्गरेज़ी भाग में 'हिन्दी समाचार' से कुछ छोटे आकार के चार पृष्ठ और हिन्दी भाग में लगभग सात पृष्ठ होते हैं। प्रति शनिवार को पोस्ट बकस नं० १८० दरबन नेटाल से प्रकाशित होता है। इसमें धर्म सम्बन्धी तथा वर्तमान राजनीति व शिक्षा सम्बन्धी विचार पूर्ण लेख टिप्पणियाँ और समाचार रहते हैं। इसकी भाषा का कुछ नमूना लीजिये--

"हमारे जिन ग्राहकों का चन्दा नहीं आया है ...... वर्षक मूल्य शीघ्र भेजने की कृपा करेंगे ...... जिस प्रेम से ग्राहक बनाने में सहायता दी है उसी प्रेम से वर्षक मूल्य भेजने में भी हमारी रक्षा करेंगे।"

"दरयाफत करने के लिये गये थे।"

"आजकल की बाल विवाह की पतनी तो सदा गङ्गादि मेला, ताजियाँ, मियाँ, मदारों में घूमना धर्म समझती हैं इस सच्चे पति वरत धर्म का तो लेश भी नहीं रहा।"

"यह चर्चा हो रहा है।"

"नेतायों के भीन्न भिन्न विचार है।"

"घरालु झगड़े को त्याग कर तथा तु और मैं को छोड़ येकता करने की परयत्न करें।"

"उक्त सभा की साप्ताहिक सम्मेलन गुरुवार २७ जुलाई सन १९१६ ई० के सभा भवुन ३४ विक्टोरिया स्ट्रिट डर्बन पर हुआ था।"

"हमारी जाति रुपी अर्जुन शीथल हो जाता है।"

"प्रिया पाठक गए।"

"मेरे पयारे मित्रो।" इत्यादि।

यद्यपि इसकी हिन्दी दोषपूर्ण है पर तो भी हमें यह देख कर विशेष हर्ष है कि इसकी भाषा दिन पर दिन सुधरती जाती है। आशा है इसके सम्पादक महाशय जो कदाचित कोई गुजराती सज्जन प्रतीत होते हैं इसके भाषा-सुधार की ओर अधिक ध्यान देंगे। भारतवर्षीय समाचार पत्रों से इसके भाषा सुधारने में विशेष सहायता मिलेगी। आशा है दक्षिण अफ्रिका में हिन्दी का प्रचार करने में यह पत्र विशेष रूप से सहायक होगा। भारतवर्ष के हिन्दी पत्रों के स्वामियों से हमारा अनुरोध है कि अपने पत्र के परिवर्तन में धर्मवीर को अवश्य मँगावें।

सम्मेलन का आय व्यय

ता० २४ अगस्त की शिक्षा ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा है कि "बङ्गीय साहित्य परिषद् में इन दिनों दो दल हो गये हैं एक दल व्यय को आय के अनुसार करना चाहता है दूसरा आय के बिना प्रबन्ध किये रुपये लुटाता है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन छोटी (?) संस्था है। इसके पास बहुत ही थोड़े रुपये हैं। जिस दिन उसका स्थायी कोष रुपयों से पूर्ण हो जायगा उस दिन हिन्दी वालों में भी ऐसा ही आन्दोलन उत्पन्न होगा।" ईश्वर करे आन्दोलन होने वाला दिन शीघ्र ही आवे, स्थायी कोष रुपयों से तो पूर्ण हो जावे।

हिन्दी का निरादर

ता० ३ सितम्बर के कलकत्ता समाचार ने उपर्युक्त शीर्षक देकर हिन्दी के सम्बन्ध में एक बड़ा ही खेद जनक समाचार छापा है। अभी हाल ही में कलकत्ते के मारवाड़ियों के प्रसिद्ध श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय का वार्षिकोत्सव हुआ था जिसमें आदि से अन्त तक सम्पूर्ण वक्तृताएँ बङ्गला तथा अङ्गरेजी भाषा में हुईं और हिन्दी का नाम तक नहीं लिया गया। अवश्य ही विशुद्धानन्द विद्यालय के प्रवन्धकर्त्ताओं को हम इसके लिए बधाई नहीं दे सकते। जिनकी मातृभाषा हिन्दी के सिवाय और कुछ हो

नहीं सकती उनके विद्यालय में इस प्रकार हिन्दी का निरादर शोभा नहीं देता। यदि मातृभाषा की दृष्टि से नहीं तो राष्ट्रभाषा के नाते से हिन्दी भारतवर्ष की सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थाओं में स्थान पाने के योग्य है। देश की जिन जिन संस्थाओं की कार्य्यवाही मातृ-भाषा तथा राष्ट्रभाषा द्वारा नहीं होती उनके साथ सर्वसाधारण की सहानुभूति होना असम्भव है। सर्वसाधारण की सहानुभूति के अभाव में ही अधिकांश संस्थाओं को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। आशा है विशुद्धानन्द विद्यालय के अधिकारि-वृंद अब से इस बात का ध्यान रखने की कृपा करेंगे कि देश में राष्ट्र-भाषा के प्रचार में आपकी ऐसी संस्थाओं को सब से अधिक भाग लेना है।

श्रीमती एनीबिसेंट और भाषा शिक्षा

अगस्त मास के सेंट्रल हिन्दू कालेज मेगेज़ीन में शिक्षा का माध्यम तथा आपस के बोल चाल की कौन सी भाषा हो इस विषय पर एक सम्पादकीय नोट है। इसमें जो बातें लिखी गयी हैं उनसे लेखक का तात्पर्य्य यह मालूम होता है कि स्कूल के आरम्भिक वर्षों में विद्यार्थी की मातृभाषा और कालेज कक्षाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अङ्गरेजी शिक्षा का माध्यम हो। नोट के लेखक ने इस विषय में श्रीमती एनीबिसेंट की एक वक्तृता का कुछ अंश उद्धृत करके मिसेज़ बिसेंट ने छोटी कक्षाओं में बालकों को अङ्गरेजी पढ़ाने का जो तरीका बतलाया है, उसे काम में लाने की सलाह दी है। वह तरीका यह है कि बालकों को ग्रामर मत रटाओ, स्पेलिंग के पचड़े में मत डालो, बात चीत तथा कहानियों के द्वारा उन्हें अङ्गरेजी का ज्ञान कराओ। बस बालक अङ्गरेजी—कम से कम अङ्गरेजी में बात चीत करना—आसानी से सीख लेंगे और सब आवश्यक कामों में उसमें बात चीत अच्छी तरह से कर लेंगे। मिसेज़ बिसेंट के कथनानुसार उनके सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल में इस काम के लिए अङ्गरेज़ लेडियाँ नियत थीं जो बालकों को बातचीत के द्वारा अङ्गरेजी सिखलाती थीं। इससे बालकों का उच्चारण शुद्ध होता और बच्चे आनन्द से खेल खेल में ही उसे सीख लेते थे।

वास्तव में यदि अङ्गरेजी सीखने की कुछ आवश्यकता है जैसा कि मिसेज़ बिसेंट के कथन से प्रगट होता है तो हम कहेंगे कि मिसेज़ बिसेंट का बतलाया हुआ तरीका बहुत उपयोगी होगा पर मिसेज़ बिसेंट के इस विचार से हम सहमत नहीं हैं कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग एक दूसरे से अपने विचार प्रगट करने के लिए अङ्गरेजी भाषा का आश्रय लें। कदाचित् मिसेज़ बिसेंट का यह ख्याल है कि भारतवर्ष की भाषाओं में कोई भी इस योग्य नहीं हैं कि उसके द्वारा भारतवासी अपने विचार आपस में बदल सकें। यह सच है कि कुछ पढ़े लिखे लोग दूसरे प्रान्त में जाकर वहां की भाषा न जानने के कारण दूसरे शिक्षित मनुष्यों से अङ्गरेज़ी ही में वार्तालाप करके किसी अंश में अपनी कठिनाइयों को दूर कर लेते हैं पर देश के असंख्य भिन्न भाषा भाषी नरनारी एक अत्यन्त कठिन तथा दोषपूर्ण विदेशी भाषा को केवल इस लिए सीखें कि वे अपने विचार दूसरे प्रान्त वालों के प्रति प्रगट कर सकें, असम्भव है। मिसेज़ बिसेंट केवल इसी एक उद्देश्य से और इस लिए कि अङ्गरेजी एक बहुमूल्य भाषा है (It is after all a valuable language now), अङ्गरेजी सीखने को कहती हैं। अपनी मातृभाषा को छोड़ कर कोई अन्य भाषा शिक्षा का माध्यम बनायी जाय यह उनकी भी सम्मति नहीं है सो ठीक ही है। अब रहा यह प्रश्न कि यदि अङ्गरेजी नहीं तो भारतवर्ष की कौन सी भाषा सारे भारत की भाषा हो सकती है सो यह प्रश्न बहुत समय से भारतवर्ष में उठा हुआ है और अधिकांश विद्वानों ने अपना यह मत निश्चित रूप से प्रकाशित कर दिया है कि हिन्दी ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हो सकती है। हो सकती है क्या भारत की अधिकांश जन सङ्ख्या की भाषा आज दिन भी हिन्दी है। इसके बोलने और समझने वाले प्रत्येक प्रान्त में हैं।

आलोचना

बेली लायब्रेरी

पटने में शीघ्र ही उपर्युक्त नाम का एक वृहद् पुस्तकालय खुलेगा। इसके लिए बहुत कुछ चन्दा भी प्राप्त हो गया है। अब प्रश्न यह है कि यह पुस्तकालय किस भाषा की पुस्तकों तथा पत्रों का संग्रहालय हो। "पाटलिपुत्र" ने प्रस्ताव किया है कि यह हिन्दी भाषा की पुस्तकों का पुस्तकालय होना चाहिये। हम भी पाटलिपुत्र के विचारों से सहमत हैं। हिन्दी भाषा के एक बड़े पुस्तकालय की जिसमें हिन्दी की सम्पूर्ण उत्तमोत्तम पुस्तकें पढ़ने को मिल सकें पटने में अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जहाँ तक हमें विदित है हिन्दी पुस्तकों का कोई अच्छा बड़ा पुस्तकालय पटने में नहीं है। इसके विपरीत अङ्ग्रेज़ी तथा उर्दू की पुस्तकों के सङ्ग्रहालय वहाँ मौजूद हैं। फिर जितनी अधिक सङ्ख्या में लोग हिन्दी पुस्तकालय से लाभ उठा सकेंगे उतना अङ्ग्रेज़ी तथा उर्दू के पुस्तकालयों से नहीं। आशा है पुस्तकालय के निर्माण कर्त्ता इस बात का ध्यान अवश्य रक्खेंगे।

वराहमिहिराचार्य्य पुस्तकालय

पटने में इस नामका अपने ढङ्ग का एक अनोखा पुस्तकालय है। इसमें हिन्दी और संस्कृत के केवल बहुमूल्य प्राचीन अप्रकाशित ग्रन्थों का सङ्ग्रह किया गया है। समय समय पर अच्छे अच्छे अप्रकाशित ग्रन्थों को प्रकाशित करना भी इस पुस्तकालय के उद्देश्यों में से एक है पर जहाँ तक हमें विदित है अभी तक इस पुस्तकालय ने कोई ग्रन्थ प्रकाशित नहीं किये हैं। यह पुस्तकालय आषाढ़ शु० ६ सं० १९७२ को पं० बालगोविन्द मालवीय द्वारा स्थापित हुआ था। तब से उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होती रही है। ता० २३ जुलाई सन् १९१६ को इसका प्रथम वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ था। वर्तमान पदाधिकारियों में सर्वतन्त्र स्वतन्त्र श्री हरिहर कृपालु जी न्यायाचार्य्य सभापति, पं० गदाधर मिश्र,

मन्त्री, पं० व्रजनाथ शास्त्री उपमन्त्री तथा पं० बलदेव शर्मा काव्य तीर्थ पुस्तकाध्यक्ष हैं।

राजपूताना समिति

झालरापाटन में पं० गिरिधर शर्मा नवरत्न के उद्योग से राजपूतानासमिति नाम की एक समिति स्थापित हुई है। जिसका उद्देश्य हिन्दी ग्रन्थों को लिखवा कर सस्ते मूल्य पर बेंचना है। अभी हाल में इसे १२०००) रुपये का दान प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि वहाँ के धनाढ्य मारवाड़ियों के लड़के बहुत कुछ धन व्यर्थ बातों में व्यय कर दिया करते थे। यह देख कर उन्हें हिन्दी का प्रेम दिलाया गया और अपने धन के सदुपयोग करने का उपदेश दिया गया। फल यह हुआ कि उन्होंने भी हिन्दी से प्रेम करना सीख लिया और अब वे अपने धन को व्यर्थ बहाने के बदले राजपूताना समिति की सहायता करने तथा अन्य प्रकार से हिन्दी की सेवा करने में लगाते हैं। हम मारवाड़ी नवयुवकों के उत्साह के लिए मारवाड़ी जाति को तथा उद्योग की सफलता के लिए पं० गिरिधर शर्मा तथा अन्य हिन्दी प्रेमियों को बधाई देते हैं। यदि इसी प्रकार की समितियाँ अन्यान्य प्रान्तों में भी खुल जायँ तो बहुत बड़ा उपकार होना सम्भव है। हमको आशा है कि नवरत्न जी के उद्योग से हिन्दी भण्डार को सुशोभित करनेवाले ग्रन्थ ही समिति की ओर से प्रकाशित किये जायँगे।

"कलकत्ते के बङ्ग-सहयोगी 'बङ्गवासी" ने अपने "भाषा का गौरव" शीर्षक लेख में एक पक्षपात पूर्ण और भ्रान्त बात कही है। कहा हैः—"हमारे इस भारतवर्ष में सत्तर प्रकार की भाषायें प्रचलित हैं। उनमें हिन्दीभाषियों की सङ्ख्या अधिक है; उसके नीचे ही बङ्गला का आसन है।" यहाँ तक तो कुछ भी भूल या भ्रम नहीं; किन्तु इसी वाक्य में आगे कहा गया है—"किन्तु शब्द-सम्पद और भाव-गौरव में बङ्गला हिन्दी से बहुत आगे बढ़ गयी है।" यह सहयोगी का भ्रम मात्र है। आधुनिक गद्य साहित्य में बङ्गला हिन्दी से कुछ आगे बढ़ी हुई जरूर है पर हिन्दी का प्राचीन पद्य साहित्य इतना ऊँचा है कि जिसकी तुलना

यिचारी वङ्गला तो क्या संस्कृत के सिवा पृथिवी की किसी भाषा से नहीं हो सकती। जिन रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताञ्जलि काव्य पर लोग इतने लट्टू हो रहे हैं वह सूर तुलसी विहारी प्रभृति की तो वात ही छोड़ दीजिये, देव पजनेश पद्माकर भूषण प्रभृति के भाव-गौरव और शब्द-सम्पद को भी पा नहीं सकता, किन्तु बङ्गवासियों में यह एक दोष है कि ये वङ्गाल के आगे किसी को गिनते ही नहीं। उनमें इतनी सङ्कीर्णता आ गयी है कि वे सिर्फ बंङ्गाल को अपनी मातृभूमि अपना देश समझते हैं। वे जो कुछ लिखते हैं जो कुछ पढ़ते हैं सब बङ्गदेश को लक्ष्य कर, भारत को नहीं। इसी पक्षपात में पड़ कर बङ्गवासी सम्पादक ने भी हिन्दी के शब्द-सम्पद और भाव-गौरव को अगण्य बताने की चेष्टा की है।"

—पाटलिपुत्र

ग्रामीण देवनागरी पुस्तकालय, पचराँव-चुनार

इस पुस्तकालय की स्थापना हमने गावों में देवनागरी भाषा के प्राचीन और नवीन पुस्तकों को सङ्ग्रह करके प्रचार तथा उन्नति के उद्देश्य से तारीख पहिली जुलाई सन् १६११ ई० को की जिससे हमारे ग्रामीण जन भी वर्तमान संसार की अवस्था का ज्ञान बढ़ा कर देश और आत्मोन्नति के पुनः पथगामी हो चलें। समयानुसार अपने पूर्ण यथाशक्ति स्वतः आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा। अतः परम सहायक परमात्मा की कृपा से उक्त पुस्तकालय दिन पर दिन अच्छी अवस्था को पहुँचता आ रहा है। इस लिये अब स्थापित काल के उद्देश्य मनोर्थानुकूल हम चाहते हैं कि इस पुस्तकालय के आर्थिक कोष की वृद्धि और उद्देश्य के प्रचारार्थ "घूमता हुआ देवनागरी पुस्तकालय" नामक संस्था स्थापित कर कार्य्य आरम्भ करें। इस इच्छा को लेख द्वारा प्रकाश कर आशा करता हूं कि यह देवनागरी भाषा के हितचिंतकों के हृदय का शुभ समाचार होगा और अपनी अपनी सम्मति भेज कर कृतार्थ करेंगे।

—ब्रह्मदत्त शर्म्मा, पचराँव-चुनार

परीक्षासमिति

परीक्षासमिति की बैठकें बराबर होती रहती हैं कार्य भी यथा समय हो ही रहा है किन्तु हिन्दी के विद्वानों की ओर से अधिक सहायता की आवश्यकता है। परीक्षासमिति ने अपने परीक्षा विषयों के दो विभाग किये हैं। (१) साहित्य और (२) विज्ञान। प्रत्येक विभाग में अधिक से अधिक ३१ सदस्य होंगे और प्रत्येक विभाग में सात सात वर्ग होंगे। प्रत्येक वर्ग में कम से कम ३ और अधिक से अधिक ७ सदस्य होंगे। सारांश यह कि परीक्षासमिति के लिए अब अधिक विद्वानों की आवश्यकता है। केवल परीक्षा-समिति के ही ११ सदस्यों से काम न चलेगा। अतएव देश के हिन्दी हितैषी विद्वानों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हम आशा करते हैं कि परीक्षासमिति के सञ्चालकों ने जिस प्रशंसनीय परिश्रम से अपनी समिति को इस अवस्था को पहुंचाया है उसी परिश्रम से विद्वानों के निर्वाचन और उनकी सहानुभूति ग्रहण करने में भी वे प्रशंसनीय रहेंगे।

बधाई

हमारे स्थायी समिति और परीक्षासमिति के सदस्य पं० रघुवर प्रसाद द्विवेदी जी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरकार ने रायसाहब की उपाधि दी है। हमारा द्विवेदी जी का अक्षरीय सम्बन्ध ही घनिष्ठ है अतएव इस अक्षर सम्बन्धी लाभ के लिए हम आपको बधाई देते हैं।

हिन्दी के ग्रन्थों की प्रदर्शिनी

इसके पूर्व हिन्दी के पत्रों द्वारा हमने हिन्दी साहित्य सेवी सज्जनों को हिन्दी-ग्रन्थ प्रदर्शिनी के विषय में जो सूचना दी थी और उनसे प्रकाशित तथा हस्तलिखित ग्रन्थ प्रदर्शनार्थ भेजने की प्रार्थना की थी, उसके अनुसार बहुत सज्जनों ने प्रकाशित और थोड़े लोगों ने हस्त लिखित ग्रन्थों को प्रदर्शनार्थ भेजने की कृपा की है। जिन सज्जनों ने ग्रन्थ भेजने की कृपा की है उन लोगों ने इस दिशा में हमारे उत्साह को बढ़ाने वाले पत्र भी लिखे हैं। इस कृपा के लिये हम इन सज्जनों के अत्यधिक कृतज्ञ हैं।

समाचार-पत्रों में प्रदर्शिनी-विषयक विज्ञप्ति को पढ़ अनेक सज्जनों ने हमसे यह पूछा है कि प्रदर्शनार्थ ग्रन्थ कब तक भेजे जायँ। अभी तक सम्मेलन की तिथि का पूर्ण रूप से निश्चय नहीं हुआ था, अतः हम उन लोगों के पत्रों के उत्तर सनिश्चय देने को असमर्थ थे। सन्तोष का विषय है कि अब यह बात पूर्ण रूप से निश्चित हो गई है कि सम्मेलन आगामी कार्त्तिक शुक्ल ११, १२ और १३ सं० ७३ तदनुसार नवम्बर की ५, ६ और ७ तारीख को होगा। सम्मेलन के पूर्व प्रदर्शिनी का सुसज्जित होना वाञ्छनीय है। यह काम तभी हो सकेगा जब प्रदर्शनीय ग्रन्थ यहाँ १५ अक्टूबर के पूर्व वा निदान तब तक आ जायँ। ऐसी अवस्था में हम अपने समस्त हिन्दी साहित्य सेवी भाइयों से पुनरपि प्रार्थना करते हैं कि वे लोग अपने प्रदर्शनीय ग्रन्थ श्रीयुत पण्डित दयाशङ्कर झा बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, मन्त्री हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, जबलपुर सी० पी० के पते से शीघ्र भेजने की कृपा करें। हमें पूर्ण भरोसा है कि हिन्दी के ग्रन्थ लेखक, प्रकाशक तथा विक्रेतागण अपने अपने यहाँ की प्रकाशित तथा हस्तलिखित पुस्तकें भेजने का अनुग्रह अवश्य करेंगे।

प्रदर्शिनी विषयक और जो कुछ पूछ ताछ किसी महाशय को करनी हो वे हमसे पूँछ सकते हैं।

गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री, संयोजक, दीक्षितपुरा, जबलपुर।

सम्पादकीय-विचार

सम्मेलन

सम्मेलन के कार्यों की आलोचना करते हुये हमारे अनेक सहयोगी उसकी स्थायी समिति और उसकी मुखपत्रिका-सम्मेलन-पत्रिका पर आक्षेप की दृष्टि से नहीं सुधार की दृष्टि से कुछ दोष लगाते हैं। कोई स्थायी-समिति के कार्यों को मुट्ठी भर प्रयाग निवासियों के कार्य कह कर और पत्रिका को दोवर्की पत्रिका कह कर स्मरण करते हैं कोई हिन्दी-संसार की उपेक्षा करने का दोष देकर लिखते हैं कि "जिसकी जरूरत से ज्यादा उपेक्षा की जाती है उसमें एक प्रकार के बागीपन की प्रवृत्ति पैदा होती है। यह प्रवृत्ति मिली हुई शक्तियों को अलग कर देती है। इसलिये हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अधिकारियों को सारे हिन्दी-संसार को एक डोर में बाँध कर अविराम परिश्रम करना होगा।" काम करने के लिये कोई कोई कहते हैं कि सम्मेलन की जवानी आ रही है, उसके काम करने का समय है, अभी से शिथिलता आनी बुरी बात है और कोई कहते हैं कि स्थायी-समिति में प्रकाण्ड विद्वानों की कमी है इत्यादि। ऊपर की बातों का उत्तर देना हम अपना नहीं समस्त हिन्दी-संसार का कर्तव्य समझते हैं। किसी भी संस्था के कार्य में शिथिलता आ जानी, उसका काम मुट्ठी भर आदमियों के हाथ में चला जाना, उसके द्वारा उसके ही हितैषियों की उपेक्षा होनी और प्रकाण्ड विद्वानों का उसमें अभाव उसके लिये लाभदायक एवं शोभाजनक नहीं होता है किन्तु प्रश्न यह है कि सम्मेलन में यदि ये दोष वास्तव में हों तो उसमें दोष किसका है? जिस सम्मेलन का अधिवेशन प्रति वर्ष सहस्रों हिन्दी-सेवी भाइयों की उपस्थिति में और उसकी स्थायी-समिति का निर्वाचन नियमानुसार समस्त प्रान्तीय प्रतिनिधियों की अनुमति से होता है यदि उसमें प्रकाण्ड विद्वान न चुने जायँ और उसका कार्य कोई स्थान विशेष के मुट्ठी भर मनुष्यों के हाथ में रहे तो उसका दोष हम समस्त हिन्दी-संसार को देंगे न कि किसी व्यक्ति अथवा समुदाय विशेष को।

इसमें सन्देह नहीं कि सम्मेलन ने अपने कर्तव्य को इस समय तक पूरा पूरा निभा नहीं सका है और इसके लिये हम उसे दोष भी नहीं दे सकते हैं। हिन्दी-संसार की स्थिति और देश की दशा देख कर सन्तोष करना पड़ता है कि उसने जो कुछ किया है और जैसी उसकी कार्य में प्रवृत्ति है उससे बहुत कुछ कार्य होने की आशा है। और हमारे सहयोगियों को चाहिये कि वे समय समय पर इसी प्रकार हिन्दी संसार को भी सम्मेलन की ओर झुकाने के लिये उत्तेजित करने की कृपा करते रहें। **पत्रिका** अपने उद्देश्यों की सिद्धि में लगी रहने पर भी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकी है इसके लिये वह अपने स्वरूप को दोषी नहीं समझती प्रत्युत उसकी दृष्टि से अन्य कई कारणों से उसकी उन्नति में बाधा रही है जो शनैः शनैः दूर हो रहे हैं।

भ्रम संशोधन

यद्यपि अनेक उदाहरण अब से पहिले भी हमको पत्र प्रेरकों की मिथ्या कल्पना के विषय में मिल चुके हैं तथापि जो उदाहरण आज मिला है उसके लिये हमें अत्यन्त खेद है। और यह कहना पड़ता है कि सहयोगियों को इन भले मानुष पत्र-प्रेरकों से सावधान रहना चाहिये।

दैनिक भारतमित्र (८–४–१६) में पं० रामदहिन जी काव्यतीर्थ के विषय में एक लेख निकला था उसीके आधार पर पत्रिका में भी हिन्दी-संसार शीर्षक लेख में पं० रामकृष्ण सारस्वत जी ने एक नोट दे दिया था किन्तु १४–६–१६ के दैनिक भारतमित्र में उस का मार्जन किया गया है और लिखा गया है कि पूर्व लेख जो दैनिक भारतमित्र (८–४–१६) में निकला था जिसमें श्रीयुत पं० रामदहिन जी मिश्र पर साहित्य की चोरी का अभियोग लगाया गया था सर्वथा मिथ्या है। अतएव हम प्रकट करते हैं कि पत्रिका में जो नोट उसीके आधार पर निकला है और जिसके लिये हमारे उक्त काव्यतीर्थ जी को मानसिक दुःख हुआ है वह मिथ्या है और इस प्रकार भ्रम से निकल जाने के कारण उस नोट के लिये हमें खेद है।

परीक्षासमिति

परीक्षासमिति के उपनियमों में परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक ज्ञातव्य परिवर्तन इस प्रकार हुए हैं—

उपनि० ८ के अनुसार उत्तमा में उत्तीर्ण होने के लिये प्रतिशत ५० अङ्क प्राप्त करना आवश्यक था अब उपनि० ७ के अनुसार ४५ अङ्क प्राप्त करना पर्याप्त समझा गया है।

उपनि० ३१ नवीन बनाया गया है जो इस प्रकार है "प्रथमा और मध्यमा परीक्षाओं के किसी विशेष विषय में ही यदि कोई परीक्षा देना चाहे तो उसे भी नियम १५-१६ के अनुसार नियत तिथि के पहिले पूरा शुल्क तथा आवेदन पत्र भेजना होगा, परन्तु उत्तीर्ण होने पर उसे उसी विषय का उत्तीर्ण पत्र मिलेगा और कोई उपाधि न मिलेगी।"

उपनियम २७ के स्थान में उपनि० ३२ में इतना अंश बढ़ा दिया गया है कि "उपाधि का सम्मेलन में नियत समय पर ग्रहण करना अनिवार्य्य होगा। यदि किसी कारण से उपस्थिति असम्भव हो तो १) अधिक शुल्क भेजने पर व्यवस्थापक वा परीक्षासमिति द्वारा निश्चित किसी अन्य सज्जन द्वारा दिया जा सकेगा।

विभाग और वर्ग भी बनाये गये हैं और उनके नियम भी बने हैं। विभाग और वर्गियों की नामावली इसी अङ्क में दी गयी है किन्तु उनके नियम विस्तारभय से नहीं दिये गये हैं जो विवरण-पत्रिका से ज्ञात हो सकेंगे।

प्रथमा परीक्षा के लिये नवीन नियम ये बने हैं—इतिहास और विज्ञान के बदले में मुनीमी, आरायज़ नवीसी और कारिन्दगीरी की परीक्षा भी हो सकेगी। और १० परीक्षार्थियों के सशुल्क आवेदन पत्र २१ मार्च तक में आ जाने पर नवीन केन्द्र भी खोल दिया जायगा किन्तु नवीन केन्द्र के लिये व्यवस्थापक, परीक्षा स्थान और निरीक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तावित केन्द्र के किसी हिन्दी हितैषी द्वारा २१ मार्च के पहले आ जाना चाहिये। मध्यमा के लिये प्रस्तावित केन्द्र से ७ ही परीक्षार्थियों के सशुल्क आवेदन पत्र आने का नियम रक्खा गया है। अन्य उपनियमों के लिये विवरण पत्र देखना चाहिये।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।